VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

सरकारी योजनाएं

Classroom Study Material
2019

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture And Farmers Welfare) 11

1.1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 11
1.2.यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम 12
1.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 12
1.4 परंपरागत कृषि विकास योजना 13
1.5. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन 14
1.6 राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट: NAM) 15
1.7. एकीकृत बागवानी विकास मिशन 15
1.8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ़्तार (RKVY-RAFTAAR) 16
1.9. पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (BGREI) 17
1.10 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 17
1.11 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 18
1.12 किसान क्रेडिट कार्ड 18
1.13 राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन 19
1.14 देश (भारत) में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण 19
1.15 राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन 19
1.16. राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम 20
1.17. राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 20
1.18. डेयरी उद्यमिता विकास योजना 21
1.19. नीली क्रांति: एकीकृत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन 21
1.20. पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना 22
1.21. जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल 22
1.22. ब्याज अनुदान योजना 22
1.23.आर्या परियोजना- अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर 23
1.24. कृषि विज्ञान केंद्र 23
1.25. एग्री उड़ान 24
1.26. मेरा गाँव-मेरा गौरव 24
1.27 कृषि विपणन पर एकीकृत योजना 24
1.28. कृषि कल्याण अभियान 25
1.29. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) 25
1.30. राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना 26
1.31. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) 26
1.32 अन्य पहलें 27

2. आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) 31

2.1 राष्ट्रीय आयुष मिशन 31
2.2. आयुष दवाओं की निगरानी को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना 31
2.3 अन्य योजनाएं 32

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals And Fertilizers) 33

VISION IAS

3.1. उर्वरक विभाग 33
3.1.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 33
3.1.2. सिटी कम्पोस्ट स्कीम 33
3.2. औषध विभाग 33
3.2.1. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) 33
3.2.2. सुविधा 34
3.2.3. अन्य योजनाएँ 34
3.3. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग 35
3.3.1. प्लास्टिक पार्क्स स्कीम 35

4. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) 36

4.1. उड़े देश का आम नागरिक (UDAN)/क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) 36
4.2. अन्य योजनाएं 37

5. कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) 38

5.1. शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांस्पैरेंटली इन इण्डिया) योजना 38
5.2. अन्य योजनाएं 38

6. वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) 39

6.1. स्टार्ट अप इंडिया 39
6.2. मेक इन इंडिया 39
6.3. ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) (निर्यात योजना हेतु व्यापार अवसंरचना) 40
6.4. सरकारी ई-बाजार स्थल 40
6.5. परिवहन एवं विपणन सहायता योजना 41
6.6 अन्य योजनाएं (OTHER SCHEMES) 41

7. संचार मंत्रालय (Ministry of Communication) 44

7.1. दूरसंचार विभाग 44
7.1.1. भारत नेट परियोजना 44
7.1.2. पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना 44
7.1.3. तरंग संचार 45
7.2. डाक विभाग 45

8.उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) 47

8.1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 47
8.1.1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) 47
8.1.2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) 47
8.1.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन 48
8.2. उपभोक्ता मामलों का विभाग 48
8.2.1. मूल्य स्थिरता कोष 48
8.2.2. अन्य योजनाएं 49

9. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) 50

VISION IAS

10. संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) 51

10.1 प्रोजेक्ट मौसम – संस्कृति मंत्रालय 51
10.2.स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइन्स 51
10.3. सेवा भोज योजना 51
10.4. भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण करना 52
10.5. अन्य योजनाएं 52

11. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) 54

11.1. वन रैंक वन पेंशन योजना (OROP) 54
11.2. अन्य योजनाएँ 54

12. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय(Ministry of Development Of North Eastern Region) 55

13. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MDWS) [Ministry of Drinking Water And Sanitation (MDWS)] 57

13.1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)[SBM (G)] 57
13.2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 59

14. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) 61

14.1. राष्ट्रीय मानसून मिशन (द्वितीय चरण 2017-2020) 61
14.2. अन्य योजनाएं 61

15. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & IT) 63

15.1. डिजिटल इंडिया 63
15.2. जीवन प्रमाण 63
15.3 प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 64
15.4 साइबर स्वच्छता केन्द्र (CSK) 64
15.5. भारत BPO संवर्द्धन योजना 65
15.6. राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग अभियान 65
15.7. स्त्री स्वाभिमान 66
15.8. इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (EDF) 66
15.9. संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन लाभ पैकेज योजना 67
15.10. भारत इंटरफेस फॉर मनी 67
15.11. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना 67
15.12 अन्य योजनाएं 68

16. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest And Climate Change) 70

16.1. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) 70
16.2. सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट 71
16.3. हरित कौशल विकास कार्यक्रम 71
16.4. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 72
16.5 अन्य योजनाएं 73

17. विदेश मंत्रालय (Ministry Of External Affairs) 74

VISION IAS

17.1. भारत को जानो कार्यक्रम....74
17.2. स्टूडेंट एंड MEA इंगेजमेंट प्रोग्राम-SAMEEP....74
17.3. प्रवासी कौशल विकास योजना....74

18. वित्त मत्रांलय (Ministry of Finance)....75

18.1. नेशनल पेंशन स्कीम....75
18.2 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना....76
18.3 अटल पेंशन योजना....77
18.4 प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना....78
18.5 प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना....78
18.6. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)....78
18.7. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)....79
18.8 स्टैंड अप इंडिया योजना....80
18.9 स्वर्ण मुद्रीकरण योजना....80
18.10. सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना....81
18.11. प्रोजेक्ट सक्षम....81
18.12. स्वच्छ भारत कोष (SBK)....82

19. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries)....83

19.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)....83
19.2 मेगा फूड पार्क....83
19.3. ऑपरेशन ग्रीन्स....84
19.4. अन्य योजनाएं....85

20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health And Family Welfare)....86

20.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन....86
20.2 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन....86
20.3 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन....87
20.4 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम....87
20.5 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम....88
20.6 जननी सुरक्षा योजना....88
20.7 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम....89
20.8 प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना....89
20.9. लक्ष्य - लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव....89
20.10 MAA - मदर्स ऐब्सल्यूट अफेक्शन....90
20.11 मिशन परिवार विकास....90
20.12 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम....90
20.13 मिशन इंद्रधनुष....91
20.14 EVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क)....92
20.15. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पहल (राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस)....92
20.16. आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन....92
20.17 राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN)....93

VISION IAS

20.18. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम....94
20.19. सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा....94
20.20. नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम....94
20.21. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल....95
20.22. अन्य योजनाएँ....95

21. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises)....98

21.1.फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स II: फेम....98
21.2. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP)....99

22. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)....100

22.1. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS)....100
22.2. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम....100
22.3 महिला एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम....101
22.4. अन्य योजनाएं....102

23. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing And Urban Affairs)....103

23.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)- शहरी....103
23.2 दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन....104
23.3. स्मार्ट सिटी मिशन....105
23.4. अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन....106
23.5. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना (हृदय)....107
23.6 स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)....107

24. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development)....109

24.1. समग्र शिक्षा - स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना....109
24.1.1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)....110
24.1.2. सर्व शिक्षा अभियान....110
24.1.3.पढ़े भारत बढ़े भारत....111
24.1.4. विद्यांजली....111
24.1.5.राष्ट्रीय आविष्कार अभियान....111
24.2. मध्याह्न भोजन योजना....112
24.3.राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)....113
24.4. माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष....114
24.5. उड़ान – गिविंग विंग्स टू गर्ल्स....114
24.6. उन्नत भारत अभियान....115
24.7. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम....115
24.8 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम....115
24.9. उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना: श्रेयस....116
24.10 अन्य योजनाएं....116

25. श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour And Employment)....120

25.1. दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम....120

VISION IAS

25.2. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 120
25.3. केंद्रीय क्षेत्र की बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 121
25.4. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 121
25.5. प्लेटफ़ॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल) पोर्टल 122
25.6. नेशनल करियर सर्विस 122
25.7 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 122
25.8. प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना 123
25.9 अन्य योजनाएं 123

26. कानून और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law And Justice) 124

26.1. प्रो बोनो लीगल सर्विस 124
26.2. न्याय मित्र 124
26.3. अन्य योजनाएँ 124

27. खान मंत्रालय (Ministry of Mines) 126

27.1.प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) 126
27.2 अन्य योजनाएं 127

28. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) 128

28.1 साइबर ग्राम 128
28.2. जियो पारसी 128
28.3. नई रोशनी 129
28.4. उस्ताद (अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स-क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट) 129
28.5. नई मंजिल 130
28.6. पढ़ो परदेश 130
28.7. नई उड़ान 130
28.8. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (MANAS) 131
28.9. हमारी धरोहर 131
28.10. सीखो और कमाओ 132
28.11. महिला समृद्धि योजना 132
28.12. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 132
28.13. अन्य योजनाएं 133

29. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New And Renewable Energy) 134

29.1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) 134
29.2. सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना 135
29.3. अटल ज्योति योजना - अजय 135
29.4. सौर शहरों के विकास की योजना 136
29.5. सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम 136
29.6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट 137
29.7. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना 137
29.8. अन्य योजनाएं 138

VISION IAS

30. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchyati Raj) 139

30.1. ग्राम स्वराज अभियान 139
30.2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) 139

31. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances And Pensions) 140

31.1. प्रेरण प्रशिक्षण पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल (COMMIT) 140

32. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum And Natural Gas) 141

32.1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) 141
32.2. प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) 141
32.3. पीडीएस केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBTK) योजना 142
32.4. प्रधान मंत्री LPG पंचायत योजना 142
32.5. प्रधानमंत्री JI-VAN (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना 143
32.6. राष्ट्रीय गैस ग्रिड 143
32.7. सिटी गैस वितरण नेटवर्क 144
32.8. अन्य योजनाएं 144

33. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) 145

33.1. उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) 145
33.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 145
33.3. राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम 146
33.3.1. उजाला 146
33.3.2. राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम 147
33.4. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) 147
33.5. एकीकृत विद्युत विकास योजना (शहरी क्षेत्रों के लिए) 148
33.6. सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ़ इफिशन्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्माल इंडस्ट्रीज (साथी) 148
33.7. अन्य योजनाएं 148

34. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) 150

34.1. अवतरण 150
34.2. मिशन सत्यनिष्ठा 150
34.3. अन्य योजनाएँ 151

35. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport And Highways) 153

35.1. भारतमाला परियोजना 153
35.2. अन्य योजनाएँ 154

36. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) 155

36.1. सांसद आदर्श ग्राम योजना 155
36.2. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 156
36.3. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 156
36.4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 157
36.5. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 158

VISION IAS

36.6. मिशन अंत्योदय 159
36.7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 160
36.8. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 161
36.9. जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति 162
36.10. DAY- NRLM के अंतर्गत अन्य योजनाएं 162
36.10.1. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 162
36.10.2. स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम 163
36.10.3. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 164
36.10.4.राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण परियोजना 165
36.11. नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट 165

37. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science And Technology) 166

37.1. नेशनल बायोफार्मा मिशन 166
37.2. बायोटेक-किसान (कृषि अभिनव विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क) 166
37.3. मवेशी जीनोमिक्स योजना 167
37.4. इंस्पायर योजना (इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च) 167
37.5 इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम्स प्रोग्राम 168
37.6. अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन- राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम 169
37.7. अन्य योजनाएं 169

38. पोत परिवहन मंत्रालय (Ministry of Shipping).....171

38.1. सागरमाला 171
38.2. जल मार्ग विकास परियोजना 172

39. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development And Entrepreneurship).....173

39.1. प्रधानमंत्री युवा योजना 173
39.2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 173
39.3. आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान बढ़ाना (संकल्प) 174
39.4. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण 174
39.5. नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 175
39.6. जन शिक्षण संस्थान 175

40. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice And Empowerment) 176

40.1. स्वच्छता उद्यमी योजना 176
40.2. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (मैनुअल स्केवेंजर्स) के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना 176
40.3. सुगम्य भारत अभियान 176
40.4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना 177
40.5. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) 177
40.6. मादक पदार्थ मांग कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (2018-2023) 178
40.7. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना 178
40.8 अन्य योजनाएं 179

41. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics And Programme Implementation) 180

VISION IAS

41.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 180

42. इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel) 181

42.1.भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन 181

43. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile) 182

43.1 एकीकृत वस्त्र पार्क योजना 182
43.2 रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना 182
43.3 पावरटेक्स इंडिया स्कीम 183
43.4 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना 183
43.5 कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना 184
43.6 अन्य योजनाएं 184

44. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) 185

44.1. स्वदेश दर्शन 185
44.2.तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- प्रसाद योजना 185
44.3. धरोहर गोद लें/'अपनी धरोहर अपनी पहचान' योजना 186
44.4. पर्यटन पर्व, 2018 186
44.5. अन्य योजनाएं 187

45. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) 188

45.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 188
45.2.जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की योजना 188
45.3. वनबंधु कल्याण योजना 189
45.4. वन धन योजना 189
45.5. एमएफपी योजना की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र 190
45.6. अन्य योजनाएँ 190

46. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Water Resources, River Development And ganga Rejuvenation) 191

46.1. नमामि गंगे योजना 191
46.2. जल क्रांति अभियान 192
46.3. राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना 192
46.4. बांध पुनरूद्धार और सुधार परियोजना 193
46.5. राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार योजना 193
46.6. अटल भूजल योजना 194
46.7. अन्य योजनाएं 194

47. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women And Child Development) 196

47.1.एकीकृत बाल विकास सेवाएं 196
47.1.1. राष्ट्रीय पोषण मिशन 196
47.1.2. किशोर लड़कियों के लिए योजना 197

VISION IAS

47.1.3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 198
47.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 198
47.2.1. सुकन्या समृद्धि योजना 199
47.3. उज्ज्वला योजना 200
47.4. किशोर लड़कों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना- सक्षम 200
47.5. स्वाधार गृह योजना 200
47.6 जेंडर चैंपियंस योजना 201
47.7 सखी वन स्टॉप सेंटर 201
47.8. अन्य योजनाएं 201

48. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs And Sports) 203

49. नीति आयोग (Niti Ayog) 205

49.1. अटल नवोन्मेष मिशन 205
49.2. मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम (साथ) 205
49.3 आकांक्षी जिला कार्यक्रम 206
49.4 परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन 206

50. प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) 207

50.1. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) 207
50.2. अन्य योजनाएं 207

51. अंतरिक्ष विभाग (Department Of Space) 209

51.1. भुवन- इसरो का भू-पोर्टल 209
51.2. युवा विज्ञानी कार्यक्रम 209
51.3. युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 210
51.4.अन्य योजनाएं 210

52. राज्य सरकार की योजनाएं (State Government Schemes) 211

53. अन्य योजनाएं (Other Schemes) 213

53.1 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस प्रोजेक्ट 213

VISION IAS

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)

1.1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

(PM Fasal Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। • कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु किसानों की आय को स्थायित्व देना। • किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। • कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।	• बंटाईदार एवं काश्तकार सहित अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले ऐसे सभी किसान इसके लाभार्थी होंगे जिन्हे फसल में बीमायोग्य हित प्राप्त हैं।	• पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अतिरिक्त इस योजना ने अन्य सभी मौजूदा बीमा योजनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया है (पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, फसल की हानि के लिए किसानों की क्षतिपूर्ति करने हेतु कृषि उत्पादन के लिए मौसम मानदंडों को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करती है।)। • **सभी खरीफ तथा रबी फसलों के लिए एकसमान क्रमशः 2% तथा 1.5% प्रीमियम का** भुगतान किया जाएगा। • वार्षिक वाणिज्यिक और **बागवानी फसलों** के सन्दर्भ में, किसानों द्वारा **केवल 5% प्रीमियम** का भुगतान किया जाएगा। • सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसलिए किसानों को किसी भी कटौती के बिना **पूर्ण बीमा राशि देय** होगी। • PMFBY अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए **ऋण प्राप्तकर्ता किसानों हेतु अनिवार्य** है तथा गैर-ऋण प्राप्तकर्ता किसानों के लिए स्वैच्छिक है। • **उपज हानि (Yield Losses):** प्राकृतिक अग्नि एवं तड़ित, तूफान, ओला-वृष्टि, चक्रवात, टाइफून, आंधी/झंझावात, हरिकेन, टोरनाडो आदि जैसे रोके न जा सकने वाले (non-preventable) जोखिम; तथा बाढ़ और भूस्खलन, सूखा, सूखा अवधि, कीटों / रोगों के कारण होने वाले जोखिम को भी कवर किया जाएगा। • **पोस्ट हार्वेस्ट हानियों को भी कवर किया** गया है। • **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** किसानों के दावे के भुगतान में देरी को कम करने तथा फसल कटाई के आंकड़ों को एकत्रित करने एवं अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन का उपयोग किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग का उपयोग फसल कटाई प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिए किया जाएगा। • इस योजना को '**क्षेत्र दृष्टिकोण आधार**' (एरिया एप्रोच बेसिस) पर क्रियान्वित किया जायेगा। परिभाषित क्षेत्र (अर्थात्, बीमा का इकाई क्षेत्र) एक गांव या उससे अधिक क्षेत्र है जो किसी अधिसूचित फसल हेतु **समान जोखिम का सामना** करने वाला एक जियो-फेंस्ड/जियो-मैप्ड क्षेत्र (Geo-Fenced/Geo-mapped region) हो सकता है। • **सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी** (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी

VISION IAS

		आदि) और योजना के कार्यान्वयन के लिए **निजी बीमा कंपनियों** को सूची में सम्मिलित किया गया है। • **हाल ही में**, इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को अपनी बीमा कंपनियों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। • **हाल ही में,** सरकार द्वारा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। • बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से दो महीने पश्चात् तक **दावों के निपटान में देरी के** लिए किसानों को 12% ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। • बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से तीन महीने पश्चात् तक सब्सिडी के राज्य हिस्से को जारी करने में देरी के लिए राज्य सरकारों को 12% ब्याज दर का भुगतान करना होगा। • इसमें फसल कटाई के बाद हानि, बेमौसमी और चक्रवाती वर्षा के अतिरिक्त ओलावृष्टि को भी शामिल किया गया है। • प्रशासनिक व्ययों के लिए अलग से बजट आबंटन (योजना के बजट का कम से कम 2%)। • जिला स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए राज्य और जिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना करना।

1.2.यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम

(Unified Package Insurance Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• कृषि क्षेत्र में संलग्न नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। • खाद्य सुरक्षा और खाद्य विविधीकरण सुनिश्चित करना। • कृषि क्षेत्र की संवृद्धि और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करना।	• PMFBY / WBCIS (मौसम आधारित फसल बीमा योजना) के तहत फसल बीमा के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी पात्र किसान इसमें शामिल होने के हकदार होंगे। • यह योजना एक वर्ष के लिए होगी, जो वर्ष-दर-वर्ष पुनर्नवीकृत की जाएगी • यह योजना किसानों की बीमा आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी। इस योजना के तहत किसानों को भूमि के स्वामित्वाधिकार और उपजाई गई फसल के आधार पर उपज आधारित फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। • इसमें निजी और कार्य संबंधी दोनों प्रकार की परिसंपत्तियां शामिल हैं और साथ ही यह योजना किसान एवं उनके परिवारों को जीवन बीमा सुरक्षा भी प्रदान करती है। • यह किसी किसान की दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/निःशक्तता की स्थिति में सहायता प्रदान कर, उनके स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान कर तथा माता-पिता की मृत्यु होने की दशा में विद्यार्थियों हेतु शिक्षा शुल्क का प्रावधान कर, किसान और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करती है।

1.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्रदान करना। • जलाशयों के पुनर्भरण में वृद्धि करना	• **विकेंद्रीकृत राज्य स्तरीय योजना** और कार्यान्वयन संरचना ताकि राज्य एक डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान (DIP) तथा एक स्टेट इरीगेशन प्लान (SIP) का निर्माण कर सकें। PMKSY फंड का उपयोग करने हेतु इस प्लान का निर्माण आवश्यक है। **निवेश खेत**

तथा सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरुआत करना। • पेरी-अर्बन कृषि (peri urban agriculture) में नगरपालिका अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने की व्यवहार्यता का पता लगाना । • सिंचाई में महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित करना। • जल संचयन, जल प्रबंधन और किसानों के लिए फसल संयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना ।	**स्तर पर किए जाएंगे।** • **प्रधानमंत्री सहित सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से निर्मित इंटर-मिनिस्ट्रीअल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी (NSC) द्वारा इसका अधीक्षण और निगरानी** की जाएगी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (National Executive Committee) का गठन किया जाएगा। • PMKSY को वर्तमान में जारी निम्न योजनाओं को सम्मिलित कर तैयार किया गया है: ○ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम: AIBP); ○ भूमि संसाधन विभाग का एकीकृत जलसंभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम: INWMP); ○ कृषि एवं सहकारिता विभाग के तहत नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA)। • **वाटर बजटिंग**: घरेलू, कृषि और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों हेतु वाटर बजटिंग की जाती है। • हाल ही में, **PMKSY के अंतर्गत नाबार्ड में समर्पित दीर्घकालीन सिंचाई निधि (LTIF) का सृजन** किया गया है। यह अपूर्ण प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करेगी। • राज्यों को ब्याज की रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए PMKSY के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के अंतर्गत एक समर्पित **सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF)** को स्थापित किया गया है।

Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)

- Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
- Faster completion of ongoing Major and Medium Irrigation including National Projects

PMKSY (Har Khet ko Pani)

- Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
- Creation of new water sources through Minor Irrigation (both surface and ground water)
- Repair, restoration and renovation of water bodies;
- Strengthening carrying capacity of traditional water sources, construction of rain water harvesting structures **(Jal Sanchay)**; Jal Mandir (Gujarat); Khatri, Kuhl (H.P.); Zabo (Nagaland); Eri, Ooranis (T.N.); Dongs (Assam); Katas, Bandhas (Odisha and M.P.)
- Command area development

PMKSY (Per Drop More Crop)

- Ministry of Agriculture
- Promoting efficient water conveyance and precision water application devices like drips, sprinklers, pivots, rain-guns in the farm (Jal Sinchan)
- Extension activities for promotion of scientific moisture conservation, Crop combination, crop alignment etc.,
- (ICT) interventions through NeGP -- precision irrigation technologies, on farm water management, crop alignment etc. and also to do intensive monitoring of the Scheme.

PMKSY (Watershed Development)

- Department of Land resources, Ministry of Rural development
- Effective management of runoff water and improved soil & moisture conservation activities
- Converging with MGNREGS
- DPAP, DDP and IWDP were consolidated under this component
- Cluster Approach in selection and preparation of projects

- ***Read more on Neeranchal National Watershed Project under Ministry of Rural Development***

1.4 परंपरागत कृषि विकास योजना

(Paramparagat Krishi Vikas Yojana)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु प्रत्यास्थ संधारणीय कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना।	• "परम्परागत कृषि विकास योजना" एक महत्वपूर्ण परियोजना नेशनल मिशन ऑफ़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) के साइल हेल्थ मैनेजमेंट (SHM) का एक विस्तृत

• संधारणीय एकीकृत जैविक कृषि प्रणाली के माध्यम से किसानों हेतु कृषि की लागत कम करने के लिए भूमि की प्रति यूनिट पर किसान की निवल आय को बढ़ाना। • पर्यावरण के अनुकूल कम लागत वाली पारंपरिक तकनीकों और किसान अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर पर्यावरण की खतरनाक अकार्बनिक रसायनों से रक्षा करना। • उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और प्रमाणीकरण प्रबंधन की क्षमता के साथ क्लस्टरों और समूह के रूप में अपने स्वयं के संस्थागत विकास के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना। • स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ किसानों के प्रत्यक्ष बाजार संबंध स्थापित कर किसानों को उद्यमी बनाना।	घटक है। • **क्लस्टर एप्रोच:** क्लस्टर एप्रोच में जैविक कृषि करने के लिए 50 या उससे अधिक ऐसे किसान एक क्लस्टर बनायेंगे, जिनके पास 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर भूमि होगी। जैविक कृषि करने के लिए किसान कृषि की पारंपरिक पद्धतियों और मानक जैविक कृषि पद्धतियों जैसे- शून्य बजट वाली प्रकृतिक कृषि और पर्माकल्चर अपनाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए 48,700 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता हेतु पात्र होंगे। • बजट के कम से कम 30% आबंटन को महिला लाभार्थियों / किसानों के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है। • सरकार 2017-18 तक जैविक कृषि के तहत 10,000 क्लस्टर बनाने की योजना बना रही है। जो 5 लाख एकड़ के क्षेत्र को कवर करेगी। **घटक-** • **क्लस्टर पद्धति के द्वारा भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) प्रमाणीकरण-** किसानों को लामबंद करना, क्लस्टर निर्माण, भूमि संसाधनों की पहचान और जैविक कृषि तथा PGS प्रमाणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण। • **क्लस्टर पद्धति के माध्यम से खाद प्रबंधन और जैविक नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग के लिए जैविक गांव को अपनाना:-** क्लस्टर के जैविक उत्पादों की जैविक कृषि, एकीकृत खाद प्रबंधन (Integrated Manure Management), पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग के लिए एक्शन प्लान। • **इस योजना के अन्य हालिया घटनाक्रम: मई 2018 में दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।** • **NMSA के तहत गठित सचिव (A&C) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NAC) मिशन** को समग्र दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने वाला नीति-निर्धारण निकाय होगी और इसकी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करेगी। • **राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र (NCOF):** PGS-इंडिया कार्यक्रम का सचिवालय होने के कारण NCOF, RCs के प्राधिकरण, NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के चयन और RCOF के माध्यम से यादृच्छिक निगरानी सहित PGS प्रमाणन कार्यक्रम के लिए निगरानी निकाय होगा। • **जैविक खेती पोर्टल:** जैविक खेती के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जाएगा, जो एक ज्ञान मंच और विपणन मंच दोनों के रूप में कार्य करेगा। • संबंधित घटकों के लिए MIDH, NFSM जैसी अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और MOFPI, SMES, MoRD आदि जैसे अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अभिसरण को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है।

1.5. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन

(National Mission on Sustainable Agriculture:NMSA)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• कृषि को अधिक संधारणीय, उत्पादक, लाभकारी और जलवायु प्रत्यास्थ (climate resilient) बनाना।	• यह संधारणीय कृषि मिशन से अधिदेशित है। यह मिशन **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है। • NMSA संधारणीय विकास पद्धतियों को अपनाकर **'जल उपयोग दक्षता', 'पोषक-तत्व प्रबंधन'** और **'आजीविका विविधीकरण'** के प्रमुख आयामों की प्राप्ति हेतु सहयोग करेगा। • NMSA के **मुख्य घटक** हैं -

VISION IAS

• समुचित मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। • व्यापक मृदा प्रबंधन पद्धतियां अपनाना तथा जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।	○ वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास ○ खेत (फार्म) पर जल प्रबंधन (अब प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के प्रति बूँद अधिक फसल (PDMC) घटक के तहत) ○ मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन ○ जलवायु परिवर्तन और संधारणीय कृषि: मॉनीटरिंग, मॉडलिंग और नेटवर्किंग ○ कृषि वानिकी पर उप-मिशन ○ राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) • 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन', इस मिशन के तहत एक उप-मिशन है। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना है, ताकि उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके तथा आगतों से लेकर एकत्रीकरण, संग्रहण, प्रसंस्करण व विपणन हेतु सुविधाओं के निर्माण तथा ब्रांड बिल्डिंग पहल तक सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास को सहायता प्रदान की जा सके।

1.6 राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट: NAM)

(National Agriculture Market)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• प्रमाणिक मूल्य के प्रकटीकरण को बढ़ावा देना; • किसानों के लिए विक्रय और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विकल्पों में वृद्धि करना • व्यापारियों / खरीदारों और कमीशन एजेंटों के लिए लिबरल लाइसेंसिंग। एक व्यापारी के लिए एकल लाइसेंस उपलब्ध कराना जो सभी राज्यों में मान्य होगा। • कृषि उपज के गुणवत्ता मानकों का सुसंगत होना। • एकल बिंदु पर बाजार शुल्क लेना, अर्थात किसान से प्रथम थोक खरीद पर। • स्थिर कीमतों और उपभोक्ताओं हेतु गुणवत्तायुक्त उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए • चयनित मंडी में या मंडी के निकट मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रावधान	• NAM एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है I यह कृषि वस्तुओं हेतु एक **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण** के लिए मौजूदा APMCs और अन्य बाजार स्थलों को जोड़ने का प्रयास करता है। • स्माल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (SAFC) को इस राष्ट्रीय ई-प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसी के रूप में चुना गया है। • केंद्र सरकार राज्यों को नि:शुल्क सॉफ्टवेयर प्रदान करेगी। इसके साथ ही संबंधित उपकरणों और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं हेतु **प्रत्येक मंडी या बाजार या निजी मंडियों को 30 लाख रुपये तक** की अनुदान राशि दी जाएगी। • अब तक 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में 585 थोक विनियमित बाजार / APMC बाज़ारों को e-NAM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। • मंडी / बाजार में स्थानीय व्यापारी के लिए, NAM द्वितीयक व्यापार हेतु एक अपेक्षाकृत बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। • थोक क्रेता, प्रोसेसर, निर्यातक आदि NAM प्लेटफार्म के माध्यम से स्थानीय मंडी / बाजार स्तर पर व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में सक्षम होते हैं जिससे उनकी मध्यस्थता लागत कम होने से लाभ होगा। • **फंड आवंटन** - इस योजना को एग्री-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AITF) के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। • हाल ही में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य **ई-नाम पर पहला अंतर-राज्यीय व्यापार** किया गया है।

1.7. एकीकृत बागवानी विकास मिशन

(Mission for Integrated Development of Horticulture)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्रक (बांस और नारियल सहित)	• यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे 2014-15 से आरम्भ किया गया था। इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं और कार्य क्षेत्र सम्मिलित हैं -

VISION IAS

के समग्र विकास को बढ़ावा देना। • FPO जैसे समूहों में किसानों के समूहन को प्रोत्साहित करना। • बागवानी उत्पादन में वृद्धि, करना; किसानों की आय में वृद्धि करना और पोषण सुरक्षा को मजबूत बनाना। • जर्मप्लाज्म, रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना। • कौशल विकास में सहायता करना और रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न करना।	○ **राष्ट्रीय बागवानी मिशन:** क्षेत्र आधारित स्थानीय रूप से विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना; ○ **पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन:** यह एक तकनीकी मिशन है जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, जैविक कृषि, कुशल जल प्रबंधन इत्यादि पर फोकस करता है। **प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और उनका प्रसार करना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना।** • **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है।** • **नारियल विकास बोर्ड देश के सभी नारियल उत्पादक राज्यों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है।** • **पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और क्षेत्र अधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी बैक स्टॉप प्रदान करने हेतु केंद्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड।** **रणनीति-** • बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के साथ एंड-टू-एंड एप्रोच अपनाना। • कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। • फसलों के विविधीकरण, प्रौद्योगिकी के विस्तार और बागानों के क्षेत्रफल (एकड़ में) में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार। • फसल पश्च प्रबंधन, मूल्य वृद्धि प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना में सुधार। • FPOs को प्रोत्साहन देना तथा बाजार समूहकों (Market aggregators) एवं वित्तीय संस्थानों के साथ FPOs के संबंधों को बढ़ावा देना। • **वित्त पोषण -** केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में 100% तथा अन्य सभी राज्यों में 85% का योगदान करती है, शेष 15% योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। • 2014 में, **प्रोजेक्ट चमन** आरम्भ किया गया था। इसके तहत बागवानी विकास के लिए कार्य योजनाएं बनाने हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के साथ सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग की परिकल्पना की गयी है।

1.8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ़्तार (RKVY-Raftaar)

(Rashtriya Krishi Vikas Yojana – Raftaar)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• किसानों के प्रयासों को सशक्त कर, जोखिमों को कम करना और कृषि-व्यापार उद्यमिता को बढ़ावा देकर कृषि को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना। • कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता आधारित बिज़नेस मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना।	• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अम्ब्रेला योजना के रूप में 2007 में आरम्भ की गई RKVY को हाल ही में 2017-19 एवं 2019-20 के लिए RKVY-रफ़्तार (रीन्यूमरेटिव अप्रोचेज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रीजूविनेशन) के रूप में संशोधित किया गया है। • राज्यों को कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में अत्यधिक **लचीलापन एवं स्वायतता** प्रदान करती है। • राज्यों द्वारा कृषि-जलवायु स्थितियों, समुचित प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और प्राकृतिक प्राथमिकताओं के आधार पर **जिला कृषि योजना और राज्य कृषि योजना** के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण आरम्भ किया गया है।

VISION IAS

	• राज्यों के कृषि विभाग, नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। • यह **कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाने** के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी **तथा पोस्ट-हार्वेस्ट ढांचे को सुदृढ़** बनाने और सम्पूर्ण देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। • **निधि आबंटन -** निम्नलिखित माध्यमों से उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य 90:10 अनुदान अनुपात तथा शेष राज्यों के लिए 60:40 अनुदान अनुपात एवं - ○ अवसंरचना एवं परिसम्पत्तियाँ तथा उत्पादन वृद्धि। ○ RKVY-रफ्तार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली विशेष उप-योजनाएं। ○ नवाचार और कृषि उद्यमी विकास। • उप-योजनाओं में शामिल हैं: ○ पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना। ○ फसल विविधीकरण कार्यक्रम - यह हरित क्रांति के मूल राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के स्थान पर अधिक फसल विविधता लाने के लिए लागू किया जा रहा है। ○ समस्याग्रस्त मृदा में सुधार। ○ खुरपका और मुंहपका रोग - नियंत्रण कार्यक्रम (FMD-CP)। ○ केसर मिशन। ○ त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (Accelerated Fodder Development Programme:AFDP)।

1.9. पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (BGREI)

(Bringing Green Revolution to Eastern India)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर चावल और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। • फसल गहनता और किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु चावल के परती क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना। • जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और जल की क्षमता का कुशल उपयोग करना। • पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और विपणन समर्थन (marketing support) को प्रोत्साहन।	• यह कार्यक्रम 2010-11 में आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वी भारत के 7 राज्यों अर्थात् **असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) और पश्चिम बंगाल में** "चावल आधारित फसल पद्धति" की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना था। • इस योजना के अंतर्गत विभिन्न पहलें निम्नलिखित हैं - ○ बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी का ब्लॉक या क्लस्टर विकास। ○ कृषि सुधार के लिए परिसंपत्ति निर्माण गतिविधियाँ। ○ कृषि नवीनीकरण के लिए स्थान विशिष्ट गतिविधियाँ। ○ बीज उत्पादन और वितरण। ○ विपणन समर्थन (marketing support) और पोस्ट-हार्वेस्ट मेनेजमेंट।

1.10 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

(Soil Health Card Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश के सभी किसानों को **प्रत्येक 3 वर्ष पर** मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के प्रयोग के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आधार उपलब्ध हो सके।	• यह 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • इसे सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के **कृषि विभाग** के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। • इसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने और साथ ही सेवा वितरण में सुधार

VISION IAS

• क्षमता निर्माण के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (STLs) की कार्यप्रणाली का सुदृढ़ीकरण, कृषि विज्ञान के छात्रों को भागीदार बनाना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)/ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करना। • पोषक-तत्व प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने हेतु जिला एवं राज्य स्तरीय कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों का क्षमता निर्माण करना।	हेतु डेटाबेस विकसित करने के लिए राज्य सरकार को **सहायता प्रदान** की जाती है। • किसानों को जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उनके अलग-अलग खेतों के लिए आवश्यक पोषक-तत्वों और उर्वरकों से संबंधित **फसल-वार अनुशंसाएँ प्रदान** की जाती हैं। • विशेषज्ञ खेतों से एकत्रित मृदा के सामर्थ्य और दुर्बलताओं (सूक्ष्म पोषक-तत्वों की कमी) का विश्लेषण करते हैं और इससे निपटने के उपायों का सुझाव देते हैं। • इसके तहत मृदा की स्थिति को 12 मानदंडों अर्थात् - N,P,K (मुख्य पोषक-तत्व), S (गौण पोषक-तत्व); Zn, Fe, Cu, Mn, Bo(सूक्ष्म पोषक-तत्व); और pH, EC, OC (भौतिक मानदंड) के आधार पर मापा जाएगा। • इसके आधार पर SHC **कृषि के लिए आवश्यक उर्वरक अनुशंसाओं और मृदा सुधार को भी इंगित करेगी**।

1.11 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

(National Food Security Mission)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• **क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि** के माध्यम से **चावल, गेहूं, दालों, मोटे अनाजों और नकदी फसलों** के उत्पादन में संधारणीय रूप से वृद्धि करना। • एकल खेत (फार्म) के स्तर पर मृदा की उर्वरता और उत्पादकता पुनर्स्थापित करना। • खेत स्तर की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना।	• यह 2007 में प्रारंभ एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। • वर्ष 2018-19 और 2019-20 से, NMOOP और सीड विलेज प्रोग्राम अब NFSM का भाग हैं और इस प्रकार NFSM के **आठ घटक** होंगे यथा- • 8 प्रमुख घटक - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- चावल; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दालें; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज; और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-नकदी फसलें।**

1.12 किसान क्रेडिट कार्ड

(Kisan Credit Card: KCC)

उद्देश्य	कार्यान्वयन एजेंसियाँ	मुख्य विशेषताएँ
• बैंकिंग प्रणाली द्वारा सिंगल विंडो के माध्यम से पर्याप्त और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।	• वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और सहकारी समितियाँ	• KCC के तहत वितरित ऋण का आधार व्यापक होता है और इसका उपयोग **अल्पकालिक ऋण के रूप में** फसलों की बुआई, फसल कटाई के पश्चात् आवश्यक व्यय, विपणन ऋण के सृजन, कृषक परिवार की उपभोग आवश्यकता आदि के लिए किया जा सकता है। • KCC योजना के तहत अधिसूचित फसलों के लिए वितरित किये गये ऋण फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। • KCC को मत्स्यपालन और पशुपालन करने वाले किसानों तक विस्तारित किया गया है ताकि मत्स्यपालन और पशुपालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता प्रदान की जा सके। • इस योजना के तहत बाह्य, हिंसक और दृश्यमान साधनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप KCC धारकों की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता संबंधी जोखिम को कवर किया जाता है।

1.13 राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन

(National Mission on Agricultural Extension and Technology: NMAET)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से कृषि विस्तार व्यवस्था को किसान-संचालित और किसान-उत्तरदायी बनाना। • किसानों को उचित प्रौद्योगिकी प्रदान करने और उन्नत कृषि पद्धतियाँ उपलब्ध कराने हेतु कृषि विस्तार का पुनर्गठन करना और उसे सुदृढ़ बनाना।	• यह योजना **कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA)** के तत्वाधान में प्रारंभ की गई थी। • इसके तहत **4 उप-योजनाओं** के माध्यम से विस्तार तंत्र को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है: ○ कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE) ○ बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन (SMSP) ○ कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) ○ पौध संरक्षण और पौध संगरोध पर उप-मिशन (SMPP)

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन	• इसका उद्देश्य कृषि मशीनीकरण का विस्तार **लघु और सीमांत किसानों तक** और उन क्षेत्रों में करना है जहां मशीनीकरण और विद्युत् की उपलब्धता अत्यंत कम है। • इस मिशन के घटक- ○ प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण का संवर्द्धन और सुदृढीकरण। ○ पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (PHTM) का प्रदर्शन, प्रशिक्षण और वितरण। ○ कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। ○ कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) के लिए फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना। ○ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कृषि मशीनीकरण और उपकरणों को बढ़ावा देना।

1.14 देश (भारत) में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण

(Strengthening & Modernization of Pest Management Approach in The Country: SMPMA)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• न्यूनतम निवेश लागत के साथ फसल उत्पादन को अधिकतम बनाना। • कीटनाशकों के कारण मृदा, जल और वायु में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। • रासायनिक कीटनाशकों से संबंधित व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करना।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। यह योजना निम्नलिखित घटकों के साथ प्रारंभ की गई है- ○ **एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM)** - यह कीट संबंधी समस्याओं के प्रबंधन के लिए पर्यावरण के अनुकूल एक व्यापक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है। ○ **टिड्डी नियंत्रण एवं अनुसंधान (LCR)-** इसके तहत अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों (राजस्थान, गुजरात और हरियाणा) में टिड्डियों की निगरानी, पूर्वसूचना और नियंत्रण तथा टिड्डी एवं शलभ (ग्रासहोपर) पर शोध करने के लिए टिड्डी चेतावनी संस्थानों की स्थापना की गयी है। ○ **कीटनाशक अधिनियम, 1968 का कार्यान्वयन** - यह मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण पर कीटनाशकों के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए कीटनाशकों के आयात, उत्पादन, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करता है। ○ **कार्यान्वयन एजेंसी -** 35 केंद्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र (CIPMCs)

1.15 राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन

(National Mission on Bovine Productivity)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• दुग्ध उत्पादन और	• इसे दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने और डेयरी उद्योग को किसानों के लिए अधिक

VISION IAS

उत्पादकता में वृद्धि करना। • डेयरी उद्योग को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाना।	लाभकारी बनाने के लिए वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। • इस मिशन को निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है - ○ **पशु संजीवनी** - यह एक कल्याण कार्यक्रम है। इसके तहत प्रत्येक दुधारू पशु को UID के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान और एक स्वास्थ्य कार्ड (नकुल स्वास्थ्य पत्र) प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा अन्य विवरणों के साथ उसकी नस्ल, आयु और टीकाकरण के विवरण को रिकॉर्ड किया जाता है। ○ **उन्नत प्रजनन तकनीक** - उन्नत प्रजनन तकनीक के तहत 10 A ग्रेड वाले वीर्य केन्द्रों पर सेक्स सोर्टेड सीमन प्रोडक्शन फैसिलिटी (sex sorted semen production facility) का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, भारत में 'इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)' की सुविधा वाली 50 भ्रूण स्थानांतरण प्रोद्योगिकी प्रयोगशालाएँ भी खोली जा रही हैं। ○ **ई-पशु हाट पोर्टल** - यह स्वदेशी नस्ल के प्रजनकों और किसानों में परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए एक ई-ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल है। ○ जीनोमिक चयन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए '**स्वदेशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक सेंटर' की स्थापना** की गयी है।

1.16. राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम

(National Program for Bovine Breeding and Dairy Development: NPBBDD)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• किसानों की गुणवत्तायुक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं तक सुगमतापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करना। • दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना का निर्माण करना और इसे सुदृढ़ता प्रदान करना। • डेयरी किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना तैयार करना। • डेयरी सहकारी समितियों / उत्पादक कंपनियों को ग्रामीण स्तर पर सशक्त बनाना।	• इस कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में *नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग* (NPCBB), *इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम* (IDDP), *स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन* (SIQ & CMP) और *असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव* (A-C) जैसी तत्कालीन योजनाओं का विलय कर की गई थी। • इस योजना के **तीन घटक** हैं - ○ **नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग (NPBB)**: यह प्रजनन आगतों को किसान तक पहुंचाने के लिए **MAITRI** (मल्टी पर्पस AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया) की स्थापना करेगा। ○ नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (NPDD) ○ राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

राष्ट्रीय गोकुल मिशन	• स्वदेशी नस्लों के आनुवांशिक संघटन में सुधार करने और उनकी संख्या में वृद्धि के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम। • दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि • गिर, साहीवाल, राठी, देवनी, थारपारकर, लाल सिंधी जैसी उन्नत स्वदेशी नस्लों का उपयोग कर विशिष्ट नस्लों (nondescript breeds) के आनुवांशिक संघटन को उन्नत बनाना। • स्वदेशी नस्लों के स्थानीय प्रजनन क्षेत्रों में एकीकृत स्वदेशी मवेशी केंद्र या **गोकुल ग्रामों** की स्थापना। • इस योजना को 100% अनुदान के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

1.17. राष्ट्रीय डेयरी योजना-I

(National Dairy Plan-I)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।	• यह **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड** द्वारा लागू एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है। • NDP-1 18 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात,

• संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक आसान पहुंच सुनिश्चित कर ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को सहायता प्रदान करना।	हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश आदि पर केंद्रित होगी। इस योजना के विभिन्न घटक निम्न हैं - ○ **उत्पादकता में वृद्धि करना-** ○ **प्राप्त दूध का भार मापने, गुणवत्ता का परीक्षण करने तथा दूध उत्पादकों को भुगतान करने हेतु गांव आधारित दूध खरीद प्रणालियाँ।** ○ **परियोजना प्रबंधन और गहन अध्ययन।**

1.18. डेयरी उद्यमिता विकास योजना

(Dairy Entreprenuership Development Scheme: DEDS)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• शुद्ध दुग्ध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना। • असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना ताकि दूध का प्रारंभिक प्रसंस्करण गांव के स्तर पर किया जा सके। • व्यावसायिक पैमाने पर दुग्ध संरक्षण के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना। • मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए स्व-रोजगार पैदा करना तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।	• डेयरी वेंचर कैपिटल फंड (DVCF) योजना को संशोधित किया गया और 2010 में इसका नाम परिवर्तित कर डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) रखा गया है। • डेयरी वेंचर कैपिटल फंड और पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड। • यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। **नोडल एजेंसी के रूप में इसका कार्यान्वयन नाबार्ड** द्वारा किया जा रहा है। • यह योजना संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के लिए खुली है।

1.19. नीली क्रांति: एकीकृत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन

(Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• अंतर्देशीय और समुद्री क्षेत्र में विद्यमान देश की कुल मत्स्य क्षमता का पूर्णतया दोहन करना तथा 2020 तक उत्पादन को तीन गुना करना। • मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ई-कॉमर्स, अन्य प्रौद्योगिकियों और वैश्विक सर्वोत्तम नवाचारों के साथ-साथ उत्पादकता वृद्धि एवं बेहतर मार्केटिंग व पोस्टहार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। • सहकारी समितियों, उत्पादक कंपनियों और अन्य संस्थाओं में संस्थागत तंत्र के माध्यम से मछुआरों और मत्स्य किसानों को लाभ प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करना तथा साथ ही 2020 तक निर्यात आय को तीन गुना करना। • देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में वृद्धि करना।	• यह नीली क्रांति के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। • यह एक अम्ब्रेला योजना है जो सभी मौजूदा योजनाओं का विलय कर निर्मित की गयी है। • इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को 2015-16 के 107.95 लाख टन से बढ़ाकर 2019-20 के अंत तक 150 लाख टन तक करना है। • इसका लक्ष्य मछुआरों और मत्स्य कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए उनके लाभ में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ निर्यात आय में वृद्धि करना है। • इस योजना में **निम्नलिखित घटक** हैं: ○ राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) और इसके कार्य। ○ अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जल कृषि विकास। ○ सागरीय मत्स्यन क्षेत्रों का विकास, अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन्स। ○ मत्स्यपालन क्षेत्र के डेटाबेस और उसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। ○ मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए संस्थागत व्यवस्था। ○ देख-रेख, नियंत्रण और निगरानी तथा अन्य आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप। ○ मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजना। • नीली क्रांति के तहत **मिशन फिंगरलिंग** को प्रारंभ किया गया है, जो मत्स्य पालन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की परिकल्पना करता है। ○ इसका लक्ष्य मत्स्य उत्पादन को 10.79 मीट्रिक मिलियन टन (2014-

VISION IAS

	15) से बढ़ाकर 2020-21 तक 15 मीट्रिक मिलियन टन करना है। ○ इस योजना का उद्देश्य मछली पालने का जहाज़ (हैचरी) एवं फिंगरलिंग (मछली का बच्चा) पालन हेतु तालाब की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है ताकि देश में मछली के बच्चों, झींगे के लार्वा तथा केकड़े के निश्चित स्तर पर उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके।

1.20. पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना

(Pandit Deen Dayal Upadhyay Unnat Krishi Shiksha Yojana)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **जैविक कृषि और संधारणीय कृषि** के सन्दर्भ में राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण स्तर पर कुशल मानव संसाधन का विकास करना। • **ग्रामीण भारत** को जैविक कृषि / प्राकृतिक कृषि / ग्रामीण अर्थव्यवस्था / संधारणीय कृषि के क्षेत्र में **व्यावसायिक सहायता** उपलब्ध कराना।	• ICAR द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना 2016 में आरम्भ की गई थी। • इसे कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय की **उन्नत भारत अभियान** गतिविधियों के तहत संचालित किया जा रहा है (UBA पर अधिक जानकारी के लिए, 24.6 पढ़ें)। • इस योजना के तहत कृषि शिक्षा के लिए 100 प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। • **प्रशिक्षण केंद्रों** का चयन उन किसानों के आधार पर किया जाएगा जो पहले ही उन्नत भारत अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं या अपने खेतों में प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं और प्राकृतिक कृषि के सभी मूलभूत, मौलिक, सिद्धांतों और प्रचलनों के जानकार हैं।

1.21. जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल

(National Initiative on Climate Resilient Agriculture- NICRA)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• संशोधित उत्पादन और जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के विकास और अनुप्रयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि (जिसमें फसलें, पशुपालन और मत्स्यपालन सम्मिलित हैं) की प्रत्यास्थता में वृद्धि करना। • वर्तमान जलवायु जोखिमों के प्रति अनुकूलित होने के लिए किसानों के **खेतों पर स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी पैकेज** का प्रदर्शन करना। • जलवायु प्रत्यास्थ कृषि संबंधी अनुसंधान और उसके **अनुप्रयोगों में वैज्ञानिकों** और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण को बेहतर बनाना।	• यह **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** (ICAR) की परियोजनाओं का एक नेटवर्क है। • यह देश में वर्षा की **सुभेद्यता** हेतु विभिन्न फसलों/क्षेत्रों के महत्वपूर्ण आकलन पर विचार करता है। • यह बड़े क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैसों की माप के लिए फ्लक्स टावर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना करता है। • यह धान की कृषि की नई एवं उभरती पद्धतियों का व्यापक क्षेत्र मूल्यांकन करता है। • परियोजना में निम्नलिखित **चार घटक** सम्मिलित हैं: **रणनीतिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रायोजित / प्रतिस्पर्द्धी अनुदान।**

1.22. ब्याज अनुदान योजना

(Interest Subvention Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु अल्पकालिक फसल ऋण को एक किफायती दर पर उपलब्ध कराना।	• यह किसानों को 2% प्रति वर्ष की रियायत के साथ 7% ब्याज की दर से 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण प्रदान करती है। • "समय से भुगतान करने वाले किसानों" के लिए प्रति वर्ष 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान उपलब्ध है।

	• ब्याज अनुदान का लाभ उपज को हानि में विक्रय करने से बचने के उद्देश्य से परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों के बदले में ऋण पर किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को छह माह की अवधि (फसल-कटाई पश्चात्) हेतु विस्तारित किया गया है। • ब्याज अनुदान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा RRBs और सहकारी बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए NABARD को उपलब्ध होगा। • योजना के तहत चार सेगमेंट में ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा ; ○ अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान। ○ पोस्ट हार्वेस्ट लोन पर ब्याज अनुदान। ○ दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत ब्याज अनुदान। ○ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत के लिए ब्याज अनुदान।

1.23.आर्या परियोजना- अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर

(ARYA Project)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आय और लाभकारी रोजगार के लिए विभिन्न कृषि, संबद्ध और सेवा क्षेत्रक के उद्यमों को अपनाने हेतु युवाओं को आकर्षित करना एवं सशक्त बनाना। • कृषि क्षेत्र के युवाओं को प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन जैसी संसाधन एवं पूंजी गहन गतिविधियों को अपनाने हेतु नेटवर्क समूहों को स्थापित करने योग्य सक्षम बनाना।	• भारत सरकार ने 2015 में ARYA - **"अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर"** नामक परियोजना आरम्भ की। • इसे प्रत्येक राज्य के एक जिले में **कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)** के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। KVKs इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे संस्थानों को प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में शामिल करेंगे। • एक जिला में, 200-300 ग्रामीण युवाओं को उद्यमशील गतिविधियों हेतु उनके कौशल विकास और संबंधित सूक्ष्म-उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए चिह्नित किया जाएगा। • कृषि विकास केंद्रों पर भी एक या दो उद्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी ताकि वे किसानों के लिए उद्यमी प्रशिक्षण इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।

1.24. कृषि विज्ञान केंद्र

(Krishi Vigyan Kendras)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• कृषि में फ्रंटलाइन विस्तार के लिए, और किसानों की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करना। • स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और किसानों का क्षमता निर्माण।	• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश में 669 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, 106 KVKs और स्थापित किए जाएंगे। • KVKs ग्रामीण युवाओं, कृषक महिलाओं और किसानों के **कौशल विकास प्रशिक्षण** पर तीव्र बल देते हैं। • ये बीज, रोपण सामग्री और जैव उत्पादों जैसे नवीनतम तकनीकी इनपुट प्रदान करते हैं। • जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों सहित **फसल/उद्यम से संबंधित अनुशंसाओं** के बारे में समय-समय पर किसानों को सलाह प्रदान करते हैं। • ये जिला कृषि-पारिस्थितिक तंत्र से उभरने वाली समस्याओं को चिह्नित एवं हल करते

VISION IAS

	है। साथ ही, नवाचारों को अपनाने हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं। • यह **राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान प्रणाली** (NARS) का एक अभिन्न अंग है। • KVK योजना सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है तथा कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों एवं कृषि क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों हेतु KVKs का अनुमोदन किया जाता है।

1.25. एग्री उड़ान

(Agri Udaan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप क्रांति लाना (जो अभी तक अधिकांशतः सेवा क्षेत्र में ही केन्द्रित रही है)।	• यह **ICAR-NAARM और IIM-A** के इनक्यूबेटर केंद्रों द्वारा घोषित एक खाद्य एवं कृषि उत्प्रेरक है। • यह दृढ परामर्श, उद्योग नेटवर्किंग और निवेशकों की सहायता कर खाद्य और कृषि-व्यवसाय से संबंधित स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। • इसमें निहित मुख्य विचार ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है ताकि कृषि उत्पादों एवं किसान की उपज का मूल्य-वर्द्धन किया जा सके। • इसे भारत का प्रथम खाद्य एवं कृषि-व्यवसाय उत्प्रेरक माना जाता है।

1.26. मेरा गाँव-मेरा गौरव

(Mera Gaon-Mera Gaurav)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• किसानों के साथ वैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष संपर्क को बढ़ावा देना और प्रयोगशाला से खेत तक (लैब टू लैंड) की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना।	• इस योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक शामिल हैं। • इनमें से प्रत्येक संस्थान और विश्वविद्यालय में चार बहु-विषयक वैज्ञानिकों का समूह गठित किया जाएगा। प्रत्येक समूह अधिकतम 100 किमी की परिधि के भीतर पांच गांवों को "गोद लेगा"। • इस योजना के तहत, वैज्ञानिक अपनी सुविधानुसार गांवों का चयन करेंगे और चयनित गांवों के संपर्क में रहेंगे तथा किसानों को तकनीकी एवं और अन्य संबंधित पहलुओं की जानकारी एक समय सीमा में प्रदान करेंगे।

1.27 कृषि विपणन पर एकीकृत योजना

(Integrated Scheme for Agricultural Marketing:ISAM)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• राज्य, सहकारी और निजी क्षेत्रक के निवेशों को बैकेंड सब्सिडी सहायता प्रदान करके कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा देना। • प्राथमिक संसाधकों (प्रोसेसरों) के साथ किसानों को ऊर्ध्वाधर एकीकरण प्रदान करने	• कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (ISAM) में निम्नलिखित पांच घटक होंगे: ○ कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) [वर्तमान में चल रही ग्रामीण भंडार योजना (GBY) और कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण (AMIGS) का विकास / सुदृढ़ीकरण योजना का AMI में विलय कर दिया जाएगा]

के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला (केवल प्राथमिक प्रसंस्करण के चरण तक सीमित) को बढ़ावा देना। • कृषि विपणन में नई चुनौतियों के प्रत्युत्तर में किसानों को संवेदनशील और उन्मुख बनाने हेतु विस्तार के एक साधन के रूप में सूचना एवं संचार तकनीक (ICT) का प्रयोग करना।	○ विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क (MRIN) ○ एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं को सुदृढ़ करना (SAGF), ○ वेंचर कैपिटल असिस्टेंस (VCA) और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी (PDF) के माध्यम से एग्री-बिजनेस डेवलपमेंट (ABD) ○ चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM)।

1.28. कृषि कल्याण अभियान

(Krishi Kalyan Abhiyan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका आयोजन 1 जून, 2018 से 31 जुलाई, 2018 के मध्य किसानों को उनकी कृषि तकनीकों में सुधार करने तथा अपनी आय में वृद्धि करने हेतु सहायता और परामर्श प्रदान करना है।	• इसे नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से चिन्हित आकांक्षी जिलों में स्थित 1000 से अधिक जनसंख्या वाले 25 गांवों में संचालित किया जाएगा। जिन जिलों में गांवों (1000 से अधिक जनसंख्या) की संख्या 25 से भी कम है, सभी गांवों को कवर किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लिखित गतिविधियाँ हैं – ○ सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण ○ प्रत्येक गांव में खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) से बचाव के लिए 100 प्रतिशत बोवाइन टीकाकरण ○ सभी को दालों एवं तिलहनों की छोटी किट वितरित की जाएगी। ○ बागवानी / कृषि वानिकी / बांस के पौधों का वितरण ○ कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी देना ○ सूक्ष्म सिंचाई और एकीकृत फसल पद्धतियों आदि से संबद्ध प्रदर्शन कार्यक्रम।

1.29. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)

(Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan: PM-AASHA)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **खरीद प्रणाली में विद्यमान अंतरालों को समाप्त करना,** MSP व्यवस्था सम्बन्धी मुद्दों का समाधान करना तथा किसानों हेतु बेहतर लाभ सुनिश्चित करना	• इसमें MSP पर धान, गेहूं एवं अन्य अनाजों तथा मोटे अनाजों की सरकारी खरीद के लिए खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग की वर्तमान योजनाओं के पूरक के रूप निम्नलिखित **तीन घटक** विद्यमान हैं: ○ **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS):** इसके तहत दालों, तिलहन तथा खोपरा (नारियल गिरी) की भौतिक खरीद केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) के अतिरिक्त, FCI भी PSS के अंतर्गत फसलों की ख़रीद करेगा। खरीद के दौरान होने वाले व्यय और क्षति को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ○ **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme: PDPS):** इसके अंतर्गत उन सभी तिलहन फसलों को सम्मिलित किया जाएगा जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है तथा केंद्र सरकार द्वारा MSP एवं वास्तविक बिक्री/ मॉडल मूल्य के मध्य के अंतर का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते

VISION IAS

	में किया जाएगा। अधिसूचित अवधि के भीतर निर्धारित मंडियों में अपनी फसल बेचने वाले किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। • **निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट पायलट योजना (Pilot of Private Procurement and Stockiest Scheme- PPSS)**: तिलहनों के मामले में राज्यों के पास यह विकल्प होगा कि वे चयनित जिलों में PPSS आरंभ कर सकते हैं जहाँ कोई निजी अभिकर्ता बाज़ार मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर सकता है। उस निजी अभिकर्ता को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 15% तक के सेवा शुल्क के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

1.30. राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना

(National Agricultural Higher Education Project: NAHEP)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने हेतु **प्रतिभागी कृषि विश्वविद्यालयों (AU) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) को समर्थन प्रदान करना**।	• **वित्तपोषण:** इसे विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। • **घटक** ○ **संस्थागत विकास योजनाएं (IDPs):** NAHEP चयनित प्रतिभागी AUs को **संस्थागत विकास अनुदान** प्रदान करेगा, जो AU के छात्रों हेतु लर्निंग आउटकम एवं भावी रोजगार तथा संकाय शिक्षण प्रदर्शन और अनुसंधान प्रभावशीलता में सुधार का प्रयास करेगा। ○ **सेंटर ऑफ़ एडवांस्ड एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CAAST):** चयनित प्रतिभागी कृषि विश्वविद्यालयों (AU) को महत्वपूर्ण एवं उभरते कृषि विषयों पर शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के लिए बहु-विषयक केंद्र स्थापित करने हेतु CAAST अनुदान प्रदान किया जाएगा। ○ AUs द्वारा सुधारों (अर्थात मान्यता प्राप्त करना) हेतु तैयार करने हेतु चयनित प्रतिभागी **AU को नवाचार अनुदान** प्रदान करना; और मौजूदा सुधार को अपनाने हेतु तैयार AUs एवं अन्य अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतिभागियों द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त AUs को परामर्श प्रदान करने को प्रोत्साहित करना। ○ **परिणाम निगरानी एवं मूल्यांकन:** शिक्षा प्रभाग/ICAR द्वारा निगरानी और मूल्यांकन (M&E) सेल की स्थापना करना ताकि सभी NAHEP घटकों की गतिविधियों की प्रगति की निगरानी की जा सके।

1.31. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)

उद्देश्य	विशेषताएं
• खेती योग्य भूमि धारण करने वाले सभी लघु और सीमांत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करना।	• इस योजना के अंतर्गत, देश भर के सभी लघु एवं सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को निम्नलिखित वित्तीय लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे: ○ **2 हेक्टेयर तक** कुल कृषियोग्य भूमि जोत वाले किसान परिवारों को प्रति परिवार

VISION IAS

• प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुटों की खरीद में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को अनुपूरित करना।	प्रति वर्ष रु. **6,000 का लाभ** प्रदान किया जाएगा। यह लाभ तीन समान किस्तों में देय होगा जो प्रत्येक चार माह में प्रदान की जाएंगी। ○ पात्रता निर्धारित करने के लिए एकल परिवार द्वारा धारित **कई भूमि खंडों** (चाहे प्रत्येक 2 हेक्टेयर से कम हो) को समग्र रूप से एक माना जाएगा। ○ **यहां तक कि 10 हेक्टेयर से बड़ी जोतें** भी, यदि कई परिवारों के स्वामित्व में हों तो वे इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे (जैसे- यदि पांच भाई संयुक्त रूप से 10 हेक्टेयर की एक जोत के स्वामी हैं, तो उनमें से प्रत्येक योजना के लिए पात्र होगा)। • योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र भूमिधारक किसान परिवार की **पहचान करने का उत्तरदायित्व राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का होगा।** • पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए **ग्राम स्तर पर** पात्र लाभार्थियों की सूचियाँ प्रकाशित की जाएँगी। • **अपवर्जन: उच्च आर्थिक स्थिति** वाले लाभार्थियों की कुछ श्रेणियाँ, जैसे- संस्थागत भूमि धारक, पूर्व और वर्तमान संवैधानिक पद धारक, विगत वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति आदि इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगें। • अपवर्जन के उद्देश्य से **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार लाभार्थियों द्वारा की गयी स्व-घोषणा के आधार पर** लाभार्थी की पात्रता को **प्रमाणित कर सकती** है। • योजना के कार्यान्वयन के लिए एक **समर्पित पी.एम. किसान पोर्टल** लॉन्च किया जाएगा। • यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और इसे पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।**

1.32 अन्य पहलें

(Other Initiatives)

पहल	मुख्य विशेषताएं
त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (Accelerated Pulses Production Program)	• इसका लक्ष्य पांच प्रमुख दलहनी फसलों के लिए, प्रत्येक हेतु 1,000 हेक्टेयर की सघन इकाइयों में, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों तथा पौधों की सुरक्षा पर केंद्रित संशोधित प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन कार्यप्रणालियों का प्रदर्शन (demonstration) करना है। ये पांच प्रमुख दलहनी फसलें बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम (उड़द बीन), रेड ग्राम (अरहर), ग्रीन ग्राम (मूंग बीन), और लेंटील (मसूर) हैं। • यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित है और NFSM-Pulses (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दाल) के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। • इसे एकीकृत पोषक-तत्व प्रबंधन (INM) और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों का सक्रिय रूप से प्रसार करने हेतु परिकल्पित किया गया है। • इस कार्यक्रम को **'कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग'** निम्नलिखित के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है: (i) दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि निदेशक/आयुक्त, और (ii) केंद्र सरकार की संस्था: ICAR-NCIPM.

VISION IAS

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission:NLM)	इसमें पशुधन क्षेत्र का संधारणीय विकास सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह गुणवत्तापूर्ण पशु-आहार एवं चारे की उपलब्धता में सुधार पर भी केंद्रित है। • NLM के तहत उप-मिशन: पशुधन विकास पर उप-मिशन, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सुअर विकास पर उप- मिशन, पशु-आहार तथा चारा विकास पर उप–मिशन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उप-मिशन। • पशुधन विकास पर उप-मिशन के उद्यमिता विकास और रोजगार निर्माण (EDEG) घटक के तहत सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।
डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (Dairy Processing and Development Fund)	• 2017-18 के बजट में 3 वर्षों (अर्थात 2017-18 से 2019-20) के लिए घोषित यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • इसे नाबार्ड के तत्वावधान में 8,000 करोड़ रुपये की निधि के साथ स्थापित किया गया है और इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। • इस फंड का उपयोग पुरानी और अप्रचलित दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों (विशेष रूप से सहकारी क्षेत्रक की) का आधुनिकीकरण करने के लिए किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे किसानों के उत्पादन का मूल्य बढ़ेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) अवसंरचना विकास कोष (FIDF)	• **वित्त पोषण:** अनुमोदित प्रस्ताव के तहत 7,522 करोड़ के अनुमानित कोष को अनिवार्य बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 5,266.40 करोड़ रुपये प्रमुख ऋणदाता निकायों (NLE) द्वारा, 1,316.6 करोड़ लाभार्थियों के योगदान से तथा 939.48 करोड़ रुपये भारत सरकार के बजटीय सहायता से मिलकर हुआ है। • **प्रमुख ऋणदाता निकायों** (NLE) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और सभी अनुसूचित बैंक प्रमुख ऋणदाता निकाय होंगे। • **वित्तीय निवेश गतिविधियां**: मत्स्य पालन विकास की चिन्हित निवेश गतिविधियों के लिए मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) अवसंरचना विकास कोष(FIDF) राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य संस्थाओं, सहकारी समितियों, व्यक्तियों एवं उद्यमियों आदि को रियायती वित्त प्रदान करेगा।
कृषि विपणन अवसंरचना कोष (AMIF)	• हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास और उन्नयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये के कृषि विपणन अवसंरचना कोष (AMIF) के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गयी है। • इसे नाबार्ड (NABARD) के अंतर्गत सृजित किया जाएगा तथा यह 585 कृषि उपज विपणन समितियों(APMCs) और 10000 गावों में विपणन अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश के सरकारों को उनके प्रस्ताव के लिए रियायती ऋण प्रदान करेगा। • राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से नवाचारी एकीकृत बाजार अवसंरचना परियोजनाओं के लिए AMIF तक पहुँच स्थापित कर सकते हैं।
ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट (GrAMs)	• कृषि विपणन क्षेत्र में खुदरा बाजार को विकसित करने के लिए कृषि विपणन विकास कोष के तहत बजट 2017-18 में GrAMs का शुभारम्भ किया गया। • इस पहल के तहत 22,000 ग्रामीण हाट और 585 AMC बाजारों को विकसित करते हुए

VISION IAS

	इन्हे GrAMs के रूप में अद्यतित किया जाएगा। • इन GrAMs में मनरेगा (MGNREGA) और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। • इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार(e-NAM) से भी लिंक किया जाएगा और APMC विनियमों से छूट प्रदान की जाएगी। • ये किसानों को अपने उत्पादों की उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को प्रत्यक्ष बिक्री करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
कृषि बाजार सूचना नेटवर्क(AGMARKNET) पोर्टल	• यह सरकार द्वारा नागरिको को प्रदान किया जाने वाला एक ई-गवर्नेंस पोर्टल (G2C के स्वरूप में) है जो एक सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि विपणन से संबंधित सूचना प्रदान करके किसानों, उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। • यह देश भर में विस्तृत कृषि उपज मंडियों में वस्तुओं की दैनिक पहुंच और कीमतों की वेब आधारित सूचना प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है
ई-कृषि संवाद	• यह एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस है जिसके माध्यम से किसान और अन्य हितधारक प्रभावी समाधान के लिए अपनी समस्याओं के साथ प्रत्यक्ष रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से संपर्क कर सकते हैं। • हितधारक विशेषज्ञों से निदान और शीघ्र उपचारात्मक उपायों के लिए रोगग्रसित फसलों, जानवरों या मछलियों की फोटों भी अपलोड कर सकते हैं। • SMS या वेब के माध्यम से भी विशेषज्ञों द्वारा उचित समाधान प्रदान किया जाएगा।
ई-रकम पोर्टल	• यह MSTC लिमिटेड {इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (PSU)} और सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी की एक संयुक्त पहल है। • किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें बिचौलियों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता हेतु यह एक नीलामी मंच है साथ ही यह उनकी उपज को मंडी तक ले जाने की आवश्यकता को भी समाप्त करता है। • किसानों को प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।
फार्मर फर्स्ट इनिशिएटिव	• इसके तहत मुख्य बल किसान के खेतों, नवाचारों, संसाधनों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (FIRST) पर दिया गया है। • यह ICAR की एक पहल है जो निम्नलिखित पर केंद्रित: ○ समृद्ध किसान - वैज्ञानिक इंटरफ़ेस ○ प्रौद्योगिकी संयोजन, आवेदन एवं प्रतिक्रिया ○ साझेदारी एवं संस्थागत भवन ○ सामग्री का एकत्रण • यह विभिन्न कृषि- परिस्थितियों में किसानों की आय वृद्धि मॉडल के रूप में आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से स्वीकार्य उद्यमशील गतिविधियों को चिन्हित एवं एकीकृत करेगा।
हार्टीनेट-फॉर्मर कनेक्ट एप्प	• यह **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)** द्वारा विकसित खोज करने में सक्षम एक एकीकृत प्रणाली है, जो मानकों के अनुपालन के साथ भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर, अनार और सब्जियों के फार्मों के पंजीकरण, परीक्षण

VISION IAS

	और प्रमाणन की सुविधा के लिए इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करता है। • यह राज्य के बागवानी / कृषि विभाग को किसानों, खेतों की अवस्थिति, उत्पादों एवं खेत से प्रत्यक्ष रूप में निरीक्षण के वास्तविक विवरणों को अभिग्रहण करने में भी सहायता करेगा।
जीरो हंगर प्रोग्राम	• कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से पारस्परिक और बहुपक्षीय कुपोषण का समाधान करना है। • यह भूख एवं कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा।

2. आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush)

2.1 राष्ट्रीय आयुष मिशन

(National Ayush Mission)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के माध्यम से एक सार्वभौमिक पहुंच के साथ लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करने के लिए। • राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को मजबूत करना। • उत्तम कृषि पद्धतियों (गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज: GAPs) को अपनाकर औषधीय पादपों की कृषि में सहायता प्रदान करना। • खेती, वेयरहाउसिंग, मूल्य संवर्द्धन और विपणन के अभिसरण द्वारा समूहों की स्थापना में सहायता और उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास।	• यह 2014 में प्रारंभ की गई एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। • आयुष चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की एक परंपरागत प्रणाली है, जिसमें आयुर्वेद, **योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा तथा होम्योपैथी** शामिल हैं। • मिशन के घटक: • **अनिवार्य घटक (रिसोर्स पूल का 80%)** ○ आयुष सेवाएं (आयुष सुविधाओं का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) के साथ सह-स्थापना) ○ आयुष शैक्षणिक संस्थान ○ ASU &H औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण ○ औषधीय पौधे • **लचीले (Flexible) घटक (रिसोर्स पूल का 20%)** ○ योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र ○ IEC गतिविधियाँ ○ टेली-मेडिसिन ○ औषधीय पौधों के लिए फसल बीमा ○ निजी आयुष शैक्षिक संस्थानों के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी का प्रावधान और ब्याज सब्सिडी घटक। • **निगरानी और मूल्यांकन** ○ केंद्र / राज्य स्तर पर समर्पित MIS निगरानी और मूल्यांकन इकाई (सेल) स्थापित की जाएगी।

2.2. आयुष दवाओं की निगरानी को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना

(Central Sector Scheme for Promoting Pharmacovigilance of Ayush Drugs)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के लिखित साक्ष्य रखने की संस्कृति विकसित करना और इनकी सुरक्षात्मक निगरानी करने के साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए जाने वाले भ्रामक विज्ञापनों का अनुवीक्षण करना।	• नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर (NPvCC), इंटरमीडियरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर (IPvCCs) और पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स (PPvCC) का एक त्रि-स्तरीय नेटवर्क। • नई दिल्ली स्थित **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान**, आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है, जिसे इस पहल के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के समन्वय हेतु NPvCC के रूप में नामित किया गया है।

VISION IAS

2.3 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	प्रमुख विशेषताएं
मिशन मधुमेह	• गैर-संक्रामक रोग मधुमेह का नियन्त्रण एवं लागत प्रभावी उपचार प्रदान करना। • 2016 में प्रारंभ, यह योजना सम्पूर्ण देश में आयुर्वेद के माध्यम से मधुमेह के प्रभावी प्रबंधन हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए **राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल** के माध्यम से लागू लागू की जाएगी।
स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम	• गावों में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना। साथ ही घरेलू परिवेश और पर्यावरण की सफाई के बारे में जागरुकता का प्रसार करना। • स्वास्थ्य संवर्द्धन और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए रैलियों, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक प्रचार, जिसमें व्यक्तिगत, पर्यावरण और सामाजिक स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरुकता के प्रसार पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

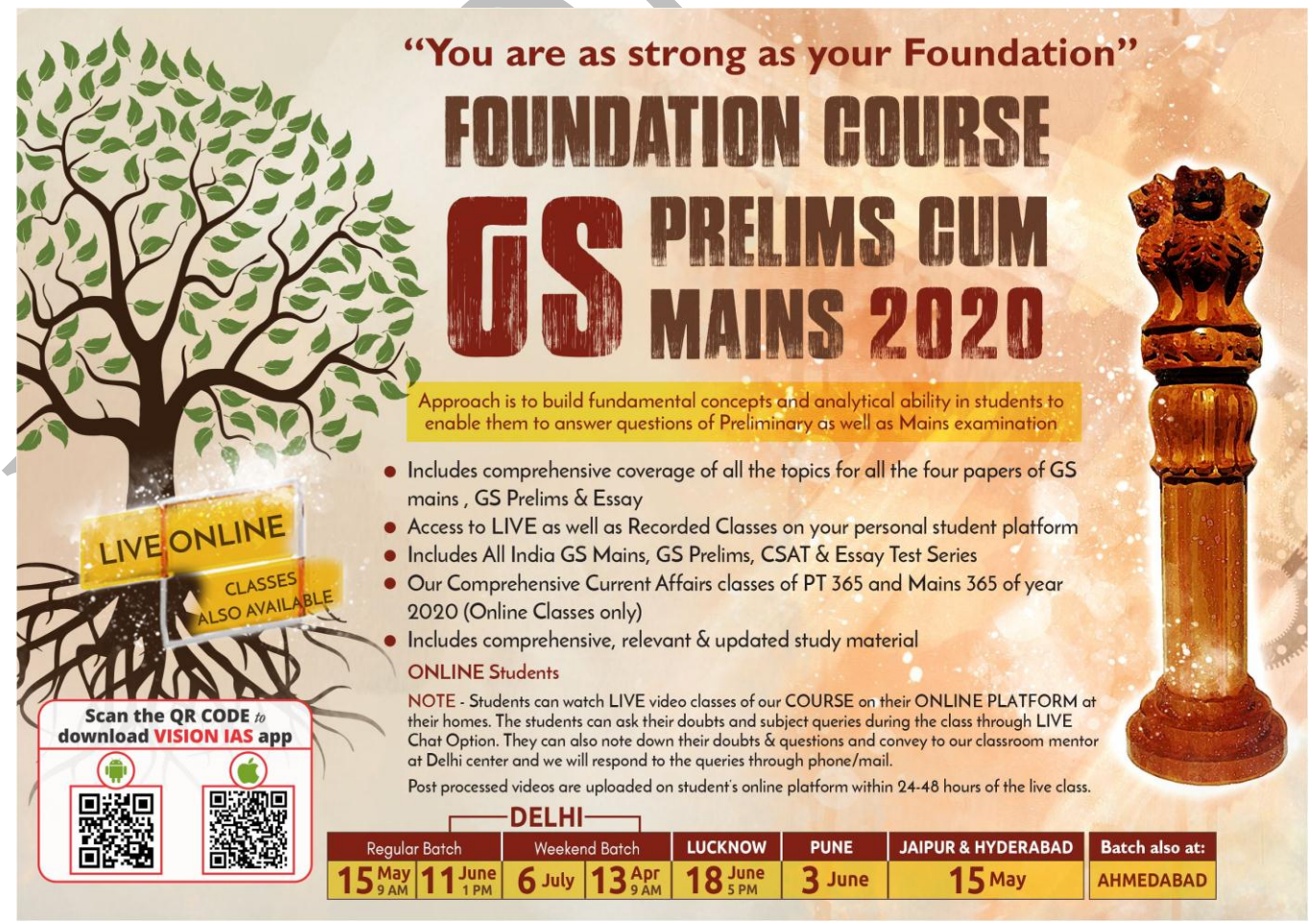

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)

3.1. उर्वरक विभाग

(Department of Fertilisers)

3.1.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

(Nutrient Based Subsidy Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और सब्सिडी के बोझ को कम करना।	• पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति के तहत **सब्सिडी की एक निश्चित राशि** को वार्षिक तौर **पर सब्सिडी प्राप्त फॉस्फेटिक एवं पोटैसिक (P&K)** उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उसके **पोषक तत्व के आधार** पर प्रदान किया जाता है। • इस योजना के तहत फॉस्फेट और पोटॉश (P&K) उर्वरकों के **अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)** को **मुक्त रहने** दिया गया है तथा निर्माताओं/आयातकों/विपणकों को उचित स्तर पर इन उर्वरकों के MRP नियत करने की अनुमति प्रदान की गयी है। • MRP का निर्धारण P&K उर्वरकों के **अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों, विनिमय दरों और देश में इनके भंडार के स्तर** को ध्यान में रखकर किया जाएगा। • P&K उर्वरकों के 22 ग्रेड नामतः DAP, MAP, TSP, MOP, अमोनियम सल्फेट, SSP तथा NPKS के 16 ग्रेड [नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और सल्फर (S)] जैसे जटिल उर्वरकों को NBS नीति के अंतर्गत शामिल किया गया हैं।

3.1.2. सिटी कम्पोस्ट स्कीम

(City Compost Scheme)

• स्वच्छ भारत मिशन को समर्थन प्रदान करना तथा किसानों को सब्सिडीकृत मूल्यों पर सिटी कम्पोस्ट खाद उपलब्ध करवाना।	• इस योजना के तहत प्रति टन सिटी कंपोस्ट (शहरी कचरे से बनने वाली खाद) पर **बाजार विकास सहायता** के रूप में 1500 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सिटी कंपोस्ट के उत्पादन और उपयोग में वृद्धि करना है। • **उर्वरक कंपनियां और विपणन संस्थाएं** अपने डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के साथ सिटी कंपोस्ट का भी विपणन करेंगी। • इस हेतु एक उचित **BIS मानक/इको-मार्क** यह सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्तापूर्ण उत्पाद किसानों तक पहुंचे।

3.2. औषध विभाग

(Department of Pharma)

3.2.1. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)

(Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadi Pariyojana)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• सभी के लिए, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों हेतु वहनीय	• यह योजना पहले जनऔषधि परियोजना के नाम से जानी जाती थी। हाल ही में इसका नाम परिवर्तित कर PMBJP कर दिया गया है।

VISION IAS

कीमतों पर गुणवत्तायुक्त दवाएं उपलब्ध कराना। • प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि के व्यापक विशिष्ट केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्ययों में कटौती करना है।	• प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (PMBJKs) को **जेनेरिक दवाएं प्रदान** करने के लिए स्थापित किया गया है। ये दवाएँ गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के समान होती हैं किन्तु उनसे कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। • शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से **जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरुकता का प्रसार करना** ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने। • PMBJK को किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा, सरकारी निकायों के स्वामित्व वाले किसी भी सरकारी भवन में खोला जा सकता है। किसी भी गैर सरकारी संगठन (NGOs) / चैरिटेबल सोसायटी / संस्थान / स्वयं-सहायता समूह / व्यक्तिगत उद्यमी / फार्मासिस्ट / डॉक्टर द्वारा भी अस्पताल परिसर के बाहर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर PMBJK खोला जा सकता है। • किसी सरकारी अस्पताल परिसर में JAK की स्थापना करने वाले NGOs / एजेंसियों / व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही इसकी स्थापना हेतु ऑपरेटिंग एजेंसी को सरकार द्वारा अस्पताल परिसर में नि:शुल्क स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा।

3.2.2. सुविधा

(Suvidha)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• **PMBJP के अंतर्गत** सभी को वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य-देखभाल उपलब्ध कराने के सरकार के उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करना।	• यह **वहनीय मूल्य वाला सैनिटरी नैपकिन** है। भारत की वंचित महिलाओं की 'स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा' सुनिश्चित करने हेतु इसे आरम्भ किया गया है। • इसका विनिर्माण ब्यूरो ऑफ़ फ़ार्मा PSU ऑफ़ इंडिया द्वारा किया गया है। • यह सैनिटरी पैड **100% ओक्सो-बायोडिग्रेडेबल** है क्योंकि इसमें एक विशेष योजक जोड़ा गया है जो उपयोग के बाद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके इसे बायोडिग्रेडेबल बनाता है।

3.2.3. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

फ़ार्मा जन समाधान	• यह दवाइयों के मूल्य एवं उपलब्धता से संबंधित **उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक वेब सक्षम प्रणाली** है। • यह **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के** प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सशक्त ई-गवर्नेंस उपकरण के रूप में कार्य करेगा। • NPPA द्वारा शिकायत प्राप्ति के 48 घंटे की समयावधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
'फ़ार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप	• यह NPPA द्वारा विकसित की गयी एक मोबाइल ऐप है। यह NPPA द्वारा विभिन्न अनुसूचित औषधियों के लिए **निर्धारित MRP को रियल-टाइम आधार** पर प्रदर्शित करती है।

VISION IAS

3.3. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

3.3.1. प्लास्टिक पार्क्स स्कीम

(Plastic Parks Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• प्लास्टिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश में वृद्धि करना, पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास और क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को अपनाना।	• इसकी **परिकल्पना राष्ट्रीय प्लास्टिक पार्क नीति, 2010** में की गई थी। इस नीति को 2013 में संशोधित किया गया। • यह योजना **आवश्यकता आधारित "प्लास्टिक पार्क्स"** की स्थापना का समर्थन करती है। ये पार्क्स आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त परिवेश होंगे तथा साथ ही यह योजना, इस क्षेत्रक की मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने तथा अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी रूप से योगदान देने हेतु सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता हेतु सहायता करती है। • **वित्त पोषण पैटर्न:** केंद्र द्वारा 50% राशि (40 करोड़ प्रति प्रतियोजना की निर्धारित सीमा के तहत) का योगदान किया जाएगा और शेष योगदान राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सृजित SPV द्वारा किया जाएगा।

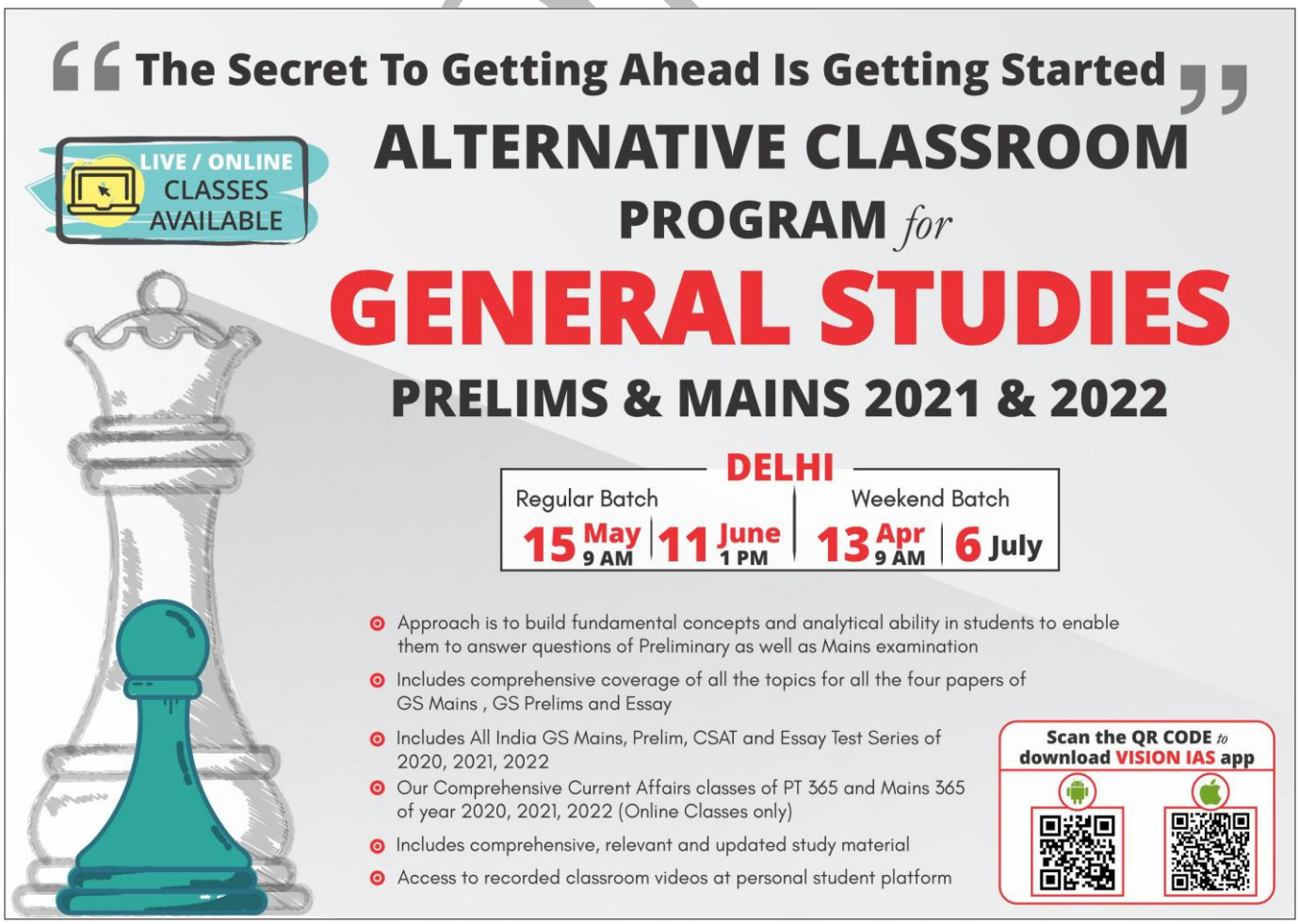

4. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)

4.1. उड़े देश का आम नागरिक (UDAN)/क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)

[Ude Desh ka Aam Naagrik (UDAN/Regional Connectivity Scheme (RCS))]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• एयरलाइन परिचालन को सहायता प्रदान कर क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को वहनीय बनाकर सुगम बनाना/बढ़ावा देना, इसके लिए निम्नलिखित की सहायता ली जाएगी: ○ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाईपत्तन संचालकों द्वारा रियायत ○ वित्तीय (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण या VGF) समर्थन	• **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** (AAI) इसका **कार्यान्वयन प्राधिकरण** है • यह **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति** का एक प्रमुख घटक है। • क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को विकसित करने के लिए एक **अद्वितीय बाजार-आधारित मॉडल** है। • मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई पत्तनों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के असेवित एवं अल्प-सेवित हवाई पत्तनों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है • UDAN योजना वैसी उड़ानों (flights) पर लागू होगी जो 200 किमी और 800 किमी के बीच की दूरी तय करती हैं। इनमें पहाड़ी, सुदूर क्षेत्र, द्वीपों और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिये कोई निम्न सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। • इसमें चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को **न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 उडान सीटें** सब्सिडी दर पर देनी होंगी। • केंद्र निष्क्रिय हवाई पत्तनों से उड़ान भरने वाली एयरलाइनों को हुई **क्षति हेतु सब्सिडी प्रदान करेगा**। ○ इसके तहत घरेलू एयरलाइंस की प्रत्येक प्रस्थान करने वाली उड़ान पर 8,500 रुपये तक का प्रशुल्क (levy) अधिरोपित कर लगभग 80% सब्सिडी संग्रहित की जाएगी तथा शेष 20% संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी। • उन ऑपरेटरों के लिए VGF प्रदान किया जाएगा जो क्षेत्रीय उड़ानों की **प्रत्येक उड़ान पर 2500 रुपये/प्रत्येक घंटे की दर से उच्चतम किराया** प्राप्त करते हैं, साथ ही विभिन्न उड़ान अवधि वाले मार्गों हेतु आनुपातिक मूल्य निर्धारित करते हैं। • योजना के तहत व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड** की स्थापना की जाएगी। ○ **भागीदार राज्य सरकारें** (पूर्वोत्तर राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त, इनका योगदान 10% होगा) इस निधि में 20% की हिस्सेदारी का योगदान करेगी। • यह योजना **10 वर्ष तक की अवधि के लिए होगी।** • राज्य सरकारों को निःशुल्क सुरक्षा एवं अग्नि सेवा, रियायती दरों पर उपयोगिताओं को प्रदान करने के अतिरिक्त विमानन टरबाइन ईंधन पर वैट को 1 प्रतिशत तक कम करना होगा। RCS उड़ानों के लिए कोई लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा। • हाल ही में **उड़ान 3** को लॉन्च किया गया, जिसके तहत: ○ **पर्यटन मंत्रालय के साथ समन्वय करते हुए सभी पर्यटन मार्गों का समावेश करना**। ○ जल वायु पत्तनों को जोड़ने के लिए **समुद्री विमान को सम्मिलित करना**। • उड़ान के दायरे में **पूर्वोत्तर क्षेत्र** के अधिकांश मार्गों को सम्मिलित करना। • UDAN 3 की नीलामी प्रक्रिया के तहत **हेलीकाप्टर मार्गों पर विचार नहीं किया जाएगा**। • **अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना (ICAS-Udan)** (इसके तहत धन/कीमत पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह बाजार-नियंत्रित होगा) के तहत **गुवाहाटी** से 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रारंभ किया गया है।

4.2. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजनाएं	मुख्य विशेषताएं
डिजीयात्रा प्लेटफ़ॉर्म	• यह विमान पत्तन पर यात्रियों के प्रवेश एवं संबंधित आवश्यकताओं के लिए **बायोमेट्रिक-आधारित** डिजिटल प्रसंस्करण प्रणाली है। • यह विमान पत्तन पर स्थित विभिन्न चेक पॉइंट्स पर कागज़-रहित (पेपरलेस) यात्रा तथा पहचान की जाँच से बचने को सुविधाजनक बनाता है। इसके तहत प्रत्येक यात्री को एक विशिष्ट डिजी यात्रा ID प्रदान की जाएगी।
नभ (भारत के लिए अगली पीढ़ी के विमान पत्तन)	• इसका उद्देश्य प्रति वर्ष एक बिलियन ट्रिप्स का भार सँभालने के लिए **विमान पत्तनों की क्षमता** में 5 गुना से अधिक विस्तार करना है। • इसका उद्देश्य 4 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से **15 वर्षों में लगभग 100 विमान पत्तन को स्थापित करना** है तथा इसके लिए आवश्यक निवेश का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र से प्राप्त होगा।

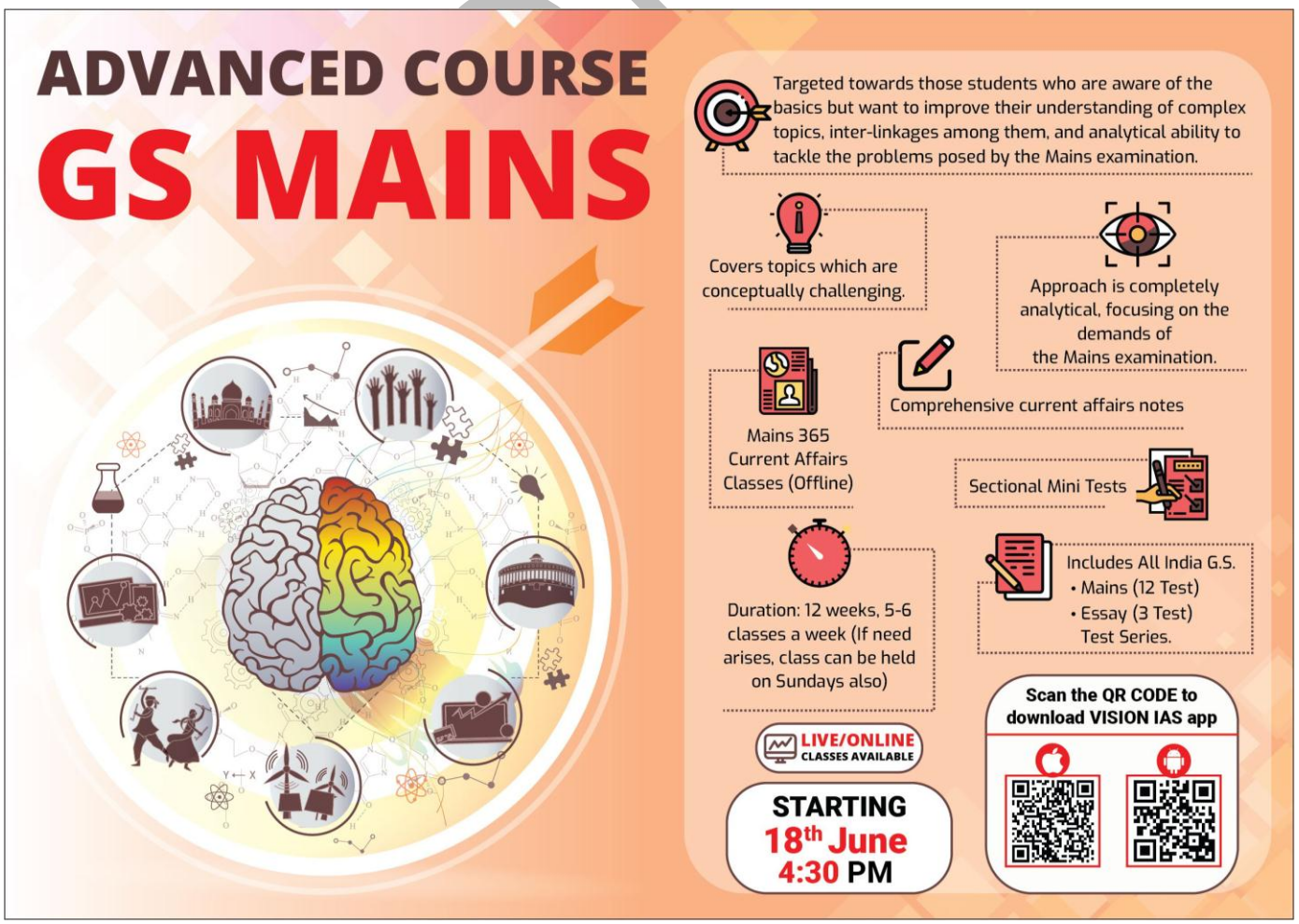

5. कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal)

5.1. शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांस्पैरेंटली इन इण्डिया) योजना

(Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India :SHAKTI Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• विद्युत् क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण चुनौती यथा कोयला लिंकेज का अभाव से निपटना। • वहनीय मूल्य पर विद्युत् उपलब्ध कराना तथा कोयले तक पहुँच सुनिश्चित करना और कोयले के आवंटन में जवाबदेहिता सुनिश्चित करना।	• विद्युत कंपनियाँ (कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति) • उपभोक्ता (विद्युत लागत में कमी) • स्वदेशी कोयला क्षेत्रक (आयातित कोयले में कमी) • बैंकिंग क्षेत्रक (NPAs में कमी)	• यह **कोयला लिंकेज की नीलामी और आवंटन** के लिए एक महत्वपूर्ण नीति है। • यह नीति पहले से ही लेटर्स ऑफ़ अश्योरेन्स (LoAs) रखने वाले कोयला संयंत्रों को **ईंधन आपूर्ति समझौते (FSA)** से पुरस्कृत करेगी। • कोयला लिंकेज **राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत् वितरण कंपनियों** (डिस्कॉम्स) को आबंटित किए जाएंगे। • बदले में ये राज्य या केंद्रीय विद्युत् उत्पादन कंपनियों को **आवंटन** के माध्यम से, और निजी इकाइयों को **नीलामी** के माध्यम से लिंकेज प्रदान करेंगी। • नीलामी में भाग लेने वाले स्वतंत्र विद्युत् उत्पादक (IPPs) मौजूदा टैरिफ पर **छूट के लिए बोली लगाएंगे** और इसे सकल कोयला-बिलों से समायोजित किया जाएगा।

5.2. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

उत्तम ((Unlocking Transparency By Third Party Assessment Of Mined Coal) ऐप	• **कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** द्वारा उत्तम ऐप को विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य है - **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के सभी सहायक कंपनियों में तीसरे पक्ष के द्वारा नमूना प्रक्रिया की सभी नागरिकों तथा कोयला उपभोक्ताओं द्वारा निगरानी करना।** • यह एक इंटरैक्टिव **मानचित्र आधारित प्रणाली** है,जो गुणवत्ता सम्बन्धी विभिन्न मानकों जैसे घोषित सकल कैलोरी मान (Gross Calorific Value: GCV), विश्लेषित घोषित सकल कैलोरी मान, तथा कवरेज संबंधी मानक जैसे स्थिति एवं नमूने के रूप में प्राप्त की गई मात्रा इत्यादि हेतु विभिन्न सहायक कंपनियों के पास विद्यमान कोयले की गुणवत्ता की समग्र कवरेज प्रदान करेगा।
कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (CMSMS)	• यह एक **वेब आधारित GIS एप्लीकेशन** है, जिसके माध्यम से अनधिकृत खनन स्थलों की स्थिति का पता लगाया जाएगा। • सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला मूल प्लेटफ़ॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) द्वारा प्रदान किया गया बेस मैप है, जो ग्रामीण स्तरीय सूचनाएं प्रदान करेगा।
खान प्रहरी	• यह अवैध कोयला उत्खनन से संबंधित गतिविधियों जैसे- रैट होल माइनिंग, चोरी इत्यादि की रिपोर्ट करने सम्बन्धी एक उपकरण है। • इसके तहत सिस्टम पर व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से घटना की जिओ-टैग फोटों को अपलोड करने के साथ जानकारी भी प्रदान की जा सकेगी। • शिकायतकर्ता की पहचान को प्रकट नहीं किया जायेगा।

VISION IAS

6. वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce)

6.1. स्टार्ट अप इंडिया

(Start Up India)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश में नवाचार और स्टार्टअप्स के पोषण के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम का निर्माण करना।	एक्शन प्लान **तीन स्तंभों** पर आधारित है - सरलीकरण और देखभाल, वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन, उद्योग-शिक्षा जगत सहभागिता तथा इन्क्यूबेशन। **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPI & IT)** (पूर्व में DIPP) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। • **सरलीकरण और देखभाल (हैंडहोल्डिंग):** ○ स्टार्टअप के लिए स्व-प्रमाणीकरण आधारित सरल अनुपालन व्यवस्था का विकास। ○ अनुपालन और सूचना विनिमय के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल की शुरुआत। ○ विकास के विभिन्न चरणों के दौरान स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने हेतु **स्टार्टअप इंडिया हब** को प्रारंभ करना। ○ निम्न लागत पर कानूनी सहायता और शीघ्र पेटेंट जाँच की सुविधा। ○ स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक खरीद हेतु आसान मानदंड। ○ स्टार्टअप के लिये त्वरित निकासी नियम। • **अनुदान सहायता और प्रोत्साहन:** ○ अगले चार वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के माध्यम से सहायता प्रदान करना। ○ क्रेडिट गारंटी फंड- यह पहल स्टार्टअप्स के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड के सृजन का प्रावधान करती है। अगले चार वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक (सिडबी) के माध्यम से इस फंड का सृजन किया जाएगा। ○ फंड ऑफ फंड्स में निवेश करने पर पूंजीगत लाभ पर कर छूट। ○ 3 वर्षों के लिये स्टार्टअप को करों में छूट। • **उद्योग-शिक्षा जगत सहभागिता तथा इन्क्यूबेशन** ○ नवाचारों को प्रदर्शित करने और एक सहयोग मंच प्रदान करने हेतु स्टार्टअप उत्सव आयोजित करना। ○ नीति आयोग के स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेल्फ एम्पलायमेंट एंड यूटीलाईजेशन; SETU) कार्यक्रम के साथ अटल इनोवेशन मिशन (AIM) का शुभारंभ। ○ इनक्यूबेटरों को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का दोहन। ○ IIT मद्रास में रिसर्च पार्क सेट-अप मॉडल के आधार पर 7 नए शोध पार्कों की स्थापना करना। ○ इनक्यूबेटर के मध्य सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक इनक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज का आयोजन। **स्टार्ट-अप की परिभाषा का विस्तार**: एक योग्य स्टार्ट-अप वह होगा जो सरकार के तहत पंजीकृत हो और **जो 10 वर्ष से कम (पूर्व में 7 वर्षों से) के लिए निग**मित किया गया हो, और **उसका टर्नओवर उस अवधि में 100 करोड़ रुपये (पूर्व में 25 वर्ष) से अधिक न हो**।

6.2. मेक इन इंडिया

(Make In India)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश स्थल, वैश्विक डिज़ाइन और विनिर्माण हब में	• "मेक इन इंडिया" पहल चार स्तंभों पर आधारित है: ○ **नई प्रक्रियाएँ**: यह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' की एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचान करता है।

परिवर्तित करना।	○ **नई अवसंरचना:** सरकार औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट सिटी का विकास करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त विश्वस्तरीय अवसंरचना और उच्च गति वाली संचार व्यवस्था का निर्माण करने की इच्छुक है। ○ तीव्र पंजीकरण प्रणाली और IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) पंजीकरण हेतु बेहतर अवसंरचना के जरिए नवाचार और अनुसंधान क्रियाकलापों को सहायता दी जा रही है। ○ **नए क्षेत्र:** रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण और रेलवे अवसंरचना को बड़े पैमाने पर FDI के लिए खोला गया है। • **नई सोच –** देश के आर्थिक विकास में उद्योग का भागीदार बनने के लिए सरकार सहायक की भूमिका निभाएगी न कि विनियामक की • मेक इन इंडिया अभियान के लिए 2014 में एक समर्पित इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल (IFC) का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश के पूर्व के चरण और निवेश की अवधि से लेकर निवेश के उपरांत तक नियामकीय अनुमोदन, स्वीकृति और देखभाल सेवाओं के लिए निवेशकों की मदद करना है। • रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष जैसे विभिन्न क्षेत्रों को निवेश के लिए खोला गया है। साथ ही, निवेश को सुविधाजनक बनाने और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए विनियामकीय नीतियों में रिआयत दी गयी है। • **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPI & IT) 15** विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है जबकि **वाणिज्य विभाग 12** सेवा क्षेत्रों का समन्वय करता है।

6.3. ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) (निर्यात योजना हेतु व्यापार अवसंरचना)

(Trade Infrastructure for Export Scheme: TIES)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• **निर्यात अवसंरचना (बुनियादी ढाँचे) में व्याप्त अंतराल को समाप्त** कर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना, केन्द्रित निर्यात अवसंरचना का सृजन, निर्यातोन्मुख परियोजनाओं हेतु फर्स्ट माइल और लास्ट माइल (शुरू से अंत तक) कनेक्टिविटी तथा गुणवत्ता और प्रमाणीकरण मानकों का निर्धारण करना।	• यह सीमावर्ती हाटों, कोल्ड चेन, ड्राई पोर्ट्स आदि जैसे निर्यात लिंकेज के साथ नवीन अवसंरचनाओं के सृजन तथा **मौजूदा अवसंरचनाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान** करेगा। • इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार की एक्ज़िम नीति के तहत **मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्द्धन परिषद, कमोडिटी बोर्ड्स, SEZ प्राधिकरण और शीर्ष व्यापार निकाय** सहित केंद्रीय और राज्य एजेंसियां **वित्तीय सहायता** प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। • **केंद्र सरकार द्वारा** किया जाने वाला **वित्त-पोषण अनुदान** सहायता के रूप में होगा, यह सामान्यत: कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई जा रही इक्विटी या परियोजना की कुल इक्विटी के 50% से अधिक नहीं होगा। (उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर सहित हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है)।

6.4. सरकारी ई-बाजार स्थल

(Government E-Marketplace: GeM)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों (CPSU और SPSU), स्वायत्त संस्थानों एवं स्थानीय निकायों** द्वारा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाना।	• **विभिन्न सरकारी विभागों / संगठनों / PSUs द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए यह एक वन स्टॉप पोर्टल (100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी) है।** • इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में **पारदर्शिता, दक्षता और गति में वृद्धि करना है।** • यह **ई-बिडिंग, रिवर्स ई-ऑक्शन और डिमांड एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है** ताकि सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके पैसे के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो सके। • यह **पूर्णतः कागजरहित, नकदीरहित और व्यवस्था आधारित ई-बाजार** स्थल है

VISION IAS

	जो **न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ** सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को संभव बनाता है। • सरकारी प्रयोक्ताओं द्वारा GeM के माध्यम से की जाने वाली **खरीद** को वित्त मंत्रालय द्वारा **प्राधिकृत किया गया है और इसे अनिवार्य कर** दिया गया है। • **PMO द्वारा इसकी सीधे निगरानी** की जा रही है। • **आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (Directorate General of Supplies & Disposal: DGS&D)** इस पोर्टल का स्वामित्व और यह इसका संचालन भी करता है। • हाल ही में, **GEM 3.0** की घोषणा की गई थी। यह मानकीकृत और समृद्ध सूचीपत्र (कैटलॉग) प्रबंधन, शक्तिशाली सर्च इंजन, वास्तविक समय पर मूल्य की तुलना, उपयोगकर्ता रेटिंग, उन्नत MIS और विश्लेषण प्रदान करेगा। • हाल ही में **"वुमनिया ऑन GeM" लॉन्च** किया गया था, जो **महिला उद्यमियों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों** को हस्तशिल्प और हथकरघा, सहायक उपकरण, जूट और कॉयर उत्पाद, घर सजावट और कार्यालय सम्बन्धी साज-सामानों को सीधे विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों और संस्थानों में बेचने में सक्षम बनाने की पहल है। • हाल ही में प्रोक्योरमेंट ऑन GeM प्लेटफार्म को अपनाने और इसके उपयोग में तेजी लाने के उद्देश्य से **GeM पर राष्ट्रीय मिशन** लॉन्च किया गया था।

6.5. परिवहन एवं विपणन सहायता योजना

(Transport and Marketing Assistance (TMA) Scheme)

उद्देश्य	कवरेज	प्रमुख विशेषताएँ
• कृषि उपज के माल भाड़े एवं विपणन के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता उपलब्ध कराना।	• इस योजना के तहत विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्रासंगिक निर्यात संवर्धन परिषद में उचित विधि से पंजीकृत, उपयुक्त अथवा पात्र कृषि उत्पादों के सभी निर्यातकों को कवर किया जाएगा। • **निर्यात की वे श्रेणियां जो TMA के लिए पात्र नहीं हैं:** ○ SEZs/EOUs/EHTPs/ STPs/BTPs/FTWZs से निर्यात किए गए उत्पाद; ○ ट्रांस-शिपमेंट के माध्यम से निर्यात, अर्थात् वह निर्यात जो तीसरे देश में उत्पन्न हो रहा है किन्तु उसका ट्रांस-शिपमेंट भारत से होकर किया जा रहा है; तथा ○ ई-कॉमर्स का उपयोग करके कूरियर या विदेशी डाकघरों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात।	• माल भाड़े की आंशिक प्रतिपूर्ति के रूप में TMA के तहत सहायता प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से नकद प्रदान कर उपलब्ध कराई जाएगी। • इस योजना में हवाई मार्ग के साथ-साथ समुद्री मार्ग (सामान्य एवं रेफ्रीजेरेटेड कार्गो) से किए जाने वाले निर्यात से संबंधित परिवहन एवं विपणन सहायता को भी शामिल किया जाता है। • इस योजना को विदेश व्यापार नीति (2015-20) में शामिल किया जाएगा।

6.6 अन्य योजनाएं (Other Schemes)

योजनाएं	विशेषताएं
रोपण फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (Revenue Insurance Scheme for Plantation Crops)	• फसल बीमा तंत्र के माध्यम से **रोपण फसलों** (चाय, कॉफी, रबर, इलायची और तम्बाकू) **के उत्पादकों को मौसम और मौसम की प्रतिकूलता, कीटों के हमलों आदि के कारण उपज में होने वाली क्षति से हुई मूल्य वृद्धि,** साथ ही अंतर्राष्ट्रीय / घरेलू कीमतों में गिरावट के कारण होने वाली आय की क्षति के दोहरे जोखिमों से संरक्षण प्रदान करना। • इस योजना को चयनित बीमा कंपनियों के माध्यम से कमोडिटी बोर्ड द्वारा पश्चिम बंगाल,

VISION IAS

	केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम और तमिलनाडु के आठ जिलों में सितंबर **2016 से पायलट आधार पर दो वर्ष के लिए क्रियान्वयित किया जा रहा है।**
भारत से पण्य वस्तुओं की निर्यात योजना (Merchandise Exports From India Scheme)	• यह विदेशी व्यापार नीति (FTP) 2015-20 के तहत प्रारंभ एक **निर्यात प्रोत्साहन योजना** है जिसका उद्देश्य भारत में निर्मित वस्तुओं संबंधी **अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और संबंधित लागतों की पूर्ति करना है।** • इसके द्वारा पण्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु **पिछली विदेश व्यापार नीति** (फोकस प्रोडक्ट स्कीम , मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फ़ोकस मार्केट स्कीम, एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना) **की पांच विभिन्न योजनाओं को प्रतिस्थापित** किया गया है। इसे परिवर्तित परिस्थितियों (क्षेत्रक विशिष्ट या वास्तविक उपयोगकर्ता केवल) में प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी अनुकूलता प्रदान की गयी है। • यह योजना निर्यातक को **ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में इंसेंटिव प्रदान करती है,** जिससे कि शुल्क (ड्यूटी) के भुगतान पर किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके।
भारत से सेवाओं की निर्यात योजना (Service Exports from India Scheme:SEIS)	• इसे पूर्व की एक योजना "सर्व्ड फ्रॉम इण्डिया स्किम" को प्रतिस्थापित करते हुए विदेश व्यापार नीति (FTP), 2015-20 के तहत शुरु किया गया था। • SEIS 'भारतीय सेवा प्रदाताओं' के बजाय 'भारत में अवस्थित **सेवा प्रदाताओं'** पर लागू होगी। इस प्रकार, SEIS **अधिसूचित सेवाओं** के सभी सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो सेवा प्रदाता के संगठन या रूपरेखा पर ध्यान दिये बिना भारत से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। • SEIS के तहत, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को उनकी शुद्ध विदेशी मुद्रा आय पर 3 या 5% की दर से **ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया** जाता है। ये SEIS स्क्रिप हस्तांतरणीय हैं और इसका उपयोग कई केंद्रीय शुल्कों / करों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है जिसमें सीमा शुल्क शामिल हैं।
पूँजीगत वस्तु निर्यात प्रोत्साहन योजना (Export Promotion Capital Goods Scheme)	• यह **शून्य सीमा शुल्क** पर पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन हेतु पूंजीगत **वस्तुओं के आयात** (नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर) की अनुमति देता है। • EPCG योजना के तहत आयात, **शुल्कों, करों और पूंजीगत वस्तुओं पर आरोपित उपकर के 6 गुने के समतुल्य निर्यात बाध्यता** के अधीन होगा, जिसे प्राधिकरण के जारी होने की तिथि से 6 वर्ष में पूरा किया जाएगा।
निर्यात वंधु योजना	• इसे **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को परामर्श प्रदान करने हेतु** 2011 में विदेश व्यापार नीति 2009-14 के भाग के रूप में घोषित किया गया।
ई बिज (eBiz)	• निवेशकों और व्यवसायिकों को भारत में व्यवसाय प्रारंभ करने से संबंधित जानकारी और सेवाओं को प्राप्त करने में सामना की जाने वाली जटिलता को कम करने और सम्पूर्ण व्यवसाय चक्र के दौरान लाइसेंस एवं परमिट संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु **कुशल और सुविधायुक्त गवर्नमेंट टू बिजिनेस (G2B) सेवाएँ प्रदान करने के लिए 24X7 ऑनलाइन सिंगल-विंडो सिस्टम** के रूप में कार्य करेगा। • इसे **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPI & IT) के मार्गदर्शन और तत्वावधान में इनफ़ोसिस टेक्नोलाजी लिमिटेड (इंफोसिस)** द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
इन्टीग्रेट टू इन्नोवेट प्रोग्राम	• यह कॉर्पोरेट परिसरों में स्थापित किए जाने वाले ऊर्जा स्टार्टअप के लिए **3 महीने का कॉर्पोरेट ऐक्सेलरेशन प्रोग्राम है।** • चयनित स्टार्टअप को निगमों के साथ अपने उत्पाद को संबद्ध करने के अवसर के साथ-साथ प्रति स्टार्टअप 5 लाख तक की नकद पुरस्कार राशि का अनुदान दिया जाएगा।
स्कीम फॉर IPR अवेयरनेस	• इसका उद्देश्य 2017 से 2020 में छात्रों, युवाओं, लेखकों, कलाकारों, उदीयमान अन्वेषकों

VISION IAS

क्रिएटिव इंडिया ; इन्नोवेट इंडिया	और पेशेवरों के मध्य IPR जागरुकता को बढ़ाना है जिससे कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों सहित भारत भर के टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों में अपनी कृतियों और आविष्कारों के सृजन, नवाचार एवं संरक्षित करने में प्रेरणा प्राप्त हो सके। • इसे **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPI & IT) के मार्गदर्शन और तत्वावधान में सेल फॉर IPR प्रोमोशन एंड मैनेजमेंट (CIPAM)** द्वारा शुरू किया गया है।
स्वायत्त (SWAYATT) पहल	• **स्वायत्त**, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पर ई-लेन-देन के माध्यम से **स्टार्ट-अप्स, वीमेन एंड यूथ एडवांटेज** को बढ़ावा देने की एक पहल है। • यह नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल, **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस** हेतु भारतीय उद्यमिता पारिस्थितिकी के भीतर प्रमुख हितधारकों को एक साथ आने के अवसर प्रदान करेगा।
GeM स्टार्ट अप रनवे इनिशिएटिव	• **GeM स्टार्ट-अप रनवे, स्टार्ट-अप इंडिया के साथ मिलकर प्रारंभ GeM** की एक पहल है, जो स्टार्ट-अप इंडिया के साथ पंजीकृत स्टार्ट-अप को सार्वजनिक खरीद बाजार तक पहुंच स्थापित करने एवं सरकारी खरीदारों को नवीन उत्पादों और सेवाओं को बिक्री की सुविधा प्रदान करता है।

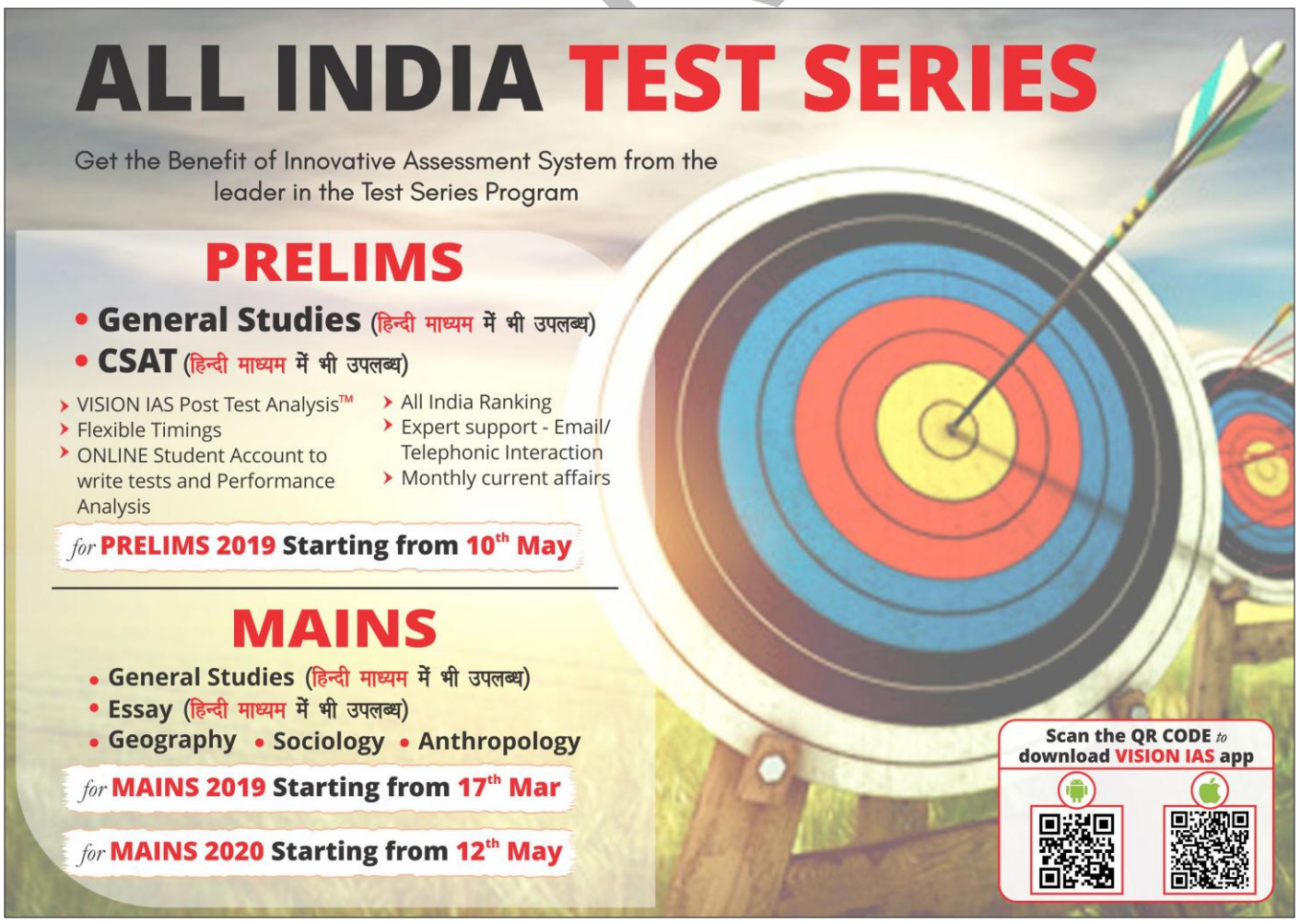

7. संचार मंत्रालय (Ministry of Communication)

7.1. दूरसंचार विभाग

(Department of Telecommunication:DOT)

7.1.1. भारत नेट परियोजना

(Bharat Net Project)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से **ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान** करना।	• इसका लक्ष्य सभी **2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की न्यूनतम बैंडविड्थ प्रदान** करना है। • यह **ग्रामीण भारत को ई-गवर्नेंस,** ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच, G2C, B2B, P2P, B2C आदि तथा मौसम, कृषि संबंधी एवं अन्य सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा। • यह निम्नलिखित तीन चरणों में कार्यान्वित किए जा रहे **NOFN (नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क) का नया ब्रांड** नाम है। • **पहला चरण** - भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनें बिछाकर एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। इसके लिए 31 दिसंबर 2017 की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस प्रकार पहले चरण को निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया गया। • **दूसरा चरण** – यह भूमिगत फाइबर, फाइबर ओवर पावरलाइन, रेडियो और उपग्रह माध्यम का इष्टतम मिश्रण करके सभी 2,50,500 पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। • **तीसरा चरण** - यह 2019 से 2023 तक कार्यान्वित किया जाएगा। इस दौरान रिंग टोपोलॉजी (व्यर्थ के संचरण को रोकने के लिए) के साथ जिलों और ब्लॉकों के बीच फाइबर केबल्स बिछाये जायेंगे। साथ ही इसे अत्याधुनिक और भावी अभेद्य नेटवर्क बनाया जाएगा। • इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड** नामक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)** द्वारा इसका वित्त पोषण किया जा रहा है।

7.1.2. पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना

(Pandit Deen Dayal Upadhayay Sanchar Kaushal Vikas Pratisthan Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए दूरसंचार कुशल श्रमशक्ति के सृजन की पूरक व्यवस्था** करना और राष्ट्र के युवाओं के लिए आजीविका पैदा करना।	• आरंभ में यह **उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा में कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ** करने जा रहा है। पहले चरण में पायलट आधार पर **10,000 लोगों को प्रशिक्षित** किया जाएगा। आने वाले दिनों में, इसे पूरे भारत में कार्यान्वित किया जाएगा। • DoT 1,000 से अधिक संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह **नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF)** और दूरसंचार क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा।

VISION IAS

	• सरकार दूरसंचार क्षेत्र में **अभिनव काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत** भी करेगी।

7.1.3. तरंग संचार

(Tarang Sanchar)

योजना	मुख्य विशेषताएं
तरंग संचार	• यह एक **वेब पोर्टल** है, जो **मोबाइल टॉवर एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी (EMF) उत्सर्जन संबंधी जानकारियों को साझा करेगा।** • इसे **उद्योगों के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत विकसित किया गया है।** • वैश्विक मानकों की तुलना में भारतीय मानकों द्वारा विकिरण उत्सर्जन पर 10 गुना अधिक कठोरतापूर्ण सीमा निर्धारित की गई है। • कोई भी व्यक्ति किसी स्थान से संबंधी EMF उत्सर्जन मापन हेतु अनुरोध कर सकता है।

7.2. डाक विभाग

(Department of Posts)

दर्पण (DARPAN: डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ़ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया) परियोजना	• इसका उद्देश्य **सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और बैंक सेवा से वंचित ग्रामीण आबादी का "वित्तीय समावेशन" सुनिश्चित करना है।** • इसका लक्ष्य प्रत्येक शाखा के **पोस्टमास्टर (BPM) को निम्न ऊर्जा खपत वाला प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध** करवाना है, जो सभी राज्यों में ग्रामीण ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का स्तर बेहतर बनाने के लिए लगभग 1.29 लाख डाकघरों को सक्षम बनाएंगे। • हाल ही में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) नीतियों के लिए प्रीमियम के निर्बाध संग्रहण हेतु **DARPAN-PLI एप्लिकेशन** लॉन्च की गई थी।
सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना	• इसका उद्देश्य डाक नेटवर्क के माध्यम से देश के **ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय जीवन बीमा सेवाएं प्रदान** करना है। • यह देश के प्रत्येक राजस्व **जिले में कम से कम एक गांव** (जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों) की पहचान करेगा। साथ ही कम से कम एक RPLI (ग्रामीण डाक जीवन बीमा) पॉलिसी के साथ उस चिन्हित गाँव के सभी परिवारों को अच्छादित करने का प्रयास किया जाएगा। • **संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को** उन्हें सम्पूर्ण बीमा ग्राम में बदलने के लिए इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।
दीन दयाल स्पर्श योजना	• SPARSH, का आशय है- **रूचि के रूप में डाक टिकटों के प्रति अभिवृत्ति और अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए छात्रवृत्ति** (Scholarship for Promotion of Aptitude & Research in Stamps as a Hobby)। • यह **डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को बढ़ावा** देने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई एक अखिल भारतीय योजना है। • इस योजना के अंतर्गत **कक्षा VI से IX तक उन बच्चों को वार्षिक तौर पर 6000 रुपये की छात्रवृत्ति दी** जाएगी, जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह (Philately) को एक रूचि के रूप में चुना है। सभी डाक सर्किलों में आयोजित होने वाली एक प्रतियोगी प्रक्रिया के आधार पर डाक टिकट संग्रह में रूचि रखने वाले छात्रों का चयन किया जाएगा।

VISION IAS

कूल EMS सर्विस (Cool EMS Service)	• **कूल EMS (एक्सप्रेस मेल सर्विस) सेवा जापान से भारत की ओर एक-तरफा सेवा है जो भारत में ग्राहकों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए जापानी खाद्य पदार्थों को आयात करने की अनुमति देता** है जिसे भारतीय नियमों के तहत अनुमति दी गई है। • शुरूआत में, यह सेवा **केवल दिल्ली** में उपलब्ध होगी। खाद्य पदार्थों को जापान पोस्ट द्वारा विशेष रूप से तैयार ठंडे बक्सों में लाया जाएगा, जिसमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए रेफ्रिजरेंट होते हैं।

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)

8.1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(Department of Food and Public Distribution)

8.1.1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

[Antyodaya Anna Yojana (AAY)]

उद्देश्य	अभिप्रेत लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• निर्धनों में निर्धनतम आबादी को लक्षित करना और उन्हें भूख से राहत प्रदान करना।	BPL के 38% हिस्से को अच्छादित करने वाले 2.5 करोड़ परिवार।	• यह राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों में से **अत्यंत गरीब परिवारों** को शामिल करता है और उन्हें अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त दर पर अर्थात् 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्रदान करता है। • **परिवारों की पहचान करने के लिए,** दिशानिर्देश निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं- भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर / शिल्पकार आदि तथा वे परिवार जिनका मुखिया विधवा या सामान्य रूप से बीमार व्यक्ति / विकलांग व्यक्ति / 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति (जिनके निर्वाह या सामाजिक सहायता का कोई आश्वासन साधन नहीं है) हो। • **AAY NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) का एक अवयव** भी है और AAY के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार होते हैं। • **राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वितरण लागत वहन करना होता है। इसमें डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन के साथ-साथ परिवहन लागत** भी सम्मिलित है।

8.1.2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)

[Targeted Public Distribution System (TPDS)]

उद्देश्य	अभिप्रेत लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें विशेष रूप से सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न, चावल और / या गेहूं उपलब्ध कराना।	• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए देश की **75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के** अखिल भारतीय अच्छादन का प्रावधान	• केंद्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (UTs) की सरकारों के **सामूहिक उत्तरदायित्व** के अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। • **केंद्र सरकार** खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और FCI के निर्दिष्ट डिपो तक उसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। • **राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें** राज्यों/संघ

VISION IAS

	करता है। • इस प्रकार, TPDS के अंतर्गत **अच्छादन को गरीबी के अनुमानों से अलग** कर दिया गया है।	शासित प्रदेश के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन और वितरण के लिए परिचालन संबंधी उत्तरदायित्वों, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के कामकाज के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं। • **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के अंतर्गत** लक्षित परिवार 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज पाने का हकदार है। • थोक विक्रेताओं / खुदरा विक्रेताओं, परिवहन शुल्क, लेवी, स्थानीय करों इत्यादि के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए **राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंतिम खुदरा मूल्य निर्धारित किया जाता है।**

8.1.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन

(Integrated Management of Public Distribution System)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• खाद्यान्न वितरण में देशव्यापी पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन। • लाभार्थी डेटा (आधार आधारित) के डी-डुप्लीकेशन के लिए राष्ट्रीय स्तरीय डेटा रिपोजिटरी का निर्माण करना • निरंतर सुधारों हेतु उन्नत डेटा एनालिटिक्स तकनीकों का उपयोग करना	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक नई योजना है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: ○ केंद्रीय प्रणाली / पोर्टलों के साथ राज्यों / संघ शासित प्रदेशों की **PDS प्रणाली / पोर्टलों को एकीकृत** करना, ○ राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत: यह सुविधा PDS लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पसंद की उचित मूल्य की दुकानों (FPS) से अपने हक का अनाज प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करता है। • यह खाद्यान्नों के वितरण में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए 'एंड-टू-एंड कम्प्यूटराइजेशन ऑफ़ PDS ऑपरेशन्स' की निरंतरता में है।

8.2. उपभोक्ता मामलों का विभाग

(Department of Consumer Affairs)

8.2.1. मूल्य स्थिरता कोष

(Price Stabilization Fund: PSF)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• कृषि उपज की कीमतों में	• इसकी स्थापना 2014-15 में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) द्वारा की गई थी और इसे 1 अप्रैल 2016 को DAC&FW से उपभोक्ता मामलों के विभाग (DOCA) में स्थानांतरित

VISION IAS

अस्थिरता को कम करना।	कर दिया गया था। • इसे 2014-15 में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) के तहत स्थापित किया गया था और इसे 1 अप्रैल, 2016 को DAC&FW से उपभोक्ता मामलों के विभाग (DOCA) को स्थानांतरित कर दिया गया था। • निम्नलिखित के माध्यम से मूल्य स्थिरता लाने के उद्देश्य इस कोष को स्थापित किया गया था- ○ फार्म गेट (कृषि स्थल) / मंडी में किसानों / किसान संघों से **सीधी खरीद को प्रोत्साहन**। ○ **रणनीतिक बफर स्टॉक का** सृजन। यह जमाखोरी और अनैतिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करेगा। ○ स्टॉक के अंशांकित मोचन (कैलिब्रेटेड रिलीज) के माध्यम से **उचित कीमतों पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करके उपभोक्ताओं की सुरक्षा** करना। • यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। • इस कोष का प्रबंधन **मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति** करेगी। यह राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के सभी प्रस्तावों को स्वीकृति देगी और **स्माल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (SFAC)** द्वारा एक कॉर्पस फंड के रूप में इसका अनुरक्षण किया जाएगा **जो फंड मैनेजर के रूप में कार्य करेगा।** **वित्त पोषण –** • राज्यों को एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करना होगा। इसमें केंद्र और राज्य समान रूप से 50:50 का योगदान देंगे। • उत्तर पूर्व के राज्यों में 75:25 का अनुपात होगा।

8.2.2. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

डिजिटल रूप से सुरक्षित उपभोक्ता अभियान (Digitally Safe Consumer Campaign)	• **मंत्रालय द्वारा गूगल (Google) के सहयोग** से जागरुकता उत्पन्न करने और इंटरनेट पर उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से यह अभियान आरंभ किया गया है। • इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं द्वारा **इंटरनेट पर संपन्न किए जाने वाले दिन प्रति दिन के कार्यों,** यथा- वित्तीय लेनदेन, ई-मेल का उपयोग करना, ई-कॉमर्स करना या केवल जानकारी के लिए इंटरनेट सर्फ करना, के संबंध में इंटरनेट सुरक्षा संदेश को **एकीकृत** करना है।
INGRAM	• **जागरुकता उत्पन्न करने, सलाह देने और उपभोक्ता शिकायतों का समाधान** करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा **एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (Integrated Grievance Redress Mechanism: INGRAM)** का शुभारंभ किया गया है। • यह पोर्टल **उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप** में भी कार्य करेगा। • यह ऑनलाइन शिकायतें पंजीकृत कराने की भी सुविधा प्रदान करता है जिनका **60 दिनों के भीतर निवारण** किया जाएगा।

VISION IAS

9. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs)

राष्ट्रीय CSR डेटा पोर्टल	• यह अपने वित्तीय विवरण में MCA 21 रजिस्ट्री पर पात्र कंपनियों द्वारा दाखिल की गई **कॉर्पोरेट सोशलय रेस्पोंसिबिलिटी (CSR) से संबंधित डेटा** और जानकारी को प्रसारित करने का एक मंच है। • यह राज्यों, जिलों, विकास क्षेत्रों आदि में हुए **व्यय के संबंध में पूर्व-निर्धारित रिपोर्ट दे** सकता है और साथ ही यह परियोजनाओं पर आवश्यक प्रतिक्रिया की भी सुविधा प्रदान करता है।
MCA21 परियोजना	• **कंपनी मामलों के सम्बन्ध में मुख्य सेवाओं की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए** यह ई-गवर्नेंस पहल है। • परियोजना का उद्देश्य सक्रिय प्रवर्तन और विधिक आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को **पूर्णतः स्वचालित बनाकर** कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और जनता तक **कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)** सेवाओं की एक आसान और सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाना है।
कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल	• यह कंपनियों की **सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी (वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट और विभिन्न घटना-आधारित फाइलिंग सहित) सार्वजनिक अवलोकन** के लिए उपलब्ध कराएगा। • यह **अनुसंधान और विश्लेषण के लिए अनुकूलित डेटा सेवाओं** की भी आवश्यकता पूरी करेगा।

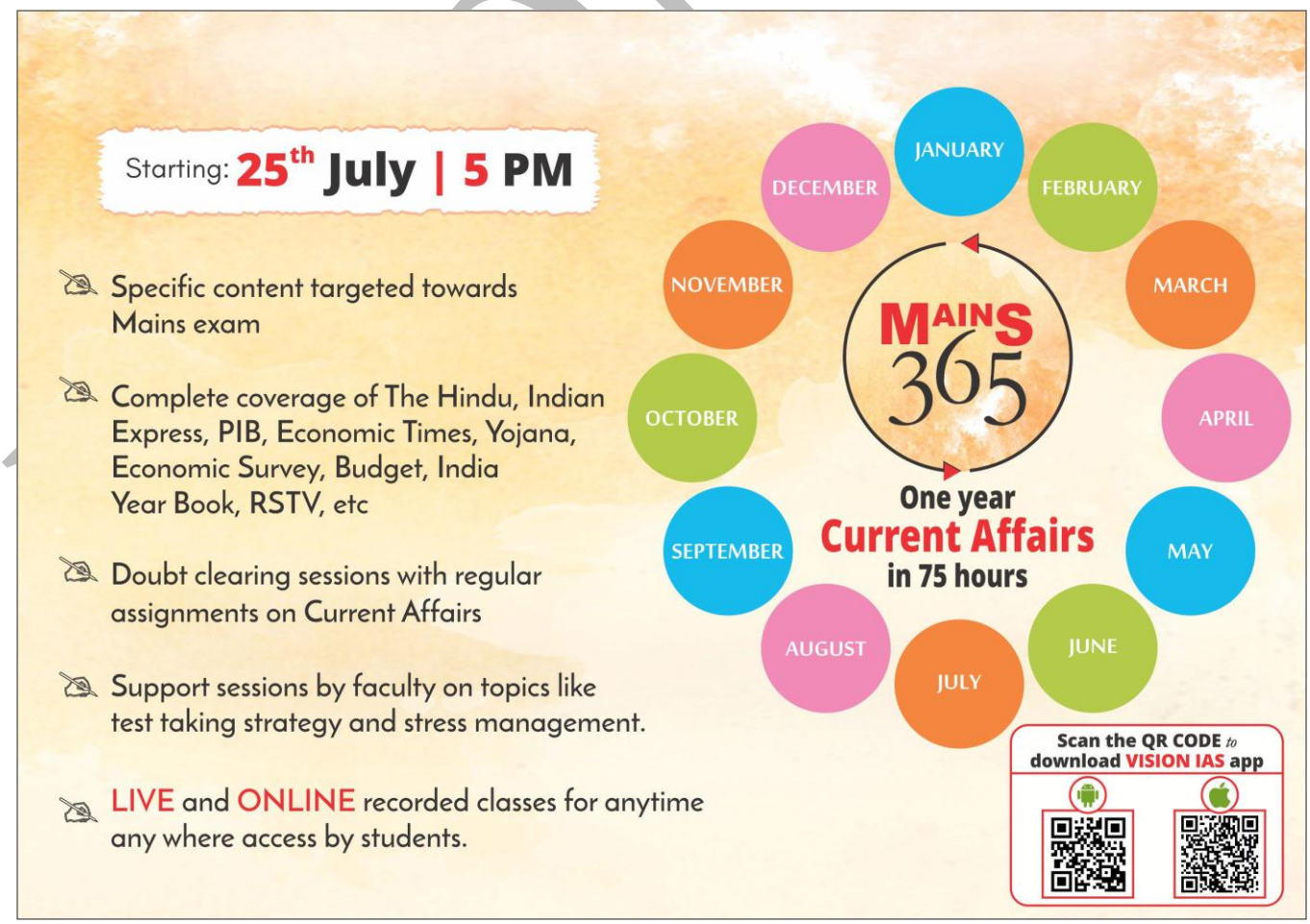

10. संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture)

10.1 प्रोजेक्ट मौसम – संस्कृति मंत्रालय

(Project Mausam – Ministry of Culture)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **बहुआयामी हिंद महासागर को समन्वेषित** (एक्स्प्लोर) करने हेतु- पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा हिन्द महासागर की सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और धार्मिक विविधता की अन्तरक्रियाओं का प्रलेखीकरण।	• इस परियोजना को सहयोगी निकायों के रूप में **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण** और राष्ट्रीय संग्रहालय की सहायता से **नोडल समन्वय एजेंसी** के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। • **वृहत् स्तर** पर परियोजना का लक्ष्य **हिंद महासागर के 39 देशों के मध्य संचार संपर्क को पुनः स्थापित** करना है, जिससे सांस्कृतिक मूल्यों और आर्थिक संबंधों में और अधिक घनिष्ठता आयेगी। • **सूक्ष्म स्तर** पर इसका ध्यान उनके क्षेत्रीय समुद्री वातावरण में **राष्ट्रीय संवर्द्धन को समझना** है। • इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट मौसम के तहत **यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची हेतु ट्रांस-नेशनल नोमिनेशन** के रूप में **स्थलों की पहचान** करना भी है।

10.2.स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइन्स

[Scheme for Promotion of Culture of Science (SPOCS)]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास तथा उद्योग व मानव कल्याण में उनका अनुप्रयोग दर्शाना। • जागरुकता और सार्वजनिक समझ, सराहना एवं जन-जुड़ाव पैदा करना	• विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में **विज्ञान नगर और विज्ञान केंद्रों की स्थापना** का प्रावधान किया गया है। • **राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद** (संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। • इच्छुक राज्यों को भूमि प्रदान करना होगा और सुविधा की स्थापना की लागत और रखरखाव तथा अनुरक्षण के लिए कोष साझा करना होगा।

10.3. सेवा भोज योजना

(Seva Bhoj Scheme)

उद्देश्य	विशेषताएं
परोपकारी धार्मिक संस्थानों के वित्तीय बोझ को कम करने हेतु।	• इस योजना के तहत लोगों को निःशुल्क भोजन/प्रसाद/लंगर प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्थानों द्वारा कुछ निश्चित खाद्य पदार्थों की खरीद पर दिए जाने वाले केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST) के केन्द्र सरकार के हिस्से को लौटा दिये जाने का प्रावधान है। • यह सभी परोपकारी धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, धर्मिक आश्रम, दरगाह, मठ, बौद्धमठ आदि पर लागू होता है, जो निम्नलिखित मानदंडों का पालन करते हैं: ○ जो **वित्तीय सहायता/अनुदान के लिए आवेदन करने से पूर्व कम से कम पांच वर्षों तक कार्यरत** हों। ○ जो आवेदन के दिन से **कम से कम विगत तीन वर्षों** से जन सामान्य को **निःशुल्क भोजन**, लंगर और प्रसाद सार्वजनिक रूप से वितरित कर रहा हों। ○ जो एक महीने में **कम से कम 5000 लोगों** को निःशुल्क भोजन प्रदान करता हों।

VISION IAS

	○ उसे **FCRA या केंद्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य अधिनियम/नियम के प्रावधानों के तहत ब्लैकलिस्ट नहीं होना** चाहिए।

10.4. भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण करना

(Safeguarding the Intangible Cultural Heritage and Diverse Cultural Traditions of India)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
इसके तहत **विभिन्न संस्थानों**, समूहों, व्यक्तियों, गैर-संस्कृति मंत्रालय की संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं और विद्वानों को **पुनर्जीवित एवं प्रभावी बनाया जायेगा**, ताकि **वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (ICH) को सुदृढ़, संरक्षित, संग्रहित** एवं बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों / परियोजनाओं में संलग्न हो सकें।	• इस योजना में अमूर्त सांस्कृकतिक विरासत, मंच कला, सामाजिक प्रथाओं, रीति-रिवाजों और उत्सव घटनाक्रमों, प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान तथा प्रथाओं, पारंपरिक शिल्पन कौशल आदि के माध्यम के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां जैसे **ICH विषयक सभी मान्यता प्राप्त कार्यक्षेत्र शामिल होंगे।** • इस योजना को **संगीत नाटक अकादमी**, संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

10.5. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

सांस्कृतिक मानचित्रण एवं रोडमैप पर राष्ट्रीय मिशन	• यह योजना **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'** के अंतर्गत शामिल है। • यह सभी कला रूपों तथा कलाकारों के विकास के लिए **'हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान'** नामक देशव्यापी सांस्कृतिक जागरुकता कार्यक्रम चलाकर **सांस्कृतिक मानचित्रण (यानी सांस्कृतिक संपत्तियों एवं संसाधनों का डेटाबेस)** स्थापित करता है। • इसका उद्देश्य सभी कला रूपों के क्षेत्र में सूचना प्राप्त करने तथा ज्ञान साझा करने आदि के लिए एक **राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल (नेशनल कल्चरल वर्किंग प्लेस: NCWP)** पोर्टल स्थापित करना है।
गुरु-शिष्य परंपरा योजना	• इसका उद्देश्य **दुर्लभ एवं लुप्तप्राय कला रूपों को संरक्षित करना एवं बढ़ावा** देना है, वह कला **चाहे शास्त्रीय हो या लोक/जनजातीय**। • इसमें अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों और निपुण लोगों के मार्गदर्शन में छात्रवृत्ति के रूप में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (ZCCs) द्वारा कुछ वित्तीय सहायता के माध्यम से कला के अपने चुने हुए क्षेत्र में कौशल हासिल करने के लिए युवा प्रतिभाओं को पोषित करना सम्मिलित है। • इस योजना के अंतर्गत इच्छुक शिष्यों को प्रशिक्षित करने में सक्षम संबंधित **कला के विशिष्ट रूप से निपुण लोगों (गुरुओं) की पहचान** की जाती है।
आदर्श स्मारक	• इसका उद्देश्य **स्मारकों के इर्द-गिर्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं** प्रदान करना है, जैसे कि व्याख्या (भाषा रूपांतरण), ऑडियो-वीडियो केंद्र, अपशिष्ट जल व कचरा निपटान इत्यादि को व्यवस्थित करना। • इसे **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन	• इसे वर्ष 2003 में **प्रलेखन की पहचान व संरक्षण तथा भारत की पांडुलिपि विरासत को सर्वसुलभ बनाने हेतु एक अद्वितीय परियोजना** के रूप में स्थापित किया गया था। • इसका उद्देश्य **इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स (Indira Gandhi National Centre for the Arts: IGNCA) में एक राष्ट्रीय डिजिटल पांडुलिपि पुस्तकालय** स्थापित करना है। • यह पुस्तक के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी प्रकाशन के माध्यम से इन पांडुलिपियों तक लोगों की पहुंच को प्रोत्साहन देता है।

VISION IAS

सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम (CHYLP)	• इसका उद्देश्य युवाओं के मध्य उचित नेतृत्व गुणों को विकसित करने की दृष्टि से युवाओं के बीच **भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति लगाव को बढ़ावा देना, समझना और विकसित करना है।** • यह पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों की बेहतर समझ हेतु उनसे स्थानीय भाषाओं में बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। • संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन **'सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र'** इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
जतन एवं दर्शक (Jatan and Darshak)	• सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने "जतन" नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो संग्रहालय (म्यूजियम) के अनुभव को क्रन्तिकारी रूप से बेहतर बनाएगा। • इसके अतिरिक्त, दिव्यांग व्यक्तियों के मध्य संग्रहालय यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, C-DAC ने **एक मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन "दर्शक "** विकसित किया है। यह रियल टाइम म्यूजियम आगंतुकों को वस्तु के पास लगे QR कोड को स्कैन करने के माध्यम से वस्तुओं या कलाकृतियों के बारे में समस्त विवरण प्राप्त करना संभव बनाता है।

N IAS

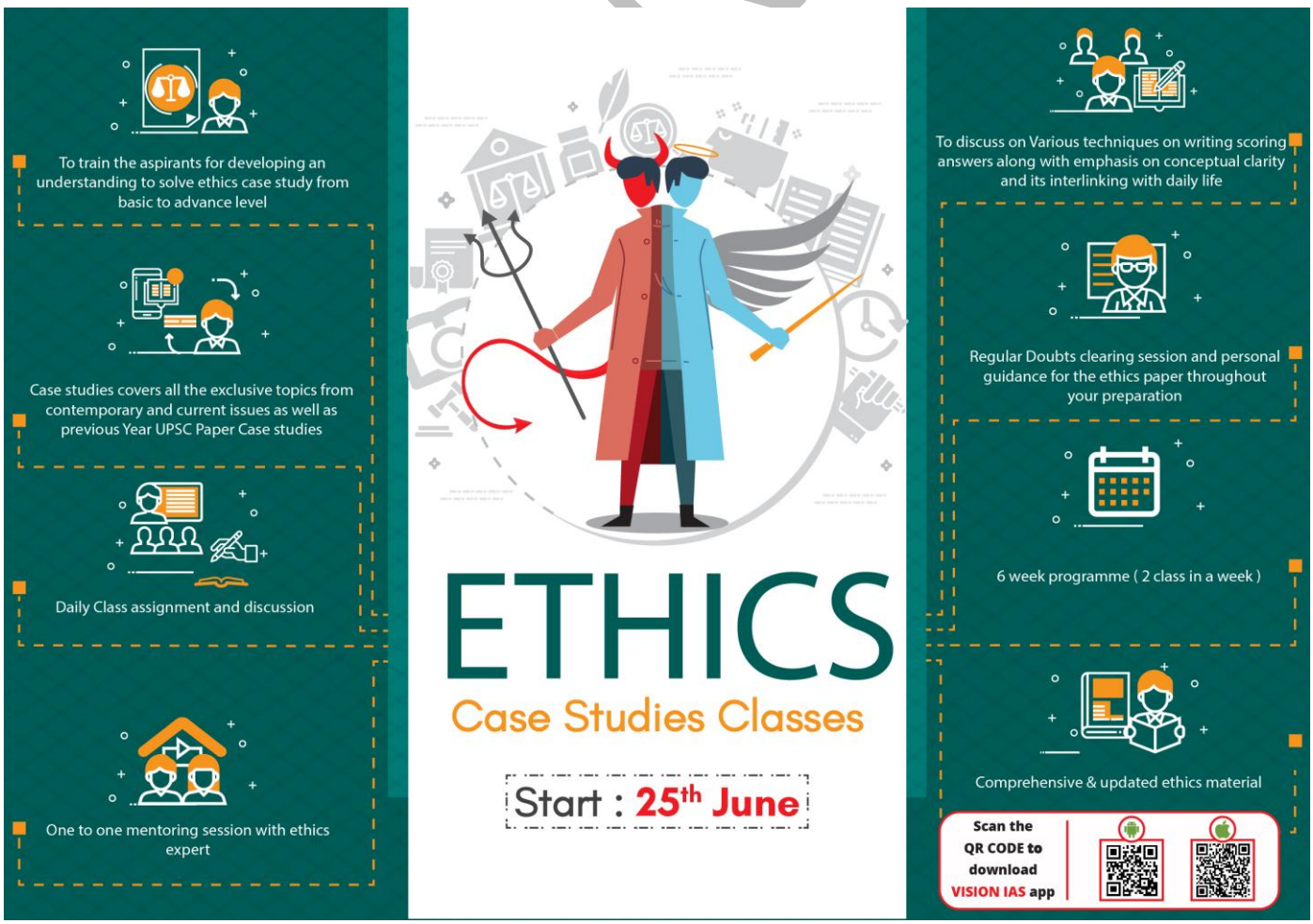

11. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

11.1. वन रैंक वन पेंशन योजना (OROP)

[One Rank One Pension Scheme]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख जो भी हो, समान पेंशन प्रदान करना।	• इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभ 1 जुलाई, 2014 से प्रदान किए जाएंगे। • बकाया राशि का भुगतान **चार अर्ध-वार्षिक किस्तों** में किया जाएगा। हालांकि, युद्ध में **शहीद सैन्य कर्मियों की विधवाओं** सहित सभी विधवाओं को बकाया राशि का **भुगतान एक-मुस्त** किया जाएगा। • सेवा की समान अवधि के साथ एक ही रैंक से सेवानिवृत्त सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन फिर से निर्धारित की जाएगी। यह 2013 में न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन के औसत के रूप में होगी। • स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त कर्मियों को **OROP** योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा। • भविष्य में, पेंशन की राशि प्रत्येक 5 वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी।

11.2. अन्य योजनाएँ (Other Schemes)

योजनाएं	मुख्य विशेषताएं
राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा	• जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के युवाओं हेतु ये शैक्षिक एवं प्रेरणादायी यात्राएं हैं, जिसका उद्देश्य देश की समृद्ध विरासत के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक एवं उद्योग पहलों (जिसका परिचालन हो रहा हो) के बारे में एक दृष्टिकोण प्रदान करना है। • यह भारतीय सेना द्वारा देश भर में **राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे आउटरीच प्रोग्राम** का एक भाग है।
मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति	• रक्षा उत्पादन विभाग ने **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु** इस पहल की शुरूआत की है। • **गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (Directorate General of Quality Assurance :DGQA)** कार्यक्रम का समन्वय एवं क्रियान्वयन कर रहा है। • इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा विनिर्माण परिवेश में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) की संस्कृति को विकसित करना है।
मेक-II योजना	• आवश्यक रक्षा उपकरणों के डिजाइन और विकास के माध्यम से स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देते हुए, रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) में पूंजी अधिग्रहण की 'मेक' श्रेणी का प्रावधान मेक इन इंडिया 'पहल के पीछे निहित दृष्टिकोण को साकार करने हेतु एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। • **मेक-I सरकार द्वारा वित्त पोषित (90%) है, जबकि मेक- II उद्योग द्वारा वित्त पोषित है।** • मेक II के तहत: ○ निजी उद्योग उत्पाद के लिए अनुसंधान को अपने दम पर वित्तपोषित करता है और एक प्रोटोटाइप का विकास करता है। ○ चूकि प्रोटोटाइप के विकास हेतु सरकार द्वारा वित्तीयन नहीं किया जाता है, किन्तु **प्रोटोटाइप के सफल विकास एवं परीक्षणों के पश्चात आदेशों संबंधी आश्वासन दिया जाता है।** ○ संभावित 'मेक-II' परियोजनाओं को मंज़ूरी सचिव (रक्षा उत्पादन) की अध्यक्षता वाली एक समिति के अधीनस्थ एक कॉलेजिएट (collegiate) द्वारा दी जाएगी जिसमें डीआरडीओ, मुख्यालय, रक्षा विभाग शामिल होंगे। ○ तीन करोड़ से कम विकासात्मक लागत वाली परियोजनाएँ सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए आरक्षित होंगी।

VISION IAS

12. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय(Ministry of Development of North Eastern Region)

योजना	विवरण
उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका योजना (NERLP)	• इसे **विश्व बैंक** द्वारा समर्थन प्राप्त है। • संधारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए इस परियोजना में **आजीविका सशक्तिकरण के त्रि-आयामी दृष्टिकोण** होंगे। ये हैं- सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, साझेदारी एवं संबंध। • **परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य** हैं- ○ महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों (SHGs), पुरुषों व महिलाओं के युवा समूहों (YG) एवं सामुदायिक विकास समूहों (CDG) के आसपास **संधारणीय सामुदायिक संस्थानों** का सृजन। ○ सामुदायिक संस्थानों में स्व-शासन, ऊर्ध्वगामी नियोजन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की क्षमता विकसित करना। ○ **आर्थिक एवं आजीविका** के अवसरों को बढ़ाना। ○ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सूक्ष्म वित्त, बाजार संबंध एवं क्षेत्रीय आर्थिक सेवाओं के लिए **सामुदायिक संस्थानों की साझेदारी** विकसित करना।
पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (North East Special Infrastructure Development Scheme: NESIDS)	• यह केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त-पोषित एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसका उद्देश्य मार्च 2020 तक निर्दिष्ट क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सृजन से सम्बंधित अंतराल को पाटना है। • यह योजना व्यापक तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के सृजन को शामिल करेगी: ○ जलापूर्ति, विद्युत, सम्पर्क और विशेषकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित **भौतिक बुनियादी ढांचा**। ○ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे **सामाजिक क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा**। • इस योजना के अंतर्गत कुछ मानकों पर अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों, जैसे- क्षेत्रफल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, सड़क घनत्व आदि के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों के बीच धन वितरित किया जाएगा। • NESIDS पूर्वोत्तर क्षेत्र की **राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के अतिरिक्त एक योजना होगी।** इस योजना के अंतर्गत **केवल उन्हीं परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विचार किया जाएगा**, जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत समर्थित नहीं हैं।
नॉन लैप्सबल सेंट्रल पूल ऑफ़ रिसोर्सेज (NLCPR)	• यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए उनके बजटीय आबंटन के 10% राशि को पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) पर खर्च किए जाने के अनिवार्य प्रावधान के चलते खर्च न की गयी राशि का एक संचय है। 90:10 के फंडिंग पैटर्न के साथ इसे 1997-98 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सृजित किया गया था- ○ बजटीय संसाधनों के लक्षित प्रवाह को बढ़ाकर NER का तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए। ○ संविधान की संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित सामाजिक व भौतिक अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए। • NLCPR (राज्य) योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों की प्राथमिक परियोजनाओं को वित्त-पोषित किया जा रहा है एवं NLCPR-केंद्रीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय व क्षेत्रीय महत्व की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों को फंड प्रदान किया जाता है। • हाल ही में, NLCPR-केंद्रीय के माध्यम से वित्त-पोषित **ट्यूरिअल जलविद्युत परियोजना** (Tuirial Hydro Electric Project) का मिजोरम में उद्घाटन किया गया।

VISION IAS

	• दिसंबर, 2017 में NLCPR योजना के स्थान पर **पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना** (NESIDS) नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के अस्तित्व में आने के बाद, NLCPR के तहत वित्त-पोषण के लिए कोई नई परियोजना स्वकार नहीं की गई है। हालांकि, इस योजना के तहत चल रही परियोजनाओं के लिए वित्त-पोषण उनके समापन के समय तक अर्थात् मार्च, 2020 तक जारी रहेगा।
उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना	• इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उपेक्षित **अंतर्राज्यीय सड़कों (सड़कों पर पुलों सहित) का पुनरूद्धार/निर्माण/उन्नयन** करना है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों के अन्य मानदंड निम्नलिखित प्रकार से हैं: ○ NER की सामाजिक-राजनीतिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों की सड़कें; ○ सुरक्षा या रणनीतिक दृष्टि से आवश्यक वे सड़कें, जो किसी भी अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं; तथा ○ कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से आवश्यक सड़कें एवं आर्थिक अंतर मिटाने के दृष्टिकोण से आर्थिक महत्व की सड़कें। • इस योजना का प्रशासन एवं निगरानी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) के सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से MDoNER द्वारा की जाएगी।
पूर्वोत्तर के लिए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	• इस योजना से **मणिपुर, त्रिपुरा** और **असम** के पहाड़ी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। • इसका उद्देश्य गंभीर अनुसंधान एवं विचार-विमर्श के माध्यम से **अवसंरचना, सड़कों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के मामलों में पहाड़ी एवं घाटी के जिलों के मध्य विद्यमान अंतराल को समाप्त करना है।** • इसका उद्देश्य अपेक्षाकृत कम विकसित पहाड़ी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है और इसे मणिपुर के पहाड़ी जिलों में प्रायोगिक (पायलट) आधार पर आरंभ किया जाएगा। • पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील इन क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों के अनुपूरक के तौर पर निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों को **विशेष केन्द्रीय सहायता** प्रदान की जा रही है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (North Eastern Region Community Resource Management Project: NERCORMP)	• आरंभ में इसे **तीन राज्यों** तथा छह जिलों में संचालित किया गया था, ये हैं: असम (कारबी आंगलोंग एवं नॉर्थ कछार हिल्स), मणिपुर (उखरुल एवं सेनापति) तथा मेघालय (पश्चिम गारो हिल्स एवं पश्चिम खासी हिल्स)। • अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, तिराप एवं लोंगडींग तथा मणिपुर के चंदेल एवं चुराचंदपुर जिलों को सम्मिलित करने के लिए **NERCOMP III का आगे विस्तार किया गया।** • यह पूर्वोत्तर परिषद (NEC), पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) की एक संयुक्त विकासात्मक पहल है। • **प्रमुख परियोजना गतिविधियाँ:** समुदाय एवं भाग लेने वाली एजेंसियों का क्षमता निर्माण, आजीविका गतिविधियां, विस्तार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्रेडिट, सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियां, ग्रामीण सड़कें व ग्रामीण विद्युतीकरण, सामुदाय-आधारित जैव-विविधता संरक्षण, वर्तमान सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण तथा विपणन सहायता।
डिजिटल नॉर्थ ईस्ट: विजन 2022	• **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम** के तहत आरम्भ इस योजना को **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा समन्वित किया जाएगा तथा इसे केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। • इस दस्तावेज़ के तहत **आठ प्रमुख डिजिटल क्षेत्रों** - डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सशक्तीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा, BPOs सहित IT एवं IT सक्षम सेवाओं को प्रोत्साहन, डिजिटल भुगतान, नवाचार एवं स्टार्टअप्स और साइबर सुरक्षा की पहचान की गई है।

VISION IAS

13. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MDWS) [Ministry of Drinking Water and Sanitation (MDWS)]

13.1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)[SBM (G)]

[Swachha Bharat Mission (Gramin) [SBM (G)]

उद्देश्य	रणनीति	घटक
• सफाई व स्वच्छता में सुधार तथा खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना। • 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज को त्वरित करना। • समुदायों तथा पंचायती राज संस्थानों को जागरुकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से संधारणीय स्वच्छता की प्रथाओं व सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना। • पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित तथा संधारणीय स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। • ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक हो, ठोस एवं तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रण कर सामुदायिक रूप से प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास करना। • विशेष रूप से अधिकारहीन समुदायों के बीच स्वच्छता में सुधार करके जेंडर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालना तथा सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना।	• मिशन की रणनीति इसे विशाल जन आंदोलन बनाकर 'स्वच्छ भारत' की तरफ अग्रसर होना है। • SBM (G) के प्रभावी नियोजन तथा कार्यान्वयन के उद्देश्य से, यह प्रस्तावित किया गया है कि हस्तक्षेप हेतु 'जिले' को आधार इकाई माना जाएगा। • प्रत्येक राज्य के कार्यान्वयन ढांचे को कार्यक्रम के लिए आवश्यक निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण चरणों को कवर करने वाली गतिविधियों की रूप-रेखा के साथ तैयार किया जाना चाहिए: ○ **नियोजन** - जिले द्वारा एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायतवार विवरण शामिल होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना में इसे संवीक्षित एवं समेकित किया जाएगा। ○ **कार्यान्वयन** - इसमें पक्ष-समर्थन एवं संवाद, वित्त पोषण तथा शौचालय निर्माण सम्मिलित है। रैपिड एक्शन लर्निंग यूनिट (RALU) की स्थापना भी इसका अंग है। ○ **स्थिरता** - इसमें ODF समुदायों को बनाए रखना तथा उनका सत्यापन सम्मिलित हैं। • राष्ट्रीय/ राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ ग्राम स्तर पर पांच-स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। • कॉरपोरेट हाउस को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के एक अनिवार्य अंग के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।	• **प्रारंभिक गतिविधियां-** इसमें आधारभूत सर्वेक्षणों का अद्यतन, प्रमुख कर्मियों का अभिविन्यास तथा योजना तैयार करना सम्मिलित है। • **IEC** (सूचना, शिक्षा एवं संचार) घटक: SBM-G का मुख्य फोकस **व्यवहार परिवर्तन संबंधी संचार** पर है। यह कोई 'एकल' पृथक गतिविधि नहीं है। सामुदायिक कार्यवाही तथा असहमत अथवा बाहरी लोगों पर शिष्टजनों या भद्रजनों द्वारा दबाव इसका एक मुख्य घटक है। • **क्षमता निर्माण।** • **व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण**- SBM(G) के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु योग्य परिवारों का चयन करते समय, वरीयता का अनुक्रम इस प्रकार होना चहिए - BPL के बाद SC/ST तथा APL परिवार। • **स्वच्छता सामग्री की उपलब्धता-** ग्रामीण स्वच्छता बाजारों (RSM), उत्पादन केंद्रों (PC), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) के माध्यम से। • **जिले में रिवॉल्विंग फंड का सृजन-** यह ध्यान रखना कि दिशानिर्देशों के तहत प्रोत्साहनों में न कवर हुए APL परिवारों की भी इस तक पहुँच हो सके। • **समता एवं समावेश**- इसमें रजोधर्म स्वच्छता प्रबंधन पर विशेष रूप से विद्यालयों में किशोर लड़कियों के बीच जागरुकता तथा कौशल को बढ़ाना सम्मिलित है। • **ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन।**

VISION IAS

		• **प्रशासनिक शुल्क-** राज्यों को आवश्यकतानुसार इस घटक के तहत धन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। • इसका निगरानी तंत्र सामाजिक लेखा-परीक्षा जैसी मजबूत समुदाय आधारित पद्धति का उपयोग करता है। समुदाय-आधारित निगरानी तथा सतर्कता समितियां, अतिरिक्त दबाव बनाने में सहायता करेंगी। • **स्वच्छ भारत के 'फूट सोल्जर्स':** 'फूट सोल्जर्स' अथवा 'स्वच्छग्रहियों' के एक दल जिसे पहले 'स्वच्छता दूत' के नाम से जाना जाता था, को विकसित किया गया है।

स्वच्छता कार्रवाई योजना (SAP)	सभी मंत्रालयों/विभागों को 2017 से अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों में स्वच्छता को एक मूलतत्व के रूप में पेश करना, ताकि उनके तहत वे सभी तथा विभिन्न संस्थान, निगम व कार्यालय, स्वच्छ भारत को प्राप्त करने में योगदान दे सकें।
स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र	बेहतर स्वच्छता तथा वर्धित जागरुकता व स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की एक संयुक्त पहल** है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के तीन प्रमुख घटक हैं: ○ कायाकल्प प्रमाणीकरण (स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के उच्च मानकों के लिए प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के लिए ODF ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) की सहायता की जाएगी। ○ कायाकल्प प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) की ग्राम पंचायत को ODF बनने के लिए प्राथमिकता दी गई। ○ CHC/PHC नामितों को WASH (जल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य-Water, Sanitation and Hygiene) में प्रशिक्षण। • MDWS कायाकल्प पुरस्कार विजेता PHC ग्राम पंचायत में ODF गतिविधियों का संचालन करेगा तथा उन CHC और PHC के नामित को WASH प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल (SWACHH ICONIC PLACES - SIP)	• यह शहरी विकास, पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालयों के साथ साझेदारी में एक पहल है, जिसमें **MDWS नोडल मंत्रालय** है। भारत भर में 100 स्थानों को **उनकी विरासत, धार्मिक तथा/या सांस्कृतिक महत्व के कारण "प्रतिष्ठित (Iconic) स्थल"** के रूप में पहचाना गया है। SIP पहल इन स्थानों पर स्वच्छता की स्थिति को एक सुस्पष्ट उच्च स्तर तक सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। **प्रथम दो चरणों में अब तक 20 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया गया है।** इन सभी 20 प्रतिष्ठित स्थलों ने **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए पीएसयू या निगमों को नियुक्त किया है। मदुरई में श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को देश में सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल घोषित किया गया है।** • 10 नए आइकॉनिक स्थलों को तीसरे चरण के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये हैं- राघवेन्द्रस्वामी मंदिर (कुर्नूल, आंध्र प्रदेश), हजारद्वारी महल (मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल), ब्रह्म सरोवर मंदिर (कुरुक्षेत्र, हरियाणा), विदुरकुटी (बिजनौर, उत्तर प्रदेश), माणा गांव (चमौली, उत्तराखंड), पेंगोंग झील (लेह-लद्दाख, जम्मू और कश्मीर), नागवासुकी मंदिर (इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश), इमा कैथल/बाजार (इम्फाल, मणिपुर), सबरीमाला मंदिर (केरल) और कण्वाश्रम (उत्तराखंड)।

VISION IAS

स्वच्छ शक्ति, 2018	• स्वच्छ भारत के प्रति महिला सरपंचों, स्वच्छाग्रहियों और महिला चैंपियंस के योगदान को मान्यता देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए MDWS द्वारा 2017 में इस पहल की शुरुआत की गई थी। • **पहले स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम** का आयोजन वर्ष 2017 में गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। **दूसरा** स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम अर्थात् **स्वच्छ शक्ति-2018** उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुआ था। **तीसरे** स्वच्छ शक्ति सम्मेलन का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया।
राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (RSK)	• इसकी घोषणा 10 अप्रैल, 2017 को चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी वर्षगाँठ पर की गयी थी। यह राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के सामने स्थित होगा। RSK को स्वच्छता मामलों तथा उन्नत शौचालय प्रौद्योगिकी पर उपलब्ध समस्त जानकारी को लोगों के मध्य प्रसारित करने के उद्देश्य से निर्मित किया जा रहा है।
दरवाजा बंद मीडिया अभियान	• यह व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से MDWS द्वारा एक सशक्त मास मीडिया अभियान है। विश्व बैंक द्वारा 'दरवाज़ा बंद' अभियान को समर्थन प्रदान किया गया है। **यह उन पुरुषों में व्यवहार परिवर्तन को** प्रोत्साहित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, **जिनके पास शौचालय हैं, परन्तु वे उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं।** • हाल ही में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा **'दरवाजा बंद - भाग 2' अभियान** की शुरुआत की गयी। यह देश भर के गांवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने (अर्थात् ODF की संधारणीयता) पर ध्यान केंद्रित करता है।
स्वच्छता ही सेवा अभियान	यह, स्वच्छता पहल **'स्वच्छ भारत मिशन' के प्रचार हेतु पखवाड़े भर चलने वाला स्वच्छता** अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के लिए संगठित करना तथा जन आंदोलन को मजबूत बनाना है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक तथा पर्यटन स्थलों की योजनाबद्ध तरीके से सफाई की जाएगी।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (MGISC)	• MGISC विश्व भर के स्वच्छता मंत्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर एक साथ लाया है। इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अनुभव से प्राप्त अधिगम के साथ-साथ भाग लेने वाले राष्ट्रों द्वारा स्वच्छता की सफलता से संबंधित कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा किया गया। • MGISC के चार दिवसीय सम्मेलन में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल थीं- क्षेत्र दौरा, पूर्ण-सत्र, समानांतर तकनीकी-सत्र और मंत्रिस्तरीय संवाद।
सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान (3 से 10 अप्रैल, 2018)	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने बिहार सरकार के सहयोग से बिहार में 1 सप्ताह (3 से 10 अप्रैल) तक **सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान** आयोजित किया। 10 अप्रैल 2018 को पूर्वी चंपारण में इसका समापन हुआ, जहाँ 20,000 से अधिक स्वच्छाग्रही बिहार में स्वच्छता सम्बन्धी परिवर्तन लाने हेतु एकत्रित हुए थे।
गोबर धन योजना (GOBAR Dhan scheme)	• MDWS ने 30 अप्रैल 2018 को हरियाणा के करनाल में गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन या "गोबर धन" योजना का शुभारंभ किया • इस योजना का उद्देश्य मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक संसाधनों को बायोगैस तथा जैविक खाद में परिवर्तित करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देकर किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करते हुए गांवों को स्वच्छ बनाए रखना है।

13.2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

(National Rural Drinking Water Program)

उद्देश्य	फोकस क्षेत्र	मुख्य विशेषताएं
• **पीने योग्य होने, पर्याप्तता, सुविधा, वहनीयता तथा**	• **पाइपों द्वारा जल आपूर्ति,** • खुले में शौच-मुक्त **(ODF)**	• **यह 2009 में आरंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना (50:50) है।**

VISION IAS

साम्यतापूर्ण वितरण की दृष्टि से पानी की संधारणीय उपलब्धता (स्रोत) को सुनिश्चित करना। • SDG के एक घटक - '**हर घर जल**' को 2030 तक प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त, **यथोचित दूरी के भीतर** सुरक्षित व पर्याप्त पेयजल तक पहुँच। • उन ग्राम पंचायतों को पेयजल सुविधा, विशेषकर पाइप वाली जल आपूर्ति प्रदान करना, जिन्होंने प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्ति प्राप्त कर ली है; • सभी **सरकारी विद्यालयों व आंगनवाड़ियों** में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना; • जानकारी को सार्वजनिक प्रक्षेत्र (डोमेन) में प्रदान करने के साथ **ऑनलाइन सूचना तंत्र के माध्यम से सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करना** ताकि पारदर्शिता तथा सूचित निर्णयन प्राप्त किया जा सके।	**घोषित गांवों, SAGY-GPs** (सांसद आदर्श ग्राम योजना की ग्राम पंचायतों), **गंगा** ग्राम पंचायतों , **एकीकृत कार्य योजना (IAP) वाले जिलों तथा सीमावर्ती चौकियों (BOP)** को पाइप से जल-आपूर्ति के लिए कवर करना तथा जल आपूर्ति-परिसंपत्तियों आदि के उचित परिचालन और रख-रखाव के लिए संस्थागत स्थापना आदि।	• इसे स्थिरता (कार्यक्षमता) पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ परिणाम आधारित एवं प्रतिस्पर्धी बनाने और बेहतर निगरानी हेतु 2017 में **पुनर्गठित किया गया**। • इस पुनर्गठित योजना ने **राज्यों को विभिन्न घटकों के तहत निधि जारी करने के लिए और अधिक लोचशीलता** प्रदान की है। • **इस योजना को** 14वें वित्त आयोग चक्र अर्थात 2017-18 से 2019-20 **के साथ-साथ जारी रखा जाएगा।** • निधियों को उत्तर-पूर्वी राज्यों, मरुभूमि विकास कार्यक्रम (DDP), राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्राकृतिक आपदाओं के तहत सहायता प्रदान करने, रासायनिक रूप से प्रदूषित एवं प्रभावित गुणवत्ता वाले आवासीय क्षेत्रों वाले राज्यों को गुणवत्तापूर्ण जल के आवंटन तथा जीवाणु संदूषण वाले जापानी इन्सेफेलाइटिस (JE)/ एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के लिए निर्धारित किया गया है। • मार्च 2021 तक देश के लगभग 28,000 प्रभावित निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए **आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन (NWQSM)** का शुभारंभ किया गया है।

जलमणि कार्यक्रम	इस कार्यक्रम के तहत 2008 से **ग्रामीण विद्यालयों में स्टैंड अलोन जल शोधन प्रणाली** की स्थापना की जा रही है। इसमें जल शोधन प्रणाली का स्वामित्व विद्यालय अधिकारियों के पास होता है, जबकि इस कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्य सरकारों द्वारा धन ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है।
स्वजल	• यह सामुदायिक मांग द्वारा संचालित, विकेन्द्रीकृत, एकल ग्रामीण और मुख्यतः सौर ऊर्जा से संचालित एक मिनी पाइप्ड वाटर सप्लाई (PWS) कार्यक्रम है। इसे नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षी जिलों के लिए प्रारम्भ किया गया है। • ग्रामीण समुदायों और राज्य क्षेत्रक एजेंसियों के साथ साझेदारी में ग्राम पंचायतों को इस योजना के निष्पादन हेतु शामिल किया जाएगा तथा ये इस योजना का संचालन और देख-रेख भी करेंगी। **यह कार्यक्रम ODF स्थिति को भी बनाए रखेगा।** • इस योजना के तहत स्वजल इकाइयों के संचालन और रखरखाव के लिए सैकड़ों ग्रामीण तकनीशियनों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

VISION IAS

14. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences)

14.1. राष्ट्रीय मानसून मिशन (द्वितीय चरण 2017-2020)

National Monsoon Mission (Phase II 2017-2020)

उद्देश्य	भाग लेने वाले संस्थान	विशेषताएं
• मौसमी तथा अंतर-मौसमी मानसून पूर्वानुमानों में सुधार • मध्यम अवधि पूर्वानुमानों में सुधार • समय के अलग-अलग सभी पैमानों के लिए अर्थात् छोटी अवधि से लेकर मौसमी अवधि तक, **मानसून वर्षा के लिए अत्याधुनिक गतिशील पूर्वानुमान तंत्र** का विकास।	• **पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान** (IITM), मौसमी तथा अंतर-मौसमी पैमानों पर पूर्वानुमानों को सुधारने के प्रयासों का समन्वय एवं नेतृत्व करेगा। • नोएडा में स्थित **राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र** (NCMRWF), मध्यम अवधि के पैमाने से दो सप्ताह तक के पूर्वानुमानों में सुधार लाने के प्रयासों का नेतृत्व एवं समन्वय करेगा। • इन्हें **भारत मौसम विज्ञान विभाग** (IMD), नई दिल्ली द्वारा परिचालित कराया जाएगा।	• लंबी अवधि के पूर्वानुमानों (एक ऋतू तक) के लिए, **जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (CFS)** नामक अमेरिकी मॉडल का उपयोग किया जाता है, जो कि एक **युग्मित-महासागर पूर्वानुमान प्रणाली** है अर्थात् यह महासागर, वातावरण तथा भूमि से लिए गये आंकड़ों को जोड़ती है। • लघु से मध्यम अवधि तक (20 दिनों तक) के पूर्वानुमानों के लिए यूके द्वारा विकसित **एकीकृत मॉडल (UM)** का उपयोग किया जाता है। • इस मिशन के पहले चरण में, IMD **हाई रेजोल्यूशन-कपल्ड डायनैमिकल प्रेडिक्शन सिस्टम** (मौसमी तथा विस्तारित समय पैमाने के लिए) को विकसित करने में सक्षम रहा था। **IMD ने पहली बार मानसून मिशन गतिशील मॉडल का उपयोग भारत में 2017 की मानसून वर्षा के सम्बन्ध में प्रचालनात्मक (ऑपरेशनल) मौसमी पूर्वानुमान को तैयार करने के लिए किया था।** • मंत्रालय ने अब **अगले 3 वर्षों (2017-2020) के लिए मानसून मिशन कार्यक्रम के द्वितीय चरण** का शुभारंभ किया है जिसमें मानसून की चरम सीमाओं के पूर्वानुमान पर तथा मानसून के पूर्वानुमानों पर आधारित अनुप्रयोगों के विकास पर बल दिया गया है।

14.2. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

SAFAR	• विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा **वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research -SAFAR)** का शुभारम्भ किया गया।
महासागर सेवाएं, प्रौद्योगिकी, अवलोकन, संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान (ओसन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ऑब्जरवेशन, रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस: O-SMART)"	• इस योजना में महासागर विकास गतिविधियों, जैसे- सागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, संसाधनों, अवलोकनों और विज्ञान से संबंधित 16 उप-परियोजनाएं शामिल हैं। • O-SMART के कार्यान्वयन से सतत विकास लक्ष्य (SDG)- 14 से जुड़े मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि SDG-14 का उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग और उन्हें संरक्षित करना है। • यह योजना ब्लू इकॉनमी के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी आधार भी प्रदान करती है।

VISION IAS

डीप ओशन मिशन	• इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन की संभावनाओं के लिए महासागर के गहरे क्षेत्रों का अन्वेषण करना है। • अन्य पक्षों के साथ ही इसका मुख्य ध्यान गहरे समुद्र में खनन हेतु प्रौद्योगिकियों, अंडर वाटर वाहनों, अंडर वाटर रोबोटिक्स और महासागरीय जलवायु परिवर्तन संबंधी सलाहकारी सेवाओं पर होगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य विवरण निम्नानुसार है: ○ अपतटीय ज्वारीय ऊर्जा विलवणीकरण संयंत्र, जो ज्वारीय ऊर्जा से संचालित होगा। ○ पानी के नीचे जा सकने वाले एक ऐसे वाहन का विकास करना जो तीन लोगों के साथ कम-से-कम 6,000 मीटर की गहराई तक अन्वेषण कर सके।

15. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & IT)

15.1. डिजिटल इंडिया

(Digital India)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना।	• **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित तीन मुख्य दृष्टिकोणों पर आधारित है:** प्रत्येक नागरिक को एक यूटिलिटी (utility) के तौर पर डिजिटल अवसरचना; मांग आधारित गवर्नेंस और सेवाएं; एवं डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक। • **इसका उद्देश्य विकास क्षेत्रों के उन नौ स्तंभों पर अधिक बल देना है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, नामतः** ब्रॉडबैंड हाई-वे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौम पहुँच,सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार करना, ई-क्रान्ति: NeGP 2.0, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए IT, और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। • ई-गवर्नेंस से संबद्ध परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जहां भी संभव हो, **सार्वजनिक निजी भागीदारी** को प्राथमिकता दी जाएगी। • डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन हेतु इसके कार्यक्रम प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित शामिल होंगे: **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली डिजिटल इंडिया निगरानी समिति, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति (Apex Committee)।** • कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में **मुख्य सूचना अधिकारी (CIO)** के पद का सृजन किया जाएगा, ताकि ई-गवर्नेंस की विभिन्न परियोजनाओं का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन हो सके। • देश के प्रत्येक कोने में डिजिटल इंडिया का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से 2.5 लाख से अधिक **कॉमन सर्विसेज सेंटरों** का एक विशाल नेटवर्क सृजित किया गया है। इसने भारत के गरीबों, सीमांत लोगों, दलितों और महिलाओं के मध्य डिजिटल उद्यमियों का विकास किया है।

15.2. जीवन प्रमाण

(Jeevan Pramaan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की ऑन-लाइन सुविधा उपलब्ध कराना; तथा • **जीवन प्रमाण** पत्र पाने की प्रक्रिया को आसान और बाधा रहित बनाना।	• केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशन भोगी।	• यह पेंशनभोगियों के लिए आधार बॉयोमीट्रिक प्रमाणन आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificates: DLCs) है। • CSCs, बैंकों, सरकारी कार्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न जीवन प्रमाण केंद्रों के माध्यम से DLC प्राप्त किया जा सकता है, अथवा PC/मोबाइल/टैबलेट पर क्लाइंट (ग्राहक) एप्लिकेशन का उपयोग करके भी इसे (DLC) प्राप्त किया जा सकता है। • इस डिजिटल प्रमाणन से पेंशनभोगियों के लिए यह अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी जिसमें उन्हें प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में स्वयं जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता है, ताकि उनके खाते में पेंशन की राशि आने का क्रम जारी रहे।

VISION IAS

15.3 प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

(Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• 31 मार्च 2019 तक पात्र परिवारों से एक सदस्य को शामिल करके लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक पहुंच स्थापित करते हुए **6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर** बनाना।	• **14 से 60 वर्ष** के आयु समूह के भारतीय नागरिक। • इसमें निम्नलिखित को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी: नॉन-स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता, अंत्योदय परिवार, कॉलेज छोड़ने वाले, व्यस्क साक्षरता मिशन के भागीदार तथा कक्षा 9-12 के वैसे डिजिटल रूप से असाक्षर स्कूली छात्र जिनके स्कूल में कंप्यूटर/ICT प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हैं।	• यह नागरिकों को कंप्यूटर अथवा डिजिटल उपकरणों को संचालित करने में सशक्त बनाएगा। इस प्रकार यह उन्हें IT तथा इससे संबद्ध सेवाओं, **विशेष रूप से डिजिटल भुगतान** के लिए सशक्त बनाएगा। • इसका लक्ष्य ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें हाशिये पर स्थित वर्ग (SC, ST, BPL, महिलाएं, नि:शक्तजन और अल्पसंख्यक) शामिल हैं, उन्हें लक्षित करके **डिजिटल डिवाइड (अंतराल) को कम करना** है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)। • जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी, ग्राम पंचायतों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से CSC-SPV द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।

15.4 साइबर स्वच्छता केन्द्र (CSK)

(Cyber Swachhta Kendra-CSK)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• बॉटनेट/मालवेयर के खतरों के बारे में सूचना प्रदान कर और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देकर डिजिटल इंडिया के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना।	• इसे **बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर** के नाम से भी जाना जाता है।यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के प्रावधानों के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी टीम (CERT-In) द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। • इसे 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति' के उद्देश्यों के मद्देनजर स्थापित किया गया है। यह नीति देश में एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिक तंत्र के सृजन की परिकल्पना करती है। • यह केंद्र, दूरसंचार विभाग, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स: ISPs), एंटीवायरस कंपनियों और उद्योगों के साथ समन्वय कर कार्य करता है। • यह बॉटनेट एवं मालवेयर संक्रमण के संबंध में नागरिकों के बीच जागरुकता को भी बढ़ाएगा और साथ ही नागरिकों के उपकरणों को सुरक्षित करने के उपायों की जानकारी प्रदान करेगा।

CSK के अंतर्गत प्रदत्त टूल्स	प्रकार्य
M कवच	• यह एंड्रॉइड **मोबाइल उपकरणों से संबंधित** विभिन्न खतरों को दूर करने के लिए स्वदेश में विकसित एक **व्यापक सुरक्षा** समाधान है।

VISION

USB प्रतिरोध	• यह USB, मेमरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसे **विभिन्न एक्सटर्नल स्टोरेज (बाह्य संग्रह) डिवाइस** को साफ करने में सहयोगी एक USB रक्षक है।.
AppSamvid (एप्पसंविद)	• यह एक प्रकार का डेस्कटॉप समाधान है, जो **व्हाइट लिस्टिंग के माध्यम से वास्तविक एप्लीकेशन को इन्स्टॉल करने की अनुमति देकर सिस्टम की सुरक्षा** करता है।

15.5. भारत BPO संवर्द्धन योजना

(India BPO Promotion Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• IT / IT सक्षम सेवा (ITES) उद्योग को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना, विशेष रूप से BPO की स्थापना कर अथवा ITES संचालनों के माध्यम से ।	• इसका उद्देश्य 31.03.2019 तक 493 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) के रूप में 1 लाख रुपया प्रति सीट की वित्तीय सहायता के साथ राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में राज्यों के मध्य वितरित 48,300 सीटों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। • पूंजीगत व्यय और/या परिचालन व्यय हेतु कुल व्यय के 50% तक (अधिकतम 1 लाख रुपया प्रति सीट) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। • महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को नियोजित करने तथा लक्ष्य से परे जाकर रोजगार सृजन करने एवं राज्य के भीतर इनके व्यापक प्रसार के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं। • इसमें स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा पहाड़ी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष विचारण भी शामिल है। • **बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, एनसीआर दिल्ली और पुणे** जैसे महानगरों को इस योजना से बाहर रखा गया है। • **कार्यान्वयन एजेंसी- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (STPI)**। यह MeitY के तहत एक स्वायत्त संस्था है।

पूर्वोत्तर BPO प्रोत्साहन योजना	• इस योजना को 31 मार्च, 2019 तक 50 करोड़ की लागत से पूर्वोत्तर में BPO/ITES ऑपरेशन्स की 5000 सीटों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए 'डिजिटल भारत' कार्यक्रम के अंतर्गत आरम्भ किया गया था। इसे STPI द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • यह परियोजना कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रोत्साहन राशि तथा रोज़गार प्रदान करने में विविधता तथा समावेशन एवं महिलाओं, दिव्यांग-जनों आदि को रोज़गार उपलब्ध कराने पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराती है।

15.6. राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग अभियान

(National Supercomputing Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारत को सुपर कम्प्यूटिंग में विश्व के अग्रणी देशों में एक बनाना, तथा भारत को राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों को सुलझाने में सक्षम बनाना। • वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा हासिल करना तथा सुपरकम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकी के रणनीतिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता सुनिश्चित करना।	• इस अभियान को **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), बंगलुरु नामक दो एजेंसियों के माध्यम से संयुक्त रूप से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY) द्वारा कार्यान्वित** किया जाएगा। • इस अभियान के अंतर्गत 70 उच्च क्षमता युक्त कंप्यूटिंग सुविधाओं वाली एक विशाल सुपरकम्प्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर पूरे देश में फैले हमारे राष्ट्रीय अकादमिक तथा शोध और विकास संस्थानों को और अधिक सक्षम बनाने पर विचार किया जा रहा है। • इन सुपरकम्प्यूटरों को नेशनल नॉलेज नेटवर्क (इसी मंत्रालय के अंतर्गत अकादमिक संस्थानों तथा शोध और विकास प्रयोगशालाओं को तीव्र-गति वाला

VISION IAS

	नेटवर्क प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम) पर राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग ग्रिड से भी जोड़ा जाएगा। • इस अभियान में उच्च निष्पादन-क्षमता युक्त कम्प्यूटिंग (HPC) से सुपरिचित अत्यधिक पेशेवर मानव संसाधन का विकास करना भी सम्मिलित है।

15.7. स्त्री स्वाभिमान

(Stree Swabhiman)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• सम्पूर्ण समाज को वृहत स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण करना ताकि वे अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC's) के माध्यम से न केवल सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएं बल्कि महिलाओं को इस सामाजिक वर्जना से बाहर निकलने हेतु शिक्षित कर सकें तथा सैनिटरी पैडों के उपयोग को प्रोत्साहन भी दे सकें।	ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी महिला उद्यमी	• इस परियोजना के अंतर्गत पूरे भारत में, ख़ास तौर से महिला उद्यमियों द्वारा संचालित CSC's पर, छोटी **सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाइयां (अर्द्ध-स्वचालित एवं हाथ से चलाई जाने वाली उत्पादन इकाई)** स्थापित की जा रही हैं। • इस उत्पाद (सैनिटरी नैपकिन) को **'स्वाभिमान ब्रांड'** के नाम से बेचा जाएगा तथा संगठन ग्रामीण स्तर की उद्यमियों (VLE's) तथा SHG समूहों की सहायता से सैनिटरी नैपकिन को अनुदानित दर पर बेचने के लिए व्यापार संबंधी लाइसेंस प्राप्त करेगा। • इसमें मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता जागरुकता सृजन से जुड़ा हुआ घटक भी सम्मिलित है तथा इसका उद्देश्य 7वीं से 12वीं तक की 1000 छात्राओं को उनके ग्राम के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराते हुए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ावा देना है। • CSC SPV देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए वित्त की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा।

15.8. इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (EDF)

(Electronics Development Fund: EDF)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• डिजिटल भारत योजना में परिकल्पित - 2020 तक "सकल शून्य आयात" का लक्ष्य प्राप्त करना।	• इसे व्यावसायिक रूप से प्रबंधित "डॉटर फ़ंड्स" का समर्थन करने हेतु **"फ़ंड ऑफ़ फ़ंड्स "** के रूप में स्थापित किया गया है। बदले में डॉटर फ़ंड्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी, सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूँजी प्राप्त हो सकेगी। • EDF शोध तथा विकास के लिए **उद्यम निधि (venture funds), एंजेल फंड्स तथा प्रारंभिक निधि को आकर्षित** करने में सहायता करेगा तथा विशिष्ट क्षेत्रों में नवोन्मेष को आकर्षित करने में सहायता करेगा । • इससे **डॉटर फ़ंड्स तथा फ़ंड मैनेजर्स (निधि प्रबंधकों) की पूरी श्रृंखला** का निर्माण हो सकेगा जो अच्छे स्टार्ट-अप्स (संभावित विजेताओं) का पता लगा कर व्यावसायिक पैमानों पर उनका चयन कर पाएंगे। • कैनबैंक उद्यम पूँजी निधि लिमिटेड (CANBANK Venture Capital Funds Ltd.-CVCFL) EDF का निधि प्रबन्धक है।

VISION IAS

15.9. संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन लाभ पैकेज योजना

(Modified Special Incentive Package Scheme: M-SIPS)

उद्देश्य	पात्रता	प्रमुख विशेषताएं
• अक्षमता को हटा कर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करना	यह योजना नवीन तथा विस्तारक, दोनों ही प्रकार की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।	• यह योजना SEZ में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में **संलग्न इकाइयों को 20% पूँजी अनुदान (गैर-SEZ में 25%)** प्रदान करती है। • यह गैर-SEZ इकाइयों के लिए पूंजीगत उपकरणों की काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) / उत्पाद कर की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराती है। • कुछ अधिक निवेश वाली योजनाओं यथा fabs के लिए यह केन्द्रीय करों तथा सीमा शुल्कों की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करती है। • इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली इकाई इस बात का शपथ पत्र प्रदान करेगी कि वह कम से कम 3 वर्षों तक व्यावसायिक उत्पादन में बनी रहेगी।

15.10. भारत इंटरफेस फॉर मनी

(Bharat Interface for Money : BHIM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• मोबाइल फोन के माध्यम से तीव्र, सुरक्षित व भरोसेमंद गैर-नकदी भुगतान संभव बनाना।	• यह **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** का उपयोग कर भुगतान को सुगम, सरल तथा तीव्र बनाने वाला एक ऐप है। यह **बैंक से बैंक को किये जाने वाले त्वरित भुगतान** को संभव बनाता है तथा मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और IFSC कोड, आधार संख्या या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का प्रयोग कर पैसा प्राप्त करता है। • इसे RBI के मार्गदर्शन के अंतर्गत भारत में खुदरा भुगतान प्रणालियों को उपलब्ध कराने वाली एक गैर-लाभकारी कंपनी **'भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)'** द्वारा विकसित किया गया है। • इसे अन्य UPI ऐप्स तथा बैंक खातों के साथ भी संचालित किया जा सकता है। • कोई भी भारतीय नागरिक बायोमीट्रिक रीडर युक्त स्मार्ट फोन जैसे किसी व्यापारी के बायोमीट्रिक-युक्त उपकरण पर अपने बायोमीट्रिक आंकड़ों यथा अपने अंगूठे के निशान का उपयोग कर डिजिटल रूप से भुगतान कर सकता है। प्रयोक्ताओं के पास आधार से संबद्ध एक बैंक खाता तथा मोबाइल नंबर /क्रेडिट/डेबिट कार्ड होना चाहिए। कोई भी नागरिक फोन, इंटरनेट या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के बिना भी **BHIM आधार प्लेटफॉर्म** का उपयोग कर डिजिटल रूप से वित्तीय लेन-देन कर सकता है।

15.11. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना

(Software Technology Park Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• संचार संपर्कों (communication links) या भौतिक माध्यमों का उपयोग करते हुए व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात समेत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के लिए	• प्रथम सॉफ्टवेयर नीति, 1986 में प्रस्तुत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP) योजना आरम्भ की गई थी। • यह शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना है जिसमें **100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU)**, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZ) तथा साइंस पार्कों / टेक्नोलॉजी पार्कों को एकीकृत किया जाता है। • यह विशिष्ट प्रकृति का है क्योंकि यह केवल एक उत्पाद/क्षेत्रक, अर्थात् कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर बल देता है। • इसकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: ○ सदस्य इकाइयों के लिए एकल-बिंदु संपर्क सेवाओं की व्यवस्था। ○ कोई कंपनी भारत में कहीं भी STP इकाई स्थापित कर सकती है। ○ 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति। ○ STP इकाइयों में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के सभी आयात पूरी तरह कर मुक्त होते हैं। साथ ही, सेकेंड हैंड पूंजीगत माल के आयात की भी अनुमति है। ○ पूंजीगत माल के पुनः निर्यात की भी अनुमति है। ○ घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डोमेस्टिक टैरिफ एरिया : DTA) में निर्यात के 50 प्रतिशत मूल्य तक की बिक्री की अनुमति होगी।

VISION IAS

15.12 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	विशेषता
डिजिशाला	• यह एक फ्री-टू-एयर चैनल है इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नोटबंदी-उपरांत **नकदी रहित लेन-देन** को प्रोत्साहित करना है। • इसे **'डिजीधन' अभियान** के हिस्से के रूप में आरंभ किया गया था जिसका लक्ष्य डिजिटल संव्यवहार (लेन-देन) संबंधी जागरुकता फैलाना है।
साइबर सुरक्षित भारत पहल	• इसे 'डिजिटल इंडिया' के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तथा भारत में साइबर सुरक्षा पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) और उद्योग जगत के भागीदारों के सहयोग से MeitY द्वारा लॉन्च किया गया है। • यह अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी साझेदारी है एवं यह साइबर सुरक्षा में आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। • इसके संस्थापक साझेदारों में आईटी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो आदि सम्मिलित हैं। इसके *नॉलेज पार्टनर्स* में Cert-In, NIC, NASSCOM तथा कंसल्टेंसी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां Deloitte और EY आदि हैं। • इसका संचालन **जागरुकता, शिक्षा एवं सक्षमता** के तीन सिद्धांतों पर किया जाएगा। • इसका लक्ष्य सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) एवं अग्रिम पंक्ति के आईटी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण करना एवं साइबर अपराध के बारे में जागरुकता का प्रसार करना है।
ई-संपर्क	• इसका लक्ष्य **अभियानों का डिजिटलीकरण कर अग्रसक्रिय संचार स्थापित** करना है तथा मेल, आउटबाउंड डायलिंग एवं एसएमएस अभियानों के माध्यम से सरकार को सीधे **भारत भर के नागरिकों से जोड़ना** है। • यह नोडल अधिकारियों, प्रतिनिधियों और नागरिकों के संपर्कों का एक डेटाबेस का भी प्रबंध करता है जिसे समय-समय पर अद्धतन किया जाता है।
ई-अपशिष्ट जागरुकता कार्यक्रम	• इसका लक्ष्य वर्कशॉप/सेमिनारों के निर्माण के लिए MeitY समुदाय, अकादमिक संस्थाओं, उद्योग संघों और व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और ई-अपशिष्ट के कुप्रभावों पर व्यापक जागरुकता प्रसार हेतु अभियान सामग्री का निर्माण करना है।
राष्ट्रव्यापी हैकेथॉन #OpenGovDataHack	• इसे NIC और IAMAI द्वारा स्टार्टअप इको सिस्टम (पारितंत्र) विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया जायेगा। • इसका उद्देश्य भारत के आंतरिक भागों (अर्थात् विभिन्न राज्यों/शहरों) तक पहुँच स्थापित कर संभावित असाधारण विचारों/प्रतिभा को समर्थन प्रदान करना और सामने लाना है।
सेवा के रूप में सुरक्षित (SECURE), मापनीय (SCALABLE) और सुगम्य वेबसाइट (S3WAAS)	• यह एक वेबसाइट निर्माण तथा परिचालन उत्पाद है जिसे NIC के राष्ट्रीय क्लाउड पर होस्ट किया गया है। • यह कस्टमाइज़ किए जा सकने की उच्च क्षमता वाले टेम्पलेट का प्रयोग कर सुरक्षित वेबसाइट बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध कराएगी। इन वेबसाइटों को स्केलेबल सॉफ्टवेर द्वारा परिभाषित अवसंरचना पर निर्बाध रूप से परिनियोजित किया जा सकता है।
GI क्लाउड – मेघराज	• इसका लक्ष्य **क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग करना** एवं उन्हें काम में लाना है, जिसमें सरकार के ICT के व्यय को अनुकूलित बनाते हुए देश में **ई-सेवाओं के वितरण में तेजी लाने पर ध्यान** केंद्रित किया गया है। • GI क्लाउड की वास्तुशिल्प की परिकल्पना में मौजूदा या नए (उन्नत) अवसंरचना पर निर्मित कई स्थानों पर फैले अलग-अलग क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक समुच्चय सम्मिलत है जो भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य प्रोटोकॉलों, दिशा-निर्देशों और मानकों के समुच्चय का अनुपालन करता है।
डिजीलॉकर	• यह डिजिटल रूप से **दस्तावेज और प्रमाण पत्र जारी करने और उनका सत्यापन करने का एक मंच** है, इस प्रकार यह कागज-रहित शासन को बढ़ावा देता है। • डिजीलॉकर खाते के लिए साइन-अप करने वाले भारतीय नागरिकों को उनके **आधार (यूआईडीएआई) नंबर से जुड़ा** एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रदान किया जाता है।

VISION IAS

	• डिजिटल लॉकर के साथ पंजीकृत संस्थाएं दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल प्रमाणपत्र) की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ सीधे नागरिक लॉकर में डाली सकती हैं। • नागरिक अपने खातों में अपनी वसीयत (विरासत) के दस्तावेजों की स्कैन की गयी प्रतियां भी अपलोड कर सकते हैं जिन्हें ई-साइन सुविधा का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है।
ई-ताल	• यह मिशन मोड प्रोजेक्ट्स सहित **राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के ई-संव्यवहारों के आंकड़ों के लगभग रियल-टाइम प्रसार के लिए एक वेब-पोर्टल** है।
उमंग (Unified Mobile Application for New-age Governance : UMANG)	• भारत में मोबाइल गवर्नेंस के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और राष्ट्रीय ई-शासन विभाग (NeGD) द्वारा **यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस** (UMANG) विकसित किया गया है। • यह केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों की अन्य उपयोगिता सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं प्रदान करता है। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है जहां नागरिक कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक ही एप्लीकेशन इंस्टाल कर सकते हैं। • इसकी सेवाएं कई चैनल पर उपलब्ध कर दी गयी हैं जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, वेब, आईवीआर और एसएमएस जिन्हें स्मार्टफ़ोन, फीचर फ़ोन, टेबलेट और डेस्कटॉप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (NIC-CERT) (National Information Centre-Computer Emergency Response Team)	• यह सरकार के सभी स्तरों तथा सरकार एवं नागरिकों के मध्य होने वाले संचार सहित NIC प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध आंकड़ों की निगरानी कर साइबर हमलों का पता लगाने, उनकी रोकथाम व शमन करने हेतु एक समर्पित निकाय है।
प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा	• इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट तथा डाटा सिक्यूरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DSCI) ने **साइबर सुरक्षा के उपयुक्त क्षेत्र में इंजीनीयरिंग स्नातक महिलाओं को कौशल प्रदान करने हेतु** प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा का शुभारंभ किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना	• इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) तथा सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (IT/ITES) के क्षेत्र में पीएचडी धारकों की संख्या में वृद्धि करना है। • यह अन्य पीएचडी योजनाओं की तुलना में **25% अधिक फ़ेलोशिप राशि** प्रदान करती है। • यह योजना प्रयोगशालाओं के निर्माण और उन्नयन हेतु शिक्षण संस्थाओं को **प्रति उम्मीदवार 5,00,000 रुपये तक का अवसंरचनात्मक अनुदान** भी प्रदान करती है।
"भारत के लिए संकल्प - प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान" (Ideate for India - Creative Solutions using Technology)	• इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **विद्यालयी छात्रों (कक्षा 6-12) को समस्याओं का समाधानकर्ता बनने का एक अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ** "भारत के लिए संकल्प - प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान" नामक एक नेशनल चैलेंज का शुभारंभ किया है। • इस चैलेंज को MeitY के नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) द्वारा इंटेल इंडिया के सहयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के समर्थन से डिजाईन किया गया है।

VISION IAS

16. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

16.1. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC)

[National Action Plan on Climate Change (NAPCC)]

उद्देश्य	मिशन	विशेषताएं
• एक ऐसा सतत विकास मार्ग प्राप्त करना जो आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाता है। • पेरिस समझौते के तहत UNFCCC इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रिब्यूशन (INDC) को पूरा करना। • जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील, समावेशी और सतत विकास रणनीति के माध्यम से समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों की सुरक्षा करना। • कुशल और लागत प्रभावी रणनीतियों का निर्माण करना।	इसके अंतर्गत शामिल मिशन हैं: 1. **राष्ट्रीय सौर मिशन** (नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अंतर्गत) 2. **परिष्कृत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन** (विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत) 3. **सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन** (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत) 4. **राष्ट्रीय जल मिशन** (जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (MoWR) के अंतर्गत) 5. **सतत हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन** (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoS&T) के अंतर्गत) 6. **हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत)** 7. **सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन** (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत) 8. **जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन** (MoS&T के अंतर्गत	• यह **जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद द्वारा तैयार** एक नीति दस्तावेज है। NAPCC निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया होता है- • **संरक्षण-** समावेशी विकास रणनीति के माध्यम से समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों का संरक्षण। • **राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करना-** पारिस्थितिकीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाले गुणात्मक परिवर्तन और आर्थिक दिशा के माध्यम से **मांग पक्ष प्रबंधन** • **बेहतर प्रौद्योगिकी-** जो शमन या अनुकूलन के पहलुओं को देखती है, • **बाजार प्रणाली-** जो सतत विकास को पुरस्कृत करती है, • **समावेशिता-** जो नागरिक समाज और स्थानीय सरकारी संस्थानों के साथ सम्बद्धता स्थापित करती है • जलवायु परिवर्तन से जोखिम वाले अधिकांश क्षेत्रों जैसे जल और कृषि आदि का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। इसलिए सभी राज्यों को एक **SAPCC** का विकास करना है जो अपनी विशिष्ट सुभेद्यताओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन करे। • भारत सरकार देश भर में सुभेद्य क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए एक समर्थित **नेशनल एडाप्टेशन फण्ड फॉर क्लाइमेट चेंज (NAFCC)** भी स्थापित कर रही है।

हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (GIM)	• यह NAPCC के अंतर्गत 8 मिशनों में से एक है जिसका क्रियान्वयन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर रहा है। मिशन **सार्वजनिक और निजी दोनों** भूमियों का उपयोग करता है और नियोजन, निर्णय लेने एवं निगरानी आदि में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करता है। हरित भारत मिशन के लक्ष्य हैं: • **वन/वृक्ष आवरण** को 5 मिलियन हेक्टेयर (mha) तक **बढ़ाना** और अन्य 5 mha वन/गैर-वन भूमि के वन/वृक्ष आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना; • **कार्बन प्रच्छादन और भंडारण** (वनों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में), जलविद्युत सेवाओं एवं जैव विविधता जैसी **पारिस्थितिकी सेवाओं** के साथ ईंधन, चारा, काष्ठ और गैर-काष्ठ वन उत्पादन (NTFPs) जैसी

VISION IAS

	प्रोविजनिंग सेवाओं में सुधार/वृद्धि करना तथा • लगभग 3 मिलियन परिवारों की **वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि** करना।

फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों में जलवायु सुदृढ़ता निर्माण (Climate Resilience Building Among Farmers Through Crop Residue Management)	• यह **NAFCC के अंतर्गत** जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संचालन समिति (पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) के द्वारा अनुमोदित एक **क्षेत्रीय परियोजना** है। • परियोजना का लक्ष्य **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना** और **अनुकूलन क्षमता में वृद्धि करना** तथा **पराली जलाने** से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों से निपटना भी है। • परियोजना **चरणबद्ध दृष्टिकोण** के अनुसार लागू की जाएगी। परियोजना के प्रथम चरण को लगभग 100 करोड़ रु की लागत के साथ **पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान** राज्यों के लिए अनुमोदित किया गया है। • किसानों द्वारा वैकल्पिक व्यवहारों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **जागरुकता सृजन और क्षमता निर्माण** गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। इससे किसानों के आजीविका विकल्पों के विविधिकरण में सहायता मिलेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। • मौजूदा मशीनों के प्रभावी उपयोग के अतिरिक्त फसल अवशेषों का समय पर प्रबंधन करने हेतु **तकनीकी उपाय** किए जाएंगे। • सफल पहलों और नवाचारी पहलों को बढ़ाते (upscaling) हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने योग्य और सतत उद्यमिता मॉडलों का सृजन किया जाएगा। • प्रथम चरण के कार्य निष्पादन के आधार पर, इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है और अन्य गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है।

16.2. सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट

(Secure Himalaya Project)

उद्देश्य	विशेषताएं
चार राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम में **विस्तृत उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण** जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना।	• इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम** (UNDP) के सहयोग से पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा प्रारंभ किया गया है। • यह परियोजना **6 वर्ष तक जारी रहेगी** रहेगी। यह परियोजना चांगथांग (जम्मू और कश्मीर), लाहौल-पंगी और किन्नौर (हिमाचल प्रदेश), गंगोत्री - गोविंद और दर्मा - पिथौरागढ़ में ब्यान घाटी (उत्तराखंड) और कंचनजंघा- ऊपरी तीस्ता घाटी सहित विशिष्ट भू-दृश्यों के लिए है। • इस परियोजना में **हिम तेंदुआ और अन्य एंडेंजर्ड स्पीशीज तथा उनके आवासों का संरक्षण** और क्षेत्र में लोगों की आजीविका को सुरक्षित करना साथ ही **वन्यजीव अपराध को कम** करने के लिए प्रवर्तन को बढ़ाना भी सम्मिलित है। • इसके अंतर्गत, इन परिदृश्यों में सर्वाधिक थ्रेटेंन्ड स्पीशीज में से **कुछ औषधीय और सुगंधित पौधों के अवैध व्यापार को रोकने** के लिए प्रवर्तन प्रयासों और निगरानी को बढ़ाया जाएगा।

16.3. हरित कौशल विकास कार्यक्रम

(Green Skill Development Programme: GSDP)

उद्देश्य	विशेषताएं
	• यह **पर्यावरण और वन क्षेत्र से संबंधित कौशल विकास** के लिए एक पहल है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को लाभकारी रोजगार और/या स्वरोजगार प्राप्त करने में

VISION IAS

कुशल कार्यबल की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करना (विशेष रूप से ड्रॉपआउट्स को)।	सक्षम बनाना है। • इसे **राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA),** जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत देश में कौशल विकास पहलों के लिए नोडल एजेंसी है, के परामर्श से MoEF&CC के अंतर्गत परिकल्पित और विकसित किया गया है। • इसके तहत सभी पाठ्यक्रम **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप** हैं। • हरित कौशल विकास कार्यक्रम (GSDP), के तहत पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) हब तथा रिसोर्स पार्टनर्स (RPs) के व्यापक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।. • 2017 में एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद, मंत्रालय ने इसके विस्तार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: ○ **बजट आवंटन में वृद्धि:** बजट 2018-19 में ENVIS के लिए बजट आवंटन में 33% की वृद्धि की गई। GSDP के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को इसमें से वित्त पोषित किया जाएगा। ○ **लक्ष्य का विस्तार:** वर्ष 2021 तक कुल 5.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ○ **अधिक हरित कौशल:** सरकार ने प्रदूषण निगरानी (वायु / जल / ध्वनि /मृदा), बहि:स्राव उपचार संयंत्र संचालन, वन प्रबंधन, जल बजटिंग आदि सहित 35 पाठ्यक्रमों की पहचान की है। • **GSDP-ENVIS** एक मोबाइल ऐप है जो देश के युवाओं में रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

16.4. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

(National Clean Air Programme: NCAP)

उद्देश्य	विशेषताएं
• वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के उपायों का कठोरता से कार्यान्वयन; • संपूर्ण देश में वायु गुणवत्ता से संबंधित निगरानी तंत्र को संवर्द्धित करना तथा सुदृढ़ बनाना; • जन-जागरुकता और क्षमता निर्माण के उपायों को संवर्द्धित करना।	• यह **प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक पहल है जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रदूषक कणों (PM-10 व PM-2.5) की सांद्रता को 20 से 30 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य** रखा गया है। • इसमें वर्ष **2017 को तुलना के लिए आधार वर्ष के** रूप में और वर्ष 2019 को प्रथम वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। • इस कार्यक्रम को 102 **नॉन-अटेनमेंट (non-attainment) शहरों** (जो लगातार पाँच वर्ष तक PM10 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिये **राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों** को पूरा करने में विफल रहते हैं) में कार्यान्वित किया जाएगा। इन शहरों का चयन राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (2011-2015) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट 2014/2018 के आधार पर किया गया है। • **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB),** NCAP फ्रेमवर्क के भीतर वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं शमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा। • NCAP को **संबंधित मंत्रालयों द्वारा संस्थागत** रूप दिया जाएगा और अंतर-क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से संगठित किया जाएगा। • यह कार्यक्रम अपने परिणामों को प्राप्त करने हेतु **बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, परोपकारी संस्थाओं** तथा अग्रणी तकनीकी संस्थानों के साथ भागीदारी करेगा। • MoEF&CC में एक शीर्ष समिति इसकी प्रगति की आवधिक समीक्षा करेगी। वार्षिक प्रदर्शन के संबंध में समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यवाहियों से प्राप्त होने वाले उत्सर्जन न्यूनीकरण लाभों का आकलन करने के लिए उपयुक्त संकेतकों को विकसित किया जाएगा।

16.5 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजनाएं	विशेषताएं
परिवेश(Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub)	• यह **एक वेब आधारित, भूमिका आधारित कार्यप्रवाह अनुप्रयोग** है जिसे केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र की स्वीकृतियों के लिए प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के **ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और निगरानी** हेतु विकसित किया गया है। • इस प्रणाली को **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, (NIC) की तकनीकी सहायता के साथ** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFC) द्वारा डिज़ाइन, विकसित एवं आयोजित किया गया है। • प्रणाली में नियामकीय निकाय या निरीक्षण अधिकारियों द्वारा स्थल की जियो-टैग इमेजों सहित **अनुपालन रिपोर्ट की निगरानी** (यहां तक कि मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अनुपालन रिपोर्टों की निगरानी) सम्मिलित है। • **विगत पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्टों** तक भी यह पहुँच प्रदान करता है।
वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जहां **भारत सरकार वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से गतिविधियों के लिए राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है।** • इस योजना के तीन घटक हैं: ○ संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, आरक्षित रिज़र्वो एवं सामुदायिक रिजर्वों) को सहायता प्रदान करना। ○ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण ○ क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों एवं पर्यावासों के संरक्षण हेतु पुनरूत्थान कार्यक्रम।
हिमालयन रिसर्च फेलोशिप स्कीम	• इसका उद्देश्य **प्रशिक्षित पर्यावरण प्रबंधकों, पारिस्थितिकविदों और सामाजिक आर्थिक संगठनों के एक युवा पूल का सृजन** करना है। • यह समूह **हिमालयी पर्यावरण एवं विकास के भौतिक, जैविक, प्रबंधकीय और मानवीय पहलुओं पर सूचना उत्पन्न करने** में सहायता करेगा। • इस फेलोशिप स्कीम को **भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में कार्यरत विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के माध्यम से निष्पादित** किया जाएगा तथा **पूर्वोत्तर राज्यों के संस्थानों** को प्राथमिकता दी जाएगी। • **इसे राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन** (NMHS) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा फेलोशिप अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। • अनुसंधान NMHS के किसी भी पहचान किए गए व्यापक थीम आधारित क्षेत्रों जैसे जल स्रोतों एवं जलग्रहण क्षेत्रों का कायाकल्प सहित जल संसाधन प्रबंधन, जलविद्युत विकास, जल-प्रेरित आपदाओ के आकलन एवं भविष्यवाणी, इको टूरिज्म के अवसरों सहित आजीविका के विकल्प, संकटग्रस्त प्रजातियों की पुनर्बहाली सहित जैव विविधता प्रबंधन और कौशल विकास में किया जा सकता है।

VISION IAS

17. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)

17.1. भारत को जानो कार्यक्रम

(Know India Programme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• भारतीय मूल के युवाओं (18-30 वर्ष) को उनकी भारतीय जड़ों और समकालीन भारत के साथ परिचित कराना।	• यह प्रवासी युवाओं के लिए तीन सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम है। यह भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं और देश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, औद्योगिक, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति में की गई प्रगति पर जागरुकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है।

17.2. स्टूडेंट एंड MEA इंगेजमेंट प्रोग्राम-SAMEEP

(SAMEEP - Students and MEA Engagement Programme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश भर के छात्रों को भारतीय विदेश नीति और इसकी वैश्विक गतिविधियों से अवगत कराना। • एक करियर विकल्प के रूप में कूटनीति में रुचि बढ़ाना।	• सभी मंत्रालय के अधिकारियों जैसे उप सचिव और उच्च अधिकारियों को उनके गृह नगर, विशेष रूप से उनके मातृ शिक्षा संस्थानों (alma maters) में जाने के लिए कहा जाएगा। • उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों के साथ विदेश मंत्रालय के कार्य के बारे में, उसकी नीति के बुनियादी तत्वों के बारे में संवाद करेंगे। साथ ही वे यह भी बताएँगे कि कूटनीति कैसे संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त वे विद्यार्थियों को MEA में करियर की संभावनाओं के बारे में परामर्श देंगे।

17.3. प्रवासी कौशल विकास योजना

(Pravasi Kaushal Vikas Yojana)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
विदेशी रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चयनित क्षेत्रों और नौकरियों में विदेश में रोजगार प्राप्त करने के लिए इच्छुक भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान करना।	• यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की साझेदारी के साथ विदेश मंत्रालय की एक कौशल विकास पहल है। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा किया जाएगा। • यह अल्पावधिक कार्यक्रम (2 सप्ताह से 1 माह) उम्मीदवारों को विभिन्न देशों में आत्मविश्वास के साथ चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट लेने और अंतर्राष्ट्रीय कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से तैयार करेगा। • इसमें उन्हें उपयुक्त कौशल समूह में प्रशिक्षण देना सम्मिलित है जो सांस्कृतिक अभिविन्यास के साथ संचार, व्यापार विशिष्ट ज्ञान और कौशल में आवश्यकताओं का समाधान करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।

VISION IAS

18. वित्त मत्रांलय (Ministry of Finance)

18.1. नेशनल पेंशन स्कीम

(National Pension Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करना। • पेंशन सुधारों को संस्थागत करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति संबंधी बचत की आदत डालना।	NPS निम्नलिखित के लिए लागू है: • 18-65 वर्ष की आयु वाले सभी भारतीय नागरिक। • केंद्र सरकार की सेवाओं (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी नए कर्मचारियों के लिए, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। • राज्य सरकारों और राज्य स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारी, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि के उपरांत सेवाओं में शामिल हुए हैं। • कोई भी अन्य सरकारी कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से NPS के तहत शामिल नहीं है, वह भी NPS से जुड़ सकता है। • सभी नागरिक, अर्थात् निजी कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी। • भारत में बैंक खाता धारी NRIs (नॉन रेजिडेंट इंडियन)।	• इसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority: PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। • NPS के तहत, एक व्यक्ति अपने सेवानिवृत्ति खाते में योगदान देता है और उसका नियोक्ता भी सह-योगदान दे सकता है। • इसे परिभाषित अंशदान के आधार पर तैयार किया गया है, जहाँ अभिदाता (subscriber) अपने खाते में योगदान देता है। इसके तहत किसी भी परिभाषित हितलाभ का वर्णन नहीं किया गया है जो इससे (NPS) बाहर निकलने के समय उपलब्ध होगा। इसके अंतर्गत संचित धन वस्तुतः अभिदाताओं के योगदान और ऐसे धन के निवेश से सृजित आय पर निर्भर करता है। • NPS के सभी अभिदाताओं के लेखा-जोखा, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो NPS के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्डकीपर (लेखा-जोखा रखने वाला) के रूप में कार्य कर रहा है। • अभिदाता को एक अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number: PRAN) आवंटित किया जाएगा, जो कि पोर्टेबल है और इसका उपयोग भारत के किसी भी स्थान से किया जा सकता है। • PRAN निम्नलिखित दो व्यक्तिगत खातों तक पहुँच प्रदान करेगा: ○ **टियर I खाता (Tier I Account)**: यह एक गैर-आहरण योग्य (non-withdrawable) खाता है, अर्थात् यह सेवानिवृत्ति के लिए किया गया बचत है। ○ **टियर II खाता (Tier II Account)**: साधारण भाषा में कहें तो यह एक प्रकार की स्वैच्छिक बचत सुविधा है। जब भी अभिदाता चाहे तो वह इस खाते से बचत को आहरित करने के लिए स्वतंत्र है। इस खाते पर कोई भी कर लाभ उपलब्ध नहीं है। • NPS रिटर्न्स (प्रतिफल) बाजार से जुड़े हुए हैं। यह अभिदाताओं को निम्नलिखित 3 प्रकार के फंड प्रदान करता है: इक्विटी (शेयर), कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां। • अभिदाता NPS में शामिल होने (खाता खोलने) के 10 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के उपरांत इससे बाहर निकल सकता है। कुल राशि (कॉर्पस) में से केवल 40% की एकमुश्त निकासी को ही कर-मुक्त रखा गया है। • हाल ही में कैबिनेट ने NPS के लिए इच्छित EEE कर स्थिति

VISION IAS

		(प्रवेश, निवेश और परिपक्वता के समय कर छूट) को मंजूरी प्रदान कर दी है (पहले यह EET था)। • हाल ही में हुए **अन्य परिवर्तनों** में शामिल हैं: ○ NPS टियर- I के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के मौजूदा 10 प्रतिशत के योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। ○ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन निधि के चयन और निवेश के पैटर्न को तय करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ○ इस योजना से बाहर निकलते समय एकमुश्त निकासी पर कर छूट की सीमा 60% तक बढ़ा दी गई है। इससे **अब संपूर्ण निकासी पर आयकर से छूट** प्राप्त हो गई है। ○ NPS के टियर- II के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया अंशदान अब आयकर लाभ के प्रयोजन के लिए 1.50 लाख रुपये तक की कटौती हेतु धारा 80 C के तहत कवर किया जाएगा, बशर्ते कि 3 वर्ष की परिबंधन अवधि (लॉक-इन पीरियड) हो। ○ स्वास्थ्य, विवाह, घर और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए आंशिक रूप से पैसा निकालने के अलावा, योजना में शामिल होने के तीन वर्ष बाद अभिदाता (ग्राहक) स्टार्ट-अप, नए उपक्रम जैसी कौशल विकास गतिविधि हेतु भी अपने योगदान का 25 प्रतिशत निकाल सकते हैं।

18.2 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

(Pradhan Mantri MUDRA Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक वित्त की पहुँच बढ़ाना। • अंतिम वित्तपोषकों (last Mile Financers) से अनौपचारिक क्षेत्रक के अधिकांश सूक्ष्म/लघु उद्यमों को प्रदत्त वित्त की लागत में भी कमी लाना।	• कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग या सेवा क्षेत्रक जैसे गैर-कृषि क्षेत्रक के लिए एक व्यवसाय की योजना हो और जिसकी ऋण संबंधी आवश्यकताएं 10 लाख रुपये से कम हों।	• बैंकों, NBFCs, MFIs और MUDRA लिमिटेड द्वारा अधिसूचित अन्य अर्ह वित्तीय मध्यस्थों को मुद्रा (MUDRA) ऋण प्रदान करने की अनुमति है। • मुद्रा बैंक विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग या सेवा गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म/लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने वाले NBFCs, सोसाइटीज, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनियों, सहकारी समितियों, छोटे बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे सभी अंतिम वित्तपोषकों को पुनर्वित्तीयन (refinancing) के लिए उत्तरदायी होगा। • इस योजना को लागू करने के लिए, सरकार ने सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड: MUDRA) नामक एक नई संस्था की स्थापना की है। • 1675.93 करोड़ रुपये की पेड-अप कैपिटल (प्रदत्त पूंजी) के साथ MUDRA की वर्तमान अधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ रुपये है। 20,000 करोड़ रुपये के एक पुनर्वित्त राशि से मुद्रा बैंक का गठन किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) प्रदान करने में असफल रहने वाले बैंकों से पैसा लेकर RBI

VISION IAS

		राशि को आबंटित करेगा। • मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) बैंक द्वारा निम्नलिखित 3 प्रकार के ऋण आबंटित किए जाएंगे: ○ **शिशु**: 50,000 रुपये तक के ऋण; ○ **किशोर**: 50,000 से 5 लाख रुपये तक के ऋण; और ○ **तरुण**: 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के ऋण। • PMMY योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। हालाँकि, वर्तमान में MUDRA महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान कर रहे MFIs/NBFCs हेतु अपनी ब्याज दरों में 25 आधार अंकों (bps) की छूट प्रदान कर रहा है। • RBI ने बैंकों को सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्रक की इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए कोलैटरल (जमानत) हेतु जोर न देने का आदेश दिया है।

18.3 अटल पेंशन योजना

(Atal Pension Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• अभिदाता (subscribers) 60 वर्ष की आयु के उपरांत अपने अंशदान (contributions) के आधार पर एक न्यूनतम निर्धारित पेंशन प्राप्त करेंगे।	• 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिक इससे जुड़ सकते हैं। • यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के नागरिकों पर केंद्रित है।	• केंद्र सरकार 1 जून, 2015 और 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के बीच NPS से जुड़ने वाले प्रत्येक पात्र अभिदाता, जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं तथा करदाता नहीं हैं, उनको 5 वर्ष तक की अवधि के लिए उसके (प्रत्येक अभिदाता) कुल अंशदान का 50% अथवा प्रति वर्ष 1000 रुपया, जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी।· • APY के तहत, अभिदाताओं को 60 साल की उम्र प्राप्त करने पर उनके योगदान के आधार पर प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की निश्चित न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। अभिदाताओं के योगदान APY में उनके शामिल होने की उम्र के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। • यह योजना स्वावलंबन योजना का स्थान लेगी। • लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से पूर्व इस योजना से अलग नहीं हो सकते हैं। • इस योजना के तहत अभिदाता को न्यूनतम 20 वर्षों या अधिक के लिए योगदान करना होगा। • अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में उसका जीवन साथी समान राशि की पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा/होगी। • अभिदाता और उसके जीवन साथी, दोनों की मृत्यु के उपरांत जमा/संचित राशि (जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी) अभिदाता के द्वारा नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। • इसे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। APY के अंतर्गत अभिदाता को नामांकित करने (enrol) हेतु NPS की संस्थागत संरचना का उपयोग किया जाएगा।

VISION IAS

18.4 प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• यह एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत (रिन्यू) कराना होगा। यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या अक्षमता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।	• 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के बचत बैंक खाता धारक नागरिकों (NRIs सहित) के लिए उपलब्ध।	• इस हेतु प्रति सदस्य प्रति वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम देय है। • दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज उपलब्ध होगा। • 1 लाख रु. स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए। • कोई भी व्यक्ति जो इस योजना से किसी भी समय खुद को अलग कर लेता है, वह भविष्य में वार्षिक प्रीमियम चुकाकर कभी भी इससे जुड़ सकता है। • यह योजना पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज (PSGICs) तथा अन्य जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से प्रदान/प्रशासित की जा रही है। • सरकार ने हाल ही में असंगठित श्रमिकों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन और विकलांगता कवरेज प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (AABY) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के साथ अभिसरित किया है।

18.5 प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

(Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है। • इसे प्रति वर्ष नवीनीकृत (रिन्यू) किया जा सकता है। • यह किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज उपलब्ध कराता है।	• 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के नागरिकों (NRIs सहित) के लिए उपलब्ध। • इसे प्रति वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रदत्त लाभ 55 वर्ष की आयु तक हीं उपलब्ध हैं। हालांकि, 50 वर्ष की आयु के उपरांत इस योजना से जुड़ने की अनुमति नहीं है।	• यह योजना किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करता है। इसके तहत 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम की राशि चार्ज की जाती है। • इसे LIC तथा अन्य भारतीय निजी जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रदान/प्रशासित किया जा रहा है।

18.6. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)

[Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)]

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और अनिश्चित बाजार स्थितियों के	• 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्ध	• यह योजना 10 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत की गारंटी दर के रिटर्न के आधार पर निश्चित मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन का विकल्प चुनने का विकल्प उपलब्ध

VISION IAS

कारण वृद्ध व्यक्तियों की ब्याज आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना।	व्यक्ति	कराएगी। • हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने के साथ-साथ इसकी सदस्यता की समय सीमा को 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। • इसे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। • LIC द्वारा सृजित रिटर्न और प्रति वर्ष 8 प्रतिशत के आश्वासित रिटर्न में अंतर को LIC को प्रदत्त सब्सिडी से वहन किया जाएगा। • इस योजना में स्वयं या पति/पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के उपचार के लिए समयपूर्व निकासी की अनुमति भी है। • 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा। • तीन पॉलिसी वर्ष के पश्चात् ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध होगी। क्रय मूल्य के अधिकतम 75% तक ऋण दिया जा सकता है।

18.7. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

(Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: PMJDY)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करके देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना।	• खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। • यह गांवों को कवरेज पर प्रदान करने पर संकेंद्रित पूर्व की योजना के विपरीत परिवारों के कवरेज पर केंद्रित है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कवरेज पर केंद्रित है। 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (BSBDA) खोल सकता है। • PMJDY योजना के तहत विशेष लाभ में सम्मिलित हैं: ○ खाते में न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य नहीं। ○ योजना लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर 30,000 रुपये का जीवन बीमा उपलब्ध कराती है जो सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। ○ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त होगा। ○ खाते के 6 माह के संतोषजनक संचालन के पश्चात् प्रति परिवार, अधिमानतः परिवार की स्त्री के लिए केवल एक खाते में 5,000/- रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। ○ राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (PMJDY) 14.8.2018 से आगे तक जारी रहेगा। ○ मौजूदा ओवर ड्राफ्ट (OD) की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी। ○ 2000 रुपये तक के OD के लिए किसी प्रकार की कोई शर्तें लागू नहीं होंगी। ○ OD सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा को 18-60 वर्ष से संशोधित कर 18-65 वर्ष किया जाएगा। ○ कवरेज को हर परिवार से बढा कर हर वयस्क व्यक्ति तक कर दिया गया है जिसके तहत 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए PMJDY खातों के अंतर्गत नए रुपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा।

VISION IAS

18.8 स्टैंड अप इंडिया योजना

(Stand up India scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।	• 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले SCs/STs और/अथवा महिला उद्यमी।	• यह कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) अथवा एक अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता तथा कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र किसी से भी संबद्ध हो सकता है। • गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी (controlling stake) SC/ST अथवा महिला उद्यमी द्वारा धारित होनी चाहिए। • उधारकर्ता को किसी बैंक/वित्तीय संस्थान के मामले में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। • इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। • उधारकर्ता को अपने योगदान के रूप में परियोजना लागत का कम से कम 10% निवेश करने की आवश्यकता होगी। • ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर होगा, जो आधार दर {(MCLR) + 3% + आशय (tenor) प्रीमियम)} से अधिक नहीं होगा। • बैंकों के निर्णय के अनुसार, प्राथमिक जमानत (primary security) के अतिरिक्त, ऋण को संपार्श्विक जमानत (collateral security) द्वारा अथवा स्टैंड-अप इंडिया ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (ऋण गारंटी निधि योजना) की गारंटी से प्रत्याभूत किया जाएगा। • अधिकतम 18 माह की ऋण स्थगन (moratorium) की अवधि सहित ऋण की वापसी 7 वर्षों में की जाएगी। • उधारकर्ता की सुविधा के लिए रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा।

18.9 स्वर्ण मुद्रीकरण योजना

(Gold Monetization Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश के परिवारों और संस्थानों द्वारा रखे गये सोने को एकत्रित करना और इसके उपयोग को उत्पादक उद्देश्यों हेतु सुगम बनाना, और • दीर्घकाल तक सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना • बैंकों से ऋण पर कच्चे माल के रूप में सोने को उपलब्ध करा के देश में रत्न और आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन	• **इस** योजना के तहत बैंक ग्राहक निष्क्रिय पड़े सोने को निश्चित अवधि के लिये जमा करा सकते हैं। इस पर उन्हें 2.25 से 2.50 फीसदी ब्याज प्राप्त होता है। • हाल ही में RBI ने इसमें कुछ संशोधन किए, **अब व्यक्तिगत और संयुक्त जमाकर्ताओं के अलावा, चैरिटेबल संस्थान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार** के स्वामित्व वाली कोई अन्य संस्था इत्यादि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। • यह लोगों को पहले से ही मौजूदा दो योजनाओं, अर्थात् **संशोधित स्वर्ण जमा योजना (GDS) और संशोधित स्वर्ण धातु ऋण (GML)** को संशोधित करके सोने का मौद्रीकरण करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करती है। • **सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** (RRBs को छोड़कर) को इस योजना का क्रियान्वयन करने की अनुमति दी गई है। • **किसी भी समय न्यूनतम जमा 30 ग्राम कच्चा सोना** (पत्थरों और अन्य धातुओं को छोड़कर

VISION IAS

प्रदान करना।	आभूषण, छड़ें, सिक्के) होगा। योजना के तहत जमा के लिए **कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं** की गई है ○ संशोधित योजना के तहत स्वर्ण 1 से 3 वर्ष की अल्पावधि, 5 से 7 वर्षों की मध्यकालीन अवधि और 12 से 15 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि के लिए जमा किया जा सकता है। ○ अल्पावधि जमा पर मूलधन और ब्याज सोने में अंकित किया जाएगा। मध्यम और दीर्घकालिक जमा के मामले में, मूलधन सोने में अंकित किया जाएगा। हालांकि, जमा के समय सोने के मूल्य के संदर्भ में MLTGD पर ब्याज की गणना भारतीय रुपये में की जाएगी। • **स्वर्ण भंडार निधि:** मध्यम/दीर्घकालीन जमा के अंतर्गत सरकार की मौजूदा उधार लागत और सरकार द्वारा देय ब्याज दर के मध्य अंतर को स्वर्ण भंडार निधि में जमा किया जाएगा। • GMS के अंतर्गत कर छूट में सोना जमा करने पर अर्जित ब्याज की छूट और व्यापार या छूट के माध्यम से पूंजीगत लाभ से छूट सम्मिलित है।

18.10. सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना

(Sovereign Gold Bond Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• प्रतिवर्ष 300 टन सोने (अनुमानित) की छड़ों और सिक्कों की खरीदारी के लिए किए जाने वाले निवेश को स्वर्ण बांड में **लगाकर** भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करना।	• सार्वभौमिक स्वर्ण बांड नकद भुगतान पर जारी किया जाएगा और ग्राम आधारित सोने के वजन के अनुरूप होगा। • भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक बांड जारी करेगा। बांड की सार्वभौमिक गारंटी होगी। • बांड, सोने की एक ग्राम की इकाइयों में और इसके गुणक इकाइयों में होंगे। • बांड की बिक्री केवल भारत में रहने वाले नागरिकों को की जाएगी। • निवेश सीमा में प्रति वित्तीय वर्ष में व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए 4 किलो और ट्रस्ट के लिए 20 किलो तथा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित समान स्थिति में वृद्धि हुई है। • सरकार एक ब्याज दर पर बांड जारी करेगी जो निवेश के समय सोने के मूल्य के अनुरूप तय की जाएगी। • बांड डीमैट या कागज दोनों रूपों में उपलब्ध होंगे। • बांड की अवधि न्यूनतम 5 से 7 वर्षों की होगी । • इन बांडों का ऋण के लिए कोलैटरल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। • बांडों को एक्सचेजों में सरलता से बेचा जा सकेगा और उसका कारोबार किया जा सकेगा जिससे निवेशक अपनी इच्छा से बाजार से निकल सकें। • बांड के परिपक्व हो जाने पर उसकी वापसी केवल रुपये में होगी। यह निश्चित राशि नहीं होगी, किंतु सोने की कीमतों से जुड़ी होगी। • जमा को रोक कर नहीं रखा जाएगा तथा सोने की कीमत और मुद्रा से सम्बद्ध जोखिम को सरकार द्वारा स्वर्ण भंडार निधि से वहन किया जाएगा।

18.11. प्रोजेक्ट सक्षम

(Project Saksham)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
नयी वस्तु और सेवा कर (GST) व्यवस्था हेतु सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क को बढ़ावा देना	• यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का एक नया अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क (प्रणाली एकीकरण) है। • यह वस्तु और सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन को सक्षम बनाएगा तथा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में विद्यमान सभी सेवाओं को सहायता प्रदान करेगा। • यह डिजिटल इंडिया तथा CBIC के व्यापार की सुगमता के तहत **व्यापार सुविधा के लिए भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की इंटरफ़ेस (SWIFT) के विस्तार और अन्य करदाताओं के अनुकूल पहलों** को भी सक्षम बनाएगा।

VISION IAS

	• पंजीकरण, भुगतान और GSTN प्रणाली द्वारा CBIC को भेजे गए रिटर्न डेटा के प्रसंस्करण के लिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की IT प्रणालियों को वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के साथ एकीकृत करने, तथा साथ ही ऑडिट, अपील और जांच जैसे अन्य मॉड्यूल के लिए एक फ्रंट एंड के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है।

18.12. स्वच्छ भारत कोष (SBK)

(Swachh Bharat Kosh: SBK)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कॉर्पोरेट क्षेत्र से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड और व्यक्तियों व परोपकारी लोगों के योगदान को आकर्षित करना।	• इसे सचिव (व्यय विभाग) की अध्यक्षता में एक शासी परिषद् द्वारा प्रशासित किया जाएगा। • "स्वच्छ भारत कोष" के लिए दी गई राशि के अतिरिक्त "कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी" के मद में खर्च की गई रकम, दान आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80G के तहत 100% कटौती हेतु पात्र हैं। यह निर्धारण वर्ष 2015-16 और आगामी वर्ष पर लागू है।

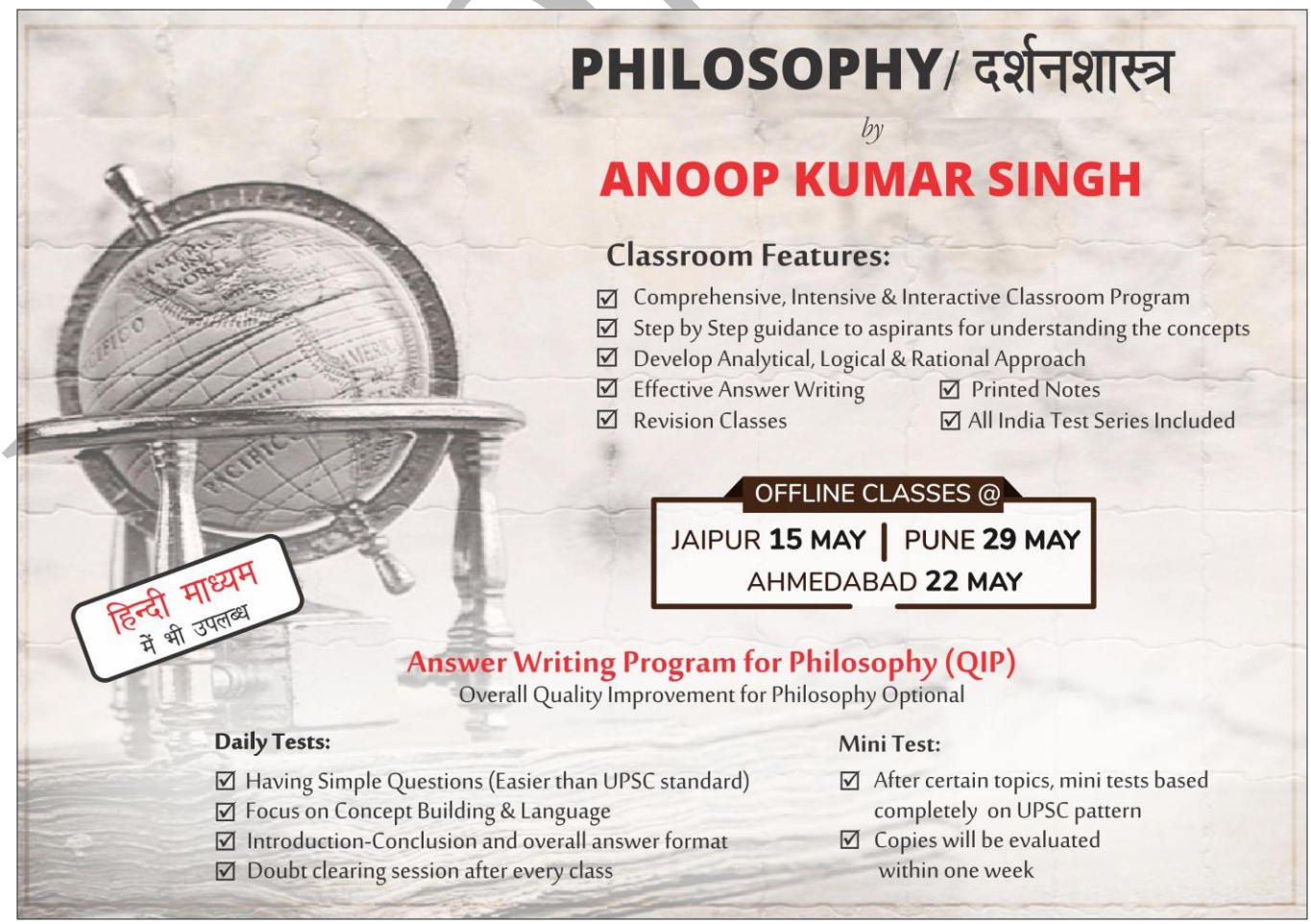

19. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries)

19.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना (supplement), प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।	• इसे पहले SAMPADA (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) (कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना) के नाम से जाना जाता था, जिसे "प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना" (PMKSY) के रूप में पुनर्नामकरण कर दिया गया है। 14वें वित्त आयोग के समयावधि में इस केंद्रीय क्षेत्रक की योजना को 2016-20 की समयावधि हेतु अनुमोदित किया गया है। • यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्तमान में चल रही योजनाओं को शामिल करने के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। इसके परिणामस्वरूप फार्म गेट (कृषि स्थल) से लेकर रिटेल आउटलेट (खुदरा विक्री केंद्र) तक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक आधारभूत संरचना का सृजन होगा। • PMKSY के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं: ○ मेगा फूड पार्क; ○ एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना (Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure); ○ खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी सुविधा (Food Safety and Quality Assurance Infrastructure); ○ खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार; ○ कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बुनियादी सुविधा; ○ बैकवार्ड तथा फॉरवार्ड लिंकेज का सृजन; तथा ○ मानव संसाधन और संस्थान। • इस योजना के तहत अंतिम तीन योजनाएं नई शुरू की गई योजनाएं हैं, जबकि शुरू की 4 योजनाएं पहले से चल रहीं थी।

19.2 मेगा फूड पार्क

(Mega Food Park)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना प्रदान करना तथा डेयरी, मत्स्य	• यह योजना एक **"क्लस्टर" दृष्टिकोण** पर आधारित है तथा इसमें सुगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण

पालन इत्यादि सहित कृषि उत्पादों की मूल्यवर्द्धन प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। • क्लस्टर के अंतर्गत धारणीय कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना। • प्लग एंड प्ले (त्वरित रूप से कार्य आरम्भ करना) सुविधाएं प्रदान कर छोटे एवं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।	इकाइयों की स्थापना कर सुपरिभाषित कृषि/बागवानी क्षेत्र में अत्याधुनिक अवसंरचना के सृजन की परिकल्पना की गई है। • आपूर्ति श्रृंखला में विशेषतः संग्रहण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र,केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, कोल्ड चेन एवं लगभग 30-35 पूर्ण विकसित भू-खंड सम्मिलित हैं ताकि उद्यमी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जा सके। • **फंडिंग-** स्कीम के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों को परियोजना लागत का 50% तथा दुर्गम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र को 75% परंतु अधिकतम 50 करोड़ रुपये/प्रति परियोजना का अनुदान प्रदान किया जाएगा। **क्रियान्वयन एजेंसी:** इस परियोजना का कार्यान्वयन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) द्वारा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कॉर्पोरेट निकाय है।

19.3. ऑपरेशन ग्रीन्स

(Operation Greens)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• टमाटर, प्याज और आलू (TOP) उत्पादन क्लस्टरों और उनके किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत बनाने तथा उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा TOP उत्पादक किसानों को प्राप्त होने वाली कीमतों में वृद्धि करना। • TOP उत्पादन क्लस्टरों में उत्पादन की व्यवस्थित योजना और दोहरे उपयोग की किस्मों की शुरुआत द्वारा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण। • खेत स्तर पर अवसंरचना के सृजन द्वारा फसल कटाई के उपरांत होने वाली क्षति को कम करना, उपयुक्त कृषि-लॉजिस्टिक्स का विकास, शेल लाइफ में वृद्धि के लिए उपभोग केंद्रों से जोड़ते हुए यथोचित भंडारण क्षमता का सृजन। • उत्पादन क्लस्टरों से सुदृढ़ लिंकेज के साथ TOP की मूल्य श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता एवं मूल्यवर्धन में बढ़ोतरी। • मांग और आपूर्ति तथा TOP फसलों के मूल्य के संबंध में सही आंकड़े एकत्र करने और उन्हें समानुक्रमित करने के लिए एक बाजार आसूचना नेटवर्क की स्थापना।	• 2018-19 के बजट भाषण में **टमाटर, प्याज और आलू (TOP) की आपूर्ति को स्थिर करने तथा पूरे देश में वर्ष भर मूल्य अस्थिरता के बिना इन फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए** 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी। • केंद्र ने इस पहल के प्रथम चरण के लिए **8 राज्यों** (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) में **17 शीर्ष उत्पादन क्लस्टरों** की पहचान की है। • उत्पादन प्रक्रिया में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति करने तथा किसानों के क्षमता निर्माण हेतु सरकार इस योजना के अंतर्गत भारत-इज़राइल सहयोग के तहत सृजित 28 उत्कृष्टता केंद्रों का उपयोग करने के लिए भी प्रयासरत है। • सरकार ने TOP फसलों के संवर्धित उत्पादन को सुनिश्चित करने और मूल्य श्रृंखला में वृद्धि करने के लिए इस योजना के तहत **विशेष रणनीति और अनुदान सहायता** निर्धारित की है। • **ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए रणनीति** ○ **अल्पावधि मूल्य स्थिरीकरण उपाय:** मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED)** नोडल एजेंसी होगी। MoFPI (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) निम्नलिखित दो घटकों पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगी: ▪ उत्पादन से भंडारण तक TOP फसलों का परिवहन; ▪ TOP फसलों के लिए उचित भंडारण सुविधाओं को किराये पर प्राप्त करना;

	○ **दीर्घकालीन एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं,** जैसे- FPOs और उनके संघ का क्षमता निर्माण, गुणवत्ता उत्पादन, फसल-कटाई पश्चात् प्रसंस्करण सुविधाएं, एग्री-लॉजिस्टिक्स, विपणन/उपभोग बिंदु और TOP फसलों की मांग और आपूर्ति प्रबंधन के लिए ई-प्लेटफॉर्म का निर्माण और प्रबंधन। • **सहायता अनुदान** ○ सहायता का प्रतिरूप (पैटर्न): सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं की कुल लागत का 50% भाग (अधिकतम सीमा - 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना) सहायता अनुदान के तौर पर प्रदान किया जाएगा (हालांकि, FPOs को 70% की दर से सहायता अनुदान प्रदान की जाएगी)। ○ पात्र संगठनों में सम्मिलित हैं: राज्य कृषि और अन्य विपणन संघ, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहकारी समितियां, कंपनियां, स्वयं-सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स, सेवा प्रदाता, आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटर्स, खुदरा और थोक श्रृंखला, केंद्र एवं राज्य सरकारें तथा इस कार्यक्रम में भाग लेने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र उनकी संस्थाएं/संगठन।

19.4. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजनाएं	महत्वपूर्ण विशेषताएं
निवेश बंधु	• यह एक निवेशक सुगमता पोर्टल है जो केंद्र और राज्य सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियों, कृषि-उत्पादक संकुलों, अवसंरचना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में निवेश के संभावित क्षेत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाएगा।
शीत श्रृंखला, मूल्य वर्द्धन और परिरक्षण अवसंरचना योजना	• इस योजन का उद्देश्य बागवानी और गैर-बागबानी कृषि उत्पादों की पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों को कम करने हेतु खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी बाधा के एकीकृत शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसरंचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। • **घटक-** खेत के स्तर पर प्रसंस्करण केंद्र, बहुविध उत्पादों और विभिन्न परिवेशी वितरण केंद्र, सचल प्री-कूलिंग वैन और प्रशीतित ट्रक तथा विकिरण सुविधा (irradiation facility) आदि। • एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजना की स्थापना भागीदारी/स्वामित्व फर्मों, कंपनियों, निगमों, सहकारिताओं, स्व-सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के द्वारा की जाती है

VISION IAS

20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare)

20.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

National Health Mission (NHM)

उद्देश्य	घटक
• बाल मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु-दर में कमी लाना • संचारी तथा गैर-संचारी रोगों (जिनमें स्थानीय स्तर के स्थानिक रोग भी शामिल हैं) की रोकथाम एवं नियंत्रण • एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना • जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक एवं जनांकिकीय संतुलन स्थापित करना • स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को पुनर्जीवित करना तथा आयुष (AYUSH) को मुख्यधारा में लाना • भोजन और पोषण, स्वच्छता एवं आरोग्य हेतु सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना; महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को संबोधित करने वाली सेवाओं पर विशेष बल देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच स्थापित करना तथा सार्वभौमिक टीकाकरण • स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन	• यह सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्रों और स्वास्थ्य देखभाल के वितरण को सशक्त बनाने के लिए राज्यों के वित्तपोषण और समर्थन का एक प्रमुख साधन है। राज्यों के लिए यह वित्तपोषण राज्य की **कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान: PIP) पर आधारित होता है।** • इसके अंतर्गत 2 उप-योजनाएं हैं: ○ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ○ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन • जो राज्य मुख्य परिणामों/आउटपुट यथा IMR, MMR, टीकाकरण, गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं आदि में उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित करते हैं, उन्हें **प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त वित्त प्रदान किया जाता है।** • यह "प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य (RMNCH+A)" एवं संचारी तथा गैर-संचारी रोगों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

20.2 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

(National Rural Health Mission)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• सुलभ,सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना,	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत किए गए पहल:** • मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कार्यकर्ता) • जननी सुरक्षा योजना

विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लिए। • सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण(inter-sectoral convergence) के साथ एक संपूर्ण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना • जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करना	• राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ • जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम • माँ और शिशु स्वास्थ्य खंड • RMNCH+A - प्रजननशील मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (Reproductive Maternal Newborn Child and Adolescent Health)। • नि:शुल्क दवाएं और मुफ्त नैदानिक सेवा • जिला अस्पताल और ज्ञान केंद्र(District hospital and knowledge center: DHKC) • स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुन: जीवित करके **आयुष को मुख्य धारा में लाना** NRHM के अंतर्गत 50,000 से कम आबादी वाले शहर एवं कस्बों को सम्मिलित किया जाना जारी रहेगा।

20.3 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

(National Urban Health Mission)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवायें उपलब्धता सुनिश्चित कर शहरी आबादी, विशेष रूप से शहरी गरीब और झुग्गी-झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों, की स्वास्थ्य जरूरतों की पूर्ति करना • उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर किये जाने वाले खर्च को कम करना	• आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली • समुदाय, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी • जिला स्वास्थ्य कार्य योजना • सभी राज्यों के लिए केंद्र-राज्य फंडिंग पैटर्न 75:25 एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 रहेगा। • कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। • सेवा वितरण बुनियादी ढांचे के लिए यह शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) तथा रेफरल हॉस्पिटल और आउटरीच सेवाएं प्रदान करता है। • सामुदायिक प्रक्रिया हेतु इसमें महिला आरोग्य समिति और आशा/लिंक कर्मचारी(Link Worker)सम्मिलित हैं।

20.4 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

(Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram)

लक्ष्य	मुख्य विशेषताएं
• देश के किशोरों(10-19 वर्ष) की स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना एवं उन्हें पूरा करना।	• विद्यालय में छात्रों की जांच की जाती है तथा उसके तत्पश्चात बीमारियों के शुरुआती दौर में विशेष रूप से गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) का पता लगाने हेतु स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में भेजा जाता है। • RKSK के अंतर्गत निर्धारित छह प्रमुख क्षेत्रों- पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य , नशाखोरी (ड्रग्स), गैर-संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा। • योजना के तहत सहकर्मी शिक्षक (साथिया) सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप योजना संबंधी जानकारी किशोरों को उपलब्ध कराएंगे। • **साथिया रिसोर्स किट:** सहकर्मी शिक्षक की सहायता के लिए, विशेष रूप से गांवों में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने तथा सूचित तरीके (informed manner) से

VISION IAS

	अपने समुदाय के किशोरों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु साथिया रिसोर्स किट।
	• इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करने हेतु, MOHFW ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के सहयोग से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति विकसित की है।
	• **मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS)**
	  • राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
	  • इसके तहत प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों को सब्सिडी प्राप्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाता है।
	  • लक्ष्य: 10 से 19 वर्ष की 15 मिलियन किशोरियों और 20 राज्यों के 152 जिलों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

20.5 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

(Rashtriya Bal Swasthya Karyakram: RBSK)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• 4 D – जन्म के समय किसी प्रकार के विकार (Defects at birth), बीमारी (Diseases), कमी (Deficiencies) और विकलांगता सहित विकास में रूकावट (Development Delays) • नि:शुल्क उपचार तथा चिकित्सीय सहायता।	• ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 0-6 वर्ष आयु समूह तक के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। • 18 वर्ष तक के बच्चे जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/छात्रा हैं।	• यह प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पहल (NRHM के तहत बच्चे की स्वास्थ्य जांच और *अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज* (प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं) का एक घटक है। • बीमार बच्चों को तृतीयक स्तर पर सर्जरी सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निः शुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ। • RBSK के तहत बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में स्क्रीनिंग, प्रारंभिक पहचान और मुफ्त प्रबंधन के लिए 30 चयनित स्वास्थ्य परिस्थितियों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। • RBSK के तहत बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग के दो स्तर हैं :समुदाय एवं सुविधा।

20.6 जननी सुरक्षा योजना

(Janani Suraksha Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना	• गर्भवती महिला • नवजात शिशु	• यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • पात्र गर्भवती महिलाएं सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में बच्चे को जन्म देने पर **नकद सहायता** की हकदार हैं। इस योजना में माँ की उम्र और बच्चों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता है। • घर पर ही प्रसव को प्राथमिकता देने वाली गर्भवती BPL महिलाओं को उनकी उम्र और बच्चों की संख्या से निरपेक्ष, प्रति प्रसव 500 रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाती है। • निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था के तहत गरीब गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान।

VISION IAS

		• गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकर्ता के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। • घर पर होने वाले प्रसव की स्थिति में कुछ नकद सहायता भी प्रदान की जाती है।

20.7 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

(Janani Shishu Suraksha Karyakram)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• संस्थागत प्रसव में अधिक खर्च की समस्या को कम करना, जो गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव न कराने का प्रमुख कारण है। • गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।	• गर्भवती महिलाएं जिनकी प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच हैं।	• **मुफ्त प्रसव:** इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाएँ एवं खाद्य पदार्थ, मुफ्त इलाज, आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त रक्त आधान, सामान्य प्रसव के मामले में तीन दिनों एवं सी-सेक्शन के मामले में सात दिनों तक मुफ्त पोषाहार दिया जाता है। सार्वजनिक संस्थानों में (अधिकार आधारित दृष्टिकोण) • इसमें घर से स्वास्थ्य केंद्र तक जाने एवं वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है। • यह जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत गर्भवती महिला को दी जाने वाली नकद सहायता के पूरक के रूप में कार्य करता है।इसमें नकद सहायता हेतु कोई घटक नहीं है।

20.8 प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना

(Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyaan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना	• सभी गर्भवती महिलाएं जो अपनी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी त्रैमासिक अवधि में हैं।	• उच्च जोखिम वाले गर्भधारण से बचने के लिए प्रत्येक महीने की 9 वीं तारीख को लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को विशेष निःशुल्क प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करना। • अभियान के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान एवं उनकी जांच करना है। • निजी क्षेत्र के डॉक्टर भी सरकार की इस पहल में सहयोग प्रदान करेंगे। • यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

20.9. लक्ष्य - लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव

(Laqshya- Labor Room Quality Improvement Initiative)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• प्रसूति गृह तथा मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। • प्रसूति गृह तथा मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल से सम्बंधित, रोकथाम योग्य मातृ और नवजात मृत्यु, रुग्णता तथा मृत जन्मे शिशुओं की संख्या में कमी लाना।	• इस पहल का क्रियान्वयन जिला अस्पतालों (DHs), अत्यधिक प्रसव भार वाले उप-जिला अस्पतालों (SDHs) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) के साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों (MCs) में भी किया जाएगा।

VISION IAS

साथ ही सम्मानपूर्ण मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना।	• इस पहल के अंतर्गत प्रसूति गृहों का गुणवत्ता प्रमाणन करने तथा रेखांकित लक्ष्यों को पूरा करने वाले सुविधा केंद्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना भी बनाई गयी है।

20.10 MAA - मदर्स ऐब्सल्यूट अफेक्शन

(MAA - Mother Absolute Affection)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• यह आरंभिक अवस्था में कुपोषण की रोकथाम के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने तथा इससे संबंधित परामर्श प्रदान करने हेतु एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम है।	• सामुदायिक जागरुकता उत्पन्न करना; • आशा (ASHA) के माध्यम से अंतर-वैयक्तिक संचार को मजबूत करना; • सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के वितरण बिंदुओं पर स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु विशेषज्ञ सहायता प्रदान करना; • विभिन्न स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की निगरानी करना तथा इस स्वस्थ परंपरा के लिए उन्हें पुरस्कार अथवा मान्यता प्रदान करना।

20.11 मिशन परिवार विकास

(Mission Parivar Vikas)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• एक अधिकार आधारित फ्रेमवर्क (ढांचे) के अंतर्गत सूचना, विश्वसनीय सेवा और आपूर्ति आधारित उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुंच को त्वरित करना। • 2025 तक 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी (प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता अर्थात् TFR) लक्ष्य की प्राप्ति।	• इस पहल का मुख्य रणनीतिक फोकस सुनिश्चित सेवाओं की प्रदायगी, नई प्रोत्साहन योजनाओं के साथ जुड़ना,कमोडिटी सुरक्षा की सुनिश्चितता, सेवा प्रदाताओं के क्षमता निर्माण, कारगर माहौल के सृजन के साथ कड़ी निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से गर्भनिरोधकों तक पहुंच में सुधार करना है। • इसके तहत नव-विवाहित दम्पतियों के बीच परिवार नियोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता के उत्पादों वाले किट (नई पहल) का भी वितरण किया जाएगा। • यह बंध्याकरण सेवाओं में वृद्धि करेगा, विभिन्न उपकेंद्रों पर इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक उपलब्ध करायेगा और कंडोम एवं गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जागरुकता पैदा करेगा। • इसके तहत सात उच्च कुल प्रजनन दर (TFR) वाले राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम) के 145 उच्च प्रजनन जिलों पर फोकस होगा।

20.12 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

(Universal Immunization Programme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश भर के सभी बच्चों को 12 टीका निवारण योग्य रोगों (Vaccine Preventable Diseases: VPD) से सुरक्षित रखने हेतु निःशुल्क टीके उपलब्ध कराना। • प्रतिरक्षण कवरेज में तीव्रता से वृद्धि करना। • स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना करना। • टीका उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। • VPD और ऐडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन (AEFI) के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली को सशक्त करना और उसे बनाए रखना।	• केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित। • UIP के अंतर्गत, भारत सरकार 12 VPD के लिए निःशुल्क टीकाकरण प्रदान कर रही है। ये हैं: • **डिप्थीरिया, परट्यूसिस (Pertussis), टिटनेस, पोलियो;** • **खसरा** {खसरा-रूबेला (Measles-Rubella: MR) टीका - खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरी सुरक्षा के लिए एकल टीका}; • बाल्यावस्था **TB** के गंभीर रूप; • **हेपेटाइटिस बी;** • संपूर्ण देश में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाला **मेनिनजाइटिस और निमोनिया**; {हाल ही में निमोनिया और

• UIP में नए और अप्रयुक्त टीकों व प्रौद्योगिकी की शुरुआत एवं और उनके उपयोग में वृद्धि करना।	मेनिनजाइटिस के लिए न्यूमोकोकल कोंजूगेट वैक्सीन (PCV) लांच किया गया है।} • **रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस** और **रोटावायरस डायरिया** → ये 3 केवल चयनित राज्यों में।

20.13 मिशन इंद्रधनुष

(Mission Indradhanush)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• दिसम्बर 2018, तक 90% से अधिक लक्षितों के लिए पूर्ण टीकाकरण। • इसका मुख्य लक्ष्य दो वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है।	• आंशिक टीकाकरण वाले अथवा टीकाकरण से वंचित बच्चे तथा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित गर्भवती महिला।	• सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम" के तहत सभी टीके नि:शुल्क उपलब्ध हैं। • इसके अंतर्गत निम्नलिखित 7 टीका निवारण योग्य रोगों (Vaccine Preventable Diseases: VPD) के लिए टीकाकरण किया जाता है - **डिप्थीरिया, काली खांसी (whooping cough), टिटनेस, पोलियो, टीबी, ख़सरा और हेपेटाइटिस-बी**। • जहाँ बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है वहां पूर्ण टीकाकरण के लिए "कैच अप" अभियान। • इस मिशन के प्रथम चरण में देश के उन 201 जिलों को लक्षित किया गया जहाँ आंशिक टीकाकरण वाले अथवा टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा थी। • इस हेतु WHO, UNICEF, रोटरी इंटरनेशनल इत्यादि द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। • इसके अतिरिक्त, देश के कुछ चयनित राज्यों में जापानी इंसेफेलाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप बी, इनएक्टिवेटिड (निष्क्रिय) पोलियो, रोटावायरस और खसरा-रूबेला के लिए भी टीका उपलब्ध कराई जा रही हैं। **सघन मिशन इंद्रधनुष (Intensified Mission Indradhanush)** • ख़राब प्रदर्शन वाले देश के कुछ चयनित जिलों और शहरी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अक्टूबर 2017 में इसे लॉन्च किया गया। • असेवित अथवा अल्प कवरेज वाले उप-केंद्रों और प्रवासी जनसंख्या वाली शहरी झुग्गियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। • यह ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एक विशेष अंक में स्थान पाने वाली संपूर्ण विश्व की 12 सर्वश्रेष्ठ कार्य-प्रणालियों (सर्वोत्तम प्रथाओं) में से एक है। **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन National Urban Health Mission: NUHM)** के अंतर्गत चिन्हित शहरी बस्तियों और नगरों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

VISION IAS

20.14 EVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क)

EVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network)

लक्ष्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका प्रमुख लक्ष्य राज्य सरकारों को अवसंरचना, निगरानी और मानव संसाधन जैसी बाधाओं पर विजय पाने में सहायता कर टीका कवरेज में निहित व्यापक असमानताओं को दूर करना है।	• इसका उद्देश्य भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का समर्थन करना है। • यह भारत में विकसित एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रणाली है जो वैक्सीन भण्डार का डिजिटलीकरण करती है और स्मार्टफोन एप्लिकेशन के जरिए कोल्ड चेन के तापमान पर निगरानी रखती है। यह सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक और प्रवाह तथा भंडारण तापमान से लेकर मोबाइल और वेब आधारित डैशबोर्ड का उपयोग करते हुए राज्य, जिला और स्वास्थ्य केन्द्रों में वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट्स के सन्दर्भ में रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। • **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के साथ साझेदारी में, **UNDP** वर्तमान में 12 राज्यों में eVIN का संचालन कर रहा है।

20.15. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पहल (राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस)

(National Deworming Initiative) (National Deworming Day)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• मृदा संचरित हेल्मिन्थिस (STH) संक्रमण के नियंत्रण हेतु निवेश को प्राथमिकता प्रदान करना।	• 1-19 वर्ष तक की आयु के सभी प्री-स्कूल तथा स्कूल योग्य आयु के (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत) बच्चों को कृमि मुक्त करना।	• इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के समन्वित प्रयासों से क्रियान्वित किया जा रहा है। • यह स्कूलों और आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। • यह **अल्बेंडाज़ोल टैबलेट** के माध्यम से किये जाने वाले सबसे प्रभावी और कम लागत वाले STH उपचार के बारे में जन जागरुकता उत्पन्न करेगा। • स्वच्छता, आरोग्य (hygine), शौचालयों के उपयोग, जूते/चप्पल पहनने, हाथ-धोने आदि से सम्बंधित **व्यवहार परिवर्तन प्रथाओं** का उपयोग किया जाता है। • STH की मैपिंग हेतु नोडल एजेंसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है। • यह कार्यक्रम 1-19 वर्ष तक के सभी बच्चों में आँतों के कृमि संक्रमण का उपचार करने हेतु वर्ष में एक नियत तिथि (प्रतिवर्ष 10 फरवरी) को आयोजित किया जाता है।

20.16. आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन

Ayushman Bharat -National Health Protection Mission (AB-NHPM)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक वर्ष प्रत्येक	• यह BPL परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक	• यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) का विलय करता है।

परिवार को पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा कवर प्रदान करना। • राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA)- इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) के प्रबंधन हेतु स्थापित किया जाएगा।	स्वास्थ्य बीमा योजना है। • लाभार्थियों की पहचान SECC-2011 के आधार पर की जाएगी।	• JAM का प्रयोग: यह एक कैशलेस और आधार-सक्षम पहल होगी ताकि लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। • यह **सम्पूर्ण देश में** वहनीय **(पोर्टेबल)** होगा और इस योजना के तहत कवर किये गए किसी लाभार्थी को पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक/निजी सूचीबद्ध अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी। • यह योजना प्रधान मंत्री आरोग्य मित्र (PMAM) नामक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के एक कैडर का निर्माण कर रही है। ये लाभार्थियों हेतु अस्पताल में इलाज कराने के लिए सुविधा प्रदान करने वाले प्राथमिक बिंदु होंगे और इस प्रकार, स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे। • NHPS के साथ ही आयुष्मान भारत कार्यक्रम का एक अन्य घटक, **स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर)** है। • स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की परिकल्पना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में की गयी है। इसके अंतर्गत 1.5 लाख केन्द्रों के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को लोगों के घरों के निकट लाया जाएगा। ये केंद्र व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगे जिनमें गैर-संचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। • **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना):** 10 करोड़ से अधिक गरीब और सुभेद्य परिवारों (SECC डेटा के आधार पर चुने गए लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल हेतु प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रति परिवार तक कवरेज प्रदान करती है।

20.17 राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN)

(Rashtriya Arogya Nidhi)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। .	• जानलेवा रोगों से पीड़ित, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीज़।	• RAN को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। • वित्तीय सहायता **'वन टाइम ग्रांट'** (एकमुश्त अनुदान) के रूप में प्रदान की जाती है। • RAN के तहत सीधे मरीजों को सहायता प्रदान नहीं की जाती है, अपितु जिस अस्पताल में चिकित्सा की जा रही है उसके अधीक्षक को यह सहायता दी जाती है। **सरकारी अस्पताल** में इलाज करवाने पर ही सहायता स्वीकार्य की जाती है। • निम्नलिखित 4 विंडो के माध्यम से इसे परिचालित किया जा रहा है - रिवॉल्विंग फंड, डायरेक्ट फाइनेंसियल असिस्टेंस (प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता), स्टेट इलनेस असिस्टेंस फंड और हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड। • निर्दिष्ट दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए वित्तीय हेतु योजना को भी RAN के तहत शामिल किया गया है।

VISION IAS

20.18. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

Integrated Diseases Surveillance Program (IDSP)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• इसका मुख्य उद्देश्य महामारी-प्रवण रोगों (एपिडेमिक प्रोन डिज़ीज़) के लिए विकेंद्रीकृत, प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी तंत्र को सशक्त बनाना/बनाये रखना है। इससे रोग के रुझानों की निगरानी की जा सकेगी तथा प्रशिक्षित रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT) द्वारा महामारी के प्रसार के प्रारंभिक चरण में ही उसका पता लगाकर उचित अनुक्रिया की जा सकेगी।	• यह एक **केंद्रीय रोग निगरानी इकाई** तथा प्रत्येक राज्य में राज्य निगरानी इकाई की स्थापना का प्रावधान करता है। इन इकाइयों में डेटा एकत्रित और विश्लेषित किया जाता है। • समय पर निवारक कदम उठाने के लिए एक **पूर्व चेतावनी प्रणाली** स्थापित की गई है। • IDSP के अंतर्गत साप्ताहिक आधार पर महामारी-प्रवण रोगों पर डाटा एकत्र किया जाता है। • किसी भी क्षेत्र में किसी रोग में वृद्धि के रुझान देखे जाने पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम द्वारा उसकी जाँच की जाती है ताकि उसका निदान (डायग्नोसिस) और उसके प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। • यह कार्यक्रम संचारी तथा गैर-संचारी रोगों, दोनों को कवर करता है तथा पशुजन्य (ज़ूनोटिक) रोगों के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोग पर मुख्य ध्यान केंद्रित करता है। • **IHIP (इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म) के एक भाग के रूप में IDSP का उद्देश्य** सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं से, सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर डेटा प्राप्त करना है।

20.19. सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा

(Intensified Diarrhea Control Fortnight : IDCF)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• सम्पूर्ण देश में डायरिया से प्रभावित बच्चों में ORS और जिंक के प्रयोग के सन्दर्भ में उच्च कवरेज सुनिश्चित करना। • पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम तथा प्रबंधन हेतु देखभालकर्ताओं में उचित व्यवहार का समावेश करना। • उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा सुभेद्य समुदायों पर विशेष ध्यान देना।	• इसमें तीन कार्यवाही फ्रेमवर्क शामिल हैं- ○ **एकजुट करना (Mobilize):** स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों (NGO) को एकजुट करना। ○ **निवेश को प्राथमिकता:** सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से इस प्रयोजन हेतु निवेश को प्राथमिकता में रखना। ○ **जन जागरुकता का प्रसार:** राज्य, जिला तथा ग्राम स्तर पर ORS तथा जिंक थेरेपी का प्रदर्शन (demonstration) किया जाएगा। • IDCF रणनीति के तीन पहलू हैं, जो इस प्रकार हैं: ○ समुदाय स्तर पर ORS और जिंक की बेहतर उपलब्धता तथा उपयोग। ○ डीहाइड्रेशन के मामलों को प्रबंधित करने के लिए सुविधा केंद्र स्तर पर सुदृढ़ीकरण। ○ IEC अभियान के माध्यम से डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण के समर्थन तथा इस सन्दर्भ में संचार में वृद्धि।

20.20. नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम

(National Viral Hepatitis Control Program)

उद्देश्य	विशेषताएं
वायरल हेपेटाइटिस के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना।	• केंद्र में **राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई** की स्थापना करना जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हेपेटाइटिस सेल के रूप में कार्य करेगी। • **राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई** की स्थापना करना जो प्रथम वर्ष में राज्य समन्वय इकाई भी होगी और मौजूदा राज्य स्वास्थ्य प्रशासन संरचना अर्थात् राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के अंतर्गत हैपेटाइटिस सेल के रूप में कार्य करेगी।

VISION IAS

	• हेपेटाइटिस वायरल के परीक्षण के लिए आवश्यक नैदानिक कार्यों हेतु राज्य में **मौजूदा प्रयोगशालाओं का उन्नयन करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना**। इस कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस B और C के लिए **नि:शुल्क दवाएं और निदान** सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। • सार्वजनिक क्षेत्र में **665 परीक्षण केंद्रों की स्थापना करना** जो 3 वर्षों में गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय परीक्षण तक पहुँच और हेपेटाइटिस के निदान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। • सार्वजनिक क्षेत्र में कम से कम **100 उपचार स्थलों की स्थापना करना** जो 3 वर्षों में हेपेटाइटिस C के उपचार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ हेपेटाइटिस वायरल के गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय प्रबंधन तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। इसका लक्ष्य तीन वर्ष की अवधि में हेपेटाइटिस C के कम से कम 3 लाख मामलों का उपचार करना है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम' लॉन्च किया है।

20.21. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल

(IT Initiatives in Health)

योजना	अपेक्षित लाभार्थी
ANM ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्थात् अनमोल (ANMOL)	• यह एक टेबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो ANMs को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के डेटा को अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह आधार सक्षम होगा।
किलकारी	• इसके तहत सीधे परिवार के मोबाइल फोनों पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़े 72 ऑडियो संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के एक वर्ष का होने तक भेजे जाते हैं।
ई -रक्तकोष पहल	• यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जो राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से जोड़ती है।

20.22. अन्य योजनाएँ

(Other schemes)

पहल	विशेषताएँ
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB)& Visual Impairment (NPCB&VI)	• दृष्टिहीनता के प्रसार को 1.4% से घटा कर 0.3% के स्तर तक लाने के उद्देश्य से इसे वर्ष 1976 में 100% केंद्र प्रायोजित योजना (वर्तमान में उत्तर-पूर्व के राज्यों हेतु 90:10 तथा अन्य सभी राज्यों हेतु 60:40 के अनुपात में) के रूप में आरम्भ किया गया था। • वर्तमान में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गैर-संचारी रोगों सम्बन्धी घटक का एक भाग बना दिया गया है। • NPCB का वर्तमान लक्ष्य 2020 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को कम करके 0.3 प्रतिशत तक ले आना है। • वर्ष 2017 में, वैश्विक तुलना के लिए दृष्टिहीनता की परिभाषा को परिवर्तित कर इसे WHO द्वारा प्रयुक्त दृष्टिहीनता की परिभाषा के अनुरूप कर दिया गया।
प्रोजेक्ट सनराइज	• यह पूर्वोत्तर भारत के लिए AIDS की रोकथाम हेतु एक विशेष कार्यक्रम है। इसे आठ राज्यों के 20 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य 2020 तक 90%

VISION IAS

	HIV ग्रस्त नशे के आदी व्यक्तियों की पहचान करना तथा उन्हें उपचार के अंतर्गत शामिल करना है। • यह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत वित्तपोषित है। इसे राज्य एड्स नियंत्रण संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम - iv (NACP-IV)	• इसके आरम्भ के समय इसका उद्देश्य पांच वर्षों (2012-2017) में सजग और सुपरिभाषित एकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भारत में इस महामारी की व्युत्क्रमण प्रक्रिया को तीव्र करना तथा इसकी रोकथाम को और सुदृढ़ बनाना था। • इसके उद्देश्य थे: ○ नए संक्रमण के मामलों में 50% की कमी करना (NACP III की आधार रेखा - 2007) ○ HIV/एड्स से पीड़ित सभी व्यक्तियों की व्यापक देखभाल और सहायता सुनिश्चित करना और उन सभी के लिए उपचार सेवाएं प्रदान करना जिन्हें इसकी आवश्यकता है। • इसे **शून्य संक्रमण, शून्य कलंक और शून्य मृत्यु** के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। • हाल ही में कैबिनेट ने NACP-IV को 2017 से 2020 तक, तीन वर्ष की अवधि के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की है।
मिशन सम्पर्क	इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जिनका फॉलो अप नहीं हो पाया है तथा जिन्हें एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी (ART)सेवाओं के अंतर्गत लाया जाना अभी शेष है। इसके तहत HIV ग्रस्त व्यक्तियों की शीघ्र पहचान हेतु समुदाय-आधारित परीक्षण किया जाएगा। **टारगेट 90-90-90 ट्रीटमेंट फॉर आल** • 2020 तक, HIV से प्रभावित लोगों में से 90 प्रतिशत को उनके HIV संक्रमण की जानकारी हो जाएगी। • 2020 तक, कुल व्यक्ति जिनके HIV संक्रमण की पहचान कर ली गयी है, में से 90 % व्यक्ति नियमित एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी प्राप्त करने लगेंगे। • 2020 तक, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी प्राप्त कर रहे लोगों में से 90 % व्यक्तियों में वायरल सप्रेशन (रक्त में मौजूद वायरसों की संख्या का इस स्तर तक गिर जाना कि परीक्षण के माध्यम से उसका पता न लगाया जा सके) हो जाएगा।
उपचार के लिए किफायती दवाएं एवं विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) योजना {Affordable Medicines And Reliable Implants For Treatment (AMRIT) Program}	• AMRIT फार्मेसी के नाम से स्थापित खुदरा दुकानों पर कैंसर तथा हृदय रोग से संबंधित दवाइयाँ प्रचलित बाजार दरों से 60 से 90 प्रतिशत तक कम मूल्य पर उपलब्ध करायीं जाती हैं। • यह योजना सरकार के स्वामित्व वाली HLL लाइफकेयर लिमिटेड के सहयोग से संचालित की जा रही है। HLL लाइफकेयर लिमिटेड को सम्पूर्ण देश में अमृत फार्मेसियों की श्रृंखला स्थापित करने और उनके संचालन के लिए नियुक्त किया गया है। .यह उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ देखभाल और जानकारी पहुँचाने में मदद करता है जहां अभी तक इनकी उपलब्धता नहीं है।

VISION IAS

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	यह योजना **किफायती स्वास्थ्य देखभाल में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक** करेगी। इसके साथ ही यह भारत के विभिन्न भागों के AIIMS स्थापित करके और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाकर अल्प-सेवित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाएगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल- 2018	• इस वार्षिक प्रकाशन का उद्देश्य **भारत की स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का एक डेटाबेस तैयार करना** है, जो व्यापक, अद्यतित और स्वास्थ्य क्षेत्रक के सभी हितधारकों के लिए आसानी से सुलभ हो। • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: जनसांख्यिकी संबंधी सूचना, सामाजिक-आर्थिक सूचना, स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य वित्त संकेतक, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे पर व्यापक सूचना और स्वास्थ्य क्षेत्रक में मानव संसाधन। • इसे **सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस (CBHI)** द्वारा तैयार किया जाता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपॉजिटरी (National Health Resource Repository: NHRR)	• यह भारत के सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के प्रामाणिक, मानकीकृत और अद्यतित भू-स्थानिक डेटा (Geospatial data) का पहला भंडार है। इसके अंतर्गत अन्य पक्षों के साथ ही अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं, चिकित्सकों और फार्मेसियों आदि का डेटा भी शामिल किया गया है। • NHRR की अवधारणा CBHI द्वारा दी गयी है। डेटा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ISRO इस परियोजना का तकनीकी भागीदार है। • सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत अस्पतालों, चिकित्सकों, क्लीनिकों, नैदानिक प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों और नर्सिंग होम जैसे स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को इस गणना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
निक्षय पोषण योजना (NKY)	• **तपेदिक (TB) रोगियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना -** अप्रैल 2018 में शुरू की गई निक्षय योजना की प्रगति काफी धीमी रही है। अभी तक पंजीकृत रोगियों में से केवल 26% को नकद हस्तांतरण प्राप्त हुआ है। • भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। • उपचारात्मक सुविधा प्राप्त कर रहे सभी मौजूदा टीबी रोगियों के साथ-साथ 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद दर्ज (अधिसूचित) सभी टीबी रोगी प्रोत्साहन प्राप्ति हेतु पात्र हैं। इस हेतु रोगी का निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। • प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी के लिए 500 रुपये प्रति माह नकद या अन्य किसी रूप में प्रोत्साहन, टीबी के उपचार की अवधि के दौरान लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान किया जाता है। • इसका कार्यान्वयन **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के तहत किया जाता है।
राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (NFPIS)	• इसके तहत नसबंदी के उपरांत होने वाली मृत्यु, जटिलताओं और विफलता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट (उपयोगकर्ता) का बीमा किया जाता है। इसके आलावा सेवा प्रदाताओं/स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को ऐसी दुर्घटनाओं की दशा में अभियोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है।

VISION IAS

21. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises)

21.1.फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स II: फेम

(Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles II : FAME)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाजार निर्माण और स्वदेशीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तीव्र अंगीकरण को प्रोत्साहित करना है। • देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी वाले वाहनों को अपनाने और बाजार निर्माण करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना। • 2030 तक 30% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य प्राप्त करना है (पूर्ववर्ती लक्ष्य 100% था)।	• FAME चरण 2 इस योजना के चरण 1 (जो 2015 में आरम्भ हुआ था और जिसे मार्च 2019 तक विस्तारित किया गया था) के आधार पर निर्मित है। इसमें उपभोक्ता खंड की तुलना में सार्वजनिक परिवहन/वाणिज्यिक खंड में EVs को अपनाने पर बल देने के माध्यम से मांग-सृजन पर अधिक ध्यान दिया गया है। • **इसे 2019-20 से लेकर 2021-22 तक 3 वर्षों** की अवधि हेतु कार्यान्वित किया जाएगा। • **सार्वजनिक और साझा परिवहन का विद्युतीकरण: इसके तहत** 10 लाख e-2W (इलेक्ट्रिक-दोपहिया), 5 लाख e-3W (इलेक्ट्रिक-तीनपहिया), 55000 4Ws (इलेक्ट्रिक-चारपहिया) और 7000 बसों हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने की योजना है। • राज्य/शहर परिवहन निगमों (STU) के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों के लिए परिचालन संबंधी व्यय विधि पर मांग प्रोत्साहन (डीमांड इंसेंटिव) प्रदान किये जाएंगे। • सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत 3-पहिया/4-पहिया वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। • **e-2W** खंड में निजी वाहनों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। • **स्थानीय विनिर्माण**: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण घटकों, विशेष रूप से लीथियम आयन बैटरियों के स्थानीय विनिर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। • **चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना:** सम्पूर्ण देश में महानगरों, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों और पहाड़ी राज्यों के शहरों में लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। • ये दिशा-निर्देश शहरों में 3 कि.मी के ग्रिड में; और प्रत्येक 25 कि.मी पर बड़े शहर समूहों को जोड़ने वाले राजमार्गों के दोनों किनारों पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना प्रस्तावित करते है। • तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के मौजूदा खुदरा आउटलेट्स को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। • यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 के तहत है।

VISION IAS

21.2. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP)

(National Electric Mobility Mission Plan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका उद्देश्य देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पूर्ण राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना है।	• इसका लक्ष्य 2020 तक सालाना 6-7 मिलियन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। • सरकार का लक्ष्य इस नई प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिसे एक कुशल और प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली/पोर्टल के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा।

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE
PRELIMS GS PAPER - 1

FOUNDATION COURSE
GS MAINS

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Duration: 90 classes (approximately)

- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination

Duration: 110 classes (approximately)

- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform Includes comprehensive, relevant & updated study material

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

22. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

22.1. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS)

(Crime and Criminal Tracking Network and Systems)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• एक वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करना। • राष्ट्रीय डेटाबेस के माध्यम से किसी व्यक्ति के अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड की अखिल भारतीय स्तर पर खोज की सुविधा प्रदान करना है। • राज्य तथा केंद्र के स्तर पर अपराध तथा अपराधियों की रिपोर्ट तैयार करना। • पुलिस प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण	• यह कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लिकेशन (CIPA) (2004-09) नामक गैर-नियोजन योजना के अनुभव के आधार पर तैयार की गई नियोजन योजना है। • इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस के सिद्धांत के माध्यम से पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना तथा 'अपराध की जांच और अपराधियों का पता लगाने' वाले IT सक्षम अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली के विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। • राज्यों के पुलिस नेतृत्व के सहयोग से गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) कार्यक्रम के नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। • **CCTNS परियोजना के अंतर्गत डिजिटल पुलिस पोर्टल आरम्भ किया गया है:** यह नागरिकों को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने में सक्षम बनाएगा। पोर्टल प्रारम्भ में 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 7 सार्वजनिक वितरण सेवाएं प्रदान करेगा जैसे व्यक्ति और पते का सत्यापन उदाहरण के लिए कर्मचारियों, किरायेदारों, नर्सों आदि का सत्यापन, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति, खोई तथा पायी गयी वस्तुओं से सम्बंधित कार्यवाहियां तथा वाहन की चोरी आदि। • इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) का लक्ष्य प्रथम चरण में CCTNS प्रोजेक्ट को ई-कोर्ट और ई-जेल डेटाबेस के साथ और तत्पश्चात् एक चरणबद्ध तरीके से इसे आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तम्भों जैसे फोरेंसिक, अभियोजन, बाल-सुधार गृह तथा अपराधियों के देशव्यापी फिंगर प्रिंट डाटाबेस के साथ एकीकृत करना है।

22.2. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(Border Area Development Programme: BADP)

उद्देश्य	विशेषताएं
• अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं की पूर्ति करना। • केंद्रीय/राज्य/ BADP/ स्थानीय	• सीमा प्रबंधन हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में **गृह मंत्रालय** का **सीमा प्रबंधन प्रभाग** राज्य सरकारों के सहयोग से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) का कार्यान्वयन कर रहा है। • यह एक ओर **सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना में विद्यमान अंतर को कम करने के लिए राज्य योजना की निधि को अनुपूरित करने** तथा दूसरी ओर **सीमावर्ती क्षेत्रों में**

VISION IAS

योजनाओं का अभिसरण कर तथा सहभागी दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी आवश्यक अवसंरचनात्मक जरूरतों की पूर्ति करना।	**सुरक्षात्मक परिवेश को सुदृढ़ बनाने** के माध्यम से इन इलाकों (अर्थात् सीमावर्ती क्षेत्रों) का विकास करने हेतु केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल (हस्तक्षेप) है। • इसके अंतर्गत **सम्मिलित राज्य** हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। • BADP का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं, स्वायत परिषदों तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से **भागीदारी एवं विकेन्द्रीकृत आधार** पर किया जाता है। **BADP में हालिया बदलाव** • सीमावर्ती गांवों के व्यापक और समस्त विकास के लिए, **61 मॉडल गांवों को विकसित** करने का निर्णय लिया गया है। • प्रत्येक मॉडल गांव सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत रूप से रहने में सक्षम बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक केंद्र, कनेक्टिविटी, जल निकासी, पेयजल इत्यादि जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा। • BADP के तहत विभिन्न परियोजनाओं के बेहतर नियोजन, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए **BADP ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली** प्रारंभ की गई है। • सीमावर्ती राज्य अपनी संबंधित **वार्षिक कार्य योजनाएं ऑनलाइन प्रस्तुत** कर सकते हैं और **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम** से गृह मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा और योजना और कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

22.3 महिला एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम

(Cyber Crime Prevention Against Women and Children:CCPWC)

उद्देश्य	मुख्य बिंदु
देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए एक प्रभावी तंत्र के निर्माण के लिए	• योजना की प्रमुख विशेषताएं: ○ ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म ○ एक राष्ट्रीय स्तर की साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला ○ पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों और अभियोजकों का प्रशिक्षण ○ साइबर अपराध जागरुकता गतिविधियों का संचालन ○ अनुसंधान एवं विकास • केंद्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल चाइल्ड पोर्नोग्राफी (CP), बाल यौन उत्पीड़न सामग्री (CSAM), दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म जैसी यौन सामग्री से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री के मामले में शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी।

VISION IAS

22.4. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	विशेषता
मादक द्रव्य नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता	• इसका उद्देश्य उन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना है जो मादक द्रव्यों की अंतरराज्यीय और सीमा-पार तस्करी को नियंत्रित करने में योगदान कर रहे हैं। इसके तहत सभी एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • मादक पदार्थ प्रशासन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) राज्य सरकारों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा।
UDAAN	• यह जम्मू-कश्मीर (J&K) के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक विशेष उद्योग पहल है। • यह J&K के उन युवाओं के लिए कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है जो स्नातक, स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियर हैं। • साथ ही, इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा पूल तक कॉर्पोरेट भारत को पहुँच प्रदान करना भी है।
भारत के वीर	• यह एक आईटी आधारित प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य इच्छुक दानदाताओं को उस वीर सैनिक के परिवार की सहायता करने में सक्षम बनाना है जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। दान की गई राशि को उस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल/केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बल के सैनिक के 'निकटतम संबंधी' के खाते में जमा किया जाएगा।
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (MPF)	• मंत्रिमंडल ने 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF)' की वृहद अम्ब्रेला योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। • इस योजना का उद्देश्य राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना और उनके प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिससे **आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थितियों को नियंत्रित करने हेतु सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर राज्य सरकारों की निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा सके।**
'ई-सहज' (e-Sahaj) पोर्टल	• यह पोर्टल कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में संगठनों/व्यक्तियों को, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कंपनियों/बोली लगाने वालों/व्यक्तियों को लाइसेंस/परमिट, अनुमति, अनुबंध आदि जारी करने से पूर्व सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है।

VISION IAS

23. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs)

23.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)- शहरी

(Pradhan Mantri Awas Yojana)-Urban

PMAY (शहरी) & PMAY (ग्रामीण) का मुख्य लक्ष्य → सभी के लिए वर्ष 2022 तक आवास मिशन

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• 2022 तक संपूर्ण देश में 2 करोड़ घरों का निर्माण करना। • 3 चरणों में 500 क्लास-1 शहरों पर प्रारंभिक रूप से ध्यान देते हुए पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करना जिसमें 4041 वैधानिक कस्बें सम्मिलित होंगे।	• इसके लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल हैं: आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (Economically weaker section: EWS), निम्न आय समूह (Low-Income Groups: LIGs) तथा मध्यम आय समूह (Middle Income Groups: MIGs) • EWS के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये, LIGs के लिए 3-6 लाख रुपये तथा MIGs के लिए 6 लाख रुपये से अधिक किंतु 18 लाख रुपये कम निर्धारित की गयी हैं। • देश के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के परिवार के पास या लाभार्थी के नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।	• इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(UTs) के माध्यम से निम्नलिखित हेतु शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी: ○ निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का इस्तेमाल कर मूल स्थान पर ही मौजूदा झुग्गी वासियों का पुनर्वासन; ○ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (Credit Linked Subsidy Scheme: CLSS); ○ सार्वजनिक या निजी क्षेत्रक के साझेदारी में वहनीय आवास; ○ लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर के निर्माण के लिए सब्सिडी। • जहाँ CLSS घटक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme: CSS) के रूप में कार्यान्वित की जाएगी, वहीं अन्य तीनों घटकों का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS) के रूप में किया जाएगा। • जहाँ EWS श्रेणी के लाभार्थी इस मिशन के उपरोक्त चारों घटकों के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगे, वहीं LIG तथा MIG श्रेणी के लाभार्थी केवल मिशन के CLSS घटक के लिए ही पात्र होंगे। • इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित/अधिगृहित घर वस्तुतः परिवार की महिला मुखिया (head) अथवा घर के पुरुष मुखिया व उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। परिवार में किसी वयस्क महिला सदस्य के न होने की स्थिति में ही पुरुष सदस्य के नाम पर घर हो सकता है। • अपने राज्यों में आवास की मांग को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है। • झुग्गी पुनर्वासन कार्यक्रम के तहत प्रति घर औसतन एक लाख रुपये केंद्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया

VISION IAS

		जाएगा। • CLSS के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) तथा आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) को केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है। • इस योजना के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु जिओ-टैगिंग का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पूंजी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) को अपनाया गया है। निर्माण संबंधी नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाये जाने के लिए टेक्नोलॉजी सब-मिशन प्रारंभ किया गया है। • सरकार ने वहनीय आवास क्षेत्रक को "अवसंरचना का दर्जा" (infrastructure status) प्रदान किया है, इससे PMAY को बढ़ावा मिलेगा।

23.2 दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

(Deen Dayal Antyodaya Yojana/National Urban Livelihoods Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं

• कौशल विकास के माध्यम से सतत आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार लाना।	• शहरी गरीब:
	  ○ स्ट्रीट वेंडर,
	  ○ झुग्गीवासी,
	  ○ बेघर,
	  ○ कूड़ा उठाने वाले,
	• बेरोजगार,
	• निःशक्तजन।
		राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को 2013 में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (MHUPA) द्वारा मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) को प्रतिस्थापित करके आरंभ किया गया था।
		इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
		• **कौशल प्रशिक्षण और नियोजन (Placement) के माध्यम से रोजगार:** इसे शहर आजीविका केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
		• **सामाजिक गतिविधि और संस्थागत विकास:** इसे सदस्यों के प्रशिक्षण तथा उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) के गठन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इसमें प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये का प्रारंभिक समर्थन दिया जाता है।
		• **शहरी गरीबों को सब्सिडी:** 2 लाख रुपये तक के ऋण वाले व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो-इंटरप्राइजेज) तथा 10 लाख रुपये तक के ऋण वाले समूह उद्यमों (ग्रुप-इंटरप्राइजेज) की स्थापना हेतु 5-7% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
		• **शहरी बेघरों के लिए आश्रय:** इस योजना के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रयों के निर्माण की लागत पूर्णतः वित्त पोषित है।
		• **अन्य साधन:** वेंडर्स के लिए बाज़ारों का विकास करना तथा अवसंरचना की स्थापना के माध्यम से वेंडर्स के कौशल को बढ़ावा देना। साथ ही, कूड़ा उठाने वालों और दिव्यांगों आदि के लिए विशेष परियोजनाएं।
		• हाल ही में आवास मंत्रालय द्वारा PAiSA (पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस) नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका

VISION IAS

		मिशन (DAY-NULM) के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सबवेंशन) को संसाधित (प्रोसेसिंग) करने के लिए एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

23.3. स्मार्ट सिटी मिशन

Smart Cities Mission

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल अवसंरचनाएँ (core infrastructure) उपलब्ध कराएँ और अपने नागरिकों को पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करें, एक स्वच्छ व संधारणीय पर्यावरण का विकास करें तथा 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग को प्रोत्साहन दें। • इसका उद्देश्य संधारणीय एवं समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऐसे उदाहरण स्थापित करना भी है जिनका स्मार्ट सिटी के अंदर और बाहर, दोनों जगह अनुकरण किया जा सके ताकि देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्मार्ट सिटीज़ के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके। • विशेष रूप से निर्धनों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए जीवन को सरल बनाना।	• मिशन में **100 शहरों को सम्मिलित** किया जाएगा और इसकी अवधि पांच वर्ष होगी (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019- 20 तक)। • स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र-आधारित विकास के **रणनीतिक घटक हैं -** शहर में सुधार (रेट्रोफिटिंग), शहर नवीनीकरण (पुनर्विकास) और शहर विस्तार (ग्रीनफील्ड विकास) तथा एक शहर-व्यापी (पैन-सिटी) पहल है जिसमें शहर के अधिकांश भाग पर स्मार्ट समाधान लागू किए जाएंगे। • स्मार्ट सिटी मिशन को एक **केन्द्र प्रायोजित योजना** (CSS) के रूप में संचालित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मिशन को पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये अर्थात् प्रति वर्ष प्रति शहर लगभग 100 करोड़ रुपये की औसत **वित्तीय सहायता** देने का प्रस्ताव है। **इसमें राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (ULB) को, केंद्र द्वारा दी गयी राशि से संगत समान राशि का योगदान करना होगा।** • राज्यों को एक **'सिटी चैलेंज प्रतियोगिता'** हेतु अपने शहरों का नाम देने के लिए कहा जाता है। इसमें चयनित शहरों को केंद्रीय निधि प्राप्त होगी। • शहरों द्वारा अपने **स्मार्ट सिटी प्रस्ताव** (SPV) को तैयार किया जायेगा। इसमें संसाधन जुटाने की योजना तथा अवसंरचना के उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के सन्दर्भ में लक्षित परिणाम सम्मिलित होंगे। • शहर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन एक **स्पेशल पर्पज़ व्हीकल** (SPV) द्वारा किया जाएगा, जिसका प्रमुख एक CEO होगा और इसके बोर्ड में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और ULBs द्वारा नामित सदस्य होंगे। इसके प्रवर्तक (प्रमोटर) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और ULB होंगे एवं इनकी इक्विटी शेयरधारिता 50:50 होगी। • भारत सरकार द्वारा SPV को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदत्त निधियां सशर्त अनुदान के रूप में होंगी और इन्हें एक पृथक अनुदान कोष में रखा जाएगा। • **SCM के तहत, अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर 4 चक्रों में 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है। सभी 100 शहरों द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) स्थापित किए गए हैं।**
स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत अन्य महत्वपूर्ण पहलें	• **"ईज़ ऑफ़ लिविंग"** सूचकांक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की एक पहल है जो शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उनमें रहने की सुगमता का आकलन करने में सहायता करता है तथा शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के 'परिणाम-आधारित' दृष्टिकोण को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है। • **CITIIS (सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन)** नामक एक अखिल भारतीय चुनौती 9 जुलाई, 2018 को एज़ोन्स फ्रांसेज़ डे डेवेलोपमेंट (Agence Française de Développement: AFD) और यूरोपीय संघ की साझेदारी में प्रारंभ की गयी थी। अखिल भारतीय चुनौती के माध्यम से चयनित 15 नवीन

VISION IAS

	परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट शहरों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। • 9 जुलाई, 2018 को स्मार्ट सिटीज़ डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2018 लॉन्च किए गए थे। पुरस्कारों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और भुगतान संबंधी अभिनव पहलों के कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट शहरों का मार्गदर्शन करना, उन्हें प्रेरित करना, पहचान प्रदान करना एवं पुरस्कृत करना है।

23.4. अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन

(Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation: AMRUT)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
यह मिशन निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा: • जलापूर्ति, • सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन, • बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, • पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल; • विशेष रूप से बच्चों के लिए हरे-भरे स्थानों, पार्कों और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण तथा उनका उन्नयन करके शहरों की ऐमेनिटी वैल्यू को बढ़ाना अर्थात् उन्हें अधिक सुविधाजनक बनाना। .	• अमृत के तहत पांच सौ शहरों को शामिल किया जाएगा। इनमें सम्मिलित हैं: ○ छावनी बोर्ड (नागरिक क्षेत्र) सहित अधिसूचित नगर पालिकाओं वाले ऐसे सभी शहर और कस्बे जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है; ○ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे सभी राजधानी शहर/कस्बे जो उपर्युक्त बिंदु में शामिल नहीं हैं; ○ HRIDAY योजना के तहत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहर/कस्बे, ○ मुख्य नदियों पर स्थित 13 शहर और कस्बे जिनकी आबादी 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम है; और ○ पर्वतीय राज्यों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों से दस शहर (प्रत्येक राज्य से एक से अधिक नहीं)। • AMRUT के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 तक पांच वर्षों के लिए कुल व्यय 50,000 करोड़ रुपये है और मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जाएगा। • वार्षिक बजट आवंटन का दस प्रतिशत पृथक रखा जाएगा और इसे प्रत्येक वर्ष राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सुधार करने पर प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। • राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं में उल्लिखित उपलब्धि के आधार पर केंद्रीय सहायता 20:40:40 के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाएगी। • केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरण के 7 दिनों के भीतर राज्य शहरी स्थानीय निकायों को धन हस्तांतरित करेंगे और धनराशि का इस्तेमाल किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं होगा। • यह परियोजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्यों को समान भागीदार बनाता है। इस प्रकार MoHUA द्वारा परियोजना-दर-परियोजना स्वीकृति को वर्ष में एक बार राज्य वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति से प्रतिस्थापित कर, यह सहकारी संघवाद की भावना को वास्तविक स्वरुप प्रदान करता है। वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के उपरांत राज्य परियोजनाओं का अनुमोदन और उनकी स्वीकृति अपने स्तर से कर सकते हैं। • इसके अंतर्गत मिशन में शामिल शहरों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता का निर्माण भी शामिल है। • हाल ही में, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने AMRUT के अंतर्गत शामिल ULBs को म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है।

VISION IAS

23.5. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना (हृदय)

(National Heritage City Development and Augmentation Yojana: HRIDAY)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। सुंदरतापूर्ण, सुलभ, शिक्षाप्रद और सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहित करके शहर के अद्वितीय चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए विरासत शहर की आत्मा को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। • 4 वर्ष एवं 3 माह की अवधि (मार्च 2019 तक) और 500 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ, इसे 12 शहरों अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल में लागू किया जा रहा है। यह योजना मिशन मोड के रूप में लागू की गई है। • यह योजना व्यापक रूप से चार विषयगत क्षेत्रों (theme areas) अर्थात भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना, आर्थिक अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करेगी। • चिह्नित किये गये शहरों/कस्बों को योजना के तहत सहायक सहायता प्राप्त करने हेतु शहर/कस्बे के लिए विरासत प्रबंधन योजना (HMP) तैयार करनी होगी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को विकसित और निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

23.6 स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)

(Swachh Bharat Mission)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• खुले में शौच से मुक्ति। • अस्वास्थ्यकर शौचालयों का फ्लश शौचालयों में रूपांतरण, हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्केवेंजिंग) का उन्मूलन, • नगर निगम के ठोस अपशिष्ट का 100% संग्रहण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण/निपटान, पुन: उपयोग /पुनर्चक्रण। • स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में लोगों में एक व्यवहारिक परिवर्तन लाना। • स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर स्वच्छता प्रभावों के बारे में नागरिकों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना। • डिजाइन, निष्पादन और व्यवस्था को संचालित करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना। • पूंजीगत व्यय और संचालन एवं रखरखाव (O&M) लागत में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु समर्थकारी वातावरण का सृजन।	• मिशन 2 अक्टूबर 2019 तक लागू रहेगा। • मिशन के निम्नलिखित घटक हैं: - ○ घरेलू शौचालयों का निर्माण, ○ समुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय, ○ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ○ सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) तथा जन जागरूकता, ○ क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (A&OE) • केंद्र सरकार और राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के बीच फंडिंग पैटर्न है- 75%: 25% (उत्तर पूर्वी और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90%: 10%)। • उक्त घटकों के वित्त पोषण में अंतराल की भरपाई लाभार्थी योगदान, निजी वित्त पोषण, कॉर्पोरेट सामाजिक उतरदायित्व (CSR) के तहत निजी कंपनियों से प्राप्त धन और **वित्त मंत्रालय के स्वच्छ भारत कोष** से की जा सकती है।

संबंधित पहलें	
स्वच्छ सर्वेक्षण 2019	• **स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के चौथे संस्करण का उद्देश्य** रैंकिंग प्रक्रिया को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत सभी शहरों तक विस्तारित करना है (स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में 4,203 शहरों को रैंक प्रदान की गई थी)। इस सर्वेक्षण के संचालन का उत्तरदायित्व क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) पर है। • **सर्वेक्षण की विशिष्ट विशेषताओं में** शामिल हैं- बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कचरा मुक्त और खुले में शौच मुक्त शहरों की दिशा में किए गए प्रयासों की संधारणीयता को सुनिश्चित करना तथा विश्वसनीय परिणाम प्रदान करना जिन्हें तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा। • **आंकड़ों को 4 व्यापक स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा,** ये हैं- सेवा स्तर प्रगति, प्रत्यक्ष अवलोकन, नागरिकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि (फीडबैक) और प्रमाणन (हाल में शामिल)।
SBM ODF + और ODF ++ प्रोटोकॉल	• मार्च 2016 में जारी किए गए मूल ODF प्रोटोकॉल में वर्णित किया गया है, "यदि दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है तो उस शहर/वार्ड को ODF शहर/वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। देश में अब तक 18 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 3223 शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया है। • ODF + प्रोटोकॉल के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि एक शहर, वार्ड या कार्यक्षेत्र को ODF+ के रूप में घोषित किया जा सकता है यदि, "दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच और/या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है, और सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक और सुव्यवस्थित हैं।" • ODF ++ प्रोटोकॉल इस शर्त को जोड़ता है कि "मानव अपशिष्ट गाद/सेप्टेज और सीवेज सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाए; साथ ही अनुपचारित मानव अपशिष्ट गाद/सेप्टेज को नालियों, जल निकायों या खुले क्षेत्रों में प्रवाहित/डंप न किया जाए।" • इस प्रकार, SBM ODF+ प्रोटोकॉल उनकी कार्यक्षमता, स्वच्छता और रखरखाव सुनिश्चित करके सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के सतत उपयोग को बनाए रखने पर केंद्रित है, जबकि SBM ODF++ पूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला को संबोधित करते हुए सुरक्षित संरोधन प्राप्त करने, प्रसंस्करण और मल के निपटान सहित स्वच्छता संधारणीयता प्राप्त करने पर केंद्रित होगा।
स्वच्छ मंच वेब पोर्टल	• यह एक वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है जो स्वच्छता संबंधी पहलों में सम्मिलित होने वाले नागरिकों और संगठनों के सचित्र साक्ष्यों को अपलोड करना सक्षम बनाता है। साथ ही यह 'स्वच्छता' के लिए नागरिकों तथा संगठनों द्वारा किये गए प्रयासों एवं योगदानों को मान्यता प्रदान करने के तौर पर उनके द्वारा किये गये स्वैच्छिक कार्य के समय को भी रिकॉर्ड करता है।

VISION IAS

24. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development)

24.1. समग्र शिक्षा - स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना

Samagra Siksha- An Integrated Scheme for School Education

सुर्ख़ियों में क्यों

सरकार ने समग्र शिक्षा- स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना लांच की।

इस योजना के बारे में

- यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, इसमें 'स्कूल' को स्कूल पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों की निरंतरता के रूप में माना गया है।
- **इसमें तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं –** सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) तथा शिक्षक शिक्षा (TE) शामिल हैं।
- इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:
  - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान** और छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार करना;
  - स्कूली शिक्षा में **सामाजिक और लैंगिक अंतराल को समाप्त करना**;
  - स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना;
  - शिक्षा प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना;
  - व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना;
  - नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (RTE) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता;
  - शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERTs (Social Communication, Emotional Regulation and Transactional Support)/राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट (DIET) का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।
- इसे केंद्र द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एकल राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (SIS) के माध्यम से **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में लागू किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी परिषद और** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक **परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB)** होगा।
- विभाग को एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (EdCIL) के एक तकनीकी सहायता समूह (TSG) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
  - EdCIL, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक **मिनी रत्न (श्रेणी-1) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (CPSE) है।** यह भारत एवं विदेशों में शिक्षा और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।
  - **राज्यों** में समग्र स्कूली शिक्षा क्षेत्र हेतु एक **एकल योजना** आरम्भ किए जाने की उम्मीद है।
  - योजना के लिए केंद्र और राज्यों के बीच **वित्त पोषण का अनुपात** 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा शेष अन्य राज्यों और विधानमंडल वाले संघ शासित क्षेत्रों के लिए 60:40 है। उन केंद्रशासित प्रदेशों में जहाँ विधानमंडल नहीं है, यह योजना 100% केंद्र प्रायोजित है।
  - **योजना के तहत प्रस्तावित कुछ हस्तक्षेपों में शामिल हैं:**
    - अवसंरचना विकास तथा सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण;
    - लैंगिक समता, समावेशी शिक्षा एवं गुणवत्ता;
    - शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता;
    - डिजिटल पहल;
    - स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तकों आदि सहित RTE के तहत प्राप्त अन्य लाभ;

VISION IAS

- प्री-स्कूल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और खेल एवं शारीरिक शिक्षा;
- शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना;

- योजना के तहत हस्तक्षेपों में, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों, नक्सल प्रभावित जिलों, विशेष फोकस वाले जिलों, सीमावर्ती क्षेत्रों और 115 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

24.1.1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

(Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan: RMSA)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि सुनिश्चित करना तथा गुणवत्ता में सुधार करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाना, लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक और विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच आदि लक्ष्यों को पूरा करना।	• इस योजना के तहत प्रदान की गई महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं हैं: अतिरिक्त क्लास रूम, प्रयोगशालाएं, शौचालय खंड, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय होस्टल आदि। • 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने और 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इस योजना में किसी भी आवासीय क्षेत्र से 5-7 किमी के भीतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के माध्यम से नामांकन में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। • इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण गुणात्मक प्रयासों में शामिल है: छात्र:शिक्षक अनुपात को 30:1 तक कम करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति; विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि पर ध्यान केंद्रित करना। • इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण समता मूलक प्रयास हैं: उन्नयन के लिए आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता, विद्यालय खोलने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों के संकेंद्रण वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता आदि। • सुभेद्य समूहों (ST/SC समूहों, अल्पसंख्यक बालिकाओं इत्यादि) पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त, यह दिव्यांग बच्चों के लिए भी समावेशी शिक्षा का लक्ष्य रखता है।

24.1.2. सर्व शिक्षा अभियान

(Sarva Shiksha Abhiyaan)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और शिक्षा से जोड़े रखना। • शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक वर्ग अंतरालों को भरना; और • बच्चों के सीखने के स्तर का संवर्धन करना।	• 6-12 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे।	• एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न हस्तक्षेपों को सम्मिलित किया गया है जैसे नए विद्यालय की स्थापना, शौचालयों निर्माण (स्वच्छ विद्यालय योजना - सभी विद्यालयों में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालय), समय-समय पर शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक संसाधन सहायता आदि। • SSA के अंतर्गत उप-कार्यक्रम: ○ 'पढ़े भारत बढ़े भारत' (PBBB) ○ राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (RAA) ○ विद्यांजली ○ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय - शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ।

VISION IAS

24.1.3.पढ़े भारत बढ़े भारत

(Padhe Bharat Badhe Bharat)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• भाषा विकास में सुधार लाने और गणित में रुचि उत्पन्न करने पर विशेष ध्यान। • घर से विद्यालय के अवस्थांतर में सामाजिक परिप्रेक्ष्य को मान्यता देना।	• अधिगम निष्पादन (लर्निंग परफॉरमेंस) में सुधार करने के लिए कक्षा 1 और 2 के बच्चों पर ध्यान। • रीडिंग इनिशिएटिव: कक्षा 8 तक	• इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और यह संपूर्ण देश में लागू है। • 'पढ़े भारत बढ़े भारत' के दो घटक हैं: अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन (ERWC) और अर्ली मैथमेटिक्स (EM)। • आगे की कार्रवाई के रूप में: नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव को प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बीच पढ़ने की आदत विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था, जिससे यह कार्यक्रम कक्षा 8 तक विस्तारित किया जा सके।

24.1.4. विद्यांजली

(Vidyanjali)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• ऐसे परिवेश का सृजन करना, जहां शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना और अधिगम परिणाम (लर्निंग आउटपुट) में सुधार करना हो।	• सरकारी विद्यालयों, तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी आदि।	• सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में समुदायिक भागीदारी को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाएगा (स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के इच्छुक NRIs, सेवानिवृत्त शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों, रक्षा कर्मियों, पेशेवरों आदि को सम्मिलित करके)। साथ ही बच्चों को सह-शैक्षिक गतिविधियों जैसे पढ़ने, रचनात्मक लेखन, पब्लिक स्पीकिंग, नाटकों में अभिनय, कहानी की किताबें तैयार करने आदि में लगाना। • आरंभिक तौर पर इस कार्यक्रम को 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

24.1.5.राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

(Rashtriya Avishkar Abhiyan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• कक्षा से बाहर के परिवेश में विज्ञान, गणित एवं तकनीक सीखने की क्षमता को बढ़ाना। • स्कूलों को नवाचार के प्राथमिक केन्द्र बनने के लिए प्रोत्साहित और पोषित करना।	• 6-18 आयु वर्ग के छात्र • सरकारी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, विशेष स्कूल, विशेष ट्रेनिंग केंद्र इत्यादि • विज्ञान विषय के कक्षा I से XII तक के स्कूल जाने वाले विद्यार्थी	• अन्वेषणात्मक कार्यक्रमों, छात्र आदान-प्रदान, छात्र भ्रमण, प्रदर्शनी, आदि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने के प्रति एक प्राकृतिक भावना का विकास करने हेतु **विभिन्न संस्थानों जैसे** IITs/ IIMs/ IISERs एवं अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व प्रतिष्ठित संगठनों से परामर्श प्राप्त करना। • यह **अनुच्छेद 51 (A) के अंतर्गत वर्णित मूल कर्तव्य** "वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना के विकास" को बढ़ावा देने हेतु एक कदम है।

VISION IAS

24.2. मध्याह्न भोजन योजना

(Mid-Day Meal Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण (retention) एवं उनकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए • बच्चों में पोषण के स्तर को बढ़ाना।	• सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित **सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (STC) और मदरसों और मकतबों में** कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ने वाले स्कूली बच्चे • **शिक्षा गारंटी योजना (EGS) / वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा (AIE) के** अंतर्गत चलाए जा रहे केंद्र **और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)** के तहत देश भर के सभी क्षेत्रों के स्कूल भी MDM के अंतर्गत शामिल हैं।	• यह प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। • इसके अंतर्गत ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान **सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों** को पोषण सहायता उपलब्ध कराना भी सम्मिलित है। • यह एक **केंद्र-प्रायोजित योजना** है और MDMS की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। • केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। • खाना पकाने की लागत, अवसंरचना के विकास, खाद्यान्न के परिवहन और रसोइयों तथा सहायकों को मानदेय का भुगतान केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है। आवश्यक वित्त का बड़ा भाग केंद्र सरकार प्रदान करती है। • राज्य सरकारों का योगदान विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग होता है। • **राष्ट्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति** और **राष्ट्रीय स्तर की संचालन-सह-निगरानी समिति (NSMC)** के साथ-साथ **कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड** (PAB) इस योजना की निगरानी करते हैं और इसके सुचारु और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाते हैं। • राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक **राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति** और जिला स्तर पर, जिले के **लोकसभा के वरिष्ठतम संसद सदस्य** की अध्यक्षता में एक **जिला स्तरीय समिति योजना** के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

हाल ही में संशोधित मानदंड

- **कुकिंग लागत में मुद्रास्फीति सूचकांक से सम्बद्ध** वार्षिक बढ़ोतरी, यह मिड-डे-मील योजना के तहत खाद्य वस्तुओं पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करेगी।
- PDS दर में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य क्षेत्रों में 75 रुपये क्विंटल से बदलकर परिवहन कर में संशोधन (अधिकतम 150 रुपये प्रति क्विंटल की शर्त पर) किया गया है।
- **प्रबंधन निगरानी और आंकलन (MME) दर** को संशोधित करके कुल ग्राह्य पुनरावर्ती केन्द्रीय सहायता का 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को योजना के बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए सक्षम बनाएगा।
- **रसोई उपकरणों के लिए सहायता** को 5,000 रुपये प्रति स्कूल से **बढ़ाकर** छात्रों की संख्या के आधार पर 10 हजार से 25 हजार रुपए किया गया है। इससे स्कूल रसोई उपकरणों की खरीदारी / उनका बदलाव करने में समर्थ होंगे।
- **दो नए घटकों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है**

VISION IAS

- **रसोई-सह भंडारगृहों की मरम्मत:** 10 वर्ष से अधिक पुराने रसोई घरों की मरम्मत के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहभाजन के आधार पर 10 हजार रुपये प्रति रसोई का एक नया घटक शुरू किया गया है।
- भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से चावल के साथ शुरू करके एक **व्यवस्थित तरीके से खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन**। साथ ही स्कूलों में किचन गार्डनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- **जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तर समिति को मौजूदा दिशा-निर्देशों में मामूली संशोधन के साथ योजना लागू करने का अधिकार सौंपा गया है।**
  - इसके अतिरिक्त, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्व अनुमति से अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट के 5 प्रतिशत का नए हस्तक्षेपों में उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।
- **अन्य मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **बफर स्टॉफ से दालों का उपयोग**- राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश भारत सरकार द्वारा बनाये गये केन्द्रीय बफर स्टाफ से स्थानीय पसंद के अनुसार मिड-डे-मील के लिए दाल खरीद सकते हैं।
  - **उपस्थिति की निगरानी**- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 100% स्कूलों के दैनिक डेटा को ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम (AMS) के माध्यम से अपलोड किया जाए।
  - **MDM के तहत मेन्यू-** राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक मेन्यू विकसित करने के ऐसे तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है जो स्थानीय स्वाद और स्थानीय उपज को दर्शाता हो और जो अलग-अलग दिनों में अलग-अलग होता हो।
    - **तिथि भोजन-** इसके तहत समुदाय के लोगों को मिड-डे-मील योजना में योगदान करके बच्चों के जन्म दिन, विवाह जैसे मुख्य दिवसों के आयोजन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तिथि भोजन मिड-डे-मील का विकल्प नहीं है बल्कि यह मिड-डे-मील का पूरक है।
- **मिड-डे-मील के लिए जेलों, मंदिरों और गुरूद्वारों आदि का उपयोग** – सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को समुदाय और अन्य एजेंसियों जैसे जेलों, मंदिरों, गुरुद्वारों आदि को मिड-डे-मील योजना में शामिल करने की सलाह दी जा रही है।

24.3.राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

(Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• राज्य स्तर पर योजना निर्माण और मॉनीटरिंग के लिए सुविधाजनक सांस्थानिक ढांचे का निर्माण करके, राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्ता को प्रोत्साहित करके और संस्थाओं के अभिशासन में सुधार करके, **राज्य की उच्चतर शिक्षा प्रणाली** में **रूपांतरणकारी सुधार** करना। • उच्चतर शिक्षा में पहुंच बनाने में क्षेत्रीय असंतुलनों को संतुलित करना। • ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिसमें उच्चतर शैक्षिक संस्थान स्वयं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित कर सकें। • विद्यमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर तथा नए संस्थानों की स्थापना के द्वारा सांस्थानिक आधार को विस्तार प्रदान करना। • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में वृद्धि करना।	• यह 2013 में प्रारम्भ की गयी एक केंद्र प्रायोजित फ्लैगशिप योजना है। • इसका केंद्रीय वित्त पोषण मापदंड आधारित और परिणामों के अधीन होगा। • सकल नामांकन अनुपात को **वर्तमान 19% से 2020 तक 30%** लाने का लक्ष्य। • यह योजना नीति आयोग द्वारा चिह्नित 'आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) को प्राथमिकता देगी। • राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में **परिवर्तनकारी सुधार**: (a) मानदंडों एवं मानकों तथा **मान्यता** को एक अनिवार्य गुणवत्ता निर्धारण फ्रेमवर्क के रूप में अपनाना। (b) राज्य विश्वविद्यालयों में **स्वायत्तता** को बढ़ावा देना और संस्थाओं के शासन में सुधार। (c) संबद्धता (affiliation), शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना। (d) उच्च गुणवत्ता प्राप्त शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

VISION IAS

24.4. माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष

(Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh: MUSK)

उद्देश्य	कोष के बारे में	कोष का उपयोग
इसका उपयोग सम्पूर्ण देश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा की योजनाओं के लिए किया जाएगा।	• "माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर" से प्राप्त सम्पूर्ण आय इसमें जमा की जाएगी। वित्त अधिनियम, 2007 के माध्यम से केंद्रीय करों पर 1% उपकर (जिसे "माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर" कहा जाता है) आरोपित किया गया था। • स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं पर व्यय, आरम्भ में सकल बजटीय समर्थन (Gross Budgetary Support :GBS) से किया जाएगा और GBS के समाप्त होने के उपरांत आने वाले व्यय को MUSK से वित्तपोषित किया जाएगा। • यह कोष प्रारम्भिक शिक्षा कोष (PSK) के तहत मौजूदा व्यवस्था के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और मिड डे मील (MDM) योजनाओं के लिए उपकर की आय का उपयोग किया जाता है। • MUSK को भारत की लोक लेखा के गैर-ब्याज वाले अनुभाग में एक आरक्षित कोष के रूप में रखा जाएगा।	माध्यमिक शिक्षा के लिए • राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना • राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता (मीन्स कम मेरिट) छात्रवृत्ति; और • राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा की प्रोत्साहन योजना • उच्च शिक्षा के लिए • ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधियों में योगदान, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की वर्तमान में चल रही योजनाएं • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान • छात्रवृत्ति (ब्लॉक अनुदान से संस्थानों तक) और राष्ट्रीय शिक्षक एवं प्रशिक्षण मिशन

24.5. उड़ान – गिविंग विंग्स टू गर्ल्स

(UDAAN-Giving Wings To Girls)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• इंजीनियरिंग कॉलेजों में बालिकाओं के निम्न नामांकन की समस्या का समाधान करना। • विद्यालयी शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा प्रवेश प्रणाली के बीच व्याप्त अंतराल को कम करना। • उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित के शिक्षण और सीखने को समृद्ध बनाना और उसका संवर्द्धन करना।	• भारत में KVs/ NVs/ किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों / CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों की केवल कक्षा XI में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए। • कार्यक्रम केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए है।	• मानव संसाधन मंत्रालय के मार्गदर्शन में CBSE द्वारा शुरू की गयी। • यह शीर्ष संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्राओं को प्रशिक्षित करता है और उन्हें ट्यूटोरियल, वीडियो क्लास आदि के माध्यम से प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता है। • देश के विभिन्न प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा XI और कक्षा XII में अध्ययन के दौरान छात्रों को वर्चुअल वीकेंड संपर्क कक्षाओं और प्री-लोडेड टैबलेट पर अध्ययन सामग्री के माध्यम से निःशुल्क ऑफ़लाइन/ऑनलाइन संसाधन प्रदान किए जाते हैं। • प्रति वर्ष 1,000 चयनित वंचित बालिकाओं को सहायता प्रदान करता है।

24.6. उन्नत भारत अभियान

(Unnat Bharat Abhiyan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• उच्च शिक्षा संस्थानों को संधारणीय विकास की गति बढ़ाने हेतु विकास चुनौतियों की पहचान करने और उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करने में ग्रामीण भारत के लोगों के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाना है।	• राष्ट्रीय आवश्यकताओं, विशेष रूप से ग्रामीण भारत हेतु प्रासंगिक अनुसंधान और प्रशिक्षण में उच्च शिक्षा के संस्थानों में **संस्थागत क्षमता का निर्माण** करना। • **ग्रामीण भारत को उच्च शिक्षा के संस्थानों से पेशेवर संसाधन समर्थन** प्रदान करना, विशेष रूप से विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों को। • उन्नत भारत अभियान (2.0) के दूसरे संस्करण के अंतर्गत संस्थानों का चयन एक चुनौती मोड पर किया गया है और इस योजना का विस्तार देश के 750 प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों (सार्वजनिक और निजी दोनों) तक कर दिया गया है। • इन शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा गांवों को गोद लिया जाएगा और ये छात्र वहाँ लोगों की जीवनशैली एवं उनके समक्ष आने वाली समस्याओं से परिचित होने के लिए उनसे मिलेंगें।

24.7. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम

[Ek Bharat Shrestha Bharat programme]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निवास करने वाले विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के मध्य अधिक पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने के लिए उनके बीच अंतर्क्रियाओं को सक्रिय रूप से बढ़ाना।	• इस कार्यक्रम के अनुसार, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को पारस्परिक अंतर्क्रिया हेतु भारत में किसी अन्य राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के साथ युग्मित किया जाएगा। • युग्मित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत उभयनिष्ठ गतिविधियों के लिए एक-दूसरे के साथ MoU पर हस्ताक्षर करेंगे। • केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन किया जाता है।

24.8 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

(Technical Education Quality Improvement Programme: TEQIP)

उद्देश्य	कार्यक्रम के बारे में
• कम आय वाले राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों (SCS) में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। • TEQIP चरण 3 के एक भाग के रूप में 3 वर्षों की अवधि के लिए पिछड़े जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने हेतु IIT, NIT आदि प्रमुख कॉलेजों से स्नातकों को नियोजित करना।	• केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की गई यह परियोजना, 10-12 वर्षों का एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। इसे विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ किया गया है। • योजनाओं के वर्तमान तीसरे चरण में केंद्रीय, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा पर्वतीय राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। TEQIP के अंतर्गत किये जा रहे उपायों में शामिल हैं: • संस्थान आधारित: राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन, प्रशासन सुधार, प्रक्रियाओं में सुधार, डिजिटल पहल तथा महाविद्यालयों के लिए स्वायत्तता सुनिश्चित करना। • छात्र आधारित: शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षाओं को साधन सुसज्जित बनाना; पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण, उद्योगों के साथ अंतर्क्रिया, छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप, छात्रों को उद्योगों के लिए प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षण देना, छात्रों को GATE परीक्षा आदि के लिए तैयार करना।

VISION IAS

24.9. उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना: श्रेयस

(Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills: SHREYAS)

उद्देश्य	विशेषताएं
• उच्च शिक्षा व्यवस्था की अधिगम प्रक्रिया में रोजगार प्रासंगिकता को शामिल करते हुए **छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार** करना। • **शिक्षा और उद्योग/ सेवा क्षेत्रों के मध्य** सतत आधार पर **क्रियात्मक सम्पर्क** स्थापित करना। • छात्रों को एक गत्यात्मक रीति से **बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करना।** • उच्च शिक्षा में **'अधिगम के दौरान अर्जन'** को संभव बनाना। • बेहतर गुणवत्तायुक्त श्रमबल प्राप्त करने में व्यापार/ उद्योगों की सहायता करना। • सरकार के प्रयासों को सरल बनाने हेतु छात्र समुदाय को रोजगार से जोड़ना।	• श्रेयस एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तीन केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाएं शामिल हैं, जिनमें सम्मिलित हैं: ○ **मानव संसाधन विकास मंत्रालय:** उच्च शिक्षा संस्थाओं में बीए / बीएससी / बीकॉम (व्यावसायिक) पाठ्यक्रमों की शुरुआत। ○ **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय:** राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (NAPS)। ○ **श्रम और रोजगार मंत्रालय:** राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS)। • इस कार्यक्रम का **क्रियान्वयन क्षेत्र कौशल परिषदों (SSCs)** द्वारा किया जाएगा। • इस कार्यक्रम का उद्देश्य **वर्ष 2022 तक 50 लाख विद्यार्थियों को शामिल करना है।** • इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन तीन ट्रैक पर साथ-साथ किया जाएगा: ○ **एड-ऑन अप्रेंटिसशिप (डिग्री अप्रैंटिसशिप):** जो छात्र वर्तमान में डिग्री प्रोग्राम पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा दी गई अप्रेंटिसशिप रोजगार भूमिका की चयनित सूची में से अपनी रूचि की भूमिका के चयन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ○ **एंबेडेड अप्रेंटिसशिप:** मौजूदा B.Voc कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया जाएगा जिसमें 6 से 10 माह की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप भी शामिल होगी जो कौशल की आवश्यकता पर निर्भर होगी। ○ **राष्ट्रीय करियर सेवा को कॉलेजों से जोड़ना:** इसके तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) पोर्टल को उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा। • **वित्त-पोषण:** कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार प्रशिक्षुता अवधि के दौरान प्रति माह 25% वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) का वहन करेगी जो अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 7,500 रुपये मूल प्रशिक्षण लागत के तौर पर भी प्रदान किए जाएंगे।

24.10 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

वित्तीय साक्षरता अभियान:विसाका	• इसका उद्देश्य धनराशि हस्तांतरण के लिए डिजिटल रूप से सक्षम कैशलेस आर्थिक प्रणाली का उपयोग करने के लिए सभी प्रदाताओं और प्राप्तकर्ताओं को प्रोत्साहित, प्रेरित और जागरूक करना है। • इसके तहत कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया है और उच्च शिक्षण संस्थानों के संकाय से अपने परिसर को कैशलेस बनाने की अपील की गयी है। • NCC/NSS के स्वयंसेवकों द्वारा निकटतम बाजारों में दुकानदारों एवं वेंडरों को लेनदेन के डिजिटल माध्यमों के संबंध में जागरूक करने का कार्य सौंपा गया है।
इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT) इंडिया	इसका उद्देश्य देश के लिए प्रासंगिक 10 प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों (जैसे स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, उन्नत संसाधनों, स्थायी आवास, आदि) में प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों का समाधान करने हेतु अनुसंधान के लिए एक रोड मैप विकसित करना है। • यह सम्बद्ध मंत्रालय के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) एक **संयुक्त पहल** है।

VISION IAS

	• हाल ही में, **सरकार द्वारा संशोधित रणनीति के साथ IMPRINT-II को मंजूरी दी गई है,** जिसके तहत इस राष्ट्रीय पहल को MHRD तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। IMPRINT-II की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं- ○ प्रमुख उद्देश्य ज्ञान को व्यवहार्य तकनीक में परिवर्तित करना है। ○ MHRD और DST योजना में समान रूप से भागीदार होंगे ○ यह MHRD वित्त पोषित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) / केंद्र से वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (CFTM) के लिए खुला होगा। निजी संस्थानों तक भी इसका विस्तार किया गया है। ○ औद्योगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी
उत्कृष्ट संस्थान योजना	चयनित संस्थान को अपने संस्थान में विश्वस्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पाँच वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ रु प्राप्त होंगे। • IOE एक प्रकार का टैग है जो संस्थानों को दिया जाता है, जो ○ नेशनल इंस्टीटूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (उनकी श्रेणी में) में शीर्ष 50 संस्थानों में या टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदत्त रैंकिंग जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रैंकिंग में शीर्ष 500 में हैं; ○ विदेशी और घरेलू छात्रों एवं संकाय का बेहतर समन्वय है; ○ जिनके पास अंतरराष्ट्रीय मानक अवसंरचना है और जो अपने दृष्टिकोण में बहु-विषयक हैं।

भारत में बालिका शिक्षा की प्रगति के लिए डिजिटल जेंडर एटलस	• विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग जैसे हाशिए पर स्थित समुदायों की बालिकाओं के संदर्भ में,निम्नस्तरीय प्रदर्शन करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करना। यह पहचान विशिष्ट लैंगिक संकेतकों के आधार पर की जाती है। • डिजिटल जेंडर एटलस के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: 1. **कंपोजिट जेंडर रैंकिंग** 2. लैंगिक संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण 3. शैक्षिक संकेतकों पर आधारित सुभेद्यताएं • यह भिन्न समयावधियों में भिन्न लैंगिक मापदंडों की प्रवृतियों के विश्लेषण एवं निरीक्षण को संभव बनाती है। • इसे UNICEF के सहयोग द्वारा विकसित किया गया है।
शाला गुणवत्ता (शगुन) पोर्टल	यह SSA (सर्व शिक्षा अभियान) के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पद्धतियों को चिन्हित करने और साझा करने के लिए एक ट्विन ट्रैक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। **पोर्टल में दो भाग हैं:** • ऑनलाइन मॉनिटरिंग कार्यान्वयन की प्रगति को निर्धारित करेगी। • SSA रिपॉजिटरी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारम्भ की गई नवीन पद्धतियों, सफल उदाहरणों, मूल्यांकन रिपोर्ट और हस्तक्षेपों का एक संग्रह है।

दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) पोर्टल	• यह शिक्षकों के लिए **राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना** के रूप में कार्य करेगा। • यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपायों को सक्षम, तीव्र और विस्तारित करेगा। यह शिक्षकों की सीखने और प्रशिक्षित होने में सहायता करेगा जिसके मूल्यांकन हेतु संसाधन भी उपलब्ध होंगे। • यह शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री, रूपरेखा, इन-क्लास रिसोर्स, मूल्यांकन सहायता, समाचार एवं घोषणा और शिक्षक समुदाय से जुड़ने में सहायता करेगा।
ईशान विकास	• छात्रों को प्रमुख संस्थानों जैसे- [IITs, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) और भारतीय विज्ञान

VISION IAS

	शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISERs) से जुड़ने के अवसर प्रदान करना। • उपर्युक्त शीर्ष स्तर के संस्थानों के सामान्य पाठ्यक्रम, तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों (मेडिकल और पैरा-मेडिकल कोर्स सहित) के अंतर्गत पूर्वोत्तर (8 राज्यों) के स्कूली छात्रों हेतु एक विशेष छात्रवृत्ति योजना।

ईशान उदय	• देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार करना • इस योजना में उत्तर पूर्वी क्षेत्र (8 राज्यों) के ऐसे छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम हो, को प्रति वर्ष 10,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी। • यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रशासित है।
शाला अस्मिता (आल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस) योजना	• निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों की शैक्षिक प्रगति की निगरानी। • अस्मिता एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों की उपस्थिति एवं नामांकन, लर्निंग आउटकम, मध्यान्ह भोजन और आधारभूत सुविधाओं की जानकारी शामिल होगी। • छात्रों को उनकी आधार संख्या के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा।
स्वयं	• उन विद्यार्थियों के लिये डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना जो डिजिटल क्रांति के प्रभाव से वंचित रह गए और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने में सफल नहीं रहें है। • एक स्वदेशी रूप से विकसित IT प्लेटफार्म जो कक्षाओं में पढाये जाने वाले 9वीं कक्षा से स्नातकोतर तक के सभी पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है जिसे कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय किसी भी स्थान से निशुल्क प्राप्त कर सकता है।
साक्षर भारत कार्यक्रम	इसके **4 व्यापक** उद्देश्य हैं- • गैर-साक्षर और गैर-संख्यात्मक साक्षर वयस्कों को **कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान** प्रदान करना • नव साक्षर वयस्क (neo-literate adults) को बुनियादी शिक्षा के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रखने और 10 वर्ष की औपचारिक शिक्षा के समकक्ष बुनियादी शिक्षा हासिल करने में सक्षम बनाना। • अपने जीवन-स्तर और आजीविका की स्थिति में सुधार हेतु वयस्कों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना • नव साक्षर वयस्क को आजीवन अध्ययन करने हेतु अवसर प्रदान करके एक अध्ययनरत समाज की स्थापना करना। **योग्यता मानदंड:** 2001 की जनगणना के अनुसार, एक जिला (इसमें किसी पूर्व जिले से पृथक होकर बना एक नया जिला भी शामिल है) जिसमें वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत या उससे कम हो। इसके अतिरिक्त, सभी वामपंथी चरमपंथ प्रभावित जिले (उनकी साक्षरता दर के बावजूद) कार्यक्रम के तहत योग्य हैं। • इच्छुक लाभार्थी - 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर-साक्षर वयस्क
शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान: GIAN)	यह स्थानीय छात्रों/संकाय और अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के मध्य अधिक सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है। GIAN के तहत दिए गए व्याख्यानों को देश भर के छात्रों को SWAYAM, MOOCs मंच और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (NAD)	• यह अकादमिक संस्थानों/बोर्डों/पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा जारी एवं सत्यापित सभी अकादमिक अवार्ड्स जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्क शीट इत्यादि का एक 24X7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। • यह अकादमिक पुरस्कारों तक सरल पहुंच और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है साथ ही इसकी

VISION IAS

	प्रामाणिकता की पुष्टि तथा गारंटी और सुरक्षित भंडारण प्रदान करता है।
सक्षम	इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा में प्रवेश के लिये आयोजित अर्हता परीक्षा (qualifying examination) में मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)	• देश भर के संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए एक प्रणाली का प्रारूप तैयार करने हेतु इस फ्रेमवर्क को 2015 में शुरू किया गया था। • अपनाए गए मापदंड में सामान्य तौर पर "शिक्षण, अधिगम और संसाधन," "अनुसंधान और पेशेवर कार्यप्रणाली," "स्नातक परिणाम," "पहुँच और समावेशिता," और "अवधारणा" सम्मिलित हैं।
सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान (IMPRESS)	• इस योजना के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने और नीति निर्माण में अनुसंधान का लाभ उठाने के लिए दो वर्ष की अवधि की 1500 अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी। • भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद (ICSSR) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
स्पार्क- अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना	• **उद्देश्य:** विश्व के 28 देशों के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता प्राप्त करना, भारतीय छात्रों को सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित करना, शैक्षणिक सहभागिता में वृद्धि करना और भारतीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करना। • **पात्रता :** नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के शीर्ष 100 में शामिल सभी भारतीय संस्थान डॉक्टरल और पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ताओं को लक्षित करने वाली इस योजना के लिए पात्र होंगे। 28 लक्षित देशों में वैश्विक शैक्षणिक रैंकिंग के अंतर्गत शीर्ष 100 से 200 विदेशी संस्थान पात्र होंगे। • प्रत्येक भाग लेने वाले देश की मदद के लिए भारत से नोडल इंस्टीट्यूशंस (NI) का एक सेट, भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी भारतीय (PI) संस्थानों के साथ सहयोग करने, उन्हें संभालने और समन्वय करने के लिए चिन्हित किया गया है। यह शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के लिए सम्बद्ध प्रतिभागी देशों के संस्थानों के साथ गठबंधन करने हेतु विकसित किया गया है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** IIT खड़गपुर इसके लिए राष्ट्रीय समन्वयकारी (NC) संस्था होगी।
ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड	इसका उद्देश्य **2022 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में** प्रत्येक कक्षा में एक डिजिटल और इंटरैक्टिव बोर्ड स्थापित करना है। • स्कूलों में इसकी शुरुआत **9वीं कक्षा से की जाएगी साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों** में भी इसे आरम्भ किया जाएगा। • इसका उद्देश्य शिक्षण के साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया को संवादात्मक बनाना है तथा शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में फ्लिप्ड लर्निंग को लोकप्रिय बनाना है। • उच्च शिक्षा के लिए **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
स्टार्स (स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल और एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस:STARS)	इस योजना के तहत **500 वैज्ञानिक परियोजनाओं** को फंडिंग प्रदान की जायेगी। • इस योजना का समन्वय **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलुरु** द्वारा किया जाएगा।

VISION IAS

25. श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)

25.1. दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

(Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Karyakram)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• श्रम कानूनों में सुधार, अनुपालन में सुधार करना। • भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना। .	• **एक समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल:** ○ लगभग 6 लाख इकाईयों को श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number: LIN) आवंटित करना और उन्हें 44 कानूनों में से 16 के अनुपालन को ऑनलाइन फाईल करने की अनुमति प्रदान करना। • **निरीक्षण के लिए इकाइयों (units) के यादृच्छिक चयन हेतु पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना** ○ निरीक्षण के लिए इकाईयों के चयन में मानव विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ○ निरीक्षण के 72 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। • **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर:** ○ भविष्य निधि खाता पोर्टेबल है और सार्वभौमिक रूप से अभिगम्य है • **प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना:** ○ **प्रशिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करना।** ○ प्रशिक्षण के पहले दो वर्षों की अवधि में प्रशिक्षु को दिए गये वेतनमान के 50% की प्रतिपूर्ति करना। • **पुनर्निर्मित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:** ○ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्मार्ट कार्ड प्रारम्भ करना जिसमें दो और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विवरण सम्मिलित हो।

25.2. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

(Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ (सोशल सिक्यूरिटी बेनिफिट्स) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EFPO) के साथ पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान लाभ प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतिष्ठानों के पास एक वैध LIN (श्रम पहचान संख्या) होनी चाहिए।	• इसका क्रियान्वयन **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। • भारत सरकार अब सभी क्षेत्रकों के उन नए कर्मचारियों हेतु, उनके पंजीकरण की तिथि से प्रथम तीन वर्षों के लिए नियोक्ता के 12% के पूर्ण स्वीकार्य अंशदान **(कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना, दोनों में किया जाने वाला)** का भार वहन करेगी जो 1 अप्रैल 2016 को या उसके पश्चात् EPFO में पंजीकृत हो चुके हैं तथा उनका वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक है। • योजना के क्रियान्वयन में मानव हस्तक्षेप के बिना, **सम्पूर्ण व्यवस्था ऑनलाइन तथा आधार (AADHAR) आधारित है।** • यह दोहरे लाभ वाली योजना है - अर्थात् एक ओर वेतन के

		12% EPF योगदान (जो अन्यथा नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता) के भुगतान के माध्यम से प्रतिष्ठान में **कर्मचारी आधार में वृद्धि करने हेतु नियोक्ता को प्रोत्साहित किया गया है।** इसके विपरीत दूसरी ओर **ऐसे प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं।**

25.3. केंद्रीय क्षेत्र की बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना

(Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को उनके निवास स्थान से बाहर निकाले जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। • मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास प्रदान करना।	यह मुक्त किये गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। • प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी **1 लाख रुपये;** • महिलाओं और बच्चों जैसे विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए **2 लाख रुपये; तथा** दिव्यांगों, तस्करी एवं यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाओं एवं बच्चों और ट्रांसजेंडर जैसे सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर स्थित व्यक्तियों को (या ऐसी परिस्थितियों में, जहां जिलाधिकारी इसे उपयुक्त मानते हो) **3 लाख रुपये**। • पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता **100% है,** जिसकी **प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।** • **जिला प्रशासन को** अधिदेशित किया गया है कि जितना शीघ्र व्यवहार्य हो सके **बंधुआ मजदूरों को** ऐसी अधिकृत वासभूमियों या अन्य आवासीय परिसरों का स्वामित्व **प्रदान किया जाए।** यह प्रत्येक राज्य द्वारा कम से कम रु 10 लाख के स्थायी कोष के साथ जिला स्तर पर **बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि** के निर्माण का प्रावधान करता है। • बंधुआ मजदूरी करवाने के मुख्य आरोपियों की दोषसिद्धि पर उनसे प्राप्त किये गए सम्पूर्ण अर्थदंड को इस विशेष कोष में जमा किया जा सकता है। • इस निधि का उपयोग बंधुआ मजदूरों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

25.4. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

(National Child Labour Project Scheme)

उद्देश्य	इच्छुक लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• बाल श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन करना • खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं से सभी किशोर श्रमिकों को बाहर निकालने, उनके कौशल निर्माण एवं उचित व्यवसायों में उनके एकीकरण में योगदान करना। • हितधारकों और लक्षित समुदायों के बीच जागरुकता बढ़ाना • बाल श्रम निगरानी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्माण करना	• पहचाने गए लक्षित क्षेत्र में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बाल श्रमिक • खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में संलग्न 18 वर्ष से कम आयु के किशोर श्रमिक • बाल श्रमिकों के परिवार	• परियोजना का समग्र दृष्टिकोण **लक्षित क्षेत्र में एक समर्थकारी परिवेश का सृजन करना है,** जिसमें बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने तथा श्रम न करने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित और सशक्त किया जाएगा तथा परिवारों को उनकी आय स्तरों में सुधार करने हेतु विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। • यह योजना राज्य, जिला प्रशासन और सिविल सोसायटी के साथ समन्वित रूप से क्रियान्वित की जाती है। • इस योजना के अंतर्गत बाल श्रम में संलग्न बच्चों की पहचान की जाती है और उन्हें पहचाने गए क्षेत्रों से मुक्त कराया जाता है। • तत्पश्चात उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ

		मुख्यधारा की शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है तथा बच्चों एवं परिवार के लाभ के लिए सेवाओं का अभिसरण सुनिश्चित किया जाता है। • बच्चों को न्यूनतम तीन माह तक मॉड्यूलर आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) का भुगतान किया जाएगा।

25.5. प्लेटफ़ॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल) पोर्टल

[Platform for Effective Enforcement for No Child Labour (PENCIL) Portal]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• बाल श्रम मुक्त भारत के निर्माण को प्रोत्साहित करना जो **विधायी प्रावधानों** के प्रवर्तन **तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) के प्रभावी क्रियान्वन,** दोनों के लिए कार्यान्वयन और निगरानी तंत्रों को अविच्छिन्न रूप से एकीकृत करेगा।	• यह एक **ऑनलाइन पोर्टल है** जो बाल श्रम और तस्करी के संकट का सामना करने हेतु **केंद्र सरकार को राज्य सरकारों, जिलों और सभी परियोजना संस्थाओं से जोड़ता है।** • इसके 5 घटक हैं - **चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम** (बच्चों का पता लगाने की प्रणाली), **कंप्लेंट कार्नर (शिकायत तंत्र), राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) तथा सम्मिलन (कन्वर्जेन्स)।** • राज्य सरकार के स्तर पर राज्य श्रम विभाग में स्थापित राज्य संसाधन केंद्र द्वारा निगरानी की जानी है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारियों (DNO) को उनके जिलों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए नामांकित किया गया है।

25.6. नेशनल करियर सर्विस

(National Career Service)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• नौकरी तलाशने वालों एवं नौकरी देने वालों के मध्य तथा करियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की मांग करने वालों एवं परामर्श एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वालों के मध्य व्याप्त अंतराल को भरना।	• यह रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली विविध रोजगार संबंधी सेवाओं जैसे कि रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यवसायिक निर्देशन, कौशल विकास पाठ्यक्रम पर सूचना इत्यादि उपलब्ध करवाने हेतु राष्ट्रीय रोजगार सेवा का कायाकल्प है। • नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल रोजगार संबंधित सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने हेतु नियोक्ताओं, नौकरी की तलाश करने वालों, नियोजन संगठनों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के पंजीकरण का प्रावधान करता है।

25.7 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

(Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna)

उद्देश्य	इच्छुक लाभार्थी	मुख्य बिंदु
"बदलते रोजगार पैटर्न" के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान।	कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम, 1948 के तहत कवर किए गए कर्मचारी (ESI अधिनियम 10 या अधिक श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू होता है और यह दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सिनेमा और सड़क परिवहन उपक्रमों पर भी लागू होता है)	• यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा अनुमोदित एक योजना है जिसका उद्देश्य अपने अभिदाताओं को लाभान्वित करना है, जो मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हैं जो किसी भी कारण से बेरोजगार हो गए हैं, **उन्हें उनके बैंक खातों के माध्यम से नकद हस्तांतरण प्रदान करना है।**

		• नए रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार व्यक्तियों को दिए जाने वाले नकद लाभ उनकी 90 दिनों की औसत कमाई का 25 प्रतिशत (जीवनकाल में एक बार) होगा। • यह भुगतान ESI योजना के लिए उनके स्वयं के योगदान में से किया जाएगा।

25.8. प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना

(PM Shram-Yogi Maandhan Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
असंगठित क्षेत्र को पेंशन प्रदान करना।	• असंगठित क्षेत्र के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है और **जिनकी आयु प्रवेश के समय 18 से 40 वर्ष** है, इस योजना हेतु पात्र हैं। • वे **नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होने चाहिए। • इसके अतिरिक्त वह आयकर दाता नहीं होने चाहिए।	**पेंशन:** उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात **3000 रुपये प्रति माह** की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। • **पेंशन प्राप्त करने के दौरान मृत्यु की स्थिति में,** उसके पति/पत्नी को लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा। • **60 वर्ष से पहले मृत्यु की स्थिति में** उसके पति/पत्नी नियमित रूप से योगदान का भुगतान करते हुए योजना में सम्मिलित होकर उसे जारी रखने या प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने के अधिकारी होंगे। पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही लागू होगी। **अभिदाता द्वारा योगदान:** उसे PMSYM योजना में सम्मिलित होने की आयु से लेकर 60 वर्ष तक की आयु तक निर्धारित योगदान राशि जमा कराना आवश्यक है। **केंद्र सरकार द्वारा समान राशि का योगदान:** PMSYM, 50:50 आधार पर एक स्वैच्छिक योगदान पेंशन योजना है जिसमें लाभार्थी द्वारा निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान किया जाएगा और उतना ही योगदान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाएगा। • **श्रमिकों का प्रति माह योगदान आवेदक की आयु पर निर्भर करते हुए परिवर्तित होगा।**

25.9 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

समाधान पोर्टल (सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल, हैंडलिंग ऑफ़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट)	• यह औद्योगिक विवादों के समाधान, मध्यस्थता और अधिनिर्णयन हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल है। • यह सरकार, उद्योग और श्रमिकों तथा औद्योगिक विवादों में शामिल सभी हितधारकों को एकल एकीकृत मंच प्रदान करता है। • यदि किसी विवाद को ऑनलाइन दर्ज करने के 45 दिनों के भीतर भी उस पर कार्रवाई आरम्भ नहीं की जाती है, तो श्रमिकों के पास सीधे श्रम न्यायालय में जाने का विकल्प होता है। इस प्रकार, यह विवाद निपटान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय-सीमा अधिरोपित करता है, जो कि वर्तमान में विद्यमान नहीं थी।

VISION IAS

26. कानून और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice)

26.1. प्रो बोनो लीगल सर्विस

(Pro Bono Legal Service)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• अधिवक्ताओं और कानूनी पेशेवरों को प्रो बोनो लीगल सर्विस (निःशुल्क एवं स्वैच्छिक विधिक सेवा) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। • इसका उद्देश्य अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण जानकारी को संग्रहित कर एक डेटाबेस का निर्माण करना है ताकि प्रासंगिक क्षेत्र में आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होने पर इनका प्रयोग किया जा सके।	• पहल एक वेब आधारित प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके माध्यम से इच्छुक अधिवक्ता वंचित वर्गों की याचिकाकर्ताओं के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रो बोनो सर्विस प्रदान करने के लिए स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। • इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से **हाशिए पर स्थित समुदाय के वादी प्रो बोनो अधिवक्ताओं से विधिक सहायता और परामर्श प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।** • इसका उद्देश्य प्रासंगिक क्षेत्र में उपयुक्त पदों हेतु **अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित करके एक डेटाबेस का सृजन करना भी है।**

26.2. न्याय मित्र

(Nyaya Mitra)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• 10 से अधिक वर्षों से लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए चयनित जिलों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना।	• **इस परियोजना को "न्याय मित्र" के रूप में नामित एक सेवानिवृत्त न्यायिक या कार्यकारी अधिकारी (विधिक अनुभव के साथ) के माध्यम से कार्यात्मक बनाया जाएगा।** यह परियोजना **सामान्य सेवा केन्द्रों (CSCs) में स्थित जिला सुविधा केन्द्रों** से परिचालित होगी। • अन्य उत्तरदायित्वों के साथ ही जाँच और सुनवाई में विलंब होने से पीड़ित होने वाले वादियों को विधिक सहायता प्रदान करना न्याय मित्र के उत्तरदायित्वों में शामिल होगा। इसके लिए वह नेशनल जूडिशल डाटा ग्रिड के माध्यम से ऐसे वादों की सक्रियता से पहचान करेगा, विधिक परामर्श प्रदान करेगा तथा वादियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), सामान्य सेवा केन्द्र टेली लॉ (CSC Tele Law) एवं अन्य सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों से जोड़ेगा। • न्याय मित्र **हाशिये पर स्थित समुदाय के आवेदकों को विवाद समाधान हेतु लोक अदालतों के लिए संदर्भित करेगा तथा** जिला न्यायपालिका और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में जिले के अंतर्गत **जेल सुधारों में सहायता भी प्रदान करेगा।**

26.3. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजना	विवरण
ई- कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट	• यह देश के उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लागू **ई-गवर्नेंस**

VISION IAS

	परियोजनाओं में से एक है। • इस परियोजना की परिकल्पना 'भारतीय न्यायपालिका में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नीति-2005' के आधार पर की गई। • यह पोर्टल याचिकाकर्ताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं -जैसे मुकदमे के पंजीकरण, कारण सूची (Cause List), केस स्टेटस, दैनिक आर्डर और अंतिम निर्णय-के विवरण प्रदान करता है।
उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच [एक्सेस टू जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड पीपल (2008-2017)]	• यह **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा न्याय विभाग (DoJ) की साझेदारी में** संचालित की जा रही है। • यह परियोजना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एक्शन फ्रेमवर्क के आठ राज्यों- बिहार,छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा तक विस्तृत है। • इसके मुख्य घटक हैं - विधिक सेवा प्राधिकरणों की क्षमता का सुदृढीकरण, राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन को तकनीकी सहायता, विधिक सशक्तिकरण और न्यायिक प्रशिक्षण एवं न्याय वितरण पर नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए एकत्रित नए साक्ष्य।
टेली-लॉ इनिशिएटिव	• यह एक पोर्टल है जिसका शुभारम्भ हाशिये पर स्थित समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक कानूनी सहायता की पहुँच को सुलभ बनाने के लिए किया गया है। • यह CSC नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। यह लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों से कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाता है। • प्रत्येक CSC एक पैरा लीगल वालंटियर (PLV) को संलग्न करेगी, जो ग्रामीण नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा।
लीगल इनफार्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS)	• इसका लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और भारत सरकार के अन्य निकायों द्वारा संचालित; न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के मामलों से संबंधित जानकारी को एक वेब-बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराना है। • इस प्रकार के विवादों के समाधान हेतु **सरकार हस्तक्षेप करेगी एवं ऑनलाइन विधिक सलाह प्रदान करेगी।**

VISION IAS

27. खान मंत्रालय (Ministry of Mines)

27.1.प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

(Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana : PMKKKY)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। • खनन के दौरान और उसके पश्चात , खनन जिलों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करना; • खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों हेतु **दीर्घकालिक स्थायी आजीविका** सुनिश्चित करना।	• जिन क्षेत्रों में खुदाई, खनन, विस्फोट, अपशिष्ट निपटान जैसी प्रत्यक्ष गतिविधियाँ संचालित होती हैं, वहां निवास करने वाले तथा इन गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग। • खनन संबंधी गतिविधियों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण **परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र** • भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2013 के तहत परिभाषित **प्रभावित और विस्थापित व्यक्ति एवं परिवार**	• इसे संबंधित जिलों के **जिला खनिज फाउंडेशन (DMFs)** द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो DMF के अंतर्गत सृजित पूंजी का उपयोग करेगा। • DMF एक **गैर-लाभकारी ट्रस्ट** हैं और यह खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा प्रशासित किया जाता है। • DMF का उद्देश्य 'व्यक्तियों के हित तथा लाभ के अतिरिक्त और खनन-संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्य करना है।' • **उच्च प्राथमिकता क्षेत्र–** PMKKKY निधि के कम से कम 60% भाग का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में करना होगा: ○ पेय जल आपूर्ति ○ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण उपाय ○ स्वास्थ्य देखभाल ○ शिक्षा ○ महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण ○ कौशल विकास ○ स्वच्छता • PMKKKY के तहत प्रदत्त राशि के 40% तक का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा: ○ भौतिक अवसंरचना ○ सिंचाई ○ ऊर्जा और वाटरशेड डेवलपमेंट

		○ खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता के संवर्धन हेतु कोई अन्य उपाय • अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों में PMKKKY के अंतर्गत लागू की जाने वाली सभी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ग्रामसभा की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

27.2 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

ताम्र **(ट्रैन्स्पेरन्सी, ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रीसोर्स ऑग्मेन्टेशन** : TAMRA)	• ताम्र (TAMRA) एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप है। इसे उत्खनन कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न सांविधिक मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विकसित किया गया है।यह नीलामी में शामिल किये जाने वाले ब्लॉकों के लिए ब्लॉक-वार, राज्यवार और खनिज-वार जानकारी प्रदर्शित करता है।

प्रोजेक्ट सुदूर दृष्टि	• यह IBM (भारतीय खान ब्यूरो) और अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के मध्य एक समझौता ज्ञापन है। • भुवन-आधारित सेवाओं (Bhuvan-based services) का उपयोग खनन पट्टे की सीमा के भीतर खनन क्षेत्रों के आवधिक परिवर्तनों की निगरानी के लिए किया जाएगा।

VISION IAS

28. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

28.1 साइबर ग्राम

(Cyber Gram)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को कंप्यूटर का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें आधारभूत ICT कौशल प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना ताकि उन्हें निम्नलिखित कार्यों हेतु सशक्त बनाया जा सकें- • डिजिटल रूप से साक्षर बनने हेतु • ज्ञान आधारित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु • वित्तीय, सामाजिक और सरकारी सेवाओं तक पहुंच हेतु • संचार के लिए इंटरनेट का उपयोग करने हेतु 30 घंटे के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर प्रशिक्षित लाभार्थियों के अधिगम (लर्निंग) को सुदृढ़ बनाना।	• मान्यता प्राप्त मदरसों/स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र, जिन्हें कंप्यूटर शिक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हैं। • ऐसे संस्थानों के कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्र • कोई भी अन्य छात्र जो अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों में रहता है एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है।	• साइबर ग्राम पहल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) का एक घटक है। • इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान 75:25 के अनुपात में होगा (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10)। • सामान्य सेवा केंद्र ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC SPV) प्रशिक्षण हेतु 39 घंटे का बेसिक कंप्यूटर कांसेप्ट (BCC) पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा। • इस पहल के अंतर्गत क्रियान्वयन संरचना के निम्नतम स्तर पर मदरसों/स्कूलों के समीप स्थित ग्राम स्तर के उद्यमी (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स) अर्थात VLE (जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट उपलब्ध हो) अवस्थित होंगे। ये VLEs इस पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर करना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में असंतुलन को कम करने हेतु बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।

28.2. जियो पारसी

(Jiyo Parsi)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• एक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेप (इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट) को अपनाकर भारत में पारसी आबादी की गिरावट की प्रवृत्ति को व्युत्क्रमित करना, पारसी आबादी को स्थिर करना और भारत में पारसी आबादी में वृद्धि करना।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • 2017 में जियो पारसी पब्लिसिटी फेज-2 आरंभ किया गया था (2013 में चरण-1)। • इस योजना के घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं- ○ **समर्थन:** परामर्श, कार्यशालाएं आदि। ○ **समुदाय का स्वास्थ्य:** क्रेच/बाल संरक्षण समर्थन, बच्चों की देखभाल के लिए वरिष्ठ नागरिक मानदेय, बुजुर्गों को सहायता। ○ **चिकित्सीय सहायता:** IVF और सरोगेसी सहित सहायक प्रजनन तकनीक के लिए वित्तीय सहायता ○ गोपनीयता ○ आउट-रीच प्रोग्राम/सूचना, शिक्षा और संचार

VISION IAS

28.3. नई रोशनी

(Nai Roshni)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ

• अल्पसंख्यक महिलाओं तथा उनके गांव/ क्षेत्र में रहने वाले अन्य समुदायों की, उनकी पड़ोसी महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना।
• प्रशिक्षु महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।
	• सभी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाएं
	• समान इलाके/क्षेत्र की गैर-अल्पसंख्यक महिलाएं (परियोजना के 25% से अधिक नहीं)
	• इसके अतिरिक्त, एक प्रतिनिधिमूलक मिश्रण (जिसमे अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक महिलाओं का उचित अनुपात हो) के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
	  • SC/ST/OBC /PH महिलाएं (समूह का 25%)
	  • पंचायती राज संस्थाओं (पंचायत) की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि
		• स्थानीय निकायों के स्तर पर गांव/शहरी इलाकों में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण।
		• प्रशिक्षण गैर-आवासीय और आवासीय, दोनों प्रकार का होगा।
		• यह समस्त देश में चयनित गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से लागू किया जाता है।
		• प्रशिक्षण, विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूलों पर प्रदान किया जाता है जिसमें महिलाओं से संबंधित मुद्दे जैसे निर्णयन में भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल तथा सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन हेतु समर्थन; आदि शामिल होंगे।

28.4. उस्ताद (अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स-क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट)

(USTTAD- Upgrading the Skill and Training in Traditional Art craft for Development)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• विशेषज्ञ शिल्पकारों/कारीगरों का क्षमता निर्माण और उनके माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देना। • अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला/शिल्प की समृद्ध विरासत का संरक्षण और परंपरागत शिल्पकारों/कारीगरों का क्षमता निर्माण करना। • अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ पारंपरिक कौशल का संबंध स्थापित करना • मौजूदा श्रमिकों की नियोजनीयता में सुधार करना। • श्रम की गरिमा सुनिश्चित करना। • बढ़ते बाजार के लाभों को प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को सक्षम बनाना।	• अल्पसंख्यक समुदाय • गैर-अल्पसंख्यक समुदाय (25% BPL) • शारीरिक विकलांगता (PH) श्रेणी से संबंधित अल्पसंख्यक (3% आरक्षण) • अल्पसंख्यक महिलाएं (33% सीटें) • गैर-PH (निःशक्तता की श्रेणी के बाहर के) लाभार्थियों के लिए आयु 14-45 वर्ष की और न्यूनतम योग्यता 5वीं कक्षा तक होनी चाहिए।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पारंपरिक कला/शिल्प में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम द्वारा कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण। • सॉफ्ट स्किल, स्पोकन इंग्लिश और IT पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। • इस योजना में परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। • R&D के लिए उस्ताद अप्रेंटिसशिप प्रदान की जाएगी। • हुनर हाट और शिल्प उत्सव के माध्यम से उनके उत्पादों का प्रदर्शन/विपणन किया जाएगा। • प्रतिभाशाली विशेषज्ञ शिल्पकार/कारीगर को चिह्नित और सम्मानित किया जाएगा।

हुनर हाट (HUNAR HAAT)	• उस्ताद योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। ये हाट अल्पसंख्यक समुदायों के विशेषज्ञ कारीगरों, शिल्पकारों और पाककला विशेषज्ञों के उत्पादों हेतु विपणन के लिए मंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार, ये अल्पसंख्यक समुदायों के रोजगार और आय उत्पादन के अवसरों को बढ़ाते हैं। मंत्रालय देश के सभी राज्यों में "हुनर हब" स्थापित करने हेतु इच्छुक है, जहां वर्तमान आवश्यकता के अनुसार कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

28.5. नई मंजिल

(Nai Manzil)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• इसका उद्देश्य **अल्पसंख्यक समुदायों के,पढाई पूरी किये बिना बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले (ड्रॉप-आउटस) युवाओं को संगठित करना** और उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) या अन्य स्टेट ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से 8वीं या 10वीं तक औपचारिक शिक्षा और प्रमाणीकरण प्रदान करना है। • बाजार संचालित कौशल में युवाओं को एकीकृत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना • प्रशिक्षित युवाओं के कम से कम 70% को नियोजित (प्लेसमेंट प्रदान) करना • स्वास्थ्य और जीवन कौशल में जागरूकता और सक्रिय बनाना।	• 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक BPL युवा, जिन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया या मदरसे जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की है। • अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाएं	• यह शिक्षा और कौशल की एक एकीकृत योजना है। • इसके अंतर्गत बेसिक ब्रिज प्रोग्राम (कक्षा आठवीं या दसवीं के लिए) सहित 9-12 महीने की अवधि का एक गैर-आवासीय कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। • अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए न्यूनतम 30% सीटें निर्धारित की गई हैं। • यह योजना समस्त देश को कवर करती है। • विश्व बैंक, इस योजना का समर्थन करता है। • नई रोशनी योजना, जो कि अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना है, के अंतर्गत प्रशिक्षित अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इस योजना के लिए संगठनकर्ता (mobilizers) के रूप में शामिल किया जाएगा।

28.6. पढ़ो परदेश

(Padho Pardesh)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करना। इससे उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे तथा उनकी नियोजनीयता में वृद्धि की जा सकेगी।	• मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के वे छात्र जो विदेशों में उच्च अध्ययन अर्थात परास्नातक, एम.फिल और पीएच-डी स्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • यह एक ब्याज सब्सिडी योजना है और उम्मीदवार को ही अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि) के पश्चात मूल राशि की किश्तों एवं ब्याज को वहन करना होगा। • ब्याज सब्सिडी को भारतीय बैंक संघ (IBA) की मौजूदा शैक्षणिक ऋण योजना से जोड़ा जाएगा। • छात्राओं के लिए 35% सीटें निर्धारित की जाएंगी। • यह योजना योग्य छात्र-छात्राओं को केवल एक बार या तो परास्नातक या एम.फिल अथवा पीएचडी के लिए उपलब्ध होगी।

28.7. नई उड़ान

(Nai Udaan)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को वित्तीय	• UPSC, SPSC या SSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले केवल वे अभ्यर्थी जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हों। • आय आधारित पात्रता	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष देश भर में पात्रता मानदंड प्राप्त करने पर अधिकतम 2000 अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता तब तक प्रदान की जाएगी जब तक कि इस योजना हेतु उपलब्ध बजटीय आवंटन समाप्त

VISION IAS

सहायता प्रदान करना। • सिविल सेवा और ग्रुप A और B सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाना।	मानदंड (6 लाख रुपये/वर्ष)।	न हो जाए। • अभ्यर्थी को वित्तीय सहायता केवल एक बार प्रदान की जाएगी। • अभ्यर्थियों का चयन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा। • विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए स्लॉट का वितरण जनगणना, 2011 के आंकड़ों पर आधारित है।

28.8. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (MANAS)

(Maulana Azad National Academy for Skills: MANAS)

उद्देश्य	विशेषताएं
• इसका उद्देश्य स्किल इंडिया के विजन को पूरा करना तथा सबका साथ-सबका विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना है। • अल्पसंख्यकों को लाभकारी रोजगार/स्व-रोजगार प्रदान करना।	• यह एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल और एक अभिनव योजना (समुदाय के कर्ज को चुकाने जैसी) है। इसके अंतर्गत कौशल विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न कौशल समूहों में अग्रणी हस्तियों के प्रभाव का प्रयोग उनके संबंधित क्षेत्रों में मुख्य बल के रूप में किया जाएगा। • इसने विभिन्न मदरसों और अन्य पारंपरिक शैक्षिक संस्थानों (TEI) की पहचान कर कौशल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। • यदि प्रशिक्षित उम्मीदवार स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक हैं तो उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • मानस, वैश्वीकरण के कारण मृतप्राय होते जा रहे अल्पसंख्यक समुदाय के कला और शिल्प को सहायता प्रदान करने के लिए 'रिसर्च चेयर्स' स्थापित करेगा। इस प्रक्रिया में 'हमारी धरोहर' के संरक्षण को सहायता मिलेगी।

28.9. हमारी धरोहर

(Hamari Dharohar)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के तहत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना।	• **फैलोशिप के लिए:** 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अल्पसंख्यक अभ्यर्थी और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लड़की/महिला उम्मीदवार।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • संस्कृति मंत्रालय की सहायता से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। • इस योजना के अंतर्गत मौखिक परम्पराओं और कला रूपों का दस्तावेज़ीकरण, नृजातीय संग्रहालयों, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/प्रदर्शनियों को सहयोग तथा अनुसंधान एवं विकास आदि के लिए फैलोशिप प्रदान की जाएगी। • इसका वित्तपोषण, परियोजना आधारित है, राज्य/जिलावार नहीं। • गणित और चिकित्सा संबंधी मध्ययुगीन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है।

VISION IAS

28.10. सीखो और कमाओ

(Learn And Earn)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं को रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना। • अल्पसंख्यक समुदायों की बेरोजगारी दर को कम करना। • अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशलों का संरक्षण एवं उन्नयन करना तथा उन्हें बाजार के साथ जोड़ना। • मौजूदा कर्मियों रोजगारपरकता को बेहतर बनाना तथा उनका नियोजन (प्लेसमेंट) सुनिश्चित करना तथा बीच में पढाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना।	• न्यूनतम कक्षा 5 की योग्यता के साथ 14-35 वर्ष के आयुवर्ग के अल्पसंख्यक व्यक्ति। • अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं (33%)। • दिव्यांग व्यक्ति और गैर-अल्पसंख्यक BPL भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • इसके दो घटक हैं: ○ आधुनिक व्यापार हेतु प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। ○ पारंपरिक कला शैलियों/शिल्प/व्यापार के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। • आधुनिक कौशल के लिए कौशल प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप 75% प्लेसमेंट होना चाहिए, जिनमें से 50% संगठित क्षेत्र में होने चाहिए। • यह एक PPP आधारित योजना है और इसमें प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जाएगी जो 75% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। • स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का सृजन किया जायेगा।

28.11. महिला समृद्धि योजना

(Mahila Samriddhi Yojana)

उद्देश्य	विशेषताएं
• प्रशिक्षु महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना ताकि वे अंततः आत्मनिर्भर बने	• इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) द्वारा किया जा रहा है। • लगभग 20 महिलाओं के समूह को किसी भी उपयुक्त महिला अनुकूल शिल्प गतिविधि जैसे सिलाई, कटाई और कढ़ाई आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है। • इस समूह को एक SHG का गठन करना पड़ता है। • प्रशिक्षण के पश्चात्, निर्मित SHG के सदस्यों को सूक्ष्म ऋण (7% ब्याज पर अधिकतम 1 लाख रुपये) प्रदान किया जाता है।

28.12. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

(Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram: PMJVK)

उद्देश्य	विशेषताएं
स्वीकृत और संचालित परियोजनाओं की समाप्ति हेतु पूर्ववर्ती बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करना।	• अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत संचालित **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP)** का पुनर्गठन कर इसे **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)** के रूप में पुनर्नामित किया गया है। • इसमें अल्पसंख्यक बहुल कस्बों (MCTs) तथा गाँवों के संकुल (क्लस्टर) की **पहचान हेतु मानदंडों** को युक्तिसंगत बनाया गया हैं। ये 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। ○ इससे पूर्व, केवल **आधारभूत आवश्यकताओं तथा सामाजिक-आर्थिक मापदंडों** के संदर्भ में पिछड़े कस्बों को ही MCTs के रूप में चिह्नित किया जाता था। परन्तु अब वे कस्बे जो **किसी एक अथवा दोनों** मानदंडों में पिछड़े पाए जाते हैं,

VISION IAS

	MCTs के अंतर्गत सम्मिलित किये गए हैं। ○ अब गाँवों के संकुल के चयन हेतु जनसंख्या मानदंड को कम कर अल्पसंख्यक समुदाय की **25% जनसंख्या तक कर** दिया गया है (जो पूर्व में न्यूनतम 50% था)। • **योजना का वित्त-पोषण,** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजटीय प्रावधान से किया जाएगा। साथ ही आवधिक रूप से होने वाले व्यय/अनुरक्षण व्यय का वहन राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/संगठनों द्वारा किया जायेगा। ○ **80% भाग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास** से संबंधित परियोजनाओं हेतु निश्चित किया गया है। ○ जिसमें से **33 से 40%** विशेष रूप से **महिला केन्द्रित परियोजनाओं** हेतु आवंटित किया जाएगा। • PMJVK **में अब चार और राज्यों** हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड एवं गोवा तथा **एक संघ शासित प्रदेश** पुडुचेरी (कुल 32 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों) को शामिल किया गया है। ○ PMJVK के तहत 115 आकांक्षी जिलों में से 61 जिलों के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। ○ अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक, कस्बों तथा गाँवों के संकुल के अतिरिक्त **अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालयों** को शामिल करते हुए क्रियान्वयन की क्षेत्रीय इकाई का और अधिक विस्तार किया गया है। • PMJVK के तहत मौजूदा MsDP (196 जिले) क्षेत्रों की तुलना में **57% अधिक क्षेत्र (308 जिले)** कवर किए गए हैं। **निगरानी तन्त्र:** • **जियो-टैगिंग** के साथ एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी शामिल किया गया है। • सभी क्रियान्वयन एजेंसियों को **सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (Public Finance Management System:PFMS)** के अंतर्गत लाया गया है और PMJVK में निधि उपयोग की निगरानी सुनिश्चित करने हेतु इसके प्रभावी उपयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं।

28.13. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

गरीब नवाज़ कौशल विकास केंद्र	• ये केंद्र देश के 100 जिलों में स्थापित किए जाएंगे तथा अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के रोजगार उन्मुख कौशल विकास को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करेंगे। ये वस्तु एवं सेवा कर लेखा/प्रोग्रामिंग और अन्य संबंधित विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रदान करेंगे। ऐसा प्रथम केंद्र हैदराबाद में खोला गया था।
तहरीक-ए-तालीम योजना	• इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा सरकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों की अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुँच सुनिश्चित करने और मदरसों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों को मुख्यधारा में लाने के लिए देश के 100 जिलों में प्रारम्भ किया गया। इन संस्थानों के शिक्षकों को गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही महिला शिक्षकों (50%) को भी इस योजना से लाभ मिलेगा।

VISION IAS

29. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy)

29.1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM)

(Jawaharlal Nehru National Solar Mission: JNNSM)

उद्देश्य	लक्ष्य	विशेषताएं
• सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना, इसके लिए देश भर में सौर ऊर्जा के प्रसार संबंधी नीतिगत शर्तों को त्वरित रूप से निर्मित करना।	• मिशन का लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावाट (पुराना लक्ष्य 20 गीगावाट) सौर ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। इसके तहत कुल 6,00,000 करोड़ रुपयों का निवेश किया जाएगा। • इस लक्ष्य में मुख्य रूप से 40 गीगावाट ऊर्जा रूफटॉप और 60 गीगावाट ऊर्जा *लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स* के माध्यम से प्राप्त करना सम्मिलित है। • इसके लक्ष्य में प्रतिवर्ष सौर सेलों की लगभग 2 गीगावाट क्षमता का निर्माण करने के लिए पॉली सिलिकॉन मैटेरियल हेतु समर्पित विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना भी सम्मिलित है। • ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा 2022 तक 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम सहित 2000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना। • 2022 तक 2 करोड़ वर्गमीटर का सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र सुनिश्चित करना। • ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 20 मिलियन सौर प्रकाशीय प्रणालियों को स्थापित करना।	• मिशन में 3 चरण हैं: चरण 1 (2010-13), चरण II (2013-15) और चरण III (2017-22)। • यह पूँजी सब्सिडी विभिन्न शहरों और कस्बों में रूफटॉप सौर परियोजनाओं; भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से विकसित व्यवहार्यता अंतराल निधि (VGF) आधारित परियोजनाओं; और लघु सौर परियोजनाओं के माध्यम से विकेन्द्रीकृत उत्पादन के लिए प्रदान की जाएगी। • इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं के साथ-साथ ग्रीन क्लाइमेट फंड से संपर्क कर सकती है।
भारत में सौर रूपान्तरण के लिए सतत रूफटॉप कार्यान्वयन-सृष्टि	• यह रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए एक **प्रस्तावित योजना** है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत **2022 तक 40 गीगावाट** के राष्ट्रीय सौर रूफटॉप के लक्ष्य को प्राप्त करना है। • इस योजना के तहत प्रस्तावित है कि **केंद्रीय वित्तीय सहायता** केवल **आवासीय क्षेत्रों** में रूफटॉप इंस्टालेशन हेतु प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, रूफटॉप सोलर प्लांट के परिनियोजन (deployment) में तीव्रता लाने के लिए **डिस्कॉम** को उनके **निष्पादन** के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।	

VISION IAS

29.2. सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना

(Scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Power Project)

उद्देश्य	विशेषताएं
• प्रोजेक्ट डेवलपर्स और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन सुविधा (डेमन्स्ट्रेशन फैसिलिटी) के रूप में कार्य करके सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना। • राज्यों को इनके सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व अधिदेश को पूरा करने और स्थानीय जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने हेतु प्रोजेक्ट डेवलपर्स से महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त करने में सक्षम बनाना। • सौर पार्क की स्थापित क्षमता एवं उत्पादन के समकक्ष उत्सर्जन में कटौती करते हुए कार्बन फुटप्रिंट में कमी करना। • परंपरागत विद्युत् संयंत्रों के लिए महंगे जीवाश्म ईंधनों की खरीद को रोककर राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देना।	• यह सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक अवसंरचना का सृजन करने के उद्देश्य से देश में **विभिन्न स्थानों पर सौर पार्कों की स्थापना हेतु राज्यों को समर्थन प्रदान करने की परिकल्पना करता है।** • सौर पार्क, भिन्न-भिन्न फर्मों द्वारा सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूलों के रूप में एक निर्धारित स्थान पर स्थापित प्रतिष्ठापन हैं, जो सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करते हैं। • सौर पार्क सभी प्रकार की मंजूरियां, पारेषण प्रणाली, जल उपलब्धता, सड़क कनेक्टिविटी, संचार नेटवर्क आदि सहित सुविधाओं से युक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। • यह योजना वृहत पैमाने पर विद्युत उत्पादन हेतु ग्रिड से जुड़ी हुई सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ उसमें तीव्रता लाएगी। • इस योजना के अंतर्गत 2019-20 तक **40 GW सौर ऊर्जा क्षमता** का निर्माण किया जाएगा। • यह देश के विभिन्न भागों में **500 मेगावॉट** और इससे अधिक की क्षमता वाले कम से कम **50 सौर पार्कों** की स्थापना सुनिश्चित करेगी। • हिमालय क्षेत्र में छोटे पार्कों और दुर्गम क्षेत्रों वाले अन्य **पहाड़ी राज्यों** को भी इस योजना के अंतर्गत माना जाएगा। • इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु **सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र** पात्र हैं। • MNRE के निर्देशन में **भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)** योजना को प्रशासित करेगा। अनुमोदित अनुदान SECI द्वारा जारी किया जाएगा। • राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए सौर पार्कों के विकास और रखरखाव के लिए सोलर एनर्जी पार्क डेवलपर (SPPD) का चयन करना आवश्यक है।

29.3. अटल ज्योति योजना - अजय

(Atal Jyoti Yojana-Ajay)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
सार्वजनिक उपयोग हेतु सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम प्रदान करना जैसे कि सड़कों, बस स्टॉप आदि पर प्रकाश की सुविधा प्रदान करना तथा बेहतर प्रकाश के माध्यम से रक्षा और सुरक्षा में सुधार करना।	• उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओडिशा एवं असम जैसे राज्य • जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य • अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह • अन्य राज्यों के	• यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की **ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोग योजना** के तहत एक उप-योजना है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (**EESL**) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। • यह योजना ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों को कवर करेगी। • MNRE के निर्देशानुसार जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध नहीं होती है, वहां 12 वाट की क्षमता वाली LED सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराई जाएगी। • MNRE बजट के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था की लागत का 75%, और शेष 25% MPLADS निधि, पंचायत निधि या

VISION IAS

	आकांक्षी ज़िले	नगर पालिकाओं और अन्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की निधि से प्रदान किया जाएगा। • रखरखाव और सुरक्षा संबंधी व्यापक प्रसार हेतु तथा सौर प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। • हाल ही में सरकार द्वारा 'अटल ज्योति योजना' (AJAY) के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया।

29.4. सौर शहरों के विकास की योजना

(Development Of Solar Cities Scheme)

उद्देश्य	विशेषताएं
• **नगर निगमों को** अपने शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु एवं उसे क्रियान्वित करने हेतु सहायता प्रदान कर **शहरी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।**	• सौर शहरों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा आपूर्ति में वृद्धि करके और ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से पाँच वर्षों (2012-17) के अंत तक **परम्परागत ऊर्जा की अनुमानित माँग में न्यूनतम 10% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।** • यह कार्यक्रम **प्रत्येक शहर/कस्बा को 50 लाख से अधिक वित्तीय सहायता** और तकनीकी सहायता प्रदान करके शहरी स्थानीय सरकारों की सहायता करता है। • कुल 60 शहरों/कस्बों को सौर शहर के रूप में विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है। • शहरों की पहचान हेतु मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड के अंतर्गत **50,000 से 50 लाख के मध्य जनसंख्या वाला शहर** (इस सन्दर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों को छूट प्रदान की गई है) शामिल है, साथ ही ऊर्जा दक्षता एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता के साथ पहलें आरम्भ की गई हैं एवं नियामक उपाय किए गए हैं।

29.5. सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम

(Suryamitra Skill Development Programme)

उद्देश्य	लाभार्थी	विशेषताएं
• भारत और विदेशों में बढ़ती सौर ऊर्जा परियोजना के संस्थापन, संचालन और रखरखाव में रोजगार के अवसरों पर विचार करते हुए युवाओं का कौशल विकास करना।	• ग्रामीण और शहरी युवा- **मार्च 2020 तक 50,000 सोलर फोटोवोल्टिक टेकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाएगा।**	• MNRE इसका प्रायोजक (100%) है, और **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE)** इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। • यह **600 घंटे या 90 दिनों** की अवधि का एक कौशल विकास कार्यक्रम है। • SC/ST/OBC श्रेणियों से संबंधित युवाओं के कौशल पर विशेष बल दिया जाता है। • इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता **ITI (इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन)/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा** (इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल) है। B.Tech आदि जैसे उच्चतर योग्यता प्राप्त प्रतिभागी इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं। • इसके अतिरिक्त इसमें लघु जल विद्युत, उद्यमिता विकास, सौर ऊर्जा उपकरणों के संचालन और रखरखाव तथा सह-उत्पादन संयंत्रों में बॉयलर संचालन के लिए **अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** भी आयोजित किए जाते हैं।

29.6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट

(Green Energy Corridor Project)

उद्देश्य	विशेषताएं
• नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादन बिंदु से लोड सेंटर तक पहुँचाना अर्थात् नेशनल ग्रिड नेटवर्क में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवाह को सक्षम बनाना।	• ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवाह हेतु ग्रिड कनेक्टेड नेटवर्क है। • इस गलियारे में दो ग्रीन कॉरिडोर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स की परिकल्पना की गयी है: 1. **ग्रीन कॉरिडोर I**: नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों को जोड़ने के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माण किया गया है। इसका कार्यान्वयन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (PGCIL) द्वारा किया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने इस हेतु ऋण सहायता प्रदान की है। 2. **ग्रीन कॉरिडोर II**: यह संबंधित राज्यों द्वारा कार्यान्वित इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क है और विभिन्न राज्यों में सौर पार्कों को जोड़ता है। • इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क **आठ नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों** (तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • इस कार्यक्रम के प्रथम चरण को 33 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा में सहायता प्रदान करने हेतु डिजाईन किया गया है जबकि द्वितीय चरण 22 गीगावाट क्षमता को जोड़ेगा। • इसके लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता जर्मनी द्वारा प्रदान की जा रही है।

29.7. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना

[Kisan Urja Surksha evam Utthaan Mahaabhiyan (KUSUM) Scheme]

उद्देश्य	विशेषताएं
• किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करना	• इसका उद्देश्य 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना है। प्रस्तावित योजना के तीन घटक हैं: • घटक ए : नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से 10,000 मेगावाट के भूमि के ऊपर निर्मित विकेन्द्रीकृत ग्रिडों को जोड़ना। • 500 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय विद्युत् संयंत्र व्यक्तिगत किसानों / सहकारी समितियों / पंचायतों / किसान उत्पादक संगठनों (FPO) द्वारा अपने बंजर या कृषि योग्य भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। • DISCOMs द्वारा उत्पादित विद्युत् को संबंधित SERC द्वारा निर्धारित टैरिफ/दर पर खरीदा जाएगा । • यह योजना ग्रामीण भू स्वामियों के लिए आय का एक स्थिर एवं सतत स्रोत प्राप्त होगा। प्रदर्शन के आधार पर DISCOM को पाँच वर्षों के लिए 0.40 रुपए की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। • घटक-B: 17.50 लाख स्वचालित सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना। • 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक की क्षमता के स्वचालित सोलर पंप स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। • इस योजना के तहत पंप क्षमता(HP में) के बराबर सौर PV क्षमता (kW में) की अनुमति है।

VISION IAS

	• घटक-C: 10 लाख ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सौरकरण। • व्यक्तिगत रूप से किसानों को 7.5HP तक की क्षमता वाले सोलराइज पंपों की सहायता दी जाएगी। • योजना के तहत सोलर PV क्षमता को किलोवाट (kW) में पंप क्षमता के दो गुने तक की अनुमति दी गई है। • किसान सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगा और अतिरिक्त उपलब्ध ऊर्जा को DISCOM को बेचा जाएगा। • यह किसानों को अतिरिक्त आय हेतु स्रोत सृजित करने और राज्यों को अपने RPO लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा। • **घटक-A और घटक-C को क्रमशः** 1000 मेगावाट क्षमता और एक लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के लिए पायलट मोड पर लागू किया जाएगा और इसके पश्चात पायलट रूप में चालित सफलता के आधार पर इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। • **घटक-B** को पूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा। • **CO2 उत्सर्जन की बचत के संदर्भ में** इस योजना का पर्याप्त पर्यावरणीय प्रभाव होगा।

29.8. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	मुख्य विशेषताएं
बायोमास पावर और सह उत्पादन कार्यक्रम (Scheme For Biomass Based Cogeneration Projects)	• इसका उद्देश्य देश में विद्युत उत्पादन के लिए चीनी मिलों तथा अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सह-उत्पादन (कोजेनरेशन) परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करना है। • यह खोई, कृषि आधारित औद्योगिक अवशेष, फसल अवशेष, ऊर्जा वृक्षारोपण के माध्यम से उत्पादित लकड़ी, औद्योगिक कार्यों में उत्पादित लकड़ी के कचरे,आदि बायोमास सामग्री का उपयोग करने वाली परियोजनाओं हेतु **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)** प्रदान करेगा। • **इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।** • योजना के अंतर्गत संयंत्र के वाणिज्यिक उत्पादन एवं प्रदर्शन परीक्षण के सफलतापूर्वक स्थापित एवं संचालित होने के पश्चात 25 लाख रूपये / मेगावाट (बैगास सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए) और 50 लाख रूपये/ मेगावाट (गैर-बैगास सह-उत्पादन परियोजनाओं) की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। • इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, प्रोपराइटरशिप फर्म, सहकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सरकारी स्वामित्व वाली फर्म, उपलब्ध वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। • बायोमास आधारित सह-उत्पादन परियोजनाएँ जो मौजूदा संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करना चाहती है, उन्हें भी CFA के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा।

VISION IAS

30. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchyati Raj)

30.1. ग्राम स्वराज अभियान

(Gram Swaraj Abhiyan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, गरीब ग्रामीण परिवारों तक पहुंच स्थापित करना, ज़ारी कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना, नई पहल में नामाकंन करना, किसानों की आय दोगूनी करने पर केन्द्रित होना, आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और स्वच्छता जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर बल देना तथा पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।	• यह अभियान "सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास" के नाम से आरम्भ किया गया है। • यह पिछड़े जिलों में सात योजनाओं का एक विशेष केंद्रित हस्तक्षेप है। • **ये सात योजनाएं हैं**: प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सौभाग्य, उजाला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष।

30.2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)

(Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan: RGSA)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs)को वितरित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में शासन की क्षमताओं का विकास करना	• हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की **केंद्र प्रायोजित योजना** के पुनर्गठन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की । • यह **राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान** का संशोधित संस्करण है। • इसका विस्तार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक होगा और इसमें गैर अधिसूचित(non-Part) IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के ऐसे संस्थान भी सम्मिलित होंगे, जहां पंचायतें विद्यमान नही हैं। • इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्व-संधारणीय, वित्तीय रूप से स्थिर और अधिक कुशल बनाना है। • यह पंचायतों की क्षमताओं और प्रभावशीलता तथा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण को बढ़ावा देकर उन महत्वपूर्ण अंतरालों के समाधान का प्रयास करता है जो पंचायतों की सफलता में बाधक हैं। • ग्राम सभा को पंचायत प्रणाली के अंतर्गत लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सुदृढ़ बनाना। • यह योजना 2018-2022 के मध्य क्रियान्वयित की जाएगी।

VISION IAS

31. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions)

31.1. प्रेरण प्रशिक्षण पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल (COMMIT)

(Comprehensive Online Modified Modules on Induction Training: COMMIT)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में सुधार करना और नागरिकों से दैनिक संवाद करने वाले अधिकारियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से नागरिक केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करना।	• यह राज्य सरकार के नए अधिकारियों के लिए 2014-15 में प्रारंभ किए गए मौजूदा 12-दिवसीय प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूरक की भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन अधिकारियों में सामान्य और क्षेत्र विशिष्ट दक्षताओं का विकास करना है। • इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा विकसित किया गया है। • इसे प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ATIs) के **माध्यम से लागू** किया जाएगा।

पोर्टल	विवरण
केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)	यह वेब प्रोद्योगिकी पर आधारित एक प्लेटफार्म है जिसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित नागरिकों को कहीं भी और कभी भी शिकायतों को दर्ज कराने में सक्षम बनाना है। • प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DAR&PG) इस पोर्टल में शिकायतों के निपटान हेतु नोडल एजेंसी है। • इस पोर्टल पर प्रणालीजनित विशिष्ट पंजीकरण संख्या के जरिए शिकायतों की निगरानी करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है। • **शिकायतें जिन पर निवारण हेतु विचार नहीं किया जाता** ○ न्यायाधीन मामले अथवा ऐसे मामले जो किसी न्यायालय के अधिनिर्णय से संबंधित हों। ○ व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद। ○ सूचना के अधिकार (RTI) से संबंधित मामलें। ○ ऐसी कोई अन्य शिकायत जिससे देश की क्षेत्रीय अखंडता अथवा अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित हों। ○ सुझाव

VISION IAS

32. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas)

32.1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• **2020** (पहले लक्ष्य वर्ष 2019 था) तक **8 करोड़** (पहले लक्ष्य 5 करोड़ था) BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन प्रदान करना।	• **गरीबी रेखा से नीचे स्थित कोई भी परिवार** जिसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा तैयार जिला BPL सूची में सम्मिलित हो। • इस योजना का शुभारंभ **'मेक इन इंडिया'** अभियान को भी प्रोत्साहित करेगा क्योंकि सिलेंडरों, गैस स्टोव, रेगुलेटरों और गैस पाइप आदि का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जायेगा। • **असामयिक मौतों** में कमी होगी चूंकि युवाओं और महिलाओं में **तीव्र श्वसन रोगों** (acute respiratory illness) की एक बड़ी संख्या के लिए इनडोर वायु प्रदूषण उत्तरदायी है।	• **हाल ही में, सरकार द्वारा लाभार्थियों के लाभ के दायरे का विस्तार किया गया है, अब यह देश के सभी निर्धन परिवारों को कवर करेगा। इसके तहत, नए लाभार्थी के रूप में उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो राशन कार्ड और आधार दोनों धारण करते हों तथा जिनकी पहचान स्व-घोषणा के माध्यम से निर्धन के रूप में हुई है।** • **LPG कनेक्शन BPL परिवार की वयस्क महिला के नाम पर** जारी किया जाएगा; बशर्ते घर के किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर कोई LPG कनेक्शन मौजूद न हो। • केंद्र सरकार प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए **1600 रुपये** की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। • **उपभोक्ताओं** के पास LPG सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त **गैस स्टोव और रिफिल को EMI** (शून्य ब्याज) पर खरीदने का विकल्प होगा। प्रारंभिक 6 रिफिल के लिए ऋण की वसूली प्रभावी नहीं होती है।

32.2. प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल)

(Pratyaksh Hanstantrit Labh: PAHAL)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• व्यपवर्तन (diversion) को कम करना और नकली या फर्जी LPG कनेक्शन को समाप्त करना। • उपभोक्ताओं हेतु पात्रता को संरक्षित रखना और सब्सिडी सुनिश्चित करना। • वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए LPG सिलेंडर की उपलब्धता/ वितरण में सुधार करना। • सब्सिडी में स्व-चयन की अनुमति प्रदान करना।	• LPG सिलेंडरों का उपयोग करने वाले उपभोक्ता। • चूँकि सरकार द्वारा लीकेज में कमी की जाएगी जिससे सार्वजनिक धन की बचत होगी। • तेल विपणन कंपनियां, क्योंकि मध्यस्थ समाप्त हो जायेंगे।	• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत यह **विश्व की सबसे बड़ी नकद सब्सिडी** (गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल) है। • LPG उपभोक्ताओं को पूरे देश में घरेलू LPG सिलेंडरों को बाजार निर्धारित मूल्य (सब्सिडी के बिना) पर बेचा जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा पहला सिलेंडर बुक करते ही अतिशीघ्र अग्रिम भुगतान किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पास बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदने के लिए पर्याप्त धन है। • इस प्रकार LPG सिलेंडर पर लागू कुल नकद लाभ CTC (नकद हस्तांतरण अनुपालक) उपभोक्ता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह उपभोक्ता की पात्रता के अनुसार प्रदत्त प्रत्येक सब्सिडी वाले सिलेंडर (निश्चित सीमा तक) के लिए मान्य होगा। • वे LPG उपभोक्ता जो LPG सिलेंडरों के लिए LPG सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, सब्सिडी छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। • **उपभोक्ताओं** के पास सब्सिडी प्राप्त करने के लिए बैंक खाता होना आवश्यक है। यह सुविधा जन धन द्वारा प्रदान की जाती है। लाभ प्राप्त करने के लिए आधार के साथ खाते को जोड़ना भी अनिवार्य है।

32.3. पीडीएस केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBTK) योजना

[Direct Benefit Transfer In PDS Kerosene (DBTK) Scheme]

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• PDS के आबंटन और वितरण में सुधार लाना। • बेहतर सब्सिडी प्रबंधन करना। • सब्सिडी वाले केरोसिन के व्यपवर्तन (diversion) को रोकर सब्सिडी व्यय को कम करना।	9 राज्य सरकारों यथा छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और गुजरात द्वारा पहचाने गए 33 जिलों के **केरोसीन उपभोक्ता।**	• **PAHAL** के समान उपभोक्ता, खरीद के समय केरोसिन की गैर-सब्सिडी वाली कीमत का भुगतान करेगा। • सब्सिडी की राशि प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। • प्रारंभिक गैर-सब्सिडी वाली खरीद के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी की प्रारंभिक राशि जमा कराई जाएगी। • यह योजना लागू करने वाले राज्यों को पहले दो वर्षों में बची सब्सिडी के 75%, तीसरे वर्ष में बची सब्सिडी के 50% और चौथे वर्ष में बची सब्सिडी के 25% के बराबर **राजकोषीय प्रोत्साहन** प्रदान किया जायेगा। • इसके अतिरिक्त, सभी परिवारों को LPG के दायरे में लाकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को **'केरोसिन मुक्त' बनने के लिए प्रोत्साहित** किया जाता है। • अब तक 5 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली एवं पुदुचेरी तथा **तीन राज्य-** हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पंजाब 'केरोसिन मुक्त' बन गए हैं। **दिल्ली के बाद, चंडीगढ़ केरोसिन मुक्त होने वाला दूसरा शहर था।**

32.4. प्रधान मंत्री LPG पंचायत योजना

(Pradhan Mantri LPG Panchayat Scheme)

उद्देश्य	विशेषताएं
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के क्रियान्वयन हेतु पंचायतों का उपयोग बैकअप प्रदान करने के रूप में किया जाएगा। • उन ग्रामीण क्षेत्रों में LPG कनेक्शन वितरित करना जहाँ घरेलू उद्देश्यों हेतु पारंपरिक ईंधन का उपयोग किया जाता है। • तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों तथा NGOs,आशा कार्यकर्ताओं एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से लोगों में विद्यमान शंकाओं और पारंपरिक भ्रांतियों का निवारण करना।	• यह ग्रामीण LPG उपयोगकर्ताओं के लिए LPG के सुरक्षित उपयोग, पर्यावरण सम्बन्धी लाभ, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों से सम्बन्धित एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अतिरिक्त इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उपभोक्ताओं को नियमित रूप से स्वच्छ ईंधन के रूप में LPG के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। • अगले एक से डेढ वर्ष में देश भर में ऐसी करीब एक लाख LPG पंचायतें आयोजित होंगी। एक पंचायत के अंतर्गत आस-पास के क्षेत्रों के लगभग 100 LPG ग्राहक सम्मिलित होंगे। • इस मंच का उद्देश्य ऐसी चर्चाओं को आरम्भ करना है जिसमे लोग पारंपरिक ईंधन जैसे-गोबर, चारकोल, या लकड़ी की तुलना में स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लाभों के व्यक्तिगत अनुभव एक दूसरे से साझा कर सकें और इसके उपयोग के लिए प्रेरित हों।

VISION IAS

32.5. प्रधानमंत्री JI-VAN (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना

(Pradhan Mantri Ji-Van (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awashesh Nivaran) Yojana)

उद्देश्य	विशेषताएं
देश में द्वितीय पीढ़ी (2G) की एथेनॉल क्षमता का सृजन करना तथा इस नवीन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना।	• **यह लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का प्रयोग करते हुए एकीकृत जैव-एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी।** • 12 वाणिज्यिक पैमाने और 10 प्रदर्शन पैमाने की दूसरी पीढ़ी (2G) की एथेनॉल परियोजनाओं को **दो चरणों में अगले छह वर्षों के दौरान व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण सहायता** प्रदान की जाएगी। • MoP&NG के तत्वावधान में तकनीकी संस्था, **सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT),** इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी। • योजना के लाभार्थियों द्वारा उत्पादित **एथेनॉल** की एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत अग्रिम वृद्धि हेतु **तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को अनिवार्य आपूर्ति** की जाएगी। • EBP कार्यक्रम जैविक ईंधनों के दहन के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करने, कृषकों को भुगतान करने, कच्चे तेल आयातों को सब्सिडीकृत करने तथा विदेशी मुद्रा बचतों को प्राप्त करने हेतु पेट्रोल में एथेनॉल को मिश्रित करने के लिए वर्ष 2003 में आरम्भ हुआ था। • EBP कार्यक्रम के तहत **OMCs पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रित करती हैं।** • वर्तमान नीति **शीरा और** पेट्रो-रसायन रूट (route) सहित सेल्यूलोस और लिग्नोसेल्यूलोजिक पदार्थों से उत्पादित एथेनॉल की खरीद को अनुमति प्रदान करती है।

32.6. राष्ट्रीय गैस ग्रिड

(National Gas Grid)

उद्देश्य	विशेषताएं
• प्राकृतिक गैस की पहुंच के संबंध में देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और समस्त देश में स्वच्छ और हरित ईंधन उपलब्ध कराना। • गैस स्रोतों को प्रमुख मांग केंद्रों से जोड़ना और विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • CNG और PNG की आपूर्ति के लिए विभिन्न शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विकास।	वर्तमान में, लगभग 16000 किलोमीटर लम्बा गैस पाइपलाइन नेटवर्क परिचालन में है और इसने देश के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण-पूर्वी गैस बाजारों को जोड़कर एक आंशिक गैस ग्रिड का निर्माण किया है। • गैस आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने और ऊर्जा बॉस्केट (एनर्जी बास्केट) में गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6.5% से बढ़ाकर 15% करने हेतु, सरकार द्वारा अतिरिक्त 15,000 किमी. गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास की परिकल्पना की गई है। • देश के पूर्वी भाग में स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना आरंभ की गई है। • बरौनी (बिहार) से गुवाहाटी (असम) तक लगभग 750 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन पूर्वोत्तर राज्यों को मौजूदा गैस ग्रिड के साथ जोड़ने के लिए मुख्य द्वार होगी। 5 कंपनियों के संयुक्त उद्यम (JV) के माध्यम से पूर्वोत्तर में एक मिनी गैस ग्रिड भी विकसित किया जा रहा है। यह 1,500 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जोड़ेगी। यह राष्ट्रीय गैस ग्रिड के पूर्ण होने और उसके निर्माण की प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाएगी।

VISION IAS

32.7. सिटी गैस वितरण नेटवर्क

(City Gas Distribution (CGD) Network)

उद्देश्य	विशेषताएं
पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जैसे गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सम्पूर्ण देश में ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहन।	यह एक निर्दिष्ट **भौगोलिक क्षेत्र (GA)** में स्थित घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसरों और CNG स्टेशनों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु पाइपलाइनों का परस्पर संबद्ध नेटवर्क है। • CGD नेटवर्क एक भौगोलिक क्षेत्र में ट्रंक गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी या गैस स्रोतों की उपलब्धता तथा प्रौद्योगिक-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विकसित किए जा रहे हैं। • इसने देश के नागरिकों हेतु स्वच्छ भोजन बनाने के ईंधन (अर्थात् PNG) तथा परिवहन ईंधन (अर्थात् CNG) की उपलब्धता में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। • CGD नेटवर्क का विस्तार प्राकृतिक गैस की अबाधित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के द्वारा औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों हेतु भी लाभप्रद होगा।

32.8. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

स्टार्ट-अप संगम इनिशिएटिव (Start-Up Sangam Initiative)	• इस योजना का उद्देश्य **वैकल्पिक ईंधनों में नवाचार द्वारा ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करना है।** • **इसके अंतर्गत नए बिजनेस मॉडल एवं मार्केटिंग प्लान** विकसित किए जाएंगे तथा 30 स्टार्ट-अप्स के सहयोग से तेल और गैस जैसे महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्रक में नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रधानमन्त्री ऊर्जा गंगा/ राष्ट्रीय गैस ग्रिड (Pradhan Mantri Urja Ganga/ National Gas Grid)	• इसे जगदीशपुर - हल्दिया एवं बोकारो- धामरा पाइपलाइन परियोजना (JHBDPL) के रूप में भी जाना जाता है - इसकी लम्बाई 2655 किमी है। इस पाइपलाइन परियोजना का उद्देश्य गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ऊर्जा बॉस्केट में गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाना है। • यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पांच राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। • पाइपलाइन का मुख्य ट्रंक **हल्दिया (पश्चिम बंगाल) और धामरा (ओडिशा)** तक जाकर समाप्त हो जाता है। • इस परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी **GAIL** द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
सक्षम (संरक्षण क्षमता महोत्सव)-2018 [Saksham (Sanrakshan Kshamta Mahotsav)-2018]	• यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ **(PCRA) का वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम** है। • एक माह तक चलने वाले **इस अभियान का उद्देश्य इस दौरान नागरिकों को पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण एवं उनके बेहतर उपयोग के प्रति जागरुक बनाने के प्रयासों में सक्रियता लाना है।** • ईंधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही इसका लक्ष्य वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, यातायात प्रवाह (traffic flow) में सुधार करना एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नागरिकों को जागरूक बनाना है।
किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (Sustainable Alternative towards Affordable Transportation-SATAT)	• इसका उद्देश्य विकास के प्रयास के रूप में किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प प्रदान करना है। वाहन-उपयोगकर्ता के साथ-साथ किसान और उद्यमी भी इससे लाभान्वित होंगे। • इस महत्वपूर्ण पहल में **अधिक किफायती परिवहन ईंधन की उपलब्धता में वृद्धि करने, कृषि अवशेषों, मवेशियों के गोबर और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के बेहतर उपयोग** के साथ-साथ किसानों को अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करने की क्षमता विद्यमान है।

VISION IAS

33. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)

33.1. उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना)

[UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana)]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• उदय का लक्ष्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सुधार एवं उनका पुनरूत्थान करना, • दीर्घ काल में सभी के लिए सस्ती और सुलभ 24x7 विद्युत आपूर्ति।	• उदय का लक्ष्य विद्युत् वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सुधार एवं उनका पुनरूत्थान करना और विद्युत् वितरण के समक्ष विद्यमान वित्तीय समस्या का एक टिकाऊ और स्थायी समाधान भी सुनिश्चित करना है। • इस योजना का उद्देश्य ब्याज के बोझ को कम करना, बिजली की लागत को कम करना, वितरण क्षेत्र में बिजली के नुकसान को कम करना और डिस्कॉम की परिचालन क्षमता में सुधार करना है। • राज्य सरकारों को कुल ऋण के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण करना होता है और वे बॉन्ड बेचकर उधारदाताओं को भुगतान करती हैं तथा शेष 25 प्रतिशत के लिए डिस्कॉम बॉन्ड जारी करती हैं। • 2018-19 तक सभी वितरण कंपनियों को लाभदायक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। परिणाम दो संकेतकों के माध्यम से मापे जायेंगे अर्थात 2018-19 तक AT&C हानि में 15% की कमी और 2018-19 तक शून्य के लिए वास्तविक आपूर्ति और औसत राजस्व की औसत लागत के मध्य अन्तराल में कमी। • इस लक्ष्य की प्राप्ति चार पहलों के माध्यम से होगी (i) डिस्कॉमों की परिचालन क्षमता में सुधार; (ii) ऊर्जा लागत में कमी करना; (iii) डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कटौती करना; (iv)राज्य वित्त के समान डिस्कॉमों में भी वित्तीय अनुशासन लागू किया जाए। • डिस्कॉम के 75% ऋण का भुगतान 30 सितम्बर, 2015 से दो वर्षों के लिए किया जाएगा। इसके तहत 2015-16 में डिस्कॉम ऋण का 50% और 2016-17 में 25% का भुगतान किया जाएगा। • भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में संबंधित राज्यों के राजकोषीय घाटे (FRBM के लिए) की गणना में उपरोक्त योजना के अनुसार राज्यों द्वारा उठाए गए ऋण शामिल नहीं करेगी। योजना 31-03-2017 से अप्रभावी हो गई है। • राज्य, बाजार में या सीधे संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्थानों (जिनका डिस्कॉम पर कर्ज है) को SDL सहित गैर –SLR बॉन्ड जारी करेंगे। • डिस्कॉम के जिस ऋण का भुगतान राज्य नहीं करेंगे उसे बैंक / वित्तीय संस्थानों (FIs) द्वारा लोन या बॉन्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा • पश्चिम बंगाल और ओडिशा केवल दो राज्य हैं जो इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। ओडिशा पहले शामिल हो गया था किन्तु फिर इस योजना से बाहर निकल गया। समग्र रूप से 27 राज्य इस योजना में शामिल हो चुके हैं।

33.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

(Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana: DDUGJY)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• 2022 तक देश भर में	• **DDUGJY वेबसाइट के अनुसार, मार्च, 2019 तक 99.99% जनगणना गांवों का विद्युतीकरण**

VISION IAS

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 24×7 निर्बाध बिजली की आपूर्ति। • नई परिभाषा के अनुसार सभी गांवों एवं बस्तियों का विद्युतीकरण। • गरीबी रेखा के नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को निः शुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान करना।	**कर दिया गया है।** • **DDUGY के घटक:** ○ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग को सुविधाजनक बनाने हेतु **कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को पृथक** करना; ○ ग्रामीण क्षेत्रों में **ट्रांसफार्मर / फीडरों / उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित उप-पारेषण एवं वितरण (ST&D) अवसंरचनाओं** का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्द्धन; ○ **ग्रामीण विद्युतीकरण,** आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) के अनुमोदन के अनुसार RGGVY (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) को DDUGJY में सम्मिलित करना तथा RGGVY के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना। इसके अतिरिक्त DDUGJY के अंतर्गत RGGVY के लिए अनुमोदित परिव्यय को अग्रेषित करना; केंद्र सरकार परियोजना लागत का 60% अनुदान के रूप में प्रदान करती है, राज्य बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) धन के 10% की उगाही करती हैं, और 30% वित्तीय संस्थानों और बैंकों से उधार लिया जाता है। • **माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण** नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया जाएगा। • DDUGJY के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन एक नोडल एजेंसी है। • देश के सभी गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में रियल टाइम डेटा प्रदान करने हेतु मंत्रालय ने **GARV-II ऐप** भी लॉन्च किया है।

33.3. राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम

(National LED Programme)

इस कार्यक्रम को 2005 में, सस्ती दरों पर अत्यधिक कुशल लाइटिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं:

- उन्नत ज्योति बॉय अफ़ोर्डेबल LED फॉर ऑल (UJALA) और
- राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (Street Lighting National Program: SLNP)

33.3.1. उजाला

(UJALA)

[UJALA (Unnat Jyoti By Affordable Leds For All (UJALA)]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना। • बिजली के बिल को कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करना।	• इसका उद्देश्य ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने के लाभ के बारे में **उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना** तथा उच्च प्रारंभिक लागतों को कम करने की मांग में वृद्धि करना, **इस प्रकार आवासीय उपयोगकर्ताओं द्वारा LED लाइट्स के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग को सुविधाजनक बनाना।** • यह योजना LEDs के माध्यम से भारत में 77 करोड़ इन्केन्डेसन्ट बल्बों को प्रतिस्थापित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। • EESL (एनर्जी इफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड) परिवारों को 10 रुपये की सस्ती दर पर LED लाइट्स खरीदने में सक्षम बनाता है। यह योजना शेष राशि का उनके बिजली बिल से आसान किस्तों पर भुगतान करने की व्यवस्था करता है। • बचत लैंप योजना (इस योजना ने इन्केन्डेसेन्ट बल्ब की कीमत पर CFL बल्ब प्रदान करने का प्रस्ताव किया) को DELP योजना (घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम - जिसके तहत LED बल्ब प्रदान किए जा रहे हैं) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस योजना को वर्तमान में उजाला नाम से जाना जाता है।

33.3.2. राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम

(Street Lighting National Program: SLNP)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका उद्देश्य मार्च 2019 तक भारत की 14 मिलियन (1.34 करोड़) पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को ऊर्जा दक्ष LEDs से प्रतिस्थापित करना है।	• यह विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। • ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL), नगर पालिकाओं को पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर LED को बिना किसी अग्रिम लागत (अपफ्रंट कॉस्ट) पर उपयोग करने में सक्षम बनाता है। • ऊर्जा बचत का मौद्रीकरण कर नगर पालिकाओं के माध्यम से शेष लागत वसूल की जाती है। • ULB अनुबंध की अवधि सामान्यतः 7 वर्ष होती है, जिसमें न्यूनतम ऊर्जा बचत (आमतौर पर 50%) सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, EESL द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत पर इन लाइट्स का निः शुल्क प्रतिस्थापन एवं रखरखाव किया जाता है।

33.4. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

[Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (SAUBHAGYA)]

उद्देश्य	लाभार्थी	विशेषताएं
• 31 मार्च 2019 तक देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण लक्ष्य को प्राप्त करना। • सुदूर और दुर्लभ क्षेत्रों में अविद्युतीकृत आवासों के लिए सोलर फोटोवोल्टिक (SPV) आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम प्रदान करना।	• निम्नलिखित क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकृत आवास: ○ ग्रामीण क्षेत्रों, ○ सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों, तथा ○ शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से निर्धन परिवारों के गैर-विद्युतीकृत आवास (गैर-निर्धन शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है)। • निजी क्षेत्र की विद्युत् वितरण कंपनियों (DISCOMs) सहित सभी DISCOMs • कुशल मानवशक्ति (Skilled manpower)	• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी है। ○ **यह योजना लास्ट माइल कनेक्टिविटी और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने** की परिकल्पना करती है। ○ **वित्त पोषण प्रारूप:** केंद्रीय अनुदान द्वारा 60%, बैंक एवं ऋण द्वारा 30%, और राज्यों द्वारा 10%। • निजी क्षेत्र के DISCOMs, राज्य विद्युत विभाग और RE सहकारी समितियों सहित सभी विद्युत वितरण कम्पनियाँ, DDUGJY के साथ इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। • सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के अंतर्गत कम से कम एक वंचित व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से निर्धन परिवारों सहित सभी को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराएगी। यद्यपि अन्य लोगों से, बिल के साथ दस बराबर किस्तों में प्रति परिवार 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। • लाभार्थी परिवारों को पांच LED लाइट, एक DC फैन और एक DC पावर प्लग प्रदान किया जाएगा। इसमें 5 वर्ष के लिए मरम्मत और रखरखाव (R&M) की सुविधा भी शामिल है। • सुदूर और दुर्लभ क्षेत्रों में स्थित अविद्युतीकृत आवासों के लिए सोलर फोटोवोल्टिक (SPV) आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के साथ LED लाइट, फैन, पावर प्लग इत्यादि प्रदान किया जाएगा।

VISION IAS

		• हाल ही में, सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत घरेलू विद्युतीकरण को निर्धारित समय से पूर्व पूर्ण करने वाले **राज्यों के लिए 100 करोड़ रुपये के पुरस्कार** की घोषणा की है। डिस्कॉम के अतिरिक्त, **कर्मचारियों को भी सामूहिक रूप से विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण करने के लिए 50 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।**

33.5. एकीकृत विद्युत विकास योजना (शहरी क्षेत्रों के लिए)

[Integrated Power Development Scheme (For Urban Areas)]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय 24x7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना।	• यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आरम्भ की गई है- ○ शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना। ○ शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर / फीडर्स / उपभोक्ता के लिए मीटर लगाना। ○ वितरण क्षेत्र को IT सक्षम बनाना और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना। सभी DISCOMs (इसमें निजी क्षेत्र के DISCOMs भी सम्मिलित हैं) को **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान किया गया अधिकतम अनुदान 75% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90%) है। • इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं केवल शहरी क्षेत्रों (वैधानिक नगरों) के लिए तैयार की जाएंगी। • इस योजना हेतु PFC (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) एक नोडल एजेंसी है।

33.6. सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ़ इफिशन्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्माल इंडस्ट्रीज (साथी)

[Sustainable and Accelerated Adoption of efficient Textile technologies to Help small Industries (SAATHI)]

उद्देश्य	विशेषताएं
ऊर्जा एवं लागत बचत द्वारा लघु और मध्यम पॉवरलूम इकाइयों की क्षमता में वृद्धि करना।	• **वस्त्र मंत्रालय एवं विद्युत् मंत्रालय की एक संयुक्त पहल।** • **EESL ऊर्जा सक्षम पॉवरलूम, मोटर तथा रैपियर किट का थोक में** क्रय करेगी तथा उन्हें लघु और मध्यम पॉवरलूम इकाइयों को **बिना किसी अग्रिम कीमत** के उपलब्ध कराएगी। • दक्ष उपकरणों का उपयोग इकाई के स्वामी के लिए ऊर्जा और लागत की बचत के रूप में सामने आएगा और वह 4 से 5 वर्षों की अवधि के दौरान EESL को किश्तों के रूप में पुनर्भुगतान किया जायेगा।

33.7. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

मानक और लेबलिंग (स्टार रेटिंग) कार्यक्रम	इसे **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** द्वारा निर्मित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता को ऊर्जा की बचत और इस तरह प्रासंगिक विपणन उत्पाद की संभावित लागत बचत के बारे में एक सूचित पसंद प्रदान करना हैं। • इसका लक्ष्य उच्च ऊर्जा अंत्य उपयोग उपकरणों और यंत्रों पर ऊर्जा प्रदर्शन लेबल्स प्रदर्शित करना है तथा यह न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करता है। • इसे सभी अंशधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ **सहयोगात्मक और सर्वसम्मति युक्त दृष्टिकोण** के माध्यम से विकसित किया गया है। • इसमें रेटिंग हेतु यंत्रों की दो श्रेणियां हैं: ○ स्टार रेटिंग हेतु **अनिवार्य उपकरण:** एयर कंडीशनर(AC), फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, रंगीन

VISION IAS

	टीवी, फ्लोरोसेंट लैम्प्स आदि। ○ **ऐच्छिक उपकरण:** इंडक्शन मोटर्स, पंप सेट्स, सीलिंग फैन्स (छत के पंखे), कंप्यूटर आदि। • किसी भी विद्युत् यंत्र को BEE जांच के उपरांत राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) अथवा समकक्ष प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर 1 से 5 के पैमाने पर स्टार रेटिंग प्रदान की जा सकती है।
ऊर्जा (अर्बन ज्योति अभियान) ऐप URJA (Urban Jyoti Abhiyan) APP	• इस ऐप को विद्युत मंत्रालय की ओर से **पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।** इसको विकसित करने का मुख्य उद्देश्य शहरी विद्युत वितरण क्षेत्र से उपभोक्ताओं को जोड़कर बेहतर संपर्क स्थापित करना है। • यह **सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कस्बों के उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती सूचना, कनेक्शनों का समयोचित निर्गमन, शिकायतों का निवारण, विद्युत विश्वसनीयता आदि से संबंधित महत्वपूर्ण मानदंडों पर सूचना उपलब्ध करवाने** के लिए विकसित किया गया है। • यह पारदर्शी तरीके से उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मापदंडों के आधार पर कस्बों की "रैंकिंग" के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित है।
मेरिट (आय एवं पारदर्शिता के कायाकल्प के लिए बिजली का मेरिट ऑर्डर डिस्पैच) वेब पोर्टल	• इसे विद्युत् मंत्रालय द्वारा पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (POSOCO) तथा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। • यह राज्य/राज्यों द्वारा खरीदी गई विद्युत् के मेरिट ऑर्डर के संदर्भ में सूचनाओं की एक विस्तृत सारणी को प्रदर्शित करता है यथा- सभी विद्युत् जनित्रों की दैनिक राज्यवार सीमांत परिवर्तनीय लागत, स्रोतवार निश्चित और परिवर्तनीय लागतों, ऊर्जा की मात्रा एवं खरीद मूल्यों के साथ संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की दैनिक स्रोतवार विद्युत् खरीदें आदि। • यह राज्यों को अपने विद्युत् खरीद पोर्टफोलियो में सुधार करने का अवसर भी प्रदान करता है।
ऊर्जा दक्षता में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी (INSPIRE)-2018	यह एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जो विभिन्न अंशधारकों को जोड़ता है तथा इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता समुदाय के लिए **ऊर्जा दक्षता नीतियों,** उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, बाजार परिवर्तन रणनीतियों, वितरण और व्यवसाय-मॉडल चालित परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। • हाल ही में **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) और विश्व बैंक** द्वारा भारत में इसका आयोजन किया गया। • नवीन, नवाचारी और मापनीय व्यावसायिक मॉडल में निवेशों को समर्थन प्रदान करने हेतु EESL और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने एक एनर्जी एफिसिएंसी रिवॉल्विंग फंड (EERF) की स्थापना के लिए 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) अनुदान हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इको निवास संहिता 2018	• **यह रिहायशी इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण इमारत कोड (ECBC-R) है।** • इसका उद्देश्य ऐसे घरों, अपार्टमेंट और टाउनशिप का डिजाइन तैयार करना और उनके निर्माण को बढ़ावा देना है जिससे उनमें रहने वाले लोगों और पर्यावरण को ऊर्जा की बचत के लाभ प्राप्त हो सके।
नेशनल पावर पोर्टल (NPP)	• यह भारत में विद्युत् उत्पादन, पारेषण और वितरण हेतु GIS सक्षम नेविगेशन और विज़ुअलाइजेशन चार्ट विंडोज के माध्यम से भारतीय विद्युत् क्षेत्र की सूचनाओं के एकत्रीकरण और प्रसारण हेतु एक केंद्रीकृत मंच है। • NPP डैशबोर्ड, सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए पूर्ववर्ती विद्युत् क्षेत्र के ऐप्स यथा तरंग (TARANG), उजाला (UJALA), प्रवाह (PRAVAH), गर्व (GARV), उर्जा (URJA) और मेरिट (MERIT) हेतु एक एकल बिंदु इंटरफ़ेस के रूप में भी कार्य करेगा।

VISION IAS

34. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)

34.1. अवतरण

(Avataran)

उद्देश्य	महत्वपूर्ण विशेषताएं
सात मिशन मोड गतिविधियों के माध्यम से भारतीय रेल का रूपांतरण।	इसे 2016-17 के बजट में आरम्भ किया गया था तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित मिशन शामिल हैं: • **मिशन 25 टन-** इसका लक्ष्य ढुलाई क्षमता में वृद्धि के द्वारा राजस्व में बढ़ोत्तरी करना है। इसकी प्राप्ति हेतु 2016-17 में 25 टन एक्सल लोड वैगनों (डब्बों) द्वारा 10 से 20% माल (वस्तुओं की) ढुलाई की जाएगी। वित्त वर्ष 2019-20 तक 70% माल ढुलाई परिवहन को उच्च एक्सल लोड वाले वैगनों में स्थानांतरित किया जाएगा। • **मिशन जीरो एक्सीडेंट:** इसमें दो उप-मिशन शामिल होंगे- 1. मानवरहित लेवल क्रासिंग्स को समाप्त करना: इस मिशन के तहत आगामी 3-4 वर्षों में बड़ी लाईन (ब्रॉड गेज) के सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग्स को समाप्त कर दिया जाएगा। 2. TCAS (रेल टक्कररोधी प्रणाली): गाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर की रोकथाम हेतु तथा एवरेज सेक्शनल स्पीड बढ़ाकर थ्रूपुट (throughput) में सुधार हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। • **मिशन PACE (खरीद और खपत में कुशलता):** इस मिशन का लक्ष्य वस्तु एवं सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर कर हमारी खरीद और खपत कार्यप्रणालियों में सुधार करना है। • **मिशन रफ्तार:** इस मिशन के तहत माल गाड़ियों की औसत रफ्तार दोगुनी की जाएगी तथा सुपरफ़ास्ट मेल/एक्सप्रेस आदि गाड़ियों की रफ्तार को अगले 5 वर्षों में 25 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाया जाएगा। आगामी पांच वर्षों में लोको चालित पैसेंजर गाड़ियों को DEMU/MEMU द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह रेल प्रणाली की आवागमन क्षमता में वृद्धि हेतु मिशन 25 टन की पूरक होगी। • **मिशन हंड्रेड:** इस मिशन के अंतर्गत रेलवे द्वारा अगले 2 वर्षों में कम से कम 100 साइडिंग्स (रेल की दूसरी छोटी पटरी) को प्रारम्भ किया जायेगा। • **मिशन बियॉन्ड बुक कीपिंग:** इसके अंतर्गत एक लेखाकंन प्रणाली का उपयोग किया जायेगा जहाँ परिणामों से आगतों (inputs) तक पहुंचा जा सकता है। यह भारतीय रेलवे में बदलाव लाएगा क्योंकि सही लेखांकन से उचित लागत निर्धारित होगा और इस प्रकार उचित मूल्य निर्धारण एवं सही परिणाम प्राप्त होंगे। • **मिशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन:** इसका उद्देश्य नवीन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु एक रूपरेखा का निर्माण करना है जिसको दिल्ली-मुंबई तथा दिल्ली-कोलकाता के मध्य दो समर्पित फ्रेट गलियारों के माध्यम से विकसित किया जायेगा। इन गलियारों को 2019 तक चालू कर दिया जाएगा।

34.2. मिशन सत्यनिष्ठा

(Mission Satyanishtha)

उद्देश्य	विशेषताएं
• प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता और मूल्य को समझने के लिए प्रशिक्षित करना। • जीवन एवं लोक शासन में नैतिक दुविधाओं से निपटना।	• इस मिशन का उद्देश्य सभी रेलवे कर्मचारियों को नैतिकता का पालन करने और कार्य के दौरान सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता के संदर्भ में **संवेदनशील बनाना है।** • **वर्तमान में इस प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण भारतीय रेलवे में विषय पर वार्ताएं एवं व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं।**

VISION IAS

34.3. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजनाएँ	विशेषताएं
स्फूर्ति (SFOORTI)	• स्फूर्ति या स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन माल प्रबंधकों हेतु एक ऐप है जो GIS व्यूज और डैशबोर्ड का प्रयोग करते हुए माल ढुलाई व्यवसाय की निगरानी और प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है।
प्रोजेक्ट सक्षम	• इस योजना के तहत प्रत्येक रेलवे जोन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को अगले एक वर्ष में उनके कार्य-क्षेत्र के अनुरूप कौशल एवं ज्ञान अर्जन हेतु साप्ताहिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
प्रोजेक्ट स्वर्ण	• इस योजना को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की स्थिति में उन्नयन हेतु प्रारंभ किया गया है। • प्रोजेक्ट स्वर्ण का उद्देश्य महत्वपूर्ण रूप से यात्री अनुभवों में सुधार करना है जिसमें 9 आयाम शामिल हैं। इसके अंतर्गत कोच की आन्तरिक साजसज्जा, शौचालय,ऑनबोर्ड सफाई, कर्मचारी व्यवहार, खानपान, लिनेन, समय-पाबंदी, सुरक्षा तथा ऑनबोर्ड मनोरंजन शामिल हैं।
निवारण- शिकायत पोर्टल	• रेलक्लाउड पर आरम्भ किया गया यह पहला आईटी (IT) ऐप है। यह सेवारत तथा पूर्व रेलवे कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु एक प्लेटफार्म है।
विकल्प योजना	• प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को निश्चित सीट/बर्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'अल्टरनेट ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम – विकल्प' की शुरूआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। • इस योजना के अंतर्गत एक ट्रेन की प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को अन्य ट्रेनों में निश्चित सीट/बर्थ का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है। • इसे सभी **प्रकार की ट्रेनों और क्लास के यात्रियों के लि**ए लागू किया गया है।
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	• इसका गठन 2017-18 के बजट में महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 1 लाख करोड़ रुपये की राशि के साथ किया गया है।
समन्वय पोर्टल	इसे **विभिन्न रेलवे एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ढांचागत विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित राज्य सरकारों के साथ लंबित मुद्दों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए** विकसित किया गया है।
श्रेष्ठ	रेलवे की भावी तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु नया R&D संगठन।
इंडियन रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम	• यह **ई-टेंडर, ई-ऑक्शन या रिवर्सऑक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से वस्तुओं, विनिर्माण और सेवाओं, सामग्री की बिक्री, और संपत्ति के पट्टे के लिए ऑनलाइन गतिविधियों** हेतु भारतीय रेलवे का

VISION IAS

(IREPS)	आधिकारिक पोर्टल है। • **रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS)** द्वारा इसका विकास और रखरखाव किया जाता है। • यह सबसे बड़ा **G2B पोर्टल है।** • केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इसे **'सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार 2017'** से सम्मानित किया गया। • हाल ही में, इसका **मोबाइल एप्लिकेशन, आपूर्ति लॉन्च** किया गया था।
रेल मदद	**यात्रियों की शिकायतों का त्वरित निवारण करने के उद्देश्य से** भारतीय रेलवे ने एक नया 'रेल मदद 'ऐप लॉन्च किया है।
रेल सहयोग वेब पोर्टल	भारतीय रेलवे ने **रेल सहयोग** वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह वेब पोर्टल निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए **CSR (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व)** कोष के जरिए रेलवे स्टेशनों पर एवं इनके निकट सुविधाओं के सृजन में योगदान के लिए एक प्लेटफॉर्म सुलभ कराएगा।
समर्पित माल-भाड़ा गलियारा	• इस परियोजना के अंतर्गत में पूरे देश में **छह माल-भाड़ा गलियारों का निर्माण** शामिल है। • प्रारंभ में, पश्चिमी और पूर्वी ट्रंक मार्गों पर समर्पित रेल माल-भाड़ा गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। • शेष चार गलियारे अर्थात उत्तर-दक्षिण (दिल्ली-तमिलनाडु), पूर्व-पश्चिम (पश्चिम बंगाल-महाराष्ट्र), पूर्व-दक्षिण (पश्चिम बंगाल-आंध्र प्रदेश) और दक्षिण-दक्षिण (तमिलनाडु- गोवा) योजना के चरण में हैं। • 2006 में, भारत सरकार ने परियोजना को लागू करने हेतु एक समर्पित संस्था, **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (DFCCIL)** की स्थापना की थी। • एक बार परिचालन के पश्चात, पश्चिमी और पूर्वी गलियारे रेलवे की माल-भाड़ा क्षमता को वर्तमान की 1,200 मिलियन टन से बढ़ाकर लगभग 2,300 मिलियन टन तक कर देंगे और **माल-भाड़ा की लागत को कम करने में सहायक होंगे।** • **पश्चिमी गलियारे** का निर्माण प्रमुख रूप से **जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है** और **पूर्वी गलियारे** को **विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप** से वित्त पोषित किया जा रहा है।

VISION IAS

35. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)

35.1. भारतमाला परियोजना

(Bharatmala Pariyojna)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
राजमार्ग क्षेत्रक (हाईवे सेक्टर) हेतु यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों को समाप्त कर सम्पूर्ण देश में माल और यात्री आवागमन क्षमता के बेहतर उपयोग पर केन्द्रित है।	• भारतमाला के चरण-1 में लगभग 24,800 कि.मी. सड़क निर्माण प्रस्तावित है, जिसे 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्षों की अवधि में क्रियान्वयित किया जाएगा। • इसके अतिरिक्त भारतमाला परियोजना चरण-1 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के तहत 10,000 कि.मी. के शेष सड़क कार्य भी शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 34,800 कि.मी. है। • भारतमाला परियोजना श्रेणी: ○ आर्थिक गलियारा ○ शाखापथ (feeder) मार्ग या आन्तरिक गलियारा ○ राष्ट्रीय गलियारा क्षमता सुधार ○ सीमा सड़क तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क ○ बन्दरगाह सम्पर्क तथा तटीय सड़क ○ हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे ○ शेष NHDP कार्य • मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास और चोक प्वाइंट के उन्मूलन के माध्यम से मौजूदा गलियारों की दक्षता में सुधार करना। • उत्तर-पूर्व में कनेक्टिविटी सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के सहयोग से लाभ प्राप्त करना। • पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों, आर्थिक गतिविधि वाले क्षेत्रों, धार्मिक और पर्यटन रुचि के स्थलों, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार मार्गों आदि कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना। • भारतमाला परियोजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा **लॉजिस्टिक्स इफिशिएन्सी एन्हैन्समेंट प्रोग्राम (LEEP)** प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अवसंरचना, प्रक्रियात्मक और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हस्तक्षेपों के माध्यम से वस्तुओं की कंसाइनमेंट लागत, समय, ट्रैकिंग एवं स्थानान्तरणीयता में सुधार करना तथा भारत में माल ढुलाई में वृद्धि करना है। • राजमार्ग परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से NHAI द्वारा एक **राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्द्धन प्रकोष्ठ (National Highways Investment Promotion Cell: NHIPC)** का गठन किया गया है। • इस परियोजना का क्रियान्वयन सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) और राज्य लोक निर्माण विभाग (PWDs) के माध्यम से किया जाएगा। • प्रकोष्ठ, सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश सहभागिता के निर्माण हेतु वैश्विक संस्थागत निवेशकों, निर्माण कंपनियों, विकासकर्ताओं तथा निधि प्रबंधकों के साथ सहयोग प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। यह भारतमाला परियोजना के

VISION IAS

	अंतर्गत आवश्यक 5,35,000/- करोड़ रूपए के निवेश हेतु निधि जुटाने में भी सहयोग प्रदान करेगा।

35.2. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

सेतु भारतम	• राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा हेतु सेतुओं (पुलों) का विकास और सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करना। • इस कार्यक्रम के अंतर्गत 20,800 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर 208 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB)/रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किया जाएगा। • साथ ही लगभग 30,000 करोड़ रुपये की लागत से करीब 1500 पुराने और जीर्ण-शीर्ण पुलों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित करके/चौड़ा करके या मजबूत करके सुधारा जायेगा।
इन्फ्राकॉन (INFRACON)	• यह इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी फर्मों और प्रमुख कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। • यह सड़क इंजीनियरिंग तथा निर्माण क्षेत्र में काम कर रही कंसल्टेंसी फर्मों तथा परियोजना तैयार करने और पर्यवेक्षण हेतु तैनात किए गए डोमेन विशेषज्ञों एवं प्रमुख कर्मियों के बीच एक प्रकार के सेतु का कार्य करता है ।
इनाम प्रो+ INAM PRO +	• प्रारंभिक रूप से **INAM-Pro** के अंतर्गत केवल सीमेंट विक्रेता एवं खरीदार शामिल थे। हाल ही में, **अन्य निर्माण सामग्री, उपकरणों / मशीनरी तथा सेवाओं को शामिल करने हेतु पोर्टल को INAM-Pro + के रूप में अपग्रेड किया गया है**, जिसमें नए / उपयोग किए गए उत्पादों तथा सेवाओं को खरीदना / किराए पर लेना / लीज शामिल होंगे। • इस वेब पोर्टल को **राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL)** द्वारा डिज़ाइन किया गया है। NHIDCL, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक CPSE है। • यह पोर्टल मूल्य की तुलना, सामग्री की उपलब्धता आदि को सुविधाजनक बनाता है और संभावित खरीददारों के लिए पारदर्शी तरीके से उचित दरों पर निर्माण सामग्री, उपकरण, मशीनरी आदि की खरीद को अत्यधिक सुलभ बनाता है। • हाल ही में, **"INAMPRO"** परियोजना को श्रेणी-I के तहत 'स्वर्ण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुन: अभियांत्रिकी श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए ई-गवर्नेंस में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।
बिडर सूचना प्रबंधन प्रणाली (BIMS)	• **इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अनुबंधों के EPC मोड पर बोली लगाने वालों की प्री - क्वालिफिकेशन प्रक्रिया को** सुव्यवस्थित, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित करना है। • यह पोर्टल बोलीदाताओं के सभी बुनियादी ब्यौरों जैसे सिविल कार्य अनुभव, नकद राशि प्राप्तियां और नेटवर्क, वार्षिक कारोबार आदि के डेटा बेस के रूप में कार्य करता है। • भूमि राशि सिस्टम के माध्यम से सभी लाभार्थियों को सीधे भूमि अधिग्रहण हेतु क्षतिपूर्ति से सम्बंधित भुगतान करने के लिए भूमिराशि पोर्टल एवं पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) का एकीकरण इसके प्रमुख कार्यों में से एक है।
भूमि राशि पोर्टल	• इसमें देश के समग्र राजस्व रिकॉर्डों को एकीकृत किया गया है। • राज्य सरकार द्वारा मसौदा अधिसूचना जमा करने से लेकर RT&H और ई-गजट में प्रकाशन हेतु राज्य मंत्री द्वारा इसकी मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। • भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना प्रक्रिया मे तेजी लाने के लिए भूमिराशि पोर्टल का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है।

VISION IAS

36. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

36.1. सांसद आदर्श ग्राम योजना

[Saansad Adarsh Gram Yojana (SAANJHI)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• उन प्रक्रियाओं में तेजी लाना जो चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को बढ़ावा देती हैं।
• निम्नलिखित उपायों के माध्यम से जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार-
  ○ उन्नत बुनियादी सुविधाएँ
  ○ उच्चतर उत्पादकता
  ○ संवर्द्धित मानव विकास
  ○ बेहतर आजीविका के अवसर
  ○ असमानता में कमी
  ○ अधिकारों और दावों तक पहुंच
  ○ व्यापक सामाजिक गतिशीलता
  ○ समृद्ध सामाजिक पूंजी
• स्थानीय स्तर के विकास और प्रभावी स्थानीय शासन के मॉडल को विकसित करना जो निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को सीखने और उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें।
	• इसके तहत मार्च 2019 तक तीन आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य है।जिनमें से एक आदर्श ग्राम को 2016 तक विकसित किया जाना था। तत्पश्चात, प्रति वर्ष एक का चयन करके 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का विकास किया जाना है।
	• विकास के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होगी। इसकी आबादी मैदानी क्षेत्रों में 3000-5000 और पहाड़ी, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होगी।
	• इसके तहत संसद के प्रत्येक सांसद एक ग्राम पंचायत को तत्काल चुनेंगे तथा दो अन्य को कुछ समय पश्चात् चुना जाएगा।
	• लोकसभा सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र से और राज्यसभा सांसद को जहां से वह चुना गया है वहां अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण इलाके/क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का चयन करना है।
	• मनोनीत सांसद देश के किसी भी जिले के ग्रामीण इलाके/क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं।
	• शहरी निर्वाचन क्षेत्रों (जहां ग्राम पंचायत नहीं हैं) के मामले में, सांसद निकट के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत की पहचान करेंगे।
	• इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास योजना के माध्यम से किया जाएगा जिसे प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत के लिए तैयार किया जाएगा।
	• विकास रणनीति का मॉडल आपूर्ति-संचालित न होकर मांग-संचालित होगा।
	• SAANJHI का लक्ष्य कुछ मूल्यों को बढ़ावा देना है, जैसे कि
	  ○ जन भागीदारी,
	  ○ अंत्योदय,
	  ○ लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा,
	  ○ सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा की भावना,
	  ○ स्वच्छता, पर्यावरण हितैषी, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना,
	  ○ शांति और सद्भाव, पारस्परिक सहयोग,
	  ○ आत्मनिर्भरता, स्थानीय स्व-शासन ,
	  ○ सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही, आदि

VISION IAS

36.2. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

(Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• ऐसे योग्य एवं असम्बद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में, **सभी मौसमों हेतु सड़कों की कनेक्टिविटी** उपलब्ध कराना, जिनकी जनसंख्या: ○ मैदानी क्षेत्रों में **500 या उससे अधिक** हो। ○ पहाड़ी राज्यों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों में **250 या उससे अधिक** हो। ○ चरम वामपंथ उग्रवाद (LWE) से प्रभावित 9 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किये गए हैं) के ब्लॉक्स हेतु 100 या उससे ऊपर की आबादी के साथ आवासों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त रियायत प्रदान की गई है।	• प्रारम्भ में PMGSY के लक्ष्य मार्च 2022 तक प्राप्त किए जाने थे, हालांकि वर्धित निधि आवंटन और परिवर्तित निधियन प्रतिरूप के साथ PMGSY-1 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि मार्च 2019 निर्धारित कर दी गई थी। केंद्र और राज्यों के मध्य निधि आवंटन आठ उत्तर-पूर्वी और 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) में 90:10 था तथा इन राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों हेतु यह अनुपात 60:40 था। • इस योजना के वित्तीयन हेतु हाई स्पीड डीजल पर प्रति लीटर 75 पैसे का उपकर (सेस) आरोपित किया गया है। • इस कार्यक्रम के लिए राजस्व गांव की जगह **अधिवास (habitation) को प्राथमिक इकाई बनाया** गया है। • इसका एक घटक उन्नयन (अपग्रेडेशन) भी है जिसका लक्ष्य खेत से बाजार की पूर्ण कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ग्रामीण सड़कों को उन्नत (अपग्रेड) करना है। PMGSY-II का उद्देश्य सड़क नेटवर्क को जीवंत बनाने के लिए एक मानदंड के आधार पर मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों के उन्नयन को कवर करना है। • PMGSY के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। • PMGSY ग्रामीण सड़कों के निर्माण में "हरित तकनीक" और गैर-परंपरागत सामग्री जैसे अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जिओ-टेक्सटाइल, फ्लाई-ऐश, आयरन और कॉपर स्लैग इत्यादि को व्यापक रूप से प्रोत्साहित कर रही है। • राज्य सरकारों के लिए सीमेंट सुदृढ़ीकरण, चूना स्थिरीकरण, शीत मिश्रण, अपशिष्ट प्लास्टिक, सेल फिल्ड सीमेंट (Cell filled concrete), पैनल्ड सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, फ्लाई ऐश आदि जैसी **नवीन प्रौद्योगिकियों के तहत वार्षिक प्रस्तावों** (सड़क निर्माण से संबंधित) **की कुल लम्बाई के न्यूनतम 15%** प्रस्तावित करना आवश्यक है।

36.3. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

(Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर निर्मित करना	• इसका उद्देश्य देश भर में 300 ग्रामीण विकास समूहों (रूरल ग्रोथ क्लस्टर) का निर्माण करना है, जिसका लक्ष्य: ○ आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं से संबंधित **ग्रामीण-शहरी**

VISION IAS

	विभाजन को समाप्त करना ○ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का प्रसार। ○ ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना। ○ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी में कमी के साथ स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। • एक 'रुर्बन क्लस्टर', भौगोलिक दृष्टि से समीपवर्ती गांवों का समूह होगा। मैदानी और तटीय क्षेत्रों में इसकी जनसंख्या लगभग 25000 से 50000 तथा रेगिस्तान, पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों में यह 5000 से 15000 होगी। • राज्य सरकारों द्वारा क्लस्टर का चयन किया जाएगा। • राज्य सरकार क्लस्टर के विकास के लिए प्रासंगिक वर्तमान केंद्रीय क्षेत्र की, केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार की योजनाओं की पहचान करेगी और एक एकीकृत और समयबद्ध तरीके से उनके कार्यान्वयन को अभिसरित (converge) करेगी। • केंद्र सरकार परिणामों को प्राप्त करने में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध वित्त पोषण में कमी की पूर्ति हेतु क्लस्टर को क्रिटिकल गैप फंडिंग (CGF) प्रदान करेगी। • यह योजना क्लस्टर के इष्टतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए 14 अनिवार्य घटकों के साथ कार्य करेगी। इसमें आर्थिक गतिविधियों से सम्बंधित कौशल विकास प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, पूरी तरह से सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य इकाई और अंतर-गांव सड़क संबद्धता शामिल हैं।

36.4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

[Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
MGNREGS के मुख्य उद्देश्य हैं: • मांग के अनुसार **ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को** वित्तीय वर्ष में एक गारंटीशुदा रोजगार के रूप में **कम से कम 100 दिनों का अकुशल मैन्युअल कार्य** उपलब्ध कराना, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक संपत्तियों का निर्माण हो; • गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना; • अग्रसक्रिय रूप से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना; तथा • पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ बनाना।	• इसके लक्ष्य : ○ मजदूरी के माध्यम से रोजगार के अवसरों की गारंटी प्रदान कर **ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक सुभेद्य लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा।** ○ स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य को बढ़ावा देकर रोजगार अवसरों के निर्माण के माध्यम से **ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि।** ○ ग्रामीण क्षेत्रों के **प्राकृतिक संसाधन आधार का कायाकल्प।** ○ **एक स्थायी और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्ति आधार** का निर्माण। ○ अधिकार-आधारित कानूनों की प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेष रूप से, महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) का सशक्तिकरण। ○ विभिन्न गरीबी और आजीविका पहलों के अभिसरण के माध्यम से **विकेन्द्रीकृत, सहभागितापूर्ण आयोजन को सुदृढ़** करना। ○ पंचायती राज संस्थानों को सशक्त कर जमीनी स्तर पर **लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।** • ग्राम पंचायत जांच के बाद परिवारों (हाउसहोल्ड) को पंजीकृत करती है और जॉब कार्ड जारी करती है। • मनरेगा के कार्यों का **सामाजिक लेखापरीक्षा** अनिवार्य है। • **कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं** होंगी। • रोजगार 5 किमी के दायरे में प्रदान किया जाएगा और यदि दूरी 5 किमी से अधिक है तो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

VISION IAS

	• जब तक कि केंद्र मजदूरी दर को अधिसूचित न करे,राज्य में कृषि मजदूरों को भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अनुसार किया जायेगा। • यदि आवेदन करने या कार्य मांगे जाने के पंद्रह दिनों के अन्दर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो **आवेदनकर्ता बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी** होता है। बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। • मजदूरी और निर्माण सामग्री (wage and material ratio) में 60:40 के अनुपात को बनाए रखा जाना चाहिए। कोई ठेकेदार और मशीनरी अनुमन्य नहीं है। • केंद्र सरकार कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित अकुशल मैनुअल श्रम की 100 प्रतिशत मजदूरी लागत और भौतिक लागत के 75 प्रतिशत का वहन करती है। • सरकार ने विभिन्न राज्यों में अधिसूचित सूखा प्रभावित जिलों में 100 दिनों से अधिक दिनों (150 दिनों तक) के लिए अतिरिक्त रोजगार को मंजूरी दे दी है। • **GeoMGNREGA** मनरेगा के तहत निर्मित संपत्तियों की जियोटैगिंग के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से MoRD का एक अनूठा प्रयास है।

36.5. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

[Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी बेघर गृहस्वामियों तथा कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों वाले परिवारों को एक पक्का घर उपलब्ध कराना। • **तात्कालिक उद्देश्य** 2016-17 से 2018 -19 तक तीन वर्षों में ऐसे **1 करोड़ परिवारों** को कवर करना है जो कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं। • **कुल निर्माण लक्ष्य -** 2022 तक PMAY-G चरण- II के तहत 1.95 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। • यह योजना मूल रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS: वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं) और निम्न आय वर्ग (LIG: वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं) वर्गों में लोगों को कवर करने के लिए प्रारंभ की गई थी, किंतु वर्तमान में इसके तहत मध्य आय वर्ग (MIG) को भी कवर किया गया है।	• **लाभार्थियों की पहचान-** सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (SECC) का प्रयोग करते हुए 13 बिंदु अपवर्जन मानदंडों को अपनाया गया है। • **ग्राम सभा की भूमिका-** पूर्व में सहायता प्राप्त लाभान्वितों एवं अन्य कारणों से अयोग्य लोगों की पहचान के लिए सूची ग्राम सभा को दी जाएगी। • **लागत साझाकरण-** यूनिट सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है। • प्रौद्योगिकी का उपयोग- भू-संदर्भित(geo referenced) तस्वीरों की जांच और उन्हें अपलोड एक मोबाइल ऐप द्वारा किया जाएगा। • यह स्थानीय सामग्रियों और घरों के स्थानीय विशिष्टता आधारित डिजाइन का उपयोग करके निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। • **यूनिट सहायता-** मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और IAP जिलों में 1.30 लाख रुपये प्रति यूनिट की सहायता। लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से 7000 रुपये तक के ऋण का लाभ भी उठा सकते हैं। • **शौचालयों के निर्माण के लिए** स्वच्छ भारत ग्रामीण, MGNREGS या वित्तपोषण के किसी अन्य स्रोत के अभिसरण के माध्यम से सहायता (12000 रुपये)। • लाभार्थी, MGNREGS के माध्यम से **90/95 दिवस के अकुशल श्रम के**

	हकदार हैं। • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **राजगीरों के अखिल भारतीय प्रशिक्षण और प्रमाणन का एक कार्यक्रम शुरू** किया गया है। • कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी समुदाय भागीदारी (सामाजिक लेखा परीक्षा), संसद सदस्य (DISHA समिति), केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तरीय मॉनीटरिंग आदि के माध्यम से की जानी है। • **योजना के प्रशासनिक व्यय में निर्धारित राशि में से 4% से 2% की कटौती की गई है।**.

36.6. मिशन अंत्योदय

(Mission Antyodaya)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से समयबद्ध रूप में गरीबी के विभिन्न आयामों को संबोधित करने के लिए, वित्तीय और मानवीय, दोनों तरह के परिवर्तनकारी बदलावों को अवसर प्रदान करना।	• यह वास्तविक ग्रामीण परिवर्तन के लिए मापनीय परिणाम पर आधारित **राज्य की अगुवाई वाला उत्तरदायित्व एवं अभिसरण (एकाउंटेबिलिटी एंड कंवर्जेंस) फ्रेमवर्क है,** जो 5,000 ग्रामीण क्लस्टर अथवा 50 हजार ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले 1 करोड़ परिवारों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए 1000 दिनों का लक्ष्य निर्धारित करता है। • **ग्राम पंचायत (GP)** परिवर्तन की निगरानी और वस्तुनिष्ठ मानदंडों (objective criteria) के आधार पर रैंकिंग के लिए मूल इकाई है। **अभिकल्पित किए गए प्रमुख परिणाम** • ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDPs) / क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करके चयनित ग्राम पंचायतों/क्लस्टर्स के लिए सुदृढ़ अवसंरचनात्मक आधार प्रदान करना। • GP/क्लस्टर में व्यापक हितधारकों को आकर्षित करने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक पूंजी में वृद्धि हेतु सहभागितापूर्ण योजना निर्माण। • गैर-कृषि क्षेत्र, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का कौशल विकास, मूल्य श्रृंखलाओं (वैल्यू चैन) का विकास और उद्यमों को प्रोत्साहन देने सहित विभिन्न आजीविकाओं के सृजन के माध्यम से आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना। • पंचायती राज्य संस्थाओं (PRIs) की क्षमता के विकास, सार्वजनिक प्रकटीकरण, ग्राम पंचायत स्तर के औपचारिक और सामाजिक जवाबदेही उपाय (जैसे सामाजिक लेखापरीक्षा) के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना। **मिशन अंत्योदय के तहत प्रमुख प्रक्रियाएँ** • परिवारों का बेसलाइन सर्वेक्षण करना और समय-समय पर प्रगति की निगरानी करना। • ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु लक्षित कार्यक्रमों/योजनाओं के समेकन को सुनिश्चित करना। • PRIs, सामुदायिक संगठनों, NGOs, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), संस्थानों और विभिन्न विभागों (जैसे ASHA कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि) के क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के मध्य ग्राम पंचायत/क्लस्टर साझेदारी को संस्थागत बनाना।

VISION IAS

	• संस्थानों और पेशेवरों के साथ भागीदारी के माध्यम से उद्यमों को बढ़ावा देना। • राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ, ग्रामीण विकास विभाग ने भौतिक अवसंरचना, मानव विकास और आर्थिक गतिविधियों के मानकों पर 50,000 ग्राम पंचायतों की रैंकिंग पूरी की है।

36.7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(National Social Assistance Programme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और एकमात्र अर्जक व्यक्ति की मृत्यु से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए।	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा **सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना** (Core of Core scheme) के रूप में प्रशासित किया जा रहा है। साथ ही इसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। वर्तमान में इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: • **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** (IGNOAPS): IGNOAPS के लिए पात्रता आयु 60 वर्ष है। 60 वर्ष और 79 वर्ष के बीच के लोगों के लिए पेंशन 200 रुपये है तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए प्रति माह 500 रुपये है। • **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** (IGNWPS): पात्रता आयु 40 वर्ष है और पेंशन 300 रुपये प्रति माह है। 80 वर्ष की उम्र के बाद, लाभार्थी को प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे। • **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना** (IGNDPS): पेंशन के लिए पात्रता आयु 18 वर्ष और उससे अधिक तथा विकलांगता का स्तर 80% होना चाहिए। पेंशन की राशि प्रति माह 300 रुपये है और 80 साल की उम्र के बाद लाभार्थी को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। इस पेंशन के लिए बौनापन भी एक योग्य पात्र श्रेणी होगी। • **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS):** परिवार के एकमात्र अर्जक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में प्रभावित परिवार को 20000 रुपये की एकमुश्त राशि सहायता के रूप में दी जाएगी। • **अन्नपूर्णा योजना**: प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 10 किलो अनाज (गेहूं या चावल) दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन योग्य वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो IGNOAPS के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा राज्य नीति के निदेशक तत्वों की प्राप्ति का प्रयास किया गया है।** विशेष रूप से, भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 निर्धारित करता है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में अपने नागरिकों को लोक सहायता प्रदान करने का उपबन्ध करेगा।

VISION IAS

36.8. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

[Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• गरीब परिवारों की लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी के रोजगार अवसरों तक पहुंच को सक्षम बना कर ग्रामीण गरीबी को कम करना • 2024-25 तक 10-12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूहों में संगठित करना। • सशक्त समुदाय संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार लाना। • ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफॉर्म स्थापित करना जो उन्हें आजीविका में वृद्धि तथा वित्तीय और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। • 7.0 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँच स्थापित करना जिनमें से 4.5 करोड़ अभी भी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से जोड़े नहीं जा सके हैं।	• **यूनिवर्सल सोशल मोबिलाईज़ेशन-** प्रत्येक चिह्नित गरीब ग्रामीण परिवार में से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाना है। सुभेद्य समुदायों पर विशेष बल दिया जाता है। • **निर्धनों की पहचान के लिये सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण (PIP)** - NRLM द्वारा लक्षित परिवारों (NTH) की पहचान हेतु BPL के बजाय निर्धनों की पहचान के लिये सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण (Participatory Identification of Poor: PIP) अपनाया जाता है। PIP एक समुदाय संचालित प्रक्रिया है जहां CBOs स्वयं सहभागितापूर्ण ढंग से गांव में गरीबों को चिह्नित करते हैं। CBOs द्वारा पहचाने गए गरीबों की सूची का निरीक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। • यह **रिवॉलविंग फंड (RF)** और **सामुदायिक निवेश कोष (CIF)** के माध्यम से संसाधन प्रदान करता है, जिससे उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया जा सके और मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड निर्मित कर सकें। • **वित्तीय समावेशन-** यह गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है तथा SHGs और उनके संघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करता है • **आजीविका-** NRLM कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में गरीबों के मौजूदा आजीविका पोर्टफोलियो को स्थिर करने और प्रोत्साहित करने; बाह्य आजीविका बाजारों के लिए कौशल निर्माण; और स्व-नियोजित एवं उद्यमियों को पोषित करने (सूक्ष्म उद्यमों के लिए) पर ध्यान केंद्रित करता है। • यह **आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (ASDP)** को क्रियान्वित करता है। इस उद्देश्य के लिए NRLM कोष का 25% भाग निर्धारित है। ASDP ग्रामीण युवाओं के कौशल और अर्थव्यवस्था के बढ़ते क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च वेतन रोजगार में नियुक्ति की सुविधा प्रदान करता है। • NRLM, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को **ग्रामीण विकास स्व-रोजगार संस्थान (RUDSETI) मॉडल** के आधार पर देश के सभी जिलों में **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। • NRLM, **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) के माध्यम से** सफल, लघु-स्तरीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाती है। MKSP का लक्ष्य निर्धन तथा निर्धनतम के लिए घरेलू भोजन और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। • **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना** को NRLM के उप-समुच्चय (सब-सेट) के रूप में डिजाइन किया गया है। इससे **'अवधारणा का प्रमाण' (प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट)** बनाया जा सकेगा, केंद्र और राज्यों की क्षमताओं का निर्माण किया जा सकेगा तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को NRLM में स्थानांतरित (transit) करने हेतु एक सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा। NRLM को देश में लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों के लिए 13 उच्च निर्धनता वाले राज्यों में लागू किया जाएगा।

VISION IAS

36.9. जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति

[District Development Coordination And Monitoring Committee (DIsHA)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• जिलों के कुशल और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधान मंडलों और स्थानीय शासन (पंचायती राज संस्थानों / नगर निकायों) के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।	• DISHA का अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित, जिले से निर्वाचित **संसद सदस्य (लोकसभा)** होना चाहिए। • जहां जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से अधिक सांसद (लोकसभा) हैं, वहां वरिष्ठ सदस्य (लोकसभा) को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। • जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सांसदों (लोकसभा) को सह-अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। • ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यसभा के एक सांसद, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और उस जिले की जिला स्तरीय समिति (पहले आओ पहले पाओ) के साथ सम्बद्ध होने का विकल्प चुनता है, को सह-अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। • इस समिति के पास समन्वय और निगरानी की शक्तियां होंगी।इसकी भूमिका अनुमोदित परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने की है। साथ ही इसके पास विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों के प्रभावी रूप से अनुपालन (follow-up) की शक्तियां भी होंगी। • जिलाधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा तथा अनुशंसाओं पर समयबद्ध रूप से आगे की कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा। • वरिष्ठता क्रम में **DISHA, जिला सतर्कता और निगरानी समिति से ऊपर** है। • DISHA के अंतर्गत भारत सरकार की सभी गैर-सांविधिक योजनाओं को शामिल किया जाएगा जिनका प्रशासन सामान्य रूप से किया जाता है। हालाँकि, किसी विधान के तहत विशेष रूप से आवंटित योजनाओं के कार्यों को निगरानी के लिए किसी अन्य समिति को नहीं सौंपा जा सकता है।
दिशा डैशबोर्ड	• इसका विकास डेटा आधारित निर्णयन को सुगम बनाने के लिए किया गया है। • डैशबोर्ड के तहत उन सभी 42 केंद्रीय योजनाओं को समेकित किया जायेगा जिनकी निगरानी पहले से ही DISHA या जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों द्वारा की जा रही हैं। • वर्तमान में, यह उपकरण विधायकों और सरकारी अधिकारियों के लिए उपलब्ध है। शीघ्र ही इसे जनता के लिए भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। • इसके द्वारा भौगोलिक विसंगतियों का समाधान करते हुए रियल टाइम में शासन की निगरानी करना सरल हो जाएगा।

36.10. DAY- NRLM के अंतर्गत अन्य योजनाएं

(Other Schemes under DAY- NRLM)

36.10.1. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

(Aajeevika Grameen Express Yojana: AGEY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राज्यों द्वारा चिह्नित किये गए पिछड़े ग्रामीण इलाकों/क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को संचालित करने की सुविधा देकर DAY-NRLM के	• कार्यक्रम के तहत, DAY-NRLM योजना के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) को प्रदान किए गए सामुदायिक निवेश कोष (CIF) का उपयोग SHG के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को संचालित करने के

VISION IAS

अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों को आजीविका का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना। • DAY-NRLM के ढांचे के भीतर उपलब्ध साधनों का उपयोग करके प्रमुख सेवाओं और सुविधाओं के साथ दूरस्थ गांवों को जोड़ने के लिए सुरक्षित, किफायती और सामुदायिक निगरानी युक्त ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करना।	लिए किया जाएगा। • यह कार्यान्वयन के लिए दो विकल्प प्रदान करता है। **विकल्प I:** • CBOs द्वारा वाहन को CIF कॉर्पस (CIF corpus) से वित्त पोषित किया जाएगा। CBO वाहन को खरीदेंगे और उसका स्वामित्व उनके पास ही होगा तथा SHG सदस्य को यह पट्टे पर दिया जायेगा। • लाभार्थी SHG सदस्य वाहन को चयनित मार्ग पर संचालित करेगा और CBO को पट्टे का मासिक किराया देगा। • पट्टा किराये के माध्यम से वाहन लागत के पूर्ण भुगतान के बाद वाहन के स्वामित्व के विषय में निर्णय CBO द्वारा लिया जाएगा। **विकल्प II:** • CBO वाहन की खरीद के लिए SHG सदस्य को अपने CIF कॉर्पस से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। • SHG सदस्य अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में ऋण का भुगतान करेगा और वाहन के संचालन से जुड़े सभी खर्चों का वहन करेगा, जिसमें बीमा की वार्षिक लागत, सड़क कर, परमिट लागत, रख-रखाव लागत और वाहन की अन्य सभी लागतें शामिल हैं (जैसे, ईंधन, तेल, आदि)। • ऋण चुकाने के पश्चात् ,वाहन का स्वामित्व SHG सदस्य को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

36.10.2. स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम

(Startup Village Entrepreneurship Programme: SVEP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उद्यम सलाहकार सेवाओं, बैंक/SHG एवं फेडरेशन से ऋण प्रदान कर तथा ICT तकनीकों और उपकरणों के एकीकरण के माध्यम से ग्राम उद्यमिता संवर्द्धन के लिए टिकाऊ मॉडल विकसित करके ग्रामीण गरीबों को अपने उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाना। • ग्राम स्तरीय सामुदायिक कैडर (CRP EP) के पूल को प्रशिक्षण देकर स्थानीय संसाधनों को विकसित करना और CRP EP के कार्य की निगरानी और निर्देशन करने के लिए NRLM और SHG संघों में क्षमता निर्माण करना। • ग्रामीण उद्यमियों को अपने उद्यमों को शुरू करने के लिए वित्त हेतु NRLM SHG संघों एवं बैंकिंग तंत्र तक पहुंच स्थापित करने में सहायता करना।	• यह व्यापक रूप से वित्तीय संपर्कों, क्षमता निर्माण, विकास प्रक्रियाओं एवं उद्यम-ट्रैकिंग के तंत्र तथा प्रत्यास्थ (resilient) ग्रामीण उद्यमों के निर्माण के लिए समुदाय आधारित सलाहकारी समर्थन/सेवाएं प्रदान करने पर आधारित है। • इसमें शामिल हैं- ○ बाजार संभाविता मूल्यांकन और उद्यमों के प्रदर्शन की ट्रैकिंग के लिए एक IT-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म की डिज़ाइन। ○ एक ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) का निर्माण। यह सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करने और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बैंक के साथ संपर्क एवं महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए एक उत्तरदायी स्थानीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा। ○ एक समर्पित सामुदायिक उद्यम निधि (CEF) जो नए और वर्तमान उद्यमियों को सुलभ प्रारंभिक पूँजी प्रदान करती है। ○ कृषि उपज, कलात्मक उत्पादों, गैर-काष्ठ वन उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं और सेवाओं में अपेक्षित उप-क्षेत्रीय हस्तक्षेप • यह प्रारम्भ में 5 वर्षों 2014 -15 से 2018-19 की अवधि के

VISION IAS

	दौरान देश के 24 राज्यों के 125 ब्लाकों में 1,82,200 ग्राम उद्यमों के निर्माण और वृद्धि का समर्थन कर रहा है।

36.10.3. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

(Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• **कौशल अंतराल** को भरना। यह अंतराल भारत के ग्रामीण गरीबों को आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है, उदाहरणार्थ: औपचारिक शिक्षा और विपणन योग्य कौशल का अभाव।	• ग्रामीण युवा: 15 - 35 वर्ष • SC/ST/महिला/PCTG/PWD: 45 वर्ष तक	• **प्लेसमेंट से सम्बद्ध कौशल निर्माणकारी परियोजनाओं (placement linked skilling projects) के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान करता है। • ग्रामीण गरीबों को **मांग आधारित** निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण • **सामाजिक रूप से वंचित समूहों का अनिवार्य कवरेज** (SC/ST 50%; अल्पसंख्यक 15%; महिला 33%) • **नौकरी में बने रहने (job retention), करियर प्रगति और विदेशी नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान** करना। • कम से कम 75% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए **प्लेसमेंट की गारंटी** • **प्लेसमेंट के बाद समर्थन**, प्रव्रजन (माइग्रेशन) में समर्थन और एलुमिनाई नेटवर्क • नए प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को पोषित करना और उनके कौशल को विकसित करना • जम्मू-कश्मीर (हिमायत), उत्तर-पूर्व क्षेत्र और 27 वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों (रोशनी) में गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक बल देना • **स्वतंत्र तृतीय पक्षीय मूल्यांकन और प्रमाणन को अनिवार्य** करता है। • **3-स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल:** ○ MoRD में DDU-GKY नेशनल यूनिट नीति निर्माण, तकनीकी सहायता और सुविधा प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ○ DDU-GKY राज्य मिशन कार्यान्वयन समर्थन प्रदान करते हैं; तथा ○ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (PIAs), कौशल निर्माणकारी (स्किलिंग) और प्लेसमेंट परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करती हैं।

VISION IAS

36.10.4.राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण परियोजना

[National Rural Economic Transformation Project (NRETP)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• आजीविका संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना, वित्त तक पहुंच और डिजिटल वित्त एवं आजीविका सम्बन्धी हस्तक्षेपों पर स्केल-अप पहलें आरम्भ करना। • मूल्य श्रृंखलाओं में महिलाओं के स्वामित्व एवं उनके नेतृत्व वाले कृषि और गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना; उन्हें ऐसे व्यवसायों के निर्माण में सक्षम बनाना जो उन्हें वित्त, बाजार और नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने में सहायक हो; और रोजगार सृजन करता हो।	• NERTP अपने व्यक्तिगत और/या सामूहिक स्वामित्व वाले और प्रबंधित उद्यमों के निर्माण के लिए स्टार्ट-अप वित्तपोषण विकल्पों सहित वित्त का उपयोग करने हेतु एक मंच बनाकर ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगा। • परियोजना के अन्य प्रमुख घटक में डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग के माध्यम से छोटे उत्पादक समूहों के स्केल-अप और बाजार के साथ जुड़ने में मदद करने हेतु वित्तीय उत्पादों को विकसित करना शामिल है। • यह दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के समन्वय के साथ युवा कौशल विकास का भी समर्थन करेगा। • यह परियोजना महिलाओं के स्वामित्व वाली और महिलाओं के नेतृत्व वाली उत्पादक सामूहिकता को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी सहायता, कौशल निर्माण और निवेश सहायता देना जारी रखेगी, जो उच्च मूल्य वाले कृषि और गैर-कृषि वस्तुओं जैसे वाणिज्यिक फसलों और पशुधन उत्पादों, एवं मत्स्य पालन में विविधता लाएगा। • परियोजना विश्व बैंक से प्राप्त ऋण सहायता के माध्यम से प्रारम्भ की जाएगी।

36.11. नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट

(Neeranchal National Watershed Project)

उद्देश्य	मुख्य बिंदु
PMKSY के वाटरशेड घटक को तकनीकी सहायता प्रदान करने और मजबूती प्रदान करने के लिए। हर खेत तक सिंचाई की पहुँच (हर खेत को पानी) और जल का कुशल उपयोग (प्रति बूंद अधिक फसल)	• विश्व बैंक से सहायता प्राप्त • **परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA): भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय** नीरांचल को मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याओं के समाधान हेतु निर्मित किया गया है: • भारत में वाटरशेड और वर्षा आधारित कृषि प्रबंधन प्रथाओं में संस्थागत परिवर्तन करने हेतु • ऐसे सिस्टम का निर्माण करने के लिए जो वाटरशेड प्रोग्राम और रेनफेड सिंचाई प्रबंधन प्रथाओं के केन्द्रित उद्देश्य, बेहतर समंवय, मात्रात्मक परिणाम को सुनिश्चित करते हों। • उन्नत जल-संभर और कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में प्रबंधन के तौर-तरीकों को बनाए रखने की रणनीतियां तैयार करने में सहायता करने तथा परियोजना को मिलने वाली सहायता को वापस लेने के बावजूद इस तरह की रणनीतियां के निर्माण हेतु। • वाटरशेड प्लस एप्रोच के माध्यम से, समन्वय और जनभागीदारी के मंच पर अनुसंधान लिंकेज के द्वारा निष्पक्षता, आजीविका और आय में सुधार हेतु

VISION IAS

37. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)

37.1. नेशनल बायोफार्मा मिशन

(National Biopharma Mission)

उद्देश्य	योजना का फोकस	प्रमुख विशेषताएं
• बायो-फार्मास्यूटिकल्स में भारत की तकनीकी और उत्पाद विकास क्षमताओं को तैयार करने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र को सक्षम और पोषित करना। यह अगले दशक में **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होगा और सस्ते उत्पाद विकास** के माध्यम से भारतीय जनसंख्या के स्वास्थ्य मानकों को रूपांतरित कर देगा। • इस क्षेत्रक में उद्यमिता और **स्वदेशी विनिर्माण** को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षमकारी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण। • अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण और विकास, मानव पूंजी का निर्माण तथा उत्पाद खोज सत्यापन और विनिर्माण, दोनों, के लिए साझा आधारभूत संरचना सुविधाएं स्थापित करना।	• बीमारियों के बढ़ते बोझ को दूर करने के लिए नए टीकों, जैव-चिकित्सा शास्त्र, नैदानिकी और चिकित्सा उपकरणों को विकसित करना। • **उत्कृष्टता (अकादमिक) के** अलग-अलग केंद्रों को एक साथ लाने, **क्षेत्रीय क्षमताओं को बढ़ाने और क्षमता निर्माण के साथ-साथ संख्या और गुणवत्ता के संदर्भ में वर्तमान बायो-क्लस्टर नेटवर्क** को मजबूत बनाना। • कार्यक्रम अगले पांच वर्षों में 6-10 नए उत्पादों को विकसित करने में सहायता करेगा एवं साथ ही उन्नत कौशल के लिए कई समर्पित सुविधाएं तैयार करेगा। • प्रारंभिक फोकस HPV, डेंगू के लिये वैक्सीन तथा कैंसर, मधुमेह तथा रूमेटोइड गठिया, के लिए बायोसिमिलर्स (biosimilars) और चिकित्सा उपकरणों तथा निदान प्रक्रियाओं के विकास पर होगा। • यह मिशन **उत्पाद सत्यापन** के लिए प्लेटफार्म प्रौद्योगिकियों का विकास करेगा, **क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क** को मजबूत करने के लिए संस्थाओं को जोड़ेगा, नवाचारी उत्पादों के लिए **आंशिक गैर -जोखिम को बढ़ावा** देगा, और उभरते क्षेत्रों जैसे **ट्रांसलेशन बायो-इन्फार्मेटिक्स, बायोएथिक्स** आदि में क्षमता निर्माण करेगा।	• **NBM बायो-टेक्नोलॉजी विभाग** द्वारा प्रारम्भ किया गया एक उद्योग-अकादमिक सहयोगी मिशन है। • इस मिशन को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत के साथ पांच वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है। इसकी कुल लागत का 50% वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य भारत को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु टीके, जीवोत्पाद, और चिकित्सीय उपकरणों जैसे नवीन, वहनीय और प्रभावी बायोफार्मास्युटिकल उत्पादों के डिजाइन और विकास के हब के रूप में विकसित करना है। • यह मिशन **BIRAC** (बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल) द्वारा लागू किया जाएगा। • इसमें इस क्षेत्र में उद्यमशीलता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिक तंत्र निर्माण हेतु **विश्व बैंक** की सहायता प्राप्त **इनोवेट इन इंडिया (i3)** कार्यक्रम शामिल होगा। • निजी क्षेत्र, सरकार और अकादमिक क्षेत्र (Academia) को एक साथ चिकित्सा नवाचार के ट्रिपल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है। यह बायोफार्मा के विकास को बढ़ा सकता है जोकि अत्यावश्यक है।

37.2. बायोटेक-किसान (कृषि अभिनव विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क)

[Biotech-KISAN (Krishi Innovation Science Application Network)]

उद्देश्य	योजना के घटक	विशेषताएं
• सर्वप्रथम स्थानीय किसानों की जल, मृदा, बीज और विपणन से संबंधित समस्याओं को समझने और	कार्यक्रम तीन घटकों को समर्थन प्रदान करेगा: • **हब: 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक चैंपियन के नेतृत्व में** बायोटेक-KISAN हब स्थापित किया जाएगा। यह **चैम्पियन**	• समस्या को समझने और समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिक, किसानों के साथ **समन्वित रूप से कार्य** करेंगे। • **महिला KISAN बायोटेक-** महिला

VISION IAS

उन समस्याओं का समाधान प्रदान करके **उपलब्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी को खेतों से जोड़ना।** • **वैज्ञानिकों और किसानों** का निकट संयोजन के साथ मिलकर काम करना जोकि छोटे और सीमांत किसानों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने का एकमात्र तरीका है। • **वैज्ञानिक हस्तक्षेप के माध्यम से** बेहतर कृषि उत्पादकता के लिए **छोटे और सीमांत किसानों विशेष रूप से महिला किसानों** के साथ काम करना और **भारतीय संदर्भ में सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों** का विकास करना।	**एक सुविधा प्रदाता के रूप में** कार्य करेगा। **क्षेत्र में अग्रणी गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक संस्थानों/कृषि विज्ञान केंद्रों** (KVKs)/अन्य किसान संगठनों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया जाएगा और अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्थान विकसित किए जाएंगे। बायोटेक-KISAN हब में एक टिंकरिंग प्रयोगशाला (tinkering laboratory) होगी। • **अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण:** किसानों के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों/विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में DBT द्वारा लघु अवधि प्रशिक्षण (STT) कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। • **साझेदारी संस्थान:** वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की प्रयोगशालाओं में किसानों के लिए और कृषि क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। • **अनुसंधान परियोजनाएं:** अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए।	किसानों के लिए कृषि प्रथाओं में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए फैलोशिप। • यह योजना छोटे उद्यमों के विकास में भी महिला किसानों का समर्थन करेगी। • बायोटेक KISAN देश के **15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में** विज्ञान के साथ किसानों को इस प्रकार से सम्बद्ध करेगा, कि समस्याओं को नियमित रूप से समाधानों से जोड़ा जाये। • यह वैज्ञानिकों और संस्थानों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए **हब्स एंड स्पोक्स मॉडल** का उपयोग करेगा। • **हब को** (प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 60 लाख प्रति वर्ष और अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए समीक्षा के आधार पर) **और साझेदारी संस्थानों** को (5 लाख प्रति वर्ष) **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।**

37.3. मवेशी जीनोमिक्स योजना

(Cattle Genomics Scheme)

उद्देश्य	विशेषताएं
• प्रदर्शन रिकॉर्ड के साथ डीएनए स्तर की जानकारी का उपयोग करके पशुओं के **प्रजनन मूल्यों का सटीक अनुमान** लगाने तथा प्रारंभिक आयु में पशुओं (विशिष्ट पशु) के **आनुवांशिक मूल्य की पहचान** करने हेतु। • भारत की सभी पंजीकृत पशु नस्लों से **स्वदेशी मवेशी नस्लों का जीनोम अनुक्रमण** (Genome sequencing)। • पशुधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की पहचान करने और पशु खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग से लाभ प्राप्त करने के लिए।	• उच्च परिणाम, रोग प्रतिरोधी, लचीले पशुधन के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत पशुधन का जीनोमिक चयन। • **उच्च-उत्पादकता वाले डीएनए चिप** का विकास। यह भविष्य में प्रजनन कार्यक्रम की लागत और समय के अंतराल को कम करेगा तथा स्वदेशी पशुओं में (मवेशी की) उत्पादकता को बढ़ाएगा। • **राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान** इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

37.4. इंस्पायर योजना (इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च)

[Inspire Scheme (Innovation In Science Pursuit For Inspired Research)]

उद्देश्य	विशेषताएं
• युवा छात्रों को विज्ञान का अध्ययन करने और शोध क्षेत्र में करियर बनाने हेतु आकर्षित करना। • रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और बच्चों के मध्य नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। • अनुसंधान एवं विकास की नींव और उसके आधार को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिभाशाली युवा मानव	**INSPIRE के तीन घटक हैं:** • प्रतिभा के प्रारंभिक आकर्षण के लिए योजना **(Scheme For Early Attraction Of Talent:SEATS)**: SEATS का लक्ष्य 5 हज़ार रुपये का इंस्पायर पुरस्कार प्रदान करने के माध्यम से 10-15 वर्ष की आयु वर्ग के 10 लाख प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान के अध्ययन की ओर आकर्षित करना है, ताकि वे नवाचारों के आनंद का अनुभव कर सकें। इंस्पायर इंटर्नशिप के माध्यम से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 50,000 विद्यार्थियों को विज्ञान क्षेत्र के वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं से संपर्क के उद्देश्य से 100 से अधिक स्थानों पर वार्षिक ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन शिविर आयोजित किये जाएंगे। • उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति **(Scholarship for higher education:SHE): SHE** के

VISION IAS

संसाधन को आकर्षित करना, संलग्न करना, बनाए रखना तथा उन्हें विकसित करना।	अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा के लिए, 17-22 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं हेतु प्रत्येक वर्ष 0.80 लाख रुपये/वर्ष की 10,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इस योजना की मुख्य विशेषता प्रत्येक विद्यार्थी को प्रदान किया गया मेंटरशिप सपोर्ट (शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का व्यक्तिगत स्तर पर मार्गदर्शन) है। • अनुसंधान में करियर बनाने के लिए निश्चित अवसर **(Assured Opportunity For Research Careers:AORC)**:AORC के दो उप-घटक हैं। पहला घटक अर्थात **इंस्पायर फैलोशिप** (22-27 वर्ष का आयु समूह) प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग और चिकित्सा सहित बेसिक एवं एप्लाइड साइंस दोनों में शोध (डॉक्टरेट डिग्री) के लिए 1000 फैलोशिप प्रदान करता है। दूसरा घटक, अर्थात **इंस्पायर फैकल्टी स्कीम,** प्रत्येक वर्ष बेसिक और एप्लाइड साइंस दोनों क्षेत्रों के 27-32 वर्ष के आयु वर्ग के 1000 पोस्ट-डॉक्टरेट शोधकर्ताओं हेतु 5 वर्ष के लिए संविदात्मक और टेन्योर ट्रैक पदों के माध्यम से निश्चित अवसर प्रदान करता है। • यह **किसी भी स्तर पर प्रतिभा की पहचान के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने में विश्वास नहीं** करता है। यह प्रतिभा की पहचान के लिए मौजूदा शैक्षणिक संरचना की प्रभावकारिता पर विश्वास करता है और उसी पर निर्भर रहता है।

37.5 इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम्स प्रोग्राम

(Integrated Cyber Physical Systems Program)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• शैक्षणिक गतिविधियों में अंतर्विषयक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। • विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और उद्योगों के मध्य अधिक तालमेल को बढ़ावा देना।	• कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान के व्यापक विषयगत क्षेत्र निम्नलिखित हैं: ○ इंटरडिसीप्लीनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स रिसर्च (ICPSR) ○ डेटा साइंस रिसर्च (DSR) ○ इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स रिसर्च (IOTR) ○ साइबर सिक्योरिटी रिसर्च (CSR) ○ इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस (IHDS) ○ एपिडेमिक साइंस डेटा एंड एनालिटिक्स (EDA) • जल, स्वास्थ्य, कृषि, अवसंरचना, परिवहन तथा भौतिक प्रणालियों की सुरक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए तंत्र विकसित किए जाएंगे। • साइबर फिजिकल सिस्टम (CPS) एक अंतर्विषयक क्षेत्र है। यह भौतिक विश्व में कार्य निष्पादन के लिए कंप्यूटर-आधारित सिस्टम की तैनाती से संबंधित है। उदाहरणार्थ - स्व-चालित कार, स्वायत्त चालक रहित वाहन (AUVs) और एयरक्राफ्ट नैविगेशन सिस्टम। • IIT और विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता के केंद्र विकसित किए जाएंगे। • रोबोटिक्स, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल विनिर्माण, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम संचार और IoTs का प्रयोग किया जाएगा।
National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems/ बहुविषयक साइबर -फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन	The mission implementation would develop and bring://मिशन का कार्यान्वयन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा: • Cyber Physical Systems (CPS) and associated technologies within reach in the country,// देश में ही साइबर-फिजिकल प्रणालियों (CPS) और संबंधित प्रौद्योगिकी तक पहुंच, • भारत से संबंधित विशिष्ट राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए CPS प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण • अनुसन्धान को बढ़ावा देना • CPS में उद्यमशीलता और स्टार्ट-अप परिवेश के विकास में तीव्रता लाना,

VISION IAS

	• इसका उद्देश्य CPS में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी व इंजीनियरिंग विषयों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना और • भारत को अन्य उन्नत देशों के समकक्ष लाना है और इसके माध्यम से विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करना है। मिशन का लक्ष्य 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH), छह एप्लीकेशन इनोवेशन हब (AIH) और चार टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क (TTRP) की स्थापना करना है। ये हब और TTRP समस्याओं के समाधान विकसित करने हेतु देश भर में प्रतिष्ठित शैक्षणिक, अनुसन्धान एवं विकास और अन्य संगठनों के तहत एक हब और स्पोक मॉडल के रूप में शिक्षाविदों, उद्योग, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार से संबद्ध होंगे।

37.6. अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन- राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम

(Atal Jaianusandhan Biotech Mission- Undertaking Nationally Relevant Technology Innovation: UNATI)

उद्देश्य	विशेषताएं
• अगले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रक को रूपांतरित करना।	• विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन- राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम का शुभारम्भ किया है। • इस मिशन में शामिल हैं: ○ **गर्भिणी (GARBH-ini):**मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और प्री-टर्म बर्थ के लिए पूर्वानुमान उपकरण विकसित करने के लिए एक मिशन। ○ **इंडसेपी (IndCEPI):** स्थानिक रोगों के लिए वहनीय टीका विकसित करने हेतु एक मिशन। ○ **पोषण अभियान** में योगदान हेतु बायोफोर्टिफाइड और प्रोटीन समृद्ध गेहूं का विकास। ○ **अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स और थेरप्यूटिक्स के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मिशन।** ○ **स्वच्छ ऊर्जा मिशन:** स्वच्छ भारत के लिए नवाचारी प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप।

37.7. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

TARE (टीचर एसोसिएट्स फॉर रिसर्च एक्सीलेंस) मोबिलिटी स्कीम	• इसका उद्देश्य उन कॉलेज व राज्य विश्वविद्यालयों में **छिपी हुई और अप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास क्षमता** को सक्रिय करना है जहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और संस्कृति की कमी है। TARE योजना विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में नियमित रूप से कार्य कर रहे **अध्यापकों को,** उसी शहर में स्थित IIT, IISc, IISERs, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि जैसे अकादमिक संस्थानों से एकीकृत करके **अंशकालिक शोध करने** की अनुमति प्रदान करेगी जिस शहर में वे वर्तमान में कार्यरत हैं।
अवसर: ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च (Augmenting Writing Skills for Articulating Research:AWSAR)	• इस योजना का उद्देश्य युवा शोधार्थियों और पोस्ट-डॉक्टरेट अभ्यर्थियों द्वारा अपने उच्च अध्ययन और शोध गतिविधियों के दौरान समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, ब्लॉगों, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से लोकप्रिय विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करना है।
पंडित दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना	• इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में **गांवों के कुछ क्लस्टर** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा गोद लिए जाएंगे और उन्हें **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) के उपकरणों के माध्यम से समयबद्ध तरीके** से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यह परियोजना पर्यावरण-अनुकूल तरीके से **कृषि, कृषि आधारित कुटीर उद्योगों और पशुपालन गतिविधियों** के संचालन पर बल

VISION IAS

	देगी।
आवासीय ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु पहल (Initiative to Promote Habitat Energy Efficiency: I-PHEE)	• इमारतों और शहरों के ऊर्जा निष्पादन में सुधार हेतु नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह भवनों की डिज़ाइन, निर्माण और संचालन में ऊर्जा के संरक्षण के लिए ज्ञान और कार्यप्रणाली में वृद्धि का समर्थन करेगा।
निधि : नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल (NIDHI:National Initiative for Development and Harnessing Innovations)	• निधि (NIDHI) **ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित विचारों** और नवाचारों को सफल **स्टार्ट-अप** में बदलने की दिशा में काम करती है। • इसका उद्देश्य **समाज की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए तकनीकी समाधान** प्रदान करना और पूंजी निर्माण तथा रोज़गार सृजन के लिए नए मार्ग प्रशस्त करना है। • निधि के घटक जो उभरते हुए स्टार्ट-अप के प्रत्येक चरण का समर्थन करते हैं: ○ **PRAYAS** (युवा एवं महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना तथा उन्हें गति प्रदान करना) का उद्देश्य 10 लाख रुपए का अनुदान तथा फेब्रिकेशन लेबोरेटरी (फैब लैब) तक पहुंच प्रदान करने के द्वारा नवप्रवर्तकों को उनके विचारों के आद्यरूपों के निर्माण हेतु समर्थन प्रदान करना है। ○ **सीड सपोर्ट सिस्टम** जो प्रति स्टार्ट-अप एक करोड़ रुपए तक की राशि प्रदान करता है और इसे टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर्स के माध्यम से लागू किया जाता है।
वज्र (Visiting Advanced Joint Research :VAJRA) फैकल्टी योजना	• वज्र को वर्ष 2017 में प्रारम्भ किया गया था। यह एक निर्दिष्ट अवधि हेतु भारतीय सरकारी वित्त-पोषित शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों में अनुबद्ध/आगंतुक संकाय सदस्यों के रूप में कार्य करने के द्वारा भारत में अनुसंधान और विकास (R&D) में भाग लेने व योगदान करने हेतु अनन्य रूप से विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है। ज्ञातव्य है कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO)/ प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) को लक्षित करता है। • विभाग का एक स्वायत्त निकाय विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (SERB) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। • वज्र संकाय राष्ट्र के उन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान को सम्पादित करेगा जहां सामर्थ्य और क्षमता को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। वज्र संकाय सरकारी वित्त-पोषित संस्थानों में सहयोगात्मक अनुसंधान में संलग्न होंगे। • भारत में वज्र संकाय सदस्यों की निवास अवधि एक वर्ष में न्यूनतम 1 माह तथा अधिकतम 3 माह होगी। • यह योजना NRI और PIO/OCI सहित विदेशी वैज्ञानिकों/संकाय सदस्यों तथा अनुसंधान एवं विकास पेशेवरों हेतु उपलब्ध है।
क्वांटम इनफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (QuST)	यह एक नवीन कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है। यह कार्यक्रम आगामी पीढ़ी और भविष्योन्मुख अभिकलन, संचार और कूटलेखन प्रणालियों को विकसित करने पर लक्षित है।
नैनों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन)	• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक "अम्ब्रेला क्षमता-निर्माण कार्यक्रम" के रूप में वर्ष 2007 में नैनों मिशन लॉन्च किया था। • मिशन के कार्यक्रम देश में सभी वैज्ञानिकों, संस्थानों और उद्योगों को लक्षित करेंगे। • यह मौलिक अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान अवसंरचना विकास, अंतरराष्ट्रीय सहयोगों, राष्ट्रीय संवादों के आयोजन और नैनो अनुप्रयोगों तथा प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने के द्वारा नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्रियाकलापों को भी सुदृढ़ करेगा। • इसे एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की अध्यक्षता में नैनो मिशन परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है।

VISION IAS

38. पोत परिवहन मंत्रालय (Ministry of Shipping)

38.1. सागरमाला

(Sagarmala)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारत के 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय समुद्र तट, 14,500 किलोमीटर के संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर रणनीतिक अवस्थिति का उपयोग करके देश में **बंदरगाह-उन्मुख विकास** को बढ़ावा देना है। • इसका लक्ष्य है: ○ मोडल-मिक्स (विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों के मिश्रित प्रयोग) को इष्टतम करके घरेलू कार्गो परिवहन की लागत को कम करना ○ भावी औद्योगिक क्षमताओं को तट के निकट स्थापित करके थोक वस्तुओं की लॉजिस्टिक लागत को कम करना ○ बंदरगाह के निकट विनिर्माण क्लस्टर विकसित कर, निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करना ○ आयात-निर्यात हेतु प्रयुक्त कंटेनर आवाजाही के समय / लागत को इष्टतम करना।	• **सागरमाला कार्यक्रम के घटक हैं:** ○ **बंदरगाह आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों का विकास:** बाधाओं को दूर करना और मौजूदा बंदरगाहों का क्षमता विस्तार करने के साथ नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का विकास करना। ○ **पोर्ट कनेक्टिविटी में वृद्धि:** भीतरी क्षेत्रों से बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बढ़ाना, घरेलू जलमार्गों (अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय नौवहन) सहित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक समाधानों के माध्यम से कार्गो परिवहन की लागत और समय को इष्टतम करना। ○ **बंदरगाह-संबद्ध औद्योगीकरण:** आयात-निर्यात और घरेलू माल की लॉजिस्टिक लागत व समय को कम करने के लिए पोर्ट के समीप औद्योगिक क्लस्टर्स और तटीय आर्थिक क्षेत्रों (CEZs) का विकास करना। ○ **तटीय सामुदायिक विकास:** कौशल विकास एवं आजीविका सृजन के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत विकास को बढ़ावा देना। • सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण के लिए विचार की गयी परियोजनाओं को या तो **सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड** (राज्य / क्षेत्र स्तरीय स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स की सहायता के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित) से इक्विटी समर्थन (SPV मार्ग) प्रदान किया जाएगा अथवा जहाज़रानी मंत्रालय के बजट से वित्त पोषित (इक्विटी समर्थन के अतिरिक्त) किया जाएगा। • आतंरिक क्षेत्र तक अंतिम बिंदु कनेक्टिविटी हेतु रेल कनेक्टिविटी और बड़े बंदरगाहों की आंतरिक रेल परियोजनाओं को प्रभावी एवं कुशलता पूर्ण ढंग से निष्पादित करने के लिए एक SPV - **भारतीय पोर्ट रेल निगम (IPRC)** को **जहाज़रानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में** कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। • नौवहन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय **सागरमाला सर्वोच्च समिति** समग्र नीति मार्गदर्शन प्रदान करेगी और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाओं को मंजूरी देगी। • केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ शिपिंग, बंदरगाहों आदि से संबंधित निजी क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद एक **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना** तैयार की गयी

VISION IAS

	है। • **समुद्री और जहाज निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (CEMS):** यह सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत सीमेंस (Siemens) और भारतीय जहाज पंजीकरण (IRS) के सहयोग से जहाज़रानी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जा रहा है। • CEMS के परिसर विशाखापत्तनम और मुंबई में अवस्थित होंगे। यह उद्योग-प्रासंगिक कौशल विकास प्रदान करेगा तथा छात्रों को बंदरगाह और समुद्री व्यापार में रोजगार प्राप्त करने योग्य इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल प्रदान करेगा। • **सागरमाला के तहत कोस्टल बर्थ स्कीम (तटीय घाट योजना):** इसका लक्ष्य बंदरगाहों या राज्य सरकारों को समुद्री अथवा राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कार्गो और यात्रियों के आवागमन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इससे जुड़ी एक और परियोजना **सेतुसमुद्रम परियोजना** है: इसका उद्देश्य पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ना और इसके माध्यम से समुद्री व्यापार की सुविधा प्रदान करना है।

38.2. जल मार्ग विकास परियोजना

(Jal Marg Vikas Project)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (गंगा) के हल्दिया-वाराणसी खंड पर नौवहन (navigation) की क्षमता वृद्धि करना।	• यह परियोजना **गंगा नदी पर इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य जलमार्ग के विकास (वाणिज्यिक नौवहन के लिए)** की परिकल्पना करती है, इसकी लंबाई 1620 किमी है। • इस परियोजना को विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग और निवेश समर्थन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। • इस परियोजना के अंतर्गत **उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल** राज्य सम्मिलित हैं। • NW1 पर 4 मल्टी-मोडल टर्मिनलों **वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया और गाजीपुर** की योजना का निर्माण किया गया है। • इस परियोजना के अंतर्गत **भारत में पहली बार नदी सूचना प्रणाली को अपनाया गया**, जो जलमार्ग परिवहन के संसाधन प्रबंधन का बेहतर उपयोग करने के लिए IT आधारित प्रणाली हैं। • हाल ही में, **गंगा नदी पर भारत के प्रथम अंतर्देशीय मल्टी-मॉडल टर्मिनल पत्तन का उद्घाटन किया गया था।**

VISION IAS

39. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

39.1. प्रधानमंत्री युवा योजना

(Pradhan Mantri Yuva Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारितंत्र का निर्माण करना; उद्यमशीलता समर्थन नेटवर्क का पक्षसमर्थन और आसान पहुँच तथा समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना।	• यह 3050 संस्थानों; उच्च शिक्षा के 2,200 संस्थानों (विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्रीमियर संस्थान और पॉलिटेक्निक समेत AICTE संस्थान); 300 स्कूलों (10 + 2); 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और 50 उद्यमिता विकास केंद्रों (EDC) के माध्यम से 5 वर्षों (2020-21 तक) में 7 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। **इसके अन्य उदेश्यों में** : • वृहत ओपन ऑन-लाइन पाठ्यक्रम (MOOCs) और अन्य ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से सभी नागरिकों में उद्यमिता शिक्षा को विकसित और वितरित करके संभावित एवं **प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को शिक्षित करना तथा समर्थ बनाना।** • उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों का समन्वय और समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यमिता संसाधन तथा समन्वय केंद्र स्थापित करके **उद्यमिता केंद्र (ई-हब्स) के माध्यम से उद्यमियों को समर्थन देना।** • एक वेब आधारित ऑनलाइन बाजार के माध्यम से **सहकर्मियों, सलाहकारों, फंड और बिजनेस सेवाओं के समर्थनकारी नेटवर्क से उद्यमियों को सम्बद्ध** करना। • **उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृति में परिवर्तन को उत्प्रेरित** करना।

39.2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: PMKVY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• उत्पादकता बढ़ाने और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण और प्रमाणन को संरेखित करने के उद्देश्य से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। • वर्ष 2020 तक 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।	• PMKVY (2016-20) के दो घटक हैं- (i)राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वित और केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं प्रबंधित (CSCM) घटक और (ii) राज्य-संघटन घटक के नाम से जाना जाने वाला राज्यों/UTs के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रबंधित (CSSM) घटक। • **पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का** भी मूल्यांकन और **पूर्व शिक्षा की पहचान (RPL)** के तहत प्रमाणित किया जाएगा। • PMKVY ट्रेनिंग सेंटर (TC) में दिए गए लघु-अवधि प्रशिक्षण से उन उम्मीदवारों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है **जो या तो स्कूल/ कॉलेज बीच में ही छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं।** प्रशिक्षण **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)** के अनुसार प्रदान किया जाएगा। • उम्मीदवारों के मूल्यांकन के सफल समापन पर उन्हें **प्रशिक्षण भागीदारों (TP) द्वारा नियुक्ति में सहायता प्रदान** की जाएगी। • **प्रशिक्षण और मूल्यांकन का सम्पूर्ण शुल्क सरकार द्वारा भुगतान** किया जायेगा। • यह कौशल प्रमाणन योजना **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)** के माध्यम से लागू की जाएगी। • **पुनःप्रारंभ PMKVY** के तहत, **प्लेसमेंट ट्रैकिंग को अनिवार्य कर** दिया गया है। PMKVY 2 अक्टूबर, 2016 में प्रारंभ की गयी थी।

VISION IAS

	• जिलों में **प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (PMKK)** नामक मॉडल कौशल केंद्र स्थापित करने हेतु भी एक पहल की गई है। • **युवा (YUVA)** - यह एक कौशल विकास कार्यक्रम है और PMKVY के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ मिलकर युवाओं की सामर्थ्य के अनुसार उनके कौशल को अपग्रेड करके युवाओं से जुड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की एक पहल है।

39.3. आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान बढ़ाना (संकल्प)

(Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion: SANKALP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर **संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करना।** • **कुशल प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के एक समूह का निर्माण करना।** • **राज्य स्तर पर सभी कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों में समंवय स्थापित करना।** • **वंचित वर्गों को कौशल प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाना** तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रासंगिक विनिर्माण क्षेत्र में कौशल आवश्यकताओं के सृजन द्वारा मेक इन इंडिया पहल की अनुपूर्ति करना।	• यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित **परिणाम-उन्मुख परियोजना** है • यह परियोजना केन्द्रीय [कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDC), राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)] और राज्य दोनों स्तरों के अभिकरणों को शामिल करते हुए समग्र कौशल पारितंत्र पर केन्द्रित है तथा परिणामों का मापन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) तथा बैंक के मध्य सहमति के आधार पर स्थापित डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडीकेटर्स (DLIs) के माध्यम से किया जाएगा। • इसे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत उप-मिशनों को कार्यान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया है। • यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। • इसमें निम्नलिखित को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है: ○ राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन निकाय ○ राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड तथा राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग। ○ श्रम बाजार सूचना प्रणाली का विकास ○ **कौशल मार्ट** एक स्किलिंग रिसोर्स मार्केट प्लेस के रूप में विभिन्न प्रकार के कौशलयुक्त संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करता है। • **तक्षशिला:** प्रशिक्षकों और आंकलन कर्ताओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल • उद्योग के मार्गदर्शन में और रोज़गार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से SANKALP के तहत एक **कौशल निधि** का प्रावधान किया गया है। इसे प्रतिस्पर्धी चुनौती निधि (competitive challenge fund) के रूप में स्थापित किया जाएगा जो स्थानीय समुदाय/ प्रांत/ राष्ट्रीय स्तर पर एक दीर्घकालिक, सतत प्रभाव के लिए अनुदान (प्रति परियोजना अधिकतम सीमा के अधीन) का सत्यापन योग्य और विश्वसनीय उपयोग सुनिश्चित करेगा। • विदेशी प्लेसमेंट के लिए प्रशिक्षित करने के लिए भारत **अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (IISC)** की स्थापना की जा रही है।

39.4. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण

(Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement: STRIVE)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राज्य कौशल विकास मिशनों (SSDMs) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), सेक्टर स्किल काउंसिल्स (SSCs), ITIs और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) आदि जैसे संस्थानों को	• यह 2,200 करोड़ रुपये की एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है जिसमें योजना के आधे हिस्से की पूर्ति विश्व बैंक की ऋण सहायता के माध्यम से की जाएगी। • यह एक **परिणाम केंद्रित योजना** है जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति में बदलाव को दर्शाती है। • यह निम्नलिखित चार परिणाम क्षेत्रों को कवर करता है: ○ ITI का संवर्धित प्रदर्शन,

मजबूत करके गुणवत्तायुक्त कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करना।	○ ITIs और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को समर्थन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों की संवर्धित क्षमता, ○ संवर्धित शिक्षण एवं अधिगम तथा ○ संवर्धित एवं विस्तारित प्रशिक्षुता प्रशिक्षण।

39.5. नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम

(National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षु) ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना करना जो प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना चाहते हैं। • 2020 तक प्रशिक्षुओं की संख्या को 2.3 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करना।	• NAPS में **प्रशिक्षु को प्रशिक्षण और वजीफा (stipend) प्रदान करने** में किए गए व्यय को साझा करने के लिए प्रावधान हैं। • प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले सभी नियोक्ताओं को **निर्धारित वजीफे के 25% (अधिकतम 1500 रु प्रति माह प्रति प्रशिक्षु) की प्रतिपूर्ति** भारत सरकार द्वारा की जाएगी। • फ्रेशर प्रशिक्षुओं (जो बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के सीधे प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए आते हैं) के संबंध में **बुनियादी प्रशिक्षण की लागत साझा** की जाएगी जोकि 500 घंटे / 3 माह की अधिकतम अवधि के लिए प्रति प्रशिक्षु 7500 रु होगी। • इसे **प्रशिक्षण महानिदेशक (DGT) द्वारा लागू** किया जाएगा।

39.6. जन शिक्षण संस्थान

[Jan Shikshan Santhans (JSS)]

उद्देश्य	विशेषताएं
गैर-साक्षर, नव-साक्षर और स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।	• सरकार द्वारा जन शिक्षण संस्थानों (JSS) को **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (National Skills Qualification Framework: NSQF)** के साथ संरेखित करने हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। • **जन शिक्षण संस्थानों (JSS) के कार्यक्षेत्र में** निम्नलिखित शामिल हैं: ○ व्यावसायिक कारकों, सामान्य जागरूकता और जीवन संपन्नता घटकों को शामिल करते हुए **उपयुक्त पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास/स्रोत।** ○ JSS को प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान और रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा निरूपित पाठ्यक्रमों के **समतुल्य प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता** है। ○ प्रशिक्षुओं के उपयुक्त नियोजन के लिए **कर्मचारियों और उद्योगों के साथ नेटवर्क स्थापित करना।** • यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत था, **परंतु 2018 में इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।** • **नवीन दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:** ○ जिला प्रशासन को अधिक जवाबदेही और स्वतंत्रता प्रदान करने के द्वारा JSSs हेतु शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ○ कौशल सृजन और कौशल उन्नयन के माध्यम से जिले में परम्परागत कौशलों को चिन्हित एवं प्रोत्साहित करना। ○ पारितंत्र की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए JSS को PFMS (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) से संयोजित करना। ○ आजीविका संयोजनों का सृजन करना। • NSTIs (राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों) के माध्यम से क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करना।

VISION IAS

40. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

40.1. स्वच्छता उद्यमी योजना

(Swachhta Udyami Yojana)

उद्देश्य	विशेषताएं
• इस योजना के दोहरे उद्देश्य हैं: स्वच्छता तथा सफाई कर्मचारियों एवं मुक्त कराए गए मैनुअल स्केवेंजर्स (हाथ से मैला ढोने वाले लोगों) को आजीविका प्रदान करना।	**2 अक्टूबर 2014 को आरम्भ हुई इस योजना का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)** द्वारा किया जा रहा है। • सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में भुगतान और उपयोग आधारित सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए तथा स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। • 'स्वच्छ भारत अभियान' के उद्देश्यों को साकार करने के लिए जारी प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए व्यावहारिक सामुदायिक शौचालय परियोजनाओं और कचरा इकट्ठा करने वाले स्वच्छता से संबंधित वाहनों के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जायेगा। • सफाई कर्मचारी और चिह्नित मैनुअल स्केवेंजर्स के बीच में से निकलने वाले उद्यमी प्रति वर्ष 4% ब्याज की रियायती दर पर परिभाषित सीमा तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। महिला लाभार्थियों के मामले में ब्याज दर में 1% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

40.2. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (मैनुअल स्केवेंजर्स) के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना

(Self Employment Scheme for the Rehabilitation of Manual Scavengers: SRMS)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• विभिन्न सर्वेक्षणों के दौरान चिह्नित मैनुअल स्केवेंजर्स की वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास हेतु सहायता करना।	• संशोधित योजना के अनुसार, चिह्नित मैनुअल स्केवेंजर्स के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को **एक बार नकद सहायता** प्रदान की जाती है। • चिह्नित मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके आश्रितों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं: ○ रियायती ब्याज दरों पर परियोजना लागत के लिए ऋण। ○ क्रेडिट लिंक्ड बैक-एन्ड कैपिटल सब्सिडी। ○ वजीफे (स्टाइपेन्ड) सहित दो वर्ष तक का कौशल विकास प्रशिक्षण।

40.3. सुगम्य भारत अभियान

(Accessible India Campaign/ Accessible India Campaign)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• दिव्यांग जनों (PWD) के लिए सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य प्राप्त करना।	• दिव्यांग जनों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, अभियान को **तीन भागों में** विभाजित किया गया है: निर्मित वातावरण सुगम्यता; परिवहन प्रणाली सुगम्यता तथा सूचना एवं संचार पारितंत्र सुगम्यता। **इस योजना के तहत अन्य पहलें** • सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों को सुगम अवसंरचना के निर्माण के लिए उनकी कार्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। • विभिन्न उद्योगों द्वारा अपने कार्यस्थल को दिव्यांग जनों (PWD) के लिए तैयार करने के प्रयासों

VISION IAS

	का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा **'समावेशी और सुगम्यता सूचकांक'** का उपयोग किया जाएगा। • **"सुगम्य पुस्तकालय"** सुगम्य भारत अभियान के हिस्से के रूप में प्रिंट अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। • **दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप-** इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) से संबंधित विभिन्न उपयोगी जानकारियों जैसे विभिन्न नियमों, दिशा-निर्देशों, योजनाओं, रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में दिव्यांगजनों को सरल प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराना है।

40.4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना

(Rashtriya Vayoshri Yojana)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• वरिष्ठ नागरिकों की उनकी आयु से संबंधित शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने तथा देखभाल करने वाले एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर उनकी निर्भरता को न्यूनतम करके एक गरिमापूर्ण और उत्पादक जीवन जीने में उनकी सहायता करना।	• आयु संबंधी बीमारियों (कम दृष्टि, सुनने में कठिनाई, दांतों का टूट जाना एवं लोकोमोटर डिसेबिलिटी आदि) का सामना कर रहे **बीपीएल श्रेणी से संबद्ध बुज़ुर्गों को** शारीरिक सहायता और जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना। • एक ही व्यक्ति में अनेक विकलांगता/दुर्बलता पाए जाने की स्थिति में, प्रत्येक विकलांगता/दुर्बलता के लिए अलग-अलग उपकरण प्रदान किए जाएंगे। • जहां तक संभव हो, प्रत्येक जिले में 30% लाभार्थी महिलाएं होंगी। • **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)** बुज़ुर्गों को दी जाने वाली इस सहायता एवं जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरणों की एक वर्ष तक निःशुल्क देखरेख करेगा। • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदान "वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष" से प्राप्त होगा।

40.5. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)

(Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
अनुसूचित जाति की 50% से अधिक जनसंख्या वाले चयनित 1000 गांवों का "आदर्श ग्राम" के रूप में समेकित विकास सुनिश्चित करना, ताकि: • उनके पास उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचनाएं विद्यमान हों; • सामान्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों (जैसे साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की दर, IMR/MMR, लाभप्रद संपत्तियों का स्वामित्व इत्यादि) के संदर्भ में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बीच असमानता समाप्त करना; • अनुसूचित जाति के विरुद्ध अस्पृश्यता, भेदभाव, अलगाव और अत्याचार समाप्त करना, तथा अन्य सामाजिक बुराई जैसे लड़कियों/महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव,	• अनुसूचित जाति (SC) बाहुल्य गाँव जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है	• **आदर्श ग्राम का विकास करना:** इन गांवों में गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। • इस योजना के महत्वपूर्ण घटकों में - भौतिक अवसंरचना, स्वच्छता और पर्यावरण, सामाजिक अवसंरचना, मानव विकास और सामाजिक सामंजस्य और आजीविका सम्मिलित हैं। • **निम्नलिखित के माध्यम से अनुसूचित जाति (SC) बाहुल्य गांवों का** समेकित विकास : ○ संगत केंद्रीय और राज्य योजनाओं का सम्मिलित कार्यान्वयन। ○ चयनित प्रत्येक नए गांव के लिए, इस योजना में कुल 21 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से 20 लाख रूपए 'गैप-फिलिंग' घटक के लिए हैं तथा 1 लाख रुपए 1: 1: 1: 2 के अनुपात में केंद्र, राज्य, जिला

VISION IAS

शराब की लत और मादक पदार्थों (ड्रग्स) के दुरूपयोग आदि को समाप्त करना।		और ग्राम स्तर पर 'प्रशासनिक व्यय' के लिए हैं।

40.6. मादक पदार्थ मांग कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (2018-2023)

(National Action Plan for Drug Demand Reduction (2018-2023)

उद्देश्य	विशेषताएं
इसका उद्देश्य एक **बहु-आयामी रणनीति** का नियोजन करना है जैसे: • निवारक शिक्षा, जागरूकता प्रसार, परामर्श, नशामुक्ति, उपचार और प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों का पुनर्वास। केंद्र, राज्य और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।.	**प्रशासनिक तंत्र** • शामक, दर्द निवारकों और माँसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए **कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय** और साइबर सेल द्वारा कड़ी निगरानी से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को रोकना। • सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास और कौशल मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित एक **बहु-मंत्रिस्तरीय संचालन समिति।** **कुछ आवश्यक पहलें:** • शिक्षण संस्थानों, कार्यस्थलों और पुलिस पदाधिकारियों आदि के लिए **जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित** करना। • स्थानीय निकायों और अन्य स्थानीय समूहों जैसे महिला मंडल, स्व-सहायता समूह आदि को सम्मिलित कर मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने में **सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक सहयोग को बढ़ाने की भी योजना** है। • अलग-अलग श्रेणियों और आयु समूहों में **मादक पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्तियों के पुन:उपचार, चल रहे उपचार और उपचार के बाद के लिए माड्यूल तैयार करना।**

40.7. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना

(Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme: DDRS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **दिव्यांग जनों** को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए और उनके सशक्तिकरण हेतु समर्थकारी **परिवेश सृजित** करना। • **विकलांगजन (समान अवसर और अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम,** 1995 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए **स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा** देना।	• यह भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • जिसे **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा क्रियान्वयित किया गया है। • दिव्यांग जनों के पुनर्वास हेतु सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को **वित्तीय सहायता** प्रदान करना। **गैर सरकारी संगठनों (NGOs)** को अनुदान। • स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना: **माता-पिता/अभिभावकों और स्वैच्छिक संगठनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित** किया जाता है। • दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए आवश्यक **सभी सेवाएं उपलब्ध** कराने के लिए निम्नलिखित उपाय करना: ○ प्रारंभिक हस्तक्षेप, ○ दैनिक जीवन कौशल का विकास और शिक्षा ○ रोजगार-प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करने वाला कौशल-विकास ○ प्रशिक्षण और जागरूकता विकसित करना।

VISION IAS

40.8 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

पहल	मुख्य विशेषताएं
वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	• **उद्देश्य-** आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। साथ ही सरकारी/गैर सरकारी संगठनों (NGO)/पंचायती राज संस्थानों (PRI)/स्थानीय निकायों और समग्र रूप से समुदाय की क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करके लाभप्रद और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना।

समावेशी भारत पहल	• बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा में तथा सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं यथा शिक्षा, रोजगार और समुदाय में शामिल करना।
	• समावेशी भारत पहल के **तीन मुख्य क्षेत्र** हैं:
	  ○ समावेशी शिक्षा,
	  ○ समावेशी रोजगार
	  ○ समावेशी सामुदायिक जीवन
	• **नेशनल ट्रस्ट इस पहल हेतु नोडल एजेंसी** होगी।

अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण हेतु डॉ अम्बेडकर योजना	• योजना के तहत, एक वर्ष में 500 दंपति आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक दंपति को 2.5 लाख रूपए प्राप्त होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है। शेष राशि को सावधि जमा के रूप में रखा जाता है और तीन वर्ष के बाद दंपत्ति को जारी किया जाता है। • राज्य में योजना का लाभ प्राप्त करने वाले जोड़ों की संख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर निर्भर करती है। • लाभार्थी दंपत्ति में से, पति/पत्नी में से एक अनुसूचित जाति से और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से होना चाहिए। • ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान करना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष का विवेकाधिकार होगा।
वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना	• वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार की अनिश्चित परिस्थितियों के कारण वृद्ध व्यक्तियों को ब्याज से प्राप्त होने वाली आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा करना। • इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की रिटर्न की गारंटी दर पर एक निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। लाभार्थी मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।
अद्वितीय विकलांगता पहचान (UDID) परियोजना	• इसका उद्देश्य उनकी पहचान और विकलांगता विवरण के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए **यूनिवर्सल आईडी (पहचान पत्र) और विकलांगता प्रमाणपत्र** जारी करने के लिए एक समग्र एंड-टू-एंड एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है। • इस परियोजना का उद्देश्य सरकार को विभिन्न मंत्रालयों और उनके विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है। इस कार्ड की वैधता सम्पूर्ण भारत में होगी।

VISION IAS

41. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation)

41.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

(Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों इत्यादि के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण कार्यों हेतु सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों को सक्षम बनाना।	• MPLADS पूर्णतया **भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना** है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु वार्षिक MPLADS निधि 5 करोड़ रुपये अधिकृत की गयी है। • आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति पर धनराशि (अव्यपगत) को अनुदान के रूप में प्रत्यक्ष रूप से जिला प्राधिकरणों को प्रदान किया जाता है। • **लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर कार्यों की संस्तुति** कर सकते हैं और **राज्यसभा** के निर्वाचित सदस्य **अपने निर्वाचन राज्य (चुनिंदा अपवादों के अतिरिक्त) के भीतर कार्यों** की संस्तुति कर सकते हैं। • राज्यसभा और लोकसभा दोनों के **मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य** की संस्तुति कर सकते हैं। • सांसदों को प्रत्येक वर्ष **अधिकृत MPLADS** राशि का **कम से कम 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति द्वारा अधिवासित क्षेत्रों में और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) द्वारा अधिवासित क्षेत्रों के लिए** व्यय करने की संस्तुति करनी होती है। • यदि **लोकसभा सदस्य के क्षेत्र में अपर्याप्त जनजातीय आबादी है,** तो वे अपने **निर्वाचन क्षेत्र के बाहर आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के** निर्माण के लिए इस राशि की संस्तुति कर सकते हैं लेकिन अपने निर्वाचन राज्य के भीतर। • किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) अधिवासित क्षेत्र नहीं होने पर इस राशि का उपयोग अनुसूचित जाति अधिवासित क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसी प्रकार, किसी राज्य में अनुसूचित जाति (SC) अधिवासित क्षेत्र नहीं होने पर इस राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति अधिवासित क्षेत्रों में किया जा सकता है। • देश के किसी भी हिस्से में **"गंभीर प्राकृतिक आपदा"** की स्थिति में, सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की संस्तुति कर सकता है। आपदा गंभीर प्रकृति की है या नहीं इसका निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। • यदि संसद के किसी निर्वाचित सदस्य को राज्य/संघ शासित प्रदेश के बाहर, या राज्य के भीतर परन्तु उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर, या दोनों ही में, MPLADS निधि का योगदान करने की आवश्यकता महसूस होती है,तो सांसद अधिकतम 25 लाख रुपये तक के उपयुक्त कार्यों की संस्तुति कर सकता है।

VISION IAS

42. इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel)

42.1.भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन

(Steel Research And Technology Mission of India: SRTMI)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• लौह और इस्पात में **राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान एवं विकास** का नेतृत्व करना • अनुसंधान में **अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण** करना और मानव संसाधन में वृद्धि करना सम्मिलित है • राष्ट्रीय उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुसार **उद्योग, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग** विकसित करना • **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी** साथ ही संधारणीय इस्पात उद्योग को विकसित करना।	• यह सोसाइटी के रूप मे एक संस्थागत तन्त्र है, जिसे इस्पात मंत्रालय द्वारा सुविधा प्राप्त है एवं यह भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा संचालित किया जाता है, ताकि भारत में लौह एवं इस्पात क्षेत्र में संयुक्त सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाया जा सके। • यह एक **उद्योग आधारित पहल** है जिसे एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है। **इस्पात मंत्रालय इसका सुविधा प्रदाता** है। • आवश्यक निधि का 50% इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा और शेष राशि प्रतिभागी इस्पात कंपनियों द्वारा प्रदान की जाएगी। • इस मिशन के तहत स्वदेशी कच्चे माल से **गुणवत्तापूर्ण इस्पात के लागत प्रभावी उत्पादन के लिए** उचित प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। इसमें पर्यावरण अनुकूल विधि से **निम्न स्तरीय संसाधनों** का उपयोग किया जाना भी सम्मिलित है। • राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे तथा इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश को चरणबद्ध ढंग से कुल टर्नओवर के **1% तक बढ़ाया** जाएगा। • इस्पात प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु नेशनल **"इंस्टिट्यूट्स ऑन स्टील टेक्नोलॉजी"** की स्थापना की जाएगी।

VISION IAS

43. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile)

43.1 एकीकृत वस्त्र पार्क योजना

(Scheme For Integrated Textile Park: SITP)

उद्देश्य	विशेषताएं
• उद्यमियों के समूह को अंतरराष्ट्रीय परिवेश और सामाजिक मानकों के अनुरूप वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु एक क्लस्टर में अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस प्रकार इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना तथा रोजगार के नवीन अवसर सृजित करना।	• यह योजना उच्च विकास क्षमता युक्त **औद्योगिक समूहों और स्थानों को लक्षित** करती है, जहाँ विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। • इस योजना के तहत एक ITP में अधिमानत: 25 एकीकृत इकाईयां होनी चाहिए। इन इकाइयों में निम्नलिखित घटक शामिल होने चाहिए- **भूमि** (SPV के नाम पर पंजीकृत), **सामान्य अवसंरचना** (मैदान, सड़क, जल निकासी, विद्युत् आदि), **सामान्य सुविधाओं के लिए भवन** (क्रेच, कैंटीन, प्रयोगशालाएं आदि) और उत्पादन उद्देश्यों के लिए **कारखाने**। • **परियोजना की कुल लागत का वित्त पोषण वस्त्र** मंत्रालय, राज्य सरकार, राज्य औद्योगिक विकास निगम, उद्योग, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की **इक्विटी/अनुदान** तथा बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। • भारत सरकार द्वारा प्रदत अनुदान या इक्विटी परियोजना लागत के 40% (पूर्वोतर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में प्रथम दो परियोजनाओं के लिए 90%) तक सीमित होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 40 करोड़ रुपये होगी। • यदि भारत सरकार/राज्य सरकार/राज्य औद्योगिक विकास निगम इक्विटी धारण करते हैं, तो इनकी संयुक्त इक्विटी हिस्सेदारी 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए। • SPV को भारत सरकार की सहायता नियम और शर्तों की पूर्ति के आधार पर 30:40:30 के अनुपात में **तीन किश्तों में प्रदान** की जाएगी। • प्रत्येक परियोजना सामान्य रूप से सरकारी अनुदान की पहली किश्त के जारी होने की तिथि से 3 वर्ष में पूरी की जाएगी। (विलंब होने पर परियोजना को रद्द किया जा सकता है और जुर्माना आरोपित किया सकता है)। • ITP को **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS)**, समर्थ (SAMARTH) इत्यादि से लाभ भी प्राप्त हो सकता हैं।

43.2 रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना

(Integrated Scheme For Development Of Silk Industry)

उद्देश्य	विशेषताएं

• **अनुसन्धान एवं विकास संबंधी हस्तक्षेप** के माध्यम से रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना।
• बेहतर संकर किस्म (crossbreed) के रेशम और आयात प्रतिस्थापन के लिये **बाइवोल्टाइन रेशम को बढ़ावा** देना ताकि भारत में बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन इस स्तर तक बढ़ाया जाए कि कच्चे रेशम का आयात 2022 तक शून्य हो जाए तथा भारत रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर बने।
• **2020 तक लाभकारी रोजगारों की संख्या 85 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करना**।
	• यह केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
	• इस योजना में **चार घटक** हैं
	  ○ अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और IT पहलें
	  ○ बीज संगठन और किसान विस्तार केंद्र
	  ○ बीज, धागे और रेशम उत्पादों के लिए बाजार विकास और समन्वय
	  ○ गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (QCS)
	• इसकी कार्यान्वयन रणनीति लाभ को अधिकतम करने के

VISION IAS

	लिए राज्य स्तर पर अन्य मंत्रालयों की योजनाओं जैसे कृषि मंत्रालय की RKVY और PMKSY, ग्रामीण विकास की मनरेगा के साथ **अभिसरण पर आधारित** है। • भारत के **IITs, CSIR, IISc जैसे प्रतिष्ठित संगठन और जापान, चीन, बुल्गारिया आदि देशों** के रेशम-उत्पादन (सेरीकल्चर) से संबंधी अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान, अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी प्रगति में सहयोग करेंगे। • भारतीय रेशम का ब्रांड प्रमोशन, घरेलू और निर्यात बाजार में **सिल्क मार्क** द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

43.3 पावरटेक्स इंडिया स्कीम

(PowerTex India Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा लो-एंड (low-end) वाली पावरलूम इकाइयों को उनके आधुनिकीकरण और अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। • उत्पादित कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना और उन्हें घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना। • क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देना। • पावरलूम उत्पाद हेतु बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेता-विक्रेता सम्मेलन और रिवर्स क्रेता-विक्रेता सम्मेलन। • धागे की बिक्री पर मध्यस्थ/स्थानीय आपूर्तिकर्ता ब्रोकरेज चार्ज से बचना। • नवीकरणीय ऊर्जा (सौर) पर बल देना।	• यह **पॉवरलूम (विद्युत् करघा) क्षेत्र** के विकास हेतु एक **व्यापक योजना है।** इस योजना का उद्देश्य देश में सामान्य अवसंरचना में वृद्धि करना तथा पॉवरलूम का आधुनिकीकरण करना है। • इसमें **नौ प्रमुख घटक शामिल** हैं: इनसीटू अपग्रेडेशन ऑफ प्लेन पावरलूम; ग्रुप वर्क्सशेड स्कीम (GWS); यार्न बैंक स्कीम; PM क्रेडिट स्कीम; सोलर एनर्जी स्कीम; जन सुविधा केंद्र (CFC); टेक्स वेंचर कैपिटल फंड; पावरलूम योजनाओं के लिए सरलीकरण, आईटी, जागरूकता, बाजार विकास और प्रचार; तथा पावरलूम सर्विस सेंटर (PSCs) का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन और सहायक अनुदान। • **दो प्रमुख योजनाएं** निम्नलिखित हैं: 1. **पावरलूम बुनकरों के लिए प्रधान मंत्री क्रेडिट योजना (PMCS)** और 2. पावरलूम के लिए **सौर ऊर्जा योजना**। • **पावरलूम के लिए PMCS**: वित्तीय सहायता (मार्जिन मनी सब्सिडी और ब्याज प्रतिपूर्ति सहित), **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया के** तहत विकेंद्रीकृत पॉवरलूम इकाइयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / महिला उद्यमियों को प्रदत्त क्रेडिट सुविधा की तरह दी जाएगी। • प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और दुर्घटना के कारण आंशिक / स्थायी विकलांगता के मामले में पावरलूम कर्मचारियों (18-59 वर्ष की आयु के) के लिए सार्वभौमिक बीमा का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

43.4 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

(Amended Technology Upgradation Fund Scheme: ATUFS)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस को प्रोत्साहित करना तथा सामान्य रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना और विनिर्माण में मेक इन इंडिया और जीरो इफ़ेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट के माध्यम से निर्यात में वृद्धि	• यह **केंद्रीय क्षेत्र की** एक क्रेडिट-लिंक्ड **योजना** है। • **इस योजना में** पात्र बेंचमार्क मशीनरी के लिए **परिधान और प्रौद्योगिकीय वस्त्र खंड** हेतु 30 करोड़ रूपए की अधिकतम राशि के साथ **15%** की दर पर तथा **बुनाई, प्रसंस्करण, पटसन, रेशम और हथकरघा खंड** हेतु 20 करोड़ रूपए की अधिकतम राशि के साथ **10%** की दर पर **एकमुश्त पूँजी सब्सिडी का** प्रावधान है।

करना। • वस्त्र उद्योग में आयात प्रतिस्थापन के साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार और निर्यात वृद्धि को सुगम बनाना तथा अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्र मशीनरी विनिर्माण में निवेश में वृद्धि करना।	• इस योजना के तहत **इकाइयों / संस्थाओं को नोडल वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सब्सिडी दी** जाती है, न कि राज्य सरकार के माध्यम से। • इसमें **पूंजी निवेश सब्सिडी (CIS)** शामिल है, जबकि TUFS की पूर्व योजनाओं में ब्याज प्रतिपूर्ति और पूंजी सब्सिडी दोनों से संबंधित प्रावधान थे। • ATUFS को परिधान निर्माण जैसे **केंद्रित क्षेत्रों** की ओर लक्षित किया जाता है तथा कताई (spinning) जैसे आधुनिकीकरण के वांछित स्तर को प्राप्त कर चुके क्षेत्रों को लक्षित नहीं किया गया है।

43.5 कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना

(Scheme For Capacity Building In Textile Sector: SAMARTH)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• **कताई और बुनाई को छोड़कर संगठित कपड़ा क्षेत्र** और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु मांग आधारित, रोजगार उन्मुख NSQF (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) के अनुरूप **कौशल कार्यक्रम** की व्यवस्था करना। • **हैंडलूम, हस्तशिल्प, रेशम-उत्पादन (सेरीकल्चर) और जूट के** पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल विकास और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना। • **वेतन या स्व-रोज़गार के** माध्यम से सम्पूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों को **सतत आजीविका प्रदान** करना।	• 10 लाख व्यक्ति (संगठित क्षेत्र में 9 लाख और पारंपरिक क्षेत्र में 1 लाख)। • कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्ग महिला, ग्रामीण, सुदूर, वामपंथ चरमपंथी प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर।	• यह एक कौशल विकास योजना है। यह योजना **कताई और बुनाई को छोड़कर संगठित क्षेत्र में कपड़ा क्षेत्र की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर** करती है। इसे 2017-18 से 2019-20 तक लागू किया जाना है। • इसके तहत कौशल अन्तराल और कौशल आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा और तदनुसार आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। • कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र विशिष्ट हार्ड स्किल के अतिरिक्त, **30 घंटे का सॉफ्ट स्किल (soft skills) भी प्रदान** करेगा। • प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन एक **अधिकृत मूल्यांकन एजेंसी** द्वारा किया जाएगा। • **70% सफल प्रशिक्षुओं के नियोजन (प्लेसमेंट) की गारंटी प्रदान** की जाएगी (संगठित क्षेत्र के लिए, सभी 70% को **वेतन परक रोजगार** में रखा जाएगा, जबकि पारंपरिक क्षेत्र के लिए कम से कम 50% को वेतन परक रोजगार दिया जाएगा) • योजना के तहत **पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग अनिवार्य** है।

43.6 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

साथी (लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकियों का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण)	यह योजना लघु एवं मध्यम पावरलूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम कीमत के ऊर्जा कुशल पावरलूम, मोटर और रीपेयर किट (rapier kits) प्रदान करने के लिए **वस्त्र मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गयी। (अधिक जानकारी के लिए, विद्युत मंत्रालय के तहत योजनाएं देखें)।
दीनदयाल हस्तकला संकुल	यह **वाराणसी** में प्रथम अत्याधुनिक व्यापार केंद्र और शिल्प संग्रहालय है। यह बुनकरों और कारीगरों को विश्व स्तरीय विपणन सुविधाएं प्रदान करेगा और वाराणसी की पर्यटन क्षमता में भी वृद्धि करेगा।
पुश्तैनी हुनर विकास योजना	यह **पारंपरिक कालीन बुनने वाले परिवारों के बुनकरों को** तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए बदोही के कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू की गई।

VISION IAS

44. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)

44.1. स्वदेश दर्शन

(Swadesh Darshan)

उद्देश्य	विशेषताएं
• पर्यटन को **आर्थिक विकास** एवं रोजगार सृजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण **साधन के रूप में स्थापित करना।** • योजनाबद्ध रूप से और प्राथमिकता के आधार पर उन **सर्किट्स को विकसित** करना जिनमें पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है; • पहचाने गए क्षेत्रों में आजीविका के सृजन हेतु देश के **सांस्कृतिक और विरासत मूल्यों को** बढ़ावा देना; • सर्किट/गंतव्य स्थलों में विश्व स्तरीय अवसंरचना को विकसित करके **धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण** को बढ़ाना; • **समुदाय आधारित विकास और निर्धनों के अनुकूल पर्यटन दृष्टिकोण** का पालन करना • आय के बढ़ते स्रोतों, बेहतर जीवन स्तर और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदायों के मध्य पर्यटन के महत्व के संबंध में **जागरूकता का प्रसार करना।** • स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से **रोजगार के अवसरों का सृजन करना।**	• यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में महत्वपूर्ण पर्यटन अवसंरचना को सतत और समावेशी ढंग से विकसित किया जा रहा है ताकि भारत को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाया जा सके। • इस योजना के अंतर्गत ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जहां निजी क्षेत्र निवेश करने के इच्छुक नहीं है, इनमें अंतिम स्थान तक संपर्क अर्थात् लास्ट माइल क्रेक्टीविटी, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर्स, सड़क किनारे संबंधी सुविधाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रोशनी का प्रबंध, लैंडस्केपिंग, पार्किंग आदि की सुविधाएं शामिल हैं। • यह योजना 100% केंद्र वित्तपोषित है तथा इसके तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण प्राप्त करने और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिब्लिटी (CSR) पहल हेतु उपलब्ध स्वैच्छिक वित्तीयन का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। • इस योजना के तहत विकास हेतु **15 थीम आधारित पर्यटन सर्किट्स** को चिह्नित किया गया है। • ये सर्किट्स हैं- पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्ण सर्किट, मरुस्थल सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, धरोहर सर्किट, सूफी सर्किट और तीर्थंकर सर्किट। • **पर्यटक सर्किट को, ऐसे मार्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें कम से कम तीन विशिष्ट तथा भिन्न पर्यटन स्थल उपस्थित हों।** • छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत हाल ही में प्रथम जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया गया।

44.2.तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- प्रसाद योजना

[National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) Scheme]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव** प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक नियोजित और धारणीय तरीके से **तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास।**	• हाल ही में केंद्र सरकार ने **उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री तथा मध्यप्रदेश के अमरकंटक व झारखंड के पारसनाथ** को योजना में शामिल किया है। • यह योजना **अवसंरचना विकास** पर लक्षित है जैसे-प्रवेश स्थल (सड़क, रेल

VISION IAS

• रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर **प्रत्यक्ष और गुणक प्रभाव हेतु तीर्थ यात्रा का उपयोग करना**। • धार्मिक गंतव्यों में विश्व स्तरीय अवसंरचना को विकसित करके **धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण को बढ़ाना;** • **स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, व्यंजन** इत्यादि को बढ़ावा देना।	और जल परिवहन), लास्ट माइल कनेक्टिविटी) मौलिक पर्यटन सुविधाएँ उदाहरणार्थ- सूचना/विवेचन केंद्र एटीएम/मनी एक्सचेंज, पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन आदि। • सार्वजनिक वित्त पोषण के अंतर्गत शामिल घटकों के लिए, **केंद्र सरकार 100% वित्त प्रदान करेगी।** • परियोजना के बेहतर स्थायित्व के लिए, **PPP और CSR को** शामिल करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

44.3. धरोहर गोद लें/'अपनी धरोहर अपनी पहचान' योजना

(Adopt A Heritage/Apni Dharohar Apni Pehchan Project)

उद्देश्य	विशेषताएं
• धरोहर स्मारकों में और इनके आस-पास **बुनियादी पर्यटन ढांचे** का विकास करना। • विरासत स्थल/स्मारक या पर्यटक स्थल के लिए **समावेशी पर्यटक अनुभव**। • संबंधित विरासत स्थल/स्मारक/पर्यटक स्थल के स्थानीय समुदायों की आजीविका सृजन हेतु **देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा** देना। • **धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण को बढ़ावा** देना। • स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से **रोजगार सृजन**। • **रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास में इसके गुणक प्रभावों** के संदर्भ में पर्यटन क्षमता का उपयोग। • **संधारणीय पर्यटन अवसंरचना का** विकास।	• **यह संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** के निकट सहयोग में **पर्यटन मंत्रालय** का एक अद्वितीय प्रयास है। • इस **योजना के तहत, निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट से संबंधित व्यक्ति** किसी भी स्थल को गोद ले सकते हैं और संरक्षण एवं विकास के माध्यम से धरोहर तथा पर्यटन को और अधिक संधारणीय बनाने का उत्तरदायित्व ले सकते हैं। • यह परियोजना मुख्यतः **विश्व स्तरीय पर्यटक अवसंरचना और सुविधाओं** के विकास एवं रखरखाव पर केंद्रित है। • **पर्यटन मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार की निधि प्रदान नहीं की गई है।** अंगीकरण के पश्चात् **स्मारक के विधिक दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं होता।** • ये कंपनियां भविष्य की **'स्मारक मित्र'** होंगी, जो अपनी CSR गतिविधियों के साथ गौरव को जोड़ेंगी। • यह परियोजना **गैर-प्रमुख क्षेत्रों तक सीमित 'पहुंच' की परिकल्पना करती है** तथा इसके अतिरिक्त 'स्मारकों को किसी अन्य को सुपुर्द नहीं' किया जा सकता।

44.4. पर्यटन पर्व, 2018

(Paryatan Parv)

उद्देश्य	विशेषताएं
भारतीयों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करने तथा "सभी के लिए पर्यटन" के सन्देश को प्रसारित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ "देखो अपना देश" के सन्देश का प्रचार-प्रसार	• **पर्यटन पर्व के घटक** ○ **देखो अपना देश:** यह भारतीयों को अपने देश में भ्रमण करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। इसके अंतर्गत वीडियो, फोटोग्राफ और इस अवसर पर उपस्थित लोगों के मध्य ब्लॉग प्रतियोगिताएं, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु

VISION IAS

करना।	पर्यटकों के अनुभव से प्राप्त भारत के वृत्तांत चित्रण आदि शामिल होंगे। ○ **सभी के लिए पर्यटन:** देश के सभी राज्यों में पर्यटन समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। ये मुख्य रूप से व्यापक स्तर पर सार्वजनिक सहभागिता के साथ लोगों के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यकलापों में नृत्य, संगीत, थिएटर, पर्यटन प्रदर्शनियां, पाक शैली, हस्तशिल्प, हथकरघा आदि का प्रदर्शन शामिल है। ○ **पर्यटन और शासन:** देश भर में विभिन्न विषय वस्तुओं (पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास, पर्यटन में नवाचार और प्रतिष्ठित स्थलों के निकट स्थित स्थानों पर ग्रामीण पर्यटन का विकास आदि) पर हितधारकों के साथ मिल कर संवादमूलक सत्रों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। • **इंडिया टूरिज्म मार्ट 2018 (IMT-2018):** पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय पर्यटन व अतिथि सत्कार परिसंघ (Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality: FAITH) की भागीदारी के साथ पर्यटन पर्व के दौरान पहली बार IMT-2018 का आयोजन किया जाएगा।

44.5. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

अतुल्य भारत 2.0 अभियान (INCREDIBLE INDIA 2.0 CAMPAIGN)	• इस अभियान का उद्देश्य **विदेशी और घरेलू, दोनों प्रकार के पर्यटकों की संख्या को दोगुना** करना है। • यह परंपरागत प्रचार साधनों के स्थान पर बाजार विशिष्ट प्रचार योजनाओं एवं उत्पाद विशिष्ट रचनाओं की ओर स्थानान्तरण को चिह्नित करता है, इसके लिये डिजिटल उपस्थिति और सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा हैं। • यह अभियान प्रमुख मौजूदा बाजारों के साथ-साथ महत्वपूर्ण संभावित बाजारों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। **विरासत पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, कल्याण और चिकित्सा पर्यटन, MICE, गोल्फ इत्यादि जैसे अग्रणी पर्यटन रूपों को अतुल्य भारत 2.0 अभियान के माध्यम से बढ़ावा दिया** जा रहा है।

VISION IAS

45. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)

45.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

(Eklavya Model Residential School (EMRS))

उद्देश्य	अपनाई गयी रणनीति	विशेषताएं
• दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना; • उन्हें उच्च और पेशेवर शैक्षिक पाठ्यक्रमों में तथा सरकारी और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नौकरियों हेतु प्राप्त आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाना; • अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को गैर-जनजातीय आबादी के समान शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच प्रदान करना।	• प्रत्येक EMRS में नामांकित सभी छात्रों का व्यापक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विकास। • कक्षा 9वीं से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक सहायता पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। • विद्यार्थी के जीवनकाल की शैक्षिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली अवसंरचना के निर्माण में सहायता करना। • वार्षिक व्ययों का इस प्रकार समर्थन करना, जो कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक प्रदान कर सके और उनकी सुविधाओं को बनाए रखने में सक्षम हो।	• 50% से अधिक जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले सभी जनजातीय ब्लॉक में 2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की स्थापना की जाएगी। • EMDBS को उन सभी पहचाने गए उप-जिलों/ब्लोकों में स्थापित किया जाएगा, जहाँ अनुसूचित जनसंख्या जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक (90% या उससे अधिक) है। • एकलव्य विद्यालय जनजातीय विद्यार्थियों को आवास और भोजन की सुविधाएं प्रदान करेंगे। • ये जवाहर नवोदय विद्यालयों के समान हैं (इन विद्यालयों का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को महत्व दिए बिना उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है)। • इन विद्यालयों में खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त स्थानीय कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने हेतु विशेष सुविधाएं होंगी। **EMRSs को संचालित करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति के समकक्ष एक स्वायत्त सोसाइटी को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह सोसाइटी जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति (EC) के माध्यम से कार्य करेगी।** **यह कार्यकारी समिति EMRSs की स्थापना एवं कार्यप्रणाली हेतु धन के आवंटन सहित सभी मामलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी। संचालन समिति की संरचना को जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री के अनुमोदन के पश्चात निर्धारित किया जाएगा।**

45.2.जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की योजना

(Scheme Of Ashram Schools In Tribal Sub-Plan Areas)

उद्देश्य	विशेषताएं
• PTGs (आदिम	• यह जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में संचालित एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है • गृह मंत्रालय द्वारा चिह्नित नक्सल प्रभावित जिलों में बालिकाओं और बालकों के लिए आश्रम

VISION IAS

जनजातीय समूह) सहित **अनुसूचित जनजातियों के मध्य शिक्षा को बढ़ावा** देना।	विद्यालयों के निर्माण हेतु समय-समय पर 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा गैर-नक्सल प्रभावित जिलों में बालकों के लिए आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु गृह मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण अनुमानित लागत की केवल 50% धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत गृह मंत्रालय द्वारा पूर्णत: या निश्चित अनुपात में भागीदारी के रूप में **केवल निर्माण लागत** ही प्रदान की जाती है। • सरकार द्वारा इस **योजना को 2018-19 से समाप्त करने** तथा इसके तहत किये जा रहे हस्तक्षेपों को **'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to TSS/TSP)' योजना में सम्मिलित करने** का प्रस्ताव रखा गया है। SCA to TSP को केंद्र द्वारा 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। • ये विद्यालय **मांग आधारित** हैं और **प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक** की शिक्षा प्रदान करते हैं।

45.3. वनबंधु कल्याण योजना

(Vanbandhu Kalyan Yojana)

उद्देश्य	विशेषताएं
• जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। • शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। • आदिवासी परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सतत रोजगार सुनिश्चित करना। • गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अवसंरचनात्मक अंतर को समाप्त करना। • जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है। • यह योजना सुनिश्चित करती है कि **जनजातीय उप-योजनाओं** के अंतर्गत कवर की गयी सभी केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के **सभी अपेक्षित लाभ उपयुक्त अभिसरण के माध्यम से वास्तव में उन जनजातियों तक** पहुंच सकें।

45.4. वन धन योजना

(Van Dhan Yojana)

उद्देश्य	विशेषताएं
इसका उद्देश्य कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन सुविधा स्थापित करना है।	• ट्राइफेड लघु वनोत्पाद (MFP)-आधारित बहु-उद्देशीय **वन धन विकास केन्द्र** स्थापित करने में सहायता करेगा। यह 10 स्वयं सेवी समूहों (SHGs) का केन्द्र होगा, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में 30 MFP एकत्रित करने वाले शामिल होंगे। • **देश** के **वन** क्षेत्रों के **जनजातीय जिलों** में **दो** वर्ष में **लगभग 3,000 ऐसे वन धन केन्द्र स्थापित** करने का **प्रस्ताव** किया गया है।

VISION IAS

45.5. एमएफपी योजना की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र

(Scheme for 'Mechanism For Marketing Of Minor Forest Produce (MFP) Through Minimum Support Price (MSP) And Development of Value Chain For MFP")

उद्देश्य	विशेषताएं
स्थानीय स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ उनके द्वारा एकत्रित किए गए चिन्हित लघु वन उपज (MFP) के लिए मुख्य रूप से MS के माध्यम से MFP संग्रहकर्ताओं के लिए उचित प्रतिफल (रिटर्न) सुनिश्चित करना	• योजना का शुभारंभ वर्ष 2013-14 में किया गया था। उस समय इस योजना के दायरे में केवल 10 एमएफपी मद शामिल थी और इसे केवल अनुसूचित V से संबंधित राज्यों में लागू किया गया था। • इसके बाद अक्टूबर, 2016 में कुछ और MFP को शामिल कर इस योजना का दायरा एवं कवरेज बढ़ा दी गई और इसके साथ ही यह योजना पूरे देश में लागू कर दी गई। • MSP का निर्धारण MFP में से प्रत्येक के लिए मूल्य के आधारभूत सर्वेक्षण, प्रत्येक राज्य के लिए संग्रह की लागत, सफाई की लागत और प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं परिवहन लागत के आधार पर किया जाएगा। • TRIFED में गठित एक मूल्य निर्धारण सेल को यह कार्य सौंपा जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय अंततः उस राज्य के लिए चयनित प्रत्येक MFP के लिए राज्यवार MSP को मंजूरी और घोषणा करेगा। • संग्रह की लागत में संशोधन के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष में किए जाने वाले मूल्य की समीक्षा।

45.6. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

ट्राईफूड (TRIFOOD) योजना	• यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और TRIFED की एक संयुक्त पहल है। • इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और महाराष्ट्र के रायगढ़ में तृतीयक मूल्य संवर्धन केंद्र स्थापित किया जाएगा। • इस उत्पादन की एक विशेषता परम्परागत महुआ ड्रिंक होगा। इस परियोजना के अंतर्गत परम्परागत आदिवासी ड्रिंक को देश की मुख्यधारा में लाया जाएगा और उसकी मार्केटिंग की जाएगी।
आदिवासियों के मित्र" पहल ("Friends of Tribes" initiative)	इस पहल के तहत, ट्राइफैड ने आदिवासियों की आजीविका बढ़ाने के लिए CSR कोष को जोड़ दिया है।

VISION IAS

46. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Water Resources,River Development and Ganga Rejuvenation)

46.1. नमामि गंगे योजना

(Namami Gange Yojana)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• गंगा नदी को व्यापक रूप से **स्वच्छ और संरक्षित** करना। • गंगा नदी बेसिन का **जलसंभर प्रबंधन (वाटरशेड मैनेजमेंट)** करना; तथा अपवाह (रनऑफ) और प्रदूषण को कम करना। • गंगा नदी की **मुख्य धारा पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक और/या पर्यटन संबंधी महत्त्वपूर्ण गांवों का विकास** करना। • **नदी तट प्रबंधन।** • **जलीय जीवन का संरक्षण** करना। • विभिन्न संलग्न मंत्रालयों के मध्य **समन्वय स्थापित** करना।	• परियोजना के तहत 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, 47 कस्बों और 12 नदियों को कवर किया जाएगा। • **स्वच्छ गंगा निधि** की स्थापना। • इस परियोजना में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (SPMGs) के अंतर्गत **राज्य, शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं शामिल** होंगी। • घाट और नदी तटों में हस्तक्षेप के माध्यम से, नागरिकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु **नदी केंद्रित शहरी नियोजन प्रक्रिया स्थापित** करने का प्रयास किया जायेगा। • **आरंभिक अवधि की गतिविधियां:** तैरते हुए ठोस अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने के लिए **नदी की सतह की सफाई;** ग्रामीण सीवेज नालियों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण (ठोस और तरल) को रोकने के लिए **ग्रामीण स्वच्छता** एवं शौचालयों का निर्माण। • **मध्यम अवधि की गतिविधियां:** ○ गंगा के तट पर स्थित 118 शहरी आवासीय क्षेत्रों में **सीवरेज अवसंरचना के कवरेज** का विस्तार। ○ जैव-उपचार विधि, इन-सीटू उपचार, नगरपालिका सीवेज और दूषित जल उपचार संयंत्रों का प्रयोग कर जल निकासी के **अपशिष्ट जल के उपचार** द्वारा प्रदूषण की रोकथाम की जाएगी। ○ **औद्योगिक प्रदूषण** का प्रबंधन। ○ **जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, और जल की गुणवत्ता की निगरानी।** • **दीर्घ अवधि की गतिविधियां:** पारिस्थितिक-प्रवाह का निर्धारण, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और सतही सिंचाई की दक्षता में वृद्धि।

- गंगा कायाकल्प की चुनौती की बहु-क्षेत्रीय, बहु-आयामी और बहु-हितधारक प्रकृति को चिह्नित करते हुए (a) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (WR, RD&GR), (b) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (c) जहाजरानी मंत्रालय, (d) पर्यटन मंत्रालय, (e) शहरी विकास मंत्रालय, (f) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय इत्यादि प्रमुख मंत्रालय एक साथ कार्य कर रहे हैं।
- गंगा नदी की मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक और/या पर्यटक महत्व के गांवों को विकसित करने के लिए MoWR द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत 2016 में **गंगा ग्राम योजना** आरम्भ की गयी थी।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के सहयोग से 2017 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने एक अन्य **गंगा ग्राम परियोजना** प्रारंभ की है।

(परियोजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया MDWS के अंतर्गत उल्लिखित योजनाएं देखें)।

VISION IAS

46.2. जल क्रांति अभियान

(Jal Kranti Abhiyan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• जल सुरक्षा में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों सहित सभी हितधारकों की जमीनी स्तर पर सहभागिता को सुदृढ़ करना। • सहभागी सिंचाई प्रबंधन (Participatory Irrigation Management: PIM) • जल संसाधन संरक्षण और उसके प्रबंधन में परम्परागत ज्ञान को अपनाये जाने / उसके उपयोग को प्रोत्साहित करना; • ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका सुरक्षा में संवर्धन करना।	• जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्थानीय/क्षेत्र विशिष्ट नवाचारी उपाय विकसित करने हेतु **परम्परागत ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना भी** शामिल है। • **जल क्रांति अभियान के चार महत्वपूर्ण घटक** हैं- ○ **जल ग्राम योजना:** जल संकट का सामना कर रहे दो गांवों को **"जल ग्राम"** के रूप में चयनित किया जाता है। ○ प्रत्येक जल ग्राम से, पंचायत के एक निर्वाचित प्रतिनिधि और जल प्रयोक्ता संघ के एक प्रतिनिधि की **जल मित्र/नीर नारी** के रूप में पहचान की जा रही है और जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ○ प्रत्येक जल ग्राम में किए जा रहे विभिन्न कार्यों पर व्यय केंद्रीय/ राज्य सरकारों की पहले से विद्यमान योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), मनरेगा (MGNREGA), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना (Repair, Renovation and Restoration: RRR), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) इत्यादि से से प्राप्त होगा। • **मॉडल कमांड क्षेत्र का विकास:** राज्य में लगभग 1000 हेक्टेयर के मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की जाएगी। मॉडल कमान क्षेत्र का चयन राज्य सरकारों की सलाह से मंत्रालय द्वारा राज्य की एक वर्तमान/जारी सिंचाई परियोजना से किया जाएगा जहाँ विभिन्न योजनाओं से विकास के लिए निधि उपलब्ध हो। • **प्रदूषण न्यूनीकरण** और **जन जागरूकता कार्यक्रम।** • प्रत्येक जल ग्राम के लिए **सुजलम कार्ड** (लोगो: 'जल बचत, जल निर्माण') नामक एक जल स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा। यह गाँव के लिए उपलब्ध पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में वार्षिक सूचना प्रदान करेगा। • केन्द्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां हैं। • राज्यों को राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुसार राज्य जल नीति निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

46.3. राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना

(National Hydrology Project: NHP)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **विश्वसनीय और समयबद्ध तरीके से जल संसाधनों से जुड़े आंकड़ों** के अधिग्रहण, भंडारण, संयोजन और प्रबंधन हेतु एक प्रणाली स्थापित करना। • सूचना प्रणाली के उपयोग और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे- रिमोट सेंसिंग को अपनाकर राज्य और केंद्रीय क्षेत्रकों के संगठनों में जल संसाधन प्रबंधन में क्षमता निर्माण करना। • बाढ़ के पूर्वानुमान में 1 दिन से कम से कम 3 दिन तक लीड टाइम।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्र** की योजना है (2016)। • यह परियोजना **विश्व बैंक** द्वारा सहायता प्राप्त (50% ऋण) है। परियोजना के घटक निम्नलिखित हैं: (a) स्व-स्थाने जल-मौसम निगरानी प्रणाली तथा जल-मौसम डेटा अधिग्रहण प्रणाली (In Situ Hydromet Monitoring System and Hydromet Data Acquisition System)। (b) राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (National Water Informatics Centre: NWIC) की स्थापना।

VISION IAS

	(c) जल संसाधन संचालन तथा प्रबंधन प्रणाली। (d) जल संसाधन संस्थान तथा क्षमता निर्माण। • NHP से **जल-मौसम विज्ञान (Hydro-meteorological) संबंधित डाटा** एकत्रित करने में सहायता मिलेगी और इसका रियल टाइम के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा तथा किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। • यह जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा के संयोजन और प्रबंधन के माध्यम से **नदी बेसिन एप्रोच को अपनाकर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन** की सुविधा प्रदान करेगा। यह जल संसाधन मूल्यांकन में भी सहायता प्रदान करेगा।

46.4. बांध पुनरूद्धार और सुधार परियोजना

(Dam Rehabilitation And Improvement Project: DRIP)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• चयनित मौजूदा बांधों और इनसे सम्बद्ध उपकरणों की **सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन** में स्थायी रूप से सुधार करना, • प्रतिभागी राज्यों/ कार्यान्वयन एजेंसियों (CWC) की **बांध सुरक्षा संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना।**	भारत के **सात राज्य,** मुख्यतः झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड	• यह एक **बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना है** क्योंकि सम्पूर्ण परियोजना का 80% **विश्व बैंक** द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है और शेष 20% राज्य / केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके तहत **257 बांधों की मरम्मत और पुनर्वास का कार्य किया जाएगा।भागीदार एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन के दौरान कुछ बांधों के निर्माण/विलोपन के कारण, वर्तमान में 198 बांध परियोजनाओं का पुनर्वास किया जा रहा है।** • DRIP की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में अनुमानित जटिलताओं के मद्देनजर **जून 2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए DRIP का विस्तार करने का प्रस्ताव है।** • बांधों के लिए **आपातकालीन कार्य योजना (EAP)** प्रस्तावित है, जो एक बांध से सम्बंधित संभावित आपातकालीन स्थितियों की पहचान करती है और जीवन एवं संपत्ति की हानि के न्यूनीकरण हेतु प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है।

बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी एप्लीकेशन (DAM HEALTH AND REHABILITATION MONITORING APPLICATION: DHARMA)	यह DRIP के अंतर्गत तिरुवनंतपुरम (केरल) में **प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन - 2018** के दौरान लॉन्च किया गया एक **सॉफ्टवेयर प्रोग्राम** है। DHARMA बांध संबंधित सभी डेटा के प्रभावी ढंग से डिजिटलीकरण हेतु आरंभ किया गया एक वेब टूल है। **यह देश में बड़े बांधों से संबंधित प्रामाणिक परिसंपत्ति तथा स्वास्थ्य सूचना के प्रलेखन** में सहायता करेगा और आवश्यकता आधारित पुनर्वास सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाएगा।

46.5. राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार योजना

(National Groundwater Management Improvement Scheme: NGMIS)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• भूजल के उपभोग को कम करने के लिए आपूर्ति के	• इसे पूरे देश में लागू किया	• कुल लागत का आधा भाग **विश्व बैंक** द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा।

VISION IAS

साथ-साथ मांग पक्ष को सम्बोधित कर **भूजल का संधारणीय प्रबंधन।** • परियोजना का उद्देश्य कुओं में भूजल के तीव्रता से सूखने के दुष्प्रभावों के संदर्भ में **किसानों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना है।**	जाएगा, परन्तु **विशेष ध्यान 'डार्क जोन' (अत्यधिक शोषित) वाले राज्यों पर केन्द्रित होगा।** इन क्षेत्रों में जल की निकासी पुनर्भरण से अधिक होती है। • इन राज्यों में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग) और मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड क्षेत्र) शामिल हैं।	• इसमें चार घटक शामिल हैं:(i) भूजल प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन उपकरण; (ii) संधारणीय भूजल प्रबंधन के लिए राज्य विशिष्ट संस्थागत और कानूनी ढांचा; (iii) भूजल पुनर्भरण में वृद्धि और जल उपयोग दक्षता में सुधार; तथा (iv) प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित संस्थानों को सशक्त करना। • इसमें दो परिणामी क्षेत्रों (Results Areas) को शामिल किया गया है, जो योजना के चार घटकों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। • सामुदायिक नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाओं (Water Security Plans :WSPs) के माध्यम से भूजल प्रबंधन हस्तक्षेपों का बेहतर नियोजन और कार्यान्वयन। • सुदृढ़ संस्थागत ढांचा और प्रभावी भूजल डेटा निगरानी तथा प्रकटीकरण। • संभावित निवेश श्रेणियां NGMIP से बाहर रखी जाएंगी। इनमें शामिल हैं: (i) प्रमुख बांधों और नई बड़े पैमाने की सिंचाई प्रणालियों का निर्माण; और (ii) अंतः क्षेपण के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक अपशिष्ट जल संग्रहण, उपचार और पुनर्भरण व्यवस्था।

46.6. अटल भूजल योजना

(Atal Bhujal Yojana)

उद्देश्य	विशेषताएं
सामुदायिक भागीदारी के साथ मांग पक्ष हस्तक्षेप पर बल देने के साथ संधारणीय भूजल प्रबंधन।	• **2018 में प्रस्तावित** • यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है और इसे **विश्व बैंक की सहायता** से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया है। • इसे प्रारंभ में सामुदायिक भागीदारी के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 78 चिन्हित जिलों में लागू किया जाएगा।

46.7. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (National Aquifer Mapping and Management :NAQUIM)	• जलभृत (एक्विफ़ायर) मानचित्रण कार्यप्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य **"अपने जलभृत को जानें, अपने जलभृत को प्रबंधित करें" (Know your Aquifer, Manage your Aquifer)** के रूप में समझा जा सकता है। • इस कार्यक्रम को उन्नत तकनीकों के माध्यम से जलभृत का मानचित्रण करने हेतु आरंभ किया गया था। यह जलभृत पुनर्भरण एवं नदी तट निस्यंदन के प्रबंधन तथा अत्यधिक संकटग्रस्त ब्लॉक एवं

VISION IAS

	दूषित ब्लॉक्स की पहचान में सहायता करेगा। • यह भूजल अभिगम्यता और गुणवत्ता पहलुओं के साथ भूजल उपलब्धता को एकीकृत करने में मदद कर सकता है। यह **राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम (NGMIP)** का सबसे बड़ा घटक है। • जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके संबद्ध संस्थानों के अंतर्गत केंद्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, विश्व बैंक, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID) और राज्य भूजल विभाग शामिल हैं।
भारत जल सप्ताह 2019	• इंडिया वाटर वीक को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में परिकल्पित एवं आयोजित किया गया था। यह एक स्थायी फोरम है जिसका उपयोग जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा सेमिनारों, प्रदर्शनियों एवं सत्रों के माध्यम से प्रख्यात हितधारकों के साथ विचार-विमर्श, वार्ताएं एवं रणनीतियां निर्मित करने हेतु किया जाता है। इनका उद्देश्य उपलब्ध जल के संधारण, संरक्षण एवं इष्टतम उपयोग हेतु जन जागरूकता को सृजित करना और मुख्य रणनीतियों को कार्यान्वित करने हेतु समर्थन प्राप्त करना है। • यह अपने ही प्रकार का **छठा संस्करण** है, जिसकी थीम: "वाटर कोऑपरेशन- कोपिंग विद 21st सेंचुरी चैलेंजेज़" (जल सहयोग- 21वीं शताब्दी की चुनौतियों से निपटना) है, और इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में जल के उपयोग संबंधी आवश्यकता तथा महत्व पर ध्यान केन्द्रित करना है।
जल संसाधन सूचना प्रणाली (WRIS)	INDIA-WRIS WebGIS भारत के **जल संसाधनों** तथा उनसे सम्बद्ध प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक एवं प्रामाणिक **आंकड़ों** के लिए **एक सिंगल विंडो** समाधान है। यह समेकित जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) के लिए आंकड़ों की खोज, पहुँच तथा विश्लेषण के उपकरणों के साथ एक मानकीकृत राष्ट्रीय GIS फ्रेमवर्क से अनुरूप है। इस परियोजना को संयुक्त रूप से CWC, MoWR और NRSC, ISRO, DoS द्वारा वर्ष 2009 में प्रारम्भ किया गया है।
माजुली द्वीप की सुरक्षा	यह असम में माजुली द्वीप की ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और क्षरण से सुरक्षा के लिए **एक नई योजना (2017)** है। इस योजना के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं: • 14 स्थानों में 27 किमी लंबी पहुँच के लिए मृदा/रेत से भरे GEO बैग के साथ तटों पर तटबंध का निर्माण, • 41 स्थानों में RCC पॉर्क्यपाइन (RCC porcupine) कार्य, • एक नहर का निर्माण और • 3.50 किमी की लंबाई के लिए एक पायलट चैनल का निर्माण। यह ब्रह्मपुत्र बोर्ड का एक प्रयास है। परियोजना के लिए वित्तपोषण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

VISION IAS

47. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)

47.1.एकीकृत बाल विकास सेवाएं

(Integrated Child Development Services)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• छोटे बच्चों में अल्पपोषण (अल्प वजनी 0-3 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत) को 10 प्रतिशत से कम करना एवं रोकना, • बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना, • मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने संबंधी घटनाओं को कम करना; • बाल विकास प्रोत्साहन हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना; तथा • उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता में वृद्धि करना।	• यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। • इसमें संबंधित गांव से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को शामिल किया जायेगा। • यह एक सार्वभौमिक और आत्म-चयन आधारित योजना है अर्थात कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर इन सेवाओं हेतु नामांकन करा सकता है। • **छह सेवाओं का पैकेज** इस प्रकार है: ○ पूरक पोषण कार्यक्रम ○ पूर्व स्कूली शिक्षा ○ स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, ○ टीकाकरण, ○ स्वास्थ्य जांच और ○ लाभार्थियों को निर्दिष्ट सेवाएं **अम्ब्रेला ICDS के तहत उप-योजनाएं** • **आंगनवाड़ी सेवाएं -** यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के समग्र विकास के लिए है। • **बाल संरक्षण सेवाएं** - इसका उद्देश्य क़ानूनी विवाद में संलग्न बच्चों एवं देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सकुशल व सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सुभेद्यता को कम करना है। • **राष्ट्रीय क्रेच (creche) सेवा -** इसका उद्देश्य काम करने वाली माताओं के बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करना है। इस प्रकार यह उन्हें रोजगार प्राप्ति करने **के लिए सशक्त बनाती है।** • **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** • **पोषण अभियान** • **किशोर लड़कियों के लिए योजना**

47.1.1. राष्ट्रीय पोषण मिशन

National Nutrition Mission (Poshan Abhiyaan)

मिशन के बारे में	लक्ष्य	प्रमुख विशेषताएँ
• **राष्ट्रीय पोषाहार रणनीति** ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना के लिए रोडमैप निर्धारित किया है। • यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसे **पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के** साथ नोडल मंत्रालय के रूप में **महिला एवं बाल विकास**	• इस मिशन में प्रतिवर्ष ठिगनेपन (स्टंटिंग) या अल्पविकास, अल्पपोषण और जन्म के समय अल्पभार वाले बच्चों में 2% और एनीमिया में 3% तक कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया है। • इसका उद्देश्य मुख्य रूप से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और	• NNM एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में जीवन चक्र अवधारणा (life cycle concept) के साथ पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण एवं लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन का काम करेगा। • कुपोषण का समाधान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के योगदान का प्रतिचित्रण। • ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी)

VISION IAS

मंत्रालय (WCD) के द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।	किशोरियों पर ध्यान केंद्रित करना है। • यह 2022 तक ठिगनेपन या अल्पविकास के मामलों में 38.4% (NFHS -4) से 25% तक कमी लाने का प्रयास करेगा (2022 तक मिशन 25)। • यह तीन चरणों में लागू किया जाएगा: 2017-18, 2018-19 और 2019-20)। 'अत्यधिक बोझ वाले' 315 जिलों को पहले चरण, 235 को अगले और शेष को आखिरी चरण में शामिल किया जाएगा।	आधारित वास्तविक समय (Real Time) निगरानी प्रणाली। • लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना। • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) को IT आधारित उपकरणों का उपयोग करने और रजिस्टरों के प्रयोग की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना। • आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लम्बाई का मापन। • बच्चों की स्वास्थ्य प्रगति की निगरानी हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा। • पोषण संसाधन केंद्र की स्थापना।

47.1.2. किशोर लड़कियों के लिए योजना

(Scheme For Adolescent Girls)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• किशोर लड़कियों को स्व-विकास और सशक्तिकरण के लिए सक्षम करना। • उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। • स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, किशोरावस्था, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ARSH) तथा परिवार और बाल देखभाल के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ावा देना। • शिक्षित करना, कौशल निर्माण और उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना।	11-14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियां।	• पोषण संबंधी प्रावधान • लौह और फोलिक एसिड (IFA) पूरकता • स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं • पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (NHE) • परिवार कल्याण, ARSH, बाल देखभाल प्रथाओं और गृह प्रबंधन पर परामर्श/मार्गदर्शन। • घरेलू कौशल विकास, जीवन कौशल में सुधार करना तथा इसे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (NSDP) के साथ व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने के लिए एकीकृत करना। • स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक / गैर-औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाना। • मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं जैसे PHC,CHC, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन इत्यादि के बारे में जानकारी/मार्गदर्शन प्रदान करना। • इस योजना को एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के तहत मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) के माध्यम से क्रियान्वयित किया जाएगा। • जनवरी 2018 में, मंत्रालय ने चरण -1 अर्थात किशोर लड़कियों हेतु योजना के लिए रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम के लाभार्थी मॉड्यूल को प्रारंभ किया है - जो किशोर लड़कियों हेतु योजना के लिए एक वेब आधारित आनलाइन निगरानी मॉड्यूल है। • 205 जिलों में लागू किए जा रही किशोर लड़कियों के लिए योजना (SAG) का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया गया है। चरणबद्ध विस्तार स्वरूप निम्नानुसार है: - • चरण -1: 2017-18 में, इस चरण में योजना को NNM के तहत पहचान किए गए अतिरिक्त 303 उच्च दबाव वाले

VISION IAS

		जिलों में संशोधित वित्तीय मानदंडों के साथ विस्तार किया गया था। • चरण -2: 2018-19 में, इस चरण में योजना को संशोधित वित्तीय मानदंडों के साथ देश के सभी जिलों में 01.04.2018 से प्रभावी रूप में विस्तारित किया गया है।

47.1.3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

(Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। • नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के स्वास्थ्य में सुधार।	• सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएँ (PW&LM) सिवाय उन्हें छोडकर जो केंद्र या राज्य सरकारों या PSU में नियमित रोजगार में हैं या जहाँ किसी अन्य कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं। • परिवार में जन्मे प्रथम बच्चे के लिए	• तीन किस्तों में 5000 रुपये का नकद प्रोत्साहन जिसमें गर्भावस्था के पंजीकरण के समय 1,000 रुपये की पहली किस्त प्रदान की जाएगी, 6 महीने की गर्भावस्था के बाद 2,000 रुपये की दूसरी किस्त प्रदान की जाएगी और जब बच्चे के जन्म का पंजीकरण हो जाता है तथा साथ ही बच्चे का BCG, OPV, DPT और hepatitis-B सहित पहला टीका चक्र पूर्ण हो जाता है तो 3,000 रुपये की तीसरी किस्त प्रदान की जाएगी। • योग्य लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त होगा और JSY के तहत प्राप्त प्रोत्साहन राशि मातृत्व लाभों की प्राप्ति के लिए होगी। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6000 रूपए प्राप्त होंगे। • एनीमिया और आयरन एवं फोलिक एसिड (IFA) सप्लीमेंट, गर्भावस्था में कैल्शियम सप्लीमेंट, गर्भावस्था में कृमि मुक्ति (Deworming) हेतु गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग।

47.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

(Beti Padhao Beti Bachao)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की प्रक्रिया का उन्मूलन करना। • बालिकाओं के **अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित** करना। • बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना।	• इस योजना के **दो प्रमुख घटक हैं**: ○ बेटी बचाओ-बेटी पढाओ के लिए समर्थन एवं जन संचार अभियान। ○ प्रतिकूल CSR वाले 100 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहुक्षेत्रीय कार्यवाही करना। • बालिकाओं को समान महत्व एवं उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु निरंतर सामाजिक संगठनात्मकता एवं संचार अभियान। • यह योजना जिला / ब्लॉक / ज़मीनी स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत अभिसरण (convergence)को संभव बनाएगी। • यह एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है, जो केंद्र 100% सरकार द्वारा वित्तपोषित है। • इसमें व्यक्तिगत नकद हस्तांतरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। **निगरानी योग्य लक्ष्यों में शामिल हैं-**

VISION IAS

	• चयनित प्रतिकूल CSR वाले जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात (Sex Ratio at Birth: SRB) में 2 अंकों का सुधार लाना। • पांच वर्ष से कम आयु के बाल मृत्यु दर में लिंगअंतराल को 2014 के 7 अंक (नवीनतम उपलब्ध SRS रिपोर्ट के अनुसार) से प्रति वर्ष 1.5 अंक कम करना • संस्थागत प्रसव में प्रति वर्ष कम से कम 1.5% की वृद्धि। • 2018-19 तक माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में 82% तक वृद्धि करना। • चयनित जिलों के प्रत्येक स्कूल में बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालयों (functional toilet) की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • 5 वर्ष से कम उम्र के अल्पभार और रक्ताल्पता से ग्रसित बालिकाओं की संख्या में कमी लाकर बालिकाओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना। • ICDS का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करना • प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्सुअल ओफेंसेस (पोक्सो) एक्ट, 2012 के कार्यान्वयन के माध्यम से कन्या शिशु हेतु एक सुरक्षात्मक वातावरण को बढ़ावा देना • CSR (child sex ratio) में सुधार करने और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु समुदायों को एकजुट करने के लिए कम्युनिटी चैंपियंस के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों /ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। • राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, और ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर पर BBBP योजना की निगरानी। BBBP से सम्बंधित सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री के प्रसार हेतु **डिजिटल गुड्डी-गुड्डा बोर्ड** एक प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म पर जन्म से सम्बंधित मासिक आंकड़े को अपडेट किया जाता है। इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) योजना के तहत सर्वोत्तम व्यवहार के रूप में अपनाया गया है।

47.2.1. सुकन्या समृद्धि योजना

(Sukanya Samruddhi Yojana)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय
(Ministry of Women and Child Development and Ministry of Finance)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• माता-पिता को एक लड़की के नाम पर खाता खोलने और उसके कल्याण के लिए निर्धारित सीमा तक अपनी अधिकतम बचत को इसमें जमा करने हेतु प्रेरित करना। • लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा व्यय की आवश्यकता को पूरा करना।	• यह एक अल्प बचत योजना है। यह बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना का एक भाग है। • सुकन्या समृद्धि खाता 1,000 रुपये की न्यूनतम जमा और अधिकतम 1.5 लाख रुपये के साथ लड़की की शिक्षा और विवाह के व्ययों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए खोला जाता है। • माता-पिता या कानूनी अभिभावक लड़की के दस वर्ष की आयु के होने के पूर्व उसके नाम पर एक खाता खोल सकते हैं। • बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 50% राशि निकाल सकती है। यह 18 वर्ष की समय सीमा बाल-विवाह को रोकने में भी मदद करेगी। • वार्षिक जमा (योगदान) धारा 80C के तहत लाभ के लिए अर्ह है तथा परिपक्वता लाभ गैर-कर योग्य होते हैं। • यह कम उम्र में लड़कियों के विवाह को हतोत्साहित करती है और संसाधनों तथा परिवार की बचत में एक लड़की के लिए न्यायसंगत हिस्सा सुनिश्चित करेगी, जिसमें सामान्यतः लड़के के तुलना में इनके प्रति भेदभाव किया जाता है। • जमा करने की अवधि: खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष तक।

VISION IAS

47.3. उज्ज्वला योजना

(Ujjawala Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• तस्करी की रोकथाम और सीमा-पार के पीड़ितों के उनके मूल देश में बचाव, पुनर्वास, पुन: एकीकरण एवं प्रत्यावर्तन के लिए।	पुनर्वास केंद्रों को आश्रय और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं, जैसे: • खाद्य, वस्त्र, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता; • यदि पीड़ित बच्चे हैं तो शिक्षा, • पीड़ितों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय सृजन गतिविधियां।

47.4. किशोर लड़कों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना- सक्षम

(Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Boys-SAKSHAM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• किशोर लड़कों (ABs) को आत्मनिर्भर, लिंग-संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनाने हेतु उनका सर्वांगीण विकास करना।	• लड़कों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को सम्बोधित करना तथा उनके स्वच्छता, पोषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। • राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (NSDP) के माध्यम से 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। • एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) के तहत निर्मित संरचनाओं का उपयोग मंच के रूप में किया जाएगा। यह केंद्र और राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निर्मित एक समर्पित सक्षम इकाई द्वारा समर्थित होगा।

47.5. स्वाधार गृह योजना

(Swadhar Greh Scheme)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह स्थापित करना। इनके कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: ○ इस योजना के तहत महिलाओं की आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति और कठिन परिस्थितियों से पीड़ित तथा सामाजिक एवं आर्थिक सहायता से वंचित महिलाओं की देखभाल करना। ○ उन्हें परिवार/समाज में पुन: समायोजन के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाने हेतु कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। ○ उन्हें आर्थिक और भावनात्मक रूप से पुनर्स्थापित करना। ○ उन्हें अपने जीवन को दृढ़ विश्वास व गरिमा के साथ पुन: आरंभ करने में सक्षम बनाना।	**18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की वैसी महिलाएं:** • जो परित्यक्ता हैं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं, जेल से मुक्त हुई महिला कैदी हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, पारिवारिक तनाव या विवाद से परेशान हैं अथवा तस्करी की गयी महिलाएं/लड़कियां- जो वेश्यालयों या अन्य स्थानों से भागी हुई या बचाई गयी हैं। • उपर्युक्त श्रेणियों की महिलाओं के साथ उनके बच्चों को भी अपनी मां के साथ स्वाधार गृह में रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी (18 वर्ष की आयु तक की बालिकाएं और 8 वर्ष तक की आयु के बालक)।	• कोई भी सरकारी या सिविल सोसायटी संगठन इस योजना के तहत सहायता ले सकता है। • उद्देश्यों को निम्नलिखित रणनीतियों के अंतर्गत प्राप्त किया जाएगा- ○ भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाओं आदि की उपलब्धता के साथ रहने के लिए अस्थायी आवास ○ ऐसी महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए व्यावसायिक और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण ○ परामर्श, जागरूकता सृजन और व्यावहारिक प्रशिक्षण ○ कानूनी सहायता और मार्गदर्शन ○ टेलीफोन के माध्यम से परामर्श **स्वाधार गृह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(DBT) अनुवर्ती योजना है।**

VISION IAS

47.6 जेंडर चैंपियंस योजना

(Gender Champions scheme)

यह **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का** एक सहयोगात्मक प्रयास है।

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• युवा लड़के और लड़कियों को लैंगिक रूप से संवेदनशील (जेंडर सेंसिटिव) बनाकर एक ऐसे सकारात्मक सामाजिक मानदंडों का निर्माण करना, जो महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों का सम्मान करते हैं।	• शैक्षिक संस्थानों में नामांकित 16 वर्ष से अधिक आयु के लड़के और लड़कियाँ, दोनों जेंडर चैंपियंस बन सकते हैं।	• जेंडर चैंपियंस की ऐसे जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं के रूप में कल्पना की गयी है, जो अपने स्कूलों/कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों के भीतर एक ऐसे सक्षम परिवेश का निर्माण करेंगे, जिसमें लड़कियों के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता हो। • यह योजना लैंगिक समानता का समर्थन करने और लैंगिक न्याय की दिशा में होने वाली प्रगति की निगरानी करने के लिए युवा लड़कियों और लड़कों की क्षमता को मज़बूत बनाएगी।

47.7 सखी वन स्टॉप सेंटर

(Sakhi One Stop Centres)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• निजी या सार्वजनिक स्थानों, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना। • महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के किसी भी स्वरूप से निपटने के लिए एक ही स्थान पर चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित कई अन्य प्रकार की सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना।	• जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना, हिंसा से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों सहित सभी महिलाएं।	• इसे **निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित** किया जाता है। • केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन। • ये **प्रत्येक समय कार्य करने(24×7) वाले केंद्र** हैं, जहाँ कोई भी महिला जो प्रतिकूल परिस्थिति में हो, या उसकी ओर से कोई अन्य, वूमेन टोल-फ्री हेल्पलाइन 181 पर फोन करके सखी सेंटर से सहायता हेतु प्रयास कर सकता है।

47.8. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

पहल	विशेषताएं
महिला ई-हाट (Mahila E-Haat)	• यह महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन विपणन मंच है। • **लाभार्थी-** 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी भारतीय महिला नागरिक और महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) • यह महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पहल है। इसके माध्यम से महिला उद्यमियों के द्वारा निर्मित/विनिर्मित/बिक्री योग्य उत्पादों के प्रदर्शन लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा। • यह मंच महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत निकाय है तथा इसे राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा स्थापित किया गया है। इसे राष्ट्रीय महिला कोष के साथ अधिकतम 10 लाख रुपये के निवेश के साथ स्थापित किया गया है।

VISION IAS

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK)	• यह प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (PMMSY: एक अम्ब्रेला योजना) के तहत एक नवीन उप-योजना है तथा वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित है। • ग्रामीण महिलाओं की सरकार तक पहुँच बनाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है ताकि वे अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें और उन्हें प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाया सके। • यह योजना 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है जो निम्नलिखित है: अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड। • PMMSK ब्लॉक स्तरीय पहल: इसके तहत, छात्रों (स्वैच्छिक सहायक के रूप में) के माध्यम से 115 सबसे पिछड़े जिलों में सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। • यह छात्र स्वयंसेवकों (Volunteers) को राष्ट्र विकास प्रक्रिया में भाग लेने और पिछड़े जिले में लैंगिक समानता लाने का अवसर प्रदान करेगा।
नारी (NARI) पोर्टल	• विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं/कानूनों के बारे में सूचनाएँ एक स्थान पर उपलब्ध न होकर बिखरी हुयी हैं जिसके कारण लोगों के मध्य इस सन्दर्भ में जागरूकता का अभाव है। • इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं/कानूनों सम्बन्धी सूचना और सेवाओं तक सिंगल विंडो पहुंच के रूप में नारी पोर्टल का शुभारम्भ किया है
ई-संवाद पोर्टल	• यह गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के लिए एक मंच है, जिसके माध्यम से वे महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ अंत:क्रिया कर अपने फीडबैक, सुझाव, शिकायतों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों (Best Practices)आदि को साझा करते हैं।
खोया पाया पोर्टल	• यह गुमशुदा या कहीं मिले बच्चे के सम्बन्ध में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए नागरिक आधारित वेबसाइट (citizen-based website) है। • इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - DeITY (वर्तमान में इस विभाग को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) का दर्जा प्राप्त है) द्वारा विकसित किया गया था।
जन संपर्क प्रोग्राम	• **उद्देश्य**: सामान्य जन को गोद लेने से संबंधित जानकारी मांगने एवं अपनी चिंताओं को साझा करने हेतु संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाना। • इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के **केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** द्वारा शुरू किया गया है। • यह भावी दत्तक माता-पिता (prospective adoptive parents-PAPs) को अधिक उम्र के बच्चों को अपनाने के लिए परामर्श देने और प्रेरित करने के एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) हेतु समर्थन	• महिलाओं को स्व-नियोजित/उद्यमी बनने हेतु सक्षम बनाने के लिए सामर्थ्य और कौशल प्रदान करता है। • इस योजना का उद्देश्य देश भर में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को लाभान्वित करना है।
महिला पुलिस वालंटियर स्कीम	• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की संयुक्त पहल। • यह कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।

VISION IAS

48. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports)

योजना	विवरण
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (Target Olympic Podium Scheme: TOPS)	• वैसे खिलाड़ियों की पहचान कर समर्थन प्रदान करना जिनके आगामी ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने की संभावना है। • इसके अंतर्गत- ○ विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले संस्थानों में उत्कृष्ट एथलीटों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप **विशेषीकृत प्रशिक्षण** और अन्य आवश्यक समर्थन प्रदान किया जा रहा है। ○ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार **एथलीटों के चयन के लिए एक बेंचमार्क** उपलब्ध कराया जाएगा। ○ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और वे फेडरेशन जो 'मिशन ओलंपिक सेल' (MOC) के सदस्य हैं, फंड के लिए वितरण एजेंसियां होंगे। ○ प्राधिकरण एथलीटों की ओर से "संबंधित व्यक्ति और संस्था" को सीधे भुगतान करेगा। • टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 2020 और 2024 ओलंपिक खेलों के लिए संभावित पदक विजेताओं की पहचान और समर्थन के लिए अभिनव बिंद्रा कमेटी का गठन किया गया था।
राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram)	• यह **राष्ट्रीय युवा नीति 2014** में परिभाषित किये गए 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं पर केंद्रित है। • इसमें **निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित** किया गया है - ○ नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम (NYLP), ○ नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS), ○ राष्ट्रीय युवा कोर (NYC), ○ राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (NPYAD), ○ राष्ट्रीय अनुशासन योजना (NDS), और स्काउटिंग एवं गाइडिंग संगठनों की सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।युवा हॉस्टल (YH) एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग • सूचना प्रसार के लिए, युवाओं को इस नई अम्ब्रेला योजना के बारे में जानकारी IEC सामग्री के वितरण के माध्यम से दी जाएगी।. • **केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 से 2019-2020 की अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यकम योजना को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की है।**
खेलो इंडिया- खेलों के विकास के	• यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र स्तरीय मंच प्रदान कर **ज़मीनी स्तर की**

VISION IAS

लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (Khelo India- National programme for development of sports)	**प्रतिभाओं का विकास** करना है। • यह गुजरात के **"खेल महाकुंभ"** के मॉडल पर आधारित है, जिसमें देश भर के स्कूल और कॉलेज 27 भिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। • इसमें राजीव गांधी खेल अभियान (RGKA), शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजना (USIS), और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (NSTSS), नामक **तीन योजनाओं का विलय** किया गया है। • इस कार्यक्रम के तहत **खेलो इंडिया स्कूल गेम्स (KISG)** लॉन्च किये गए हैं।
मिशन XI मिलियन (Mission XI million)	• भारत में **फुटबॉल को लोकप्रिय खेल** बनाना। • इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे स्वस्थ बन सकें तथा टीम वर्क एवं खेल भावना द्वारा जीवन की महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर सकें। • इस पहल में इस खेल के ऐसे स्वरूपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्हें विभिन्न आकार के मैदानों और परिस्थितियों में अपनाया जा सकता हो; विशेष रूप से ऐसे संस्करणों पर जिनको खिलाड़ियों की कम संख्या वाली टीमों के बीच खेला जा सके।
राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme : NSS)	• इसका उद्देश्य युवा छात्र वर्ग में **स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा** की भावना को विकसित करना है। • NSS का आदर्श वाक्य **"मैं नहीं, बल्कि आप (NOT ME, BUT YOU)"** है। एक NSS स्वयंसेवक 'स्वयं' से अधिक 'समुदाय' को महत्व देता है • कार्यों की निगरानी नेहरू युवा केंद्र संगठन (**NYKS, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन)** करता है। • यह योजना भारत में 11वीं एवं 12वीं कक्षा के युवा स्कूली छात्रों को +2 बोर्ड स्तर पर और तकनीकी संस्थानों, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक एवं परास्नातक के युवा छात्रों को विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा संबंधी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। • NSS, **परिसर (कैंपस) और समुदाय**, कॉलेज और गाँव तथा ज्ञान एवं कार्यवाही के मध्य सार्थक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है।

VISION IAS

49. नीति आयोग (Niti Ayog)

49.1. अटल नवोन्मेष मिशन

(Atal Innovation Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• आगामी वर्षों में भारत की नवाचार और उद्यमशीलता आवश्यकताओं पर विस्तृत अध्ययन और विचार-विमर्श के आधार पर देश में **नवाचार पारितंत्र को पर्याप्त बढ़ावा** देना तथा **उद्यमशीलता की भावना को उत्प्रेरित** करना। • **इसकी परिकल्पना एक अम्ब्रेला नवाचार संगठन के रूप में की गई है,** जो केन्द्रीय, राज्य और क्षेत्रकीय नवाचार योजनाओं के मध्य नवाचार नीतियों के संरेखण (alignment) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।	• इसके दो प्रमुख कार्य हैं- ○ **स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (Self-Employment and Talent Utilization: SETU)** योजना के माध्यम से **उद्यमशीलता को प्रोत्साहन**, जिसमें इन्नोवेटर (innovators) को सफल उद्यमी बनने हेतु समर्थन एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा। ○ **नवाचार को प्रोत्साहन:** नवाचारी विचारों के सृजन के लिए मंच उपलब्ध करवाना। • समग्र रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं- ○ **अटल टिंकरिंग लैब (ATLs):** यहाँ छठी से बाहरवीं कक्षा तक के छात्र नवाचार कौशलों को सीखते हैं तथा विचारों का विकास करते हैं। ○ **अटल टिंकरिंग मैराथन:** यह मैराथन भारत के सर्वश्रेष्ठ छात्र नवोन्मेषकों की खोज करने हेतु 6 विषयगत क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट मोबिलिटी, और कृषि-तकनीक में देशव्यापी चुनौती प्रस्तुत करता है। ○ **अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AICs)& अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC):** इन्हें विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन, लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) तथा कॉर्पोरेट उद्योग स्तरों पर स्थापित किया जाएगा। ○ **अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रैंड चैलेंज:** सामाजिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव हेतु प्रौद्योगिकी चालित नवाचारों तथा उत्पाद सृजन को प्रोत्साहन। ○ **"मेंटर इंडिया" अभियान:** यह देश के अग्रणी लोगों (जो छात्रों का मार्गदर्शन और उन्हें परामर्श प्रदान कर सकते हैं) को शामिल करने हेतु एक **रणनीतिक राष्ट्र निर्माण पहल है**। उद्योग, शैक्षणिक समुदाय, सरकार और वैश्विक सहयोग इस अभियान की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में, नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन और यूनिसेफ ने यंग चैंपियंस अवार्ड्स की घोषणा की थी। यह पुरस्कार देश भर के शीर्ष छह सबसे नवीन समाधानों हेतु प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अटल टिंकरिंग मैराथन द्वारा सूचीबद्ध किया गया था।

49.2. मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम (साथ)

{Sustainable Action For Transforming Human Capital (SATH) Programme}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **शिक्षा एवं स्वास्थ्य**	• नीति आयोग अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य मशीनरी के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करेगा।

VISION IAS

क्षेत्रक का कायाकल्प करना। • इसका लक्ष्य भविष्य के 'रोल मॉडल' राज्यों का चयन और निर्माण करना है।	इसके माध्यम से हस्तक्षेपों के लिए एक सुदृढ़ रोडमैप तैयार करने, कार्यक्रम कार्यान्वयन के ढांचे के विकास, निगरानी एवं अन्वेषण तंत्रों की स्थापना करने व कार्यान्वयन के दौरान राज्य की संस्थाओं को सहारा देने के लिए सहयोग किया जाएगा। साथ ही अनेक अन्य संस्थागत उपायों को भी समर्थन प्रदान किया जाएगा। • स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक का जबकि शिक्षा क्षेत्रक हेतु मध्यप्रदेश, झारखण्ड तथा ओडिशा का चयन किया है।

49.3 आकांक्षी जिला कार्यक्रम

(Aspirational Districts Programme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश के कुछ अत्यंत अल्पविकसित जिलों का **तीव्र और प्रभावी रूप से** कायाकल्प।	• यह 28 राज्यों के ऐसे 115 जिलों के कायाकल्प पर ध्यान केन्द्रित करता है, जिनमें निश्चित विकास मापदंडों के अनुरूप कम प्रगति हुई है। • कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा में शामिल हैं- **सम्मिलन (convergence)** [केंद्र और राज्य योजनाओं का], **सहयोग (collaboration)** [केंद्र और राज्य स्तर के **प्रभारी** अधिकारियों और जिलाधीश का] तथा जिलों के मध्य **प्रतिस्पर्द्धा(competition)**। • **पांच मुख्य आयामों** में से **49 संकेतक** चयनित किए गए हैं: **स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कृषि और जल संसाधन, कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना।** • जिलों में रियल-टाइम प्रगति की निगरानी हेतु डैशबोर्ड। • **सहकारी संघवाद:** जिलों का विकास करने हेतु उपायों की अभिकल्पना, क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन एक साथ कार्य करेंगे। • हाल ही में, नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी ज़िलों हेतु द्वितीय डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जो इन जिलों द्वारा 1 जून, 2018 और 31 अक्टूबर, 2018 के मध्य स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और अवसंरचना जैसे छह विकासात्मक क्षेत्रों में उनके द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति का मापन करती है।

49.4 परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन

(National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage)

उद्देश्य	विशेषताएं
स्वच्छ, संबद्ध (कनेक्टेड), साझा और संधारणीय" गतिशीलता पहल को बढ़ावा देना है।	• इस हेतु एक **अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के CEO** करेंगे। यह समिति भारत में गतिशीलता को रूपांतरित करने हेतु विभिन्न पहलों को एकीकृत करने के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। • यह भारत में बड़े पैमाने पर **निर्यात-प्रतिस्पर्धी क्षमता वाले एकीकृत बैटरी तथा सेल-विनिर्माणकारी गीगा संयंत्रों की स्थापना** में सहयोग देने के लिए **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम** (2024 तक 5 वर्षों के लिए वैध) **का समर्थन और कार्यान्वयन करेगा**। • यह मिशन **इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन)** में होने वाले उत्पादन के स्थानीयकरण हेतु एक अन्य कार्यक्रम शुरू करेगा और इसके विवरण को अंतिम रूप देगा। • मिशन के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों और बैटरियों के लिए एक स्पष्ट **'मेक इन इंडिया' रणनीति** तैयार की जाएगी।

VISION IAS

50. प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office)

50.1. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति)

(Pro-Active Governance And Timely Implementation: PRAGATI)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• सामान्य जन की शिकायतों का निवारण और साथ ही साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी एवं समीक्षा करना।	• एक बहु-उद्देशीय और मल्टी-मॉडल प्लेटफोर्म, जो विशिष्ट रूप से **तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों** को समूहबद्ध करता है: ○ डिजिटल डेटा मैनेजमेंट ○ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा ○ भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी • इसमें एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें प्रधानमंत्री, केन्द्र सरकार के सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव सम्मिलित हैं। • यह **सहकारी संघवाद** को सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक ही मंच पर लाता है। • यह शिकायतों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRMS), परियोजना निगरानी समूह (PMG) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटाबेस को सशक्त बनाएगा एवं तकनीकी रूप से उन्नत करेगा। • प्रधानमंत्री द्वारा एक मासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें वे केंद्र सरकार के सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वार्ता करते हैं। • यह एक सार्वजनिक वेब प्लेटफार्म (public web platform) नहीं है।

50.2. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

राष्ट्रीय रक्षा निधि (National Defence Fund)	• इसका उपयोग **सशस्त्र बलों (अर्ध-सैनिक बलों सहित) के सदस्यों एवं उनके आश्रितों के कल्याण** हेतु किया जाता है। • इस **निधि** को **एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में), रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री (अन्य सदस्यों के रूप में) शामिल** होते हैं। • इस **निधि का कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री होता** है तथा इसके खाते (accounts) की देखरेख भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है। • यह निधि पूर्णतः जनता के **स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर** है तथा इसे किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।

VISION IAS

परियोजना निगरानी समूह (Project Monitoring Group)	• यह **एक संस्थागत तंत्र है** जो सार्वजनिक, निजी तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) संबंधी बड़ी परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन सहित **विभिन्न मुद्दों का समाधान** करेगा। • घरेलू निवेश के सन्दर्भ में 1000 करोड़ रुपये और FDI परियोजनाओं में 500 करोड़ का अनुमानित निवेश करने वाले परियोजना प्रस्तावक यदि सरकारी अधिकरणों द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने में विभिन्न बाधाओं जैसे विलंब इत्यादि का सामना कर रहे हो तो वे इस प्रकार के सभी मुद्दों को PMG के ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। • उपर्युक्त दी गई मौद्रिक सीमा से कम प्रत्याशित निवेश वाली परियोजनाओं को उन संबंधित राज्य सरकारों के PMG पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है जहाँ इस प्रकार की परियोजनाएं पहले से ही मौजूद हों।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister National Relief Fund)	• इसका गठन **पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता** हेतु 1948 में किया गया था। अब इसका **उपयोग बड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत** प्रदान करने हेतु किया जाता है। • इसके अतिरिक्त, हृदय शल्य-चिकित्सा, कैंसर के इलाज तथा एसिड अटैक इत्यादि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता प्रदान की जाती है। • इस कोष में **केवल जनता द्वारा दिया गया अंशदान** सम्मिलित है तथा इसे किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। • समग्र कोष की राशि का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में विभिन्न रूपों में निवेश किया जाता है। • प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही कोष से धनराशि का वितरण किया जाता है। • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। • इस कोष को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय प्रयोजनों हेतु प्रधानमंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (G) के तहत कर योग्य आय से 100 % छूट हेतु अधिसूचित किया गया है।

VISION IAS

51. अंतरिक्ष विभाग (Department of Space)

51.1. भुवन- इसरो का भू-पोर्टल

(Bhuvan- ISRO's Geo-Portal)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• उपयोगकर्ताओं द्वारा पृथ्वी की सतह के 2D/3D प्रतिरूप का अन्वेषण करने हेतु एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को विकसित करना।	• यह 350 से अधिक शहरों के लिए 1 मीटर रेज़ोल्यूशन वाले उपग्रह आँकड़ों के साथ प्रयोक्ताओं को उनकी सुदूर संवेदन अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए भी सेवाएं प्रदान करता है। • विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इसकी सेवाओं का उपयोग: ○ पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का **एनविस (ENVIS)** कार्यक्रम। ○ **'भुवन पंचायत'** नामक वेब पोर्टल जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना निर्माण सुलभ करता है। ○ **भुवन गंगा** मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल, स्वच्छ गंगा परियोजना हेतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। • यह पोर्टल क्रमश: जिला एवं ग्रामीण स्तर पर घरों में उपलब्ध सुविधाओं संबंधी आँकड़े एवं जनगणना आँकड़ों के विषय में विस्तृत सूचना प्रदान कराता है। • यह आपदा प्रबंधन के साथ-साथ सरकार के अन्य **महत्वपूर्ण कार्यक्रमों** जैसे समेकित जलसंभरण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, अमृत आदि हेतु सक्रिय सहायता प्रदान कर रहा है।

51.2. युवा विज्ञानी कार्यक्रम

(Yuva Vigyani Karyakram (YUVIKA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• इस कार्यक्रम का **मुख्य उद्देश्य** युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर **मौलिक ज्ञान प्रदान करना है ताकि अंतरिक्ष गतिविधियों के तेज़ी से उभरते क्षेत्रों में उनकी रूचि जागृत की** जा सके। • इससे उन्हें यह समझने में सहायता मिलेगी कि उन्हें स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है तथा अं**तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उस शिक्षा का वास्तविक अनुप्रयोग** क्या है।	• CBSE, ICSE और राज्य पाठ्यक्रम को कवर करते हुए प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए **प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से 3 छात्रों का चयन करना** प्रस्तावित है। जो **छात्र 8वीं कक्षा पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में 9वीं कक्षा** में पढ़ रहे हैं, वे इस कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। • ISRO ने भारत में संबंधित राज्यों के मुख्य **सचिवों**/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से संपर्क किया है ताकि वे अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से **तीन छात्रों के चयन की व्यवस्था कर सकें और ISRO को सूची के** बारे में बता सकें। • **ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के हेतु चयन मानदंड में विशेष अधिभार** दिया गया है।

VISION IAS

51.3. युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम

(Young Scientist Programme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
युवा पीढ़ी को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ज्ञान और प्रोत्साहन प्रदान करना।	• एक माह के इस कार्यक्रम के अंतर्गत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक से 3 छात्रों का चयन किया जाएगा। • छात्रों, विशेषकर आठवीं कक्षा के छात्रों को व्याख्यान और अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रयोगशालाओं तक पहुंच तथा छोटे उपग्रहों के निर्माण का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा। • इसकी परिकल्पना अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA द्वारा इस तरह के कार्यक्रम के संचालन के पश्चात् की गई है। • यात्रा और बोर्डिंग के सभी खर्चों को **पूर्णतः ISRO द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।** • इसके अंतर्गत, देश के विभिन्न भागों- उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व में **छह इन्क्यूबेशन सेंटर** स्थापित किए जाएंगे। **त्रिपुरा के अगरतला में इस तरह का पहला केंद्र स्थापित किया गया है।**

51.4.अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

यूनिस्पेस नेनोसेटेलाइट असेम्बली एंड ट्रेनिंग प्रोगाम ऑफ इसरो	• इस कार्यक्रम का शुभारंभ बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं शांतिपूर्ण उपयोग पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की **50वीं वर्षगांठ (यूनीस्पेस +50)** के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान किया गया। • यह कार्यक्रम **भागीदार विकासशील देशों को नैनो उपग्रहों के समुच्चयन, समेकन एवं जाँच कार्य में क्षमता संवर्द्धन के लिए अवसर** प्रदान करेगा।
विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम	• हाल ही में इसरो (ISRO) ने विद्यार्थियों के साथ संवाद नामक एक छात्र आउटरीच कार्यक्रम आरम्भ किया है जहां इसरो के अध्यक्ष अपनी बाह्य स्थान यात्राओं के दौरान विद्यार्थियों से मिलते हैं तथा उनके प्रश्नों का समाधान और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का निदान करते हैं।
Sakaar साकार	• साकार एंड्राइड उपकरणों हेतु परिकल्पित **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) की एक ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) एप्लीकेशन है।** • यह एप्लीकेशन मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM), RISAT व PSLV, GSLV और Mk-III जैसे स्वदेशी रॉकेट्स के त्रिआयामी (3D) प्रतिरूपों को शामिल करती है।

VISION IAS

52. राज्य सरकार की योजनाएं (State Government Schemes)

योजनाएं	राज्य	प्रमुख विशेषताएं
कन्याश्री प्रकल्प योजना	पश्चिम बंगाल	• यह 1,20,000 से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों के लिए सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना है। • इसका उद्देश्य सभी किशोरियों की स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करके बालिकाओं के कल्याण और उनकी स्थिति में सुधार करना और उनके विवाह को 18 वर्ष की आयु तक टालना है। • संयुक्त राष्ट्र द्वारा कन्याश्री योजना को जन सेवा हेतु प्रथम स्थान दिया गया है।
मिशन काकतीय	तेलंगाना	• इस मिशन का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों की कृषि आधारित आय में निम्नलिखित उपायों के माध्यम से वृद्धि करना है - ○ लघु सिंचाई अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देकर। ○ समुदाय आधारित सिंचाई प्रबंधन को सुदृढ़ बनाकर ○ **तालाबों के पुनर्भरण** के लिए वृहद कार्यक्रमों को अपनाकर।
मिशन भागीरथ	तेलंगाना	• इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों (प्रति व्यक्ति 100 लीटर) के साथ-साथ नगरीय क्षेत्रों (प्रति व्यक्ति 150 लीटर) के सभी परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराना है। • इसका उद्देश्य पाइपलाइनों के माध्यम से 25000 ग्रामीण और 67 शहरी अधिवासों को कवर करना है।
रायथु वंधु योजना	तेलांगना	• यह किसानों के लिए एक तरह की प्रथम निवेश सहायता योजना है, जिसमें किसानों को उनकी भू-जोतों के आधार पर चेक भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्येक फसल मौसम से पूर्व **4,000 प्रति एकड़ "निवेश सहायता"** के रूप में दिया जाता है। • इसका उद्देश्य किसान को **बीज, उर्वरक, कीटनाशक और खेत की तैयारी** पर किये जाने वाले व्यय के एक बड़े भाग को प्राप्त करने में सहायता करना है। • यह योजना राज्य के 31 जिलों में 1.42 करोड़ एकड़ भूमि को कवर करती है, और **प्रत्येक किसान स्वामित्व वाली भूमि** इसके लिए पात्र है।
कृषि भाग्य योजना	कर्नाटक	• किसानों को जल संरक्षण संबंधी उपायों को अपनाने: जैसे कृषि भूमि में तालाबों के निर्माण और शुष्क अवधि के दौरान खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को बचाने में सहायता करना।
सौभाग्यवती योजना	मध्य प्रदेश	• यह योजना राज्य में गरीबों को उनके विद्युत उपभोग से भिन्न एक नियत विद्युत बिल के आधार पर विद्युत प्रदान करती है।

VISION IAS

भावान्तर भुगतान योजना	मध्य प्रदेश	• बाजार सामान्य आपूर्ति और मांग के आधार पर कीमतें निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करता है, जबकि सरकार सामान्यतः MSP और बाजार-निर्धारित मूल्य के मध्य के अंतर का भुगतान करती है। • यह 8 खरीफ फसलों पर लागू होता है जिनमें मूंग,तूर, तिल इत्यादि शामिल हैं।
सौर सुजला योजना	छत्तीसगढ़	• मार्च 2019 तक किसानों को 3 HP और 5 HP क्षमता के सौर संचालित सिंचाई पंप वितरित किए जाएंगे।
भावांतर भरपाई योजना	हरियाणा	• इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए उनकी उपज की उचित कीमतों को सुनिश्चित करना और फसलों के विविधीकरण पर बल देना है। • इसके अंतर्गत, फसलों का न्यूनतम मूल्य निश्चित किया जाता है और यदि किसान सूचीबद्ध फसलों के लिए निश्चित मूल्य से कम मूल्य प्राप्त करते हैं, तो सरकार उन्हें इसके लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। • किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है।
'वन फैमिली वन जॉब'	सिक्किम	इसमें प्रत्येक परिवार (जिसका कोई सदस्य राज्य में सरकारी नौकरी में न हो) के एक सदस्य के लिए नौकरी की परिकल्पना की गयी है।
कालिया (आजीविका और आय में वृद्धि के लिए कृषक सहायता योजना)	Odisha उड़ीसा	• राज्य के **लघु, सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषक मजदूरों** को वित्तीय सहायता प्रदान करना। • कालिया योजना के तहत, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों को **5 प्रकार के लाभ** प्रदान करेगी जैसे- **कृषि के लिए सहायता; आजीविका सहायता; जीवन बीमा**; उन किसानों के भरण-पोषण के लिए **वित्तीय सहायता** जो वृद्धावस्था, विकलांगता, बीमारी आदि के कारण खेती करने में सक्षम नहीं है; **ब्याज मुक्त फसल ऋण।**

VISION IAS

53. अन्य योजनाएं (Other Schemes)

53.1 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस प्रोजेक्ट

(Unified Payment Interface :UPI)

आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• देश को और अधिक कैशलेस मॉडल की ओर अग्रसर करना। • वित्तीय समावेशन • अगली पीढ़ी को ऑनलाइन तत्काल भुगतानों का लाभ उठाने के लिए व्यवस्था प्रदान करना जैसे स्मार्टफोन का उपयोग, इंडियन लैंग्वेज इंटरफेस, और इंटरनेट और डेटा तक सार्वभौमिक पहुंच में वृद्धि।	• अर्थव्यवस्था - कर अपवंचन और काला बाजारी को कम करना • आर्थिक विकास - धन के प्रवाह में वृद्धि • भारतीय वित्तीय बाजार - वर्तमान में अधिक परिपक्व, लचीले और अनुकूल बन गए हैं • ई-कॉमर्स • सामान्यतः उपभोक्ता	• UPI की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, (i) यह वर्चुअल एड्रेस के उपयोग के माध्यम से अकाउंट/लाभार्थी का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता को समाप्त कर ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है। और (ii) यह व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतान (पुश और पुल फैक्टर दोनों) की अंतःक्रियाशीलता की सुविधा प्रदान करता है। • भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है। • **सरल -** एक खाताधारक अपने मोबाइल फोन के वर्चुअल एड्रेस (जैसे आधार संख्या, मोबाइल नंबर, रुपे कार्ड, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भुगतान) के साथ सिंगल क्लिक में 'पे टू' या 'कलेक्ट फ्रॉम' से पैसा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होगा। • **नवाचारी** • अपनाने में सरल है। • **सुरक्षित -** UPI में सिंगल क्लिक-टू फैक्टर(single click-two factor) प्रमाणीकरण प्रणाली है जिसका अर्थ है कि एक क्लिक के साथ लेनदेन को दो स्तरों पर प्रमाणित किया जाता है। उपयोगकर्ता को मोबाइल फोन के साथ मोबाइल पिन जिसे MPIN कहा जाता है और प्रदाता द्वारा प्रदत्त आभासी आईडी की आवश्यकता होगी। क्लिक करने के साथ लेनदेन की जांच की जाती है यदि मोबाइल पिन, वर्चुअल एड्रेस के साथ मेल खाता है तो लेनदेन पूर्ण हो जाता है। • **कम लेन-देन लागत-** प्रमाणीकरण डिवाइस के रूप में मोबाइल फोन, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और थर्ड पार्टी पोर्टेबल प्रमाणीकरण योजनाओं जैसे आधार संख्या के उपयोग के द्वारा दोनों प्राप्ति पक्ष और जारी करने वाले पक्ष दोनों की

VISION IAS

		लागत कम हो जाती है। • हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का नवीन विशेषताओं के साथ उन्नयन किया है। • **UPI 2.0 की नवीन विशेषताएं।** • **अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) खातों का संयोजन-** बचत एवं चालू खातों के अतिरिक्त UPI प्रयोक्ता अब अपने ओवरड्राफ्ट खातों को इससे संयोजित कर सकते हैं तथा ओवरड्राफ्ट खातों की सभी सुविधाएँ एवं लाभ प्रयोक्ता हेतु उपलब्ध रहेंगी। • **वन-टाइम मैंडेट (खाता अवरुद्ध करना/अकाउंट ब्लॉकिंग)-** यह ग्राहकों एवं व्यापारियों को एक लेन-देन को पूर्व प्राधिकृत करने तथा एक पश्चातवर्ती तिथि पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक भुगतान करने में विफल न हो पाए। • **इनबॉक्स में इनवॉइस-** यह प्रयोक्ता को भुगतान करने से पूर्व अपने इनबॉक्स में व्यापारी द्वारा प्रेषित इनवॉइस की जाँच करने की अनुमति प्रदान करता है, इस प्रकार प्रयोक्ता को पहले से ही प्रत्यय-पत्र (credentials) की जाँच करने में सक्षम बनाता है। • **OR में सुरक्षा परत -** यह ऐप प्रयोक्ता को सूचना को अभिनिश्चित करने के माध्यम से QR कोड को स्कैन करने तथा व्यापारी की प्रामाणिकता की जाँच करने की अनुमति प्रदान करता है। • **लेन-देन सीमा में वृद्धि-** पूर्व-मौजूदा लेन-देन सीमा (प्रतिदिन) में वृद्धि करके उसे 2 लाख रूपए प्रतिदिन किया गया है।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS